



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार
वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या-1

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

बिहार सरकार

वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 01

विषय सूची

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
	प्राक्कथन		v
	कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय—I अवलोकन			
	राज्य की रूपरेखा	1.1	1
	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	1.2	3
	प्रतिवेदन संरचना	1.3	4
	सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया	1.4	4
	राजकोषीय संतुलन: राजकोषीय घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.5	9
	लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा	1.6	12
अध्याय—II राज्य का वित्त			
	2019–20 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन	2.1	13
	निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग	2.2	13
	राज्य के संसाधन	2.3	14
	संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	28
	लोक लेखा	2.5	43
	ऋण प्रबंधन	2.6	47
	ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी0एस0ए0)	2.7	51
	निष्कर्ष	2.8	57
	अनुशंसाएँ	2.9	57
अध्याय—III बजटीय प्रबंधन			
	बजट प्रक्रिया	3.1	59
	विनियोग लेखे	3.2	60
	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा	3.3	61
	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणी	3.4	67
	बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी	3.5	72
	चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.6	73
	अनुदान संख्या 37 “ग्रामीण कार्य विभाग”	3.6.1	73
	अनुदान संख्या 42 “ग्रामीण विकास विभाग”	3.6.2	76
	विशिष्ट बजट की समीक्षा	3.7	78
	जेंडर बजट की समीक्षा	3.7.1	78
	बाल कल्याण बजट की समीक्षा	3.7.2	80
	हरित बजट की समीक्षा	3.7.3	81
	परिणाम बजट के साथ उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा	3.7.4	82
	अनुशंसाएँ	3.8	88

विषय सूची

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
अध्याय – IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार			
	राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखे के बाहर की निधि	4.1	89
	ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना	4.2	90
	राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधे हस्तांतरण	4.3	90
	स्थानीय जमा निधि	4.4	91
	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब	4.5	93
	सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्र	4.6	95
	व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता	4.7	97
	लघु शीर्ष "800" का अनुचित प्रयोग	4.8	98
	मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष	4.9	101
	विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन	4.10	102
	नकद शेष का समाशोधन	4.11	103
	लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष	4.12	103
	लेखांकन मानकों का अनुपालन	4.13	103
	लेखाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता	4.14	104
	गबन, हानि, चोरी, इत्यादि	4.15	104
	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.16	105
	राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशि का विभाजन	4.17	105
	अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन	4.18	105
	निष्कर्ष	4.19	106
	अनुशंसाएँ	4.20	106
अध्याय – V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)			
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	5.1	109
	सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता	5.2	111
	सरकारी कम्पनियों एवं निगमों से प्रतिफल	5.3	115
	ऋण शोधन	5.4	117
	सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता	5.5	118
	हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 एवं पूँजी का क्षरण	5.6	121
	अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का समापन	5.7	122
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता जिनके लेखे बकाये थे	5.8	123
	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) की लेखापरीक्षा	5.9	124
	नि0म0ले0प0 द्वारा एस0पी0एस0ई0 के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	5.10	124
	एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5.11	124
	नि0म0ले0प0 का पर्यवेक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	5.12	125
	नि0म0ले0प0 की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम	5.13	126
	लेखा मानकों/भारतीय लेखा मानकों के प्रावधानों का अनुपालन न करना	5.14	130

विषय सूची

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
परिशिष्ट			
1.1	राज्य का परिचय	1.1	133
2.1	राज्य सरकार के वित्त के कालश्रृंखला आँकड़े	2.2	134
2.2	अपूर्ण परियोजनाओं पर लम्बित भुगतान	2.4.3.3	137
3.1	अनुपूरक प्रावधान के मामले (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए	3.3.2	145
3.2	निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन	3.3.3	147
3.3	निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन	3.3.3	149
3.4	वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर पुनर्विनियोजन के मामले	3.3.3	150
3.5	कुल प्रावधान में से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	151
3.6	कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग	3.3.4	154
3.7	2016-17 से 2020-21 के दौरान सतत बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची	3.3.4	156
3.8	वर्ष 2020-21 में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की राशि के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	158
3.9	निधियों का शत प्रतिशत अनुप्रयोग (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)	3.4.1	159
3.10	मार्च 2021 माह में सघन व्यय	3.4.4	162
3.11	मार्च 2021 में किए गए शत प्रतिशत व्यय	3.4.4	163
3.12	गैर-आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी	3.4.5	166
3.13	परित्यक्त सड़क परियोजनाओं का विवरण राज्य योजना सहित	3.6.1.2	168
3.14	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2016-17 से 2020-21 तक का राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रतिवेदन	3.6.1.2	169
3.15	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूँजीगत व्यय	3.6.1.3	170
3.16	ग्रामीण कार्य विभाग के राजस्व एवं पूँजीगत व्यय	3.6.1.3	171
3.17	पाँच वर्षों के गलत बुकिंग का विवरण (2016-17 से 2020-21)	3.6.1.3	172
3.18	वर्ष 2020-21 के दौरान श्रेणी 'अ' एवं श्रेणी 'ब' के अंतर्गत विभागवार जेन्डर बजट प्रावधान	3.7.1	173
3.19	वर्ष 2020-21 के दौरान श्रेणी 'अ' के अंतर्गत दो विभागों में जेन्डर बजट प्रावधान	3.7.1	174
3.20	2020-21 के दौरान विभागवार हरित बजट प्रावधान	3.7.3	177
5.1	वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य पी0एस0ई0 का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	5.1.3 एवं 5.5.1	178

विषय सूची

	विवरण	संदर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ
5.2	एस0पी0एस0ई0 का विवरण जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है	5.1.3	183
5.3	उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे अगस्त 2021 तक बकाए थे	5.8	186
5.4	एस0पी0एस0ई0 के बकाया लेखाओं का विवरण	5.11.2	189
5.5	वैसे एस0पी0एस0ई0 का विवरण जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों/भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन प्रतिवेदित किया गया	5.14	192
5.6	वैसे एस0पी0एस0ई0 का विवरण जहाँ नि0म0ले0प0 द्वारा लेखांकन मानकों/भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन प्रतिवेदित किया गया	5.14	193
	संकेताक्षरों की शब्दावली		195

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ0सी0), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2020-21 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय प्रदर्शन का भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन पाँच अध्यायों में संरचित है।

अध्याय I वित्त लेखों की लेखापरीक्षा और बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति (31 मार्च 2021) के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रहों में परिवर्तन का विश्लेषण करता है।

अध्याय II सरकार के घाटे के प्रबंधन, राजस्व और पूँजीगत व्यय में रुझान, आकस्मिक मुद्दों, प्रतिबद्ध और अनिवार्य व्यय, सब्सिडी, ऋण, निवेश और उधार प्रतिरूप में गहन जानकारी प्रदान करता है। यह वर्ष 2020-21 के लिए बिहार सरकार के वित्त का लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले वर्षों से संबंधित राज्य के वित्त लेखों में निहित विवरण और वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2021 तक की स्थिति के आकलन के आधार पर प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय III बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की जाँच करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय IV चालू वर्ष के दौरान लेखाओं की गुणवत्ता और निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों का वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार के लेखाओं की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय V 'राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय प्रदर्शन का सारांश' और 'राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लेखाओं पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका' पर एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा निष्कर्ष तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों तथा सरकारी कम्पनियों के लेखापरीक्षा अवलोकन को शामिल करने वाले प्रतिवेदन एवं राजस्व प्राप्तियों पर अवलोकन को समाहित करने वाले प्रतिवेदन को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करती है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 29,827 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 15,103 करोड़ बढ़ गया। 2020-21 के दौरान, राज्य को 2004-05 के बाद दूसरी बार ₹ 11,325 करोड़ के राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा। पूँजी खंड के तहत राजस्व लेनदेन के गलत वर्गीकरण की घटनाएँ और अन्य देनदारियों के गैर-लेखांकन के मामले थे, जो घाटे को और अधिक बढ़ा देते थे, जैसा कि प्रतिवेदन में बताया गया है।

यद्यपि जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बी0एफ0आर0बी0एम0 के संशोधित लक्ष्यों के भीतर था लेकिन यह बजट अनुमानों के अनुसार नहीं था। हालाँकि, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋण पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमानों के भीतर था।

(अध्याय I)

राज्य का वित्त

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य ने मुख्य रूप से स्व करेक्टर में वृद्धि के कारण, राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,936 करोड़ (3.17 प्रतिशत) की वृद्धि।

वर्ष के दौरान मुख्य रूप से प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में ₹ 13,476 करोड़ (10.69 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। साथ ही, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय 47.99 प्रतिशत बढ़ा दिया है।

वर्ष के अंत में बकाया लोक ऋण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 29,035 करोड़ (19.59 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

राज्य की देनदारियाँ साल-दर-साल बढ़ रही हैं और वर्ष 2020-21 के दौरान 53.92 प्रतिशत से अधिक उधार का उपयोग इसके पुनर्भुगतान के लिए किया गया, जिससे राज्य में परिसंपत्तियों का निर्माण प्रभावित हुआ।

(अध्याय II)

बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कुल प्रावधान (₹ 2,45,522.62 करोड़) के विरुद्ध ₹ 1,67,915.40 करोड़ (68.39 प्रतिशत) का व्यय किया है। अनुपूरक प्रावधान (₹ 33,761.12 करोड़) पूरी तरह से अनावश्यक हो गया क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

कुल बचत ₹ 77,607.22 करोड़ में से केवल 16.84 प्रतिशत (₹ 13,067.33 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64,539.89 करोड़ की बचत (कुल बचत का 83.16 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ।

2020-21 के दौरान, 44 मामलों (35 अनुदानों/विनियोगों) में ₹ 17,855.06 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,10,142.09 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,50,136.86 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

जेंडर बजट में 29 श्रेणी 'अ' योजनाओं के लिए ₹ 2,932.69 करोड़ की निधि होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया गया। बाल कल्याण बजट में ₹ 2,958.33 करोड़ की राशि होने के बावजूद 48 योजनाओं पर राज्य सरकार एक भी रुपया खर्च करने में विफल रही। हरित बजट तैयार करने वाला बिहार देश में पहला राज्य था। छह श्रेणियों के तहत 231 योजनाओं के लिए ₹ 5,693.88 करोड़ का प्रावधान किया गया था। तथापि, समूह 'अ' के रूप में वर्गीकृत 66 योजनाओं में से 13 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया।

(अध्याय III)

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

श्रम उपकर की वसूली के लिए अलग से एक उपशीर्ष (8443-00-108-0004) खोले जाने के बावजूद वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान संग्रहित की गई कुल राशि "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण बोर्ड" को हस्तांतरित नहीं की गई है। शीर्ष 8443-00-108-0004 में 31.03.2021 को ₹ 85.53 करोड़ का अंत शेष था। बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन के लिए निधि संग्रहण हेतु कोई पृथक उपशीर्ष नहीं खोला गया है जिससे इन निधियों का लेखांकन एवं अनुश्रवण कठिन हो जाता है।

31 मार्च 2021 को 252 व्यक्तिगत जमा खाता (पी0डी0) में ₹ 3,811.33 करोड़ अंतशेष था। 90 नए पी0डी0 खाते खोले गए जिनमें ₹ 199.17 करोड़ की राशि जमा की गई। बजटीय प्रक्रिया की सार्थकता बनाए रखने के लिए पी0डी0 खातों के उपयोग को कम करना अनिवार्य है क्योंकि इन जमा खातों में जमा की गई राशि को राज्य सरकार द्वारा व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है, जबकि वास्तविक व्यय नहीं होता है।

इसके अलावा, व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) और वित्त लेखे के अनुसार पी0डी0 खातों की संख्या और उनमें पड़ी राशि में अंतर था, जो मुख्य रूप से सी0टी0एम0आई0एस0 से सी0एफ0एम0एस0 प्रणाली में शेष राशि के अहस्तांतरण या हस्तांतरण में त्रुटि के कारण था। जिसमें समाशोधन की आवश्यकता है। सी0एफ0एम0एस0 और वित्त लेखे के शेष के बीच महत्वपूर्ण अंतर देखा गया।

31 मार्च 2021 तक ₹ 92,687.31 करोड़ की राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू0सी0) बकाया थे जो निधियों के दुर्विनियोजन और धोखाधड़ी के जोखिम से भरा है।

कुल 26,504 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 13,459.71 करोड़ को मार्च 2021 तक समायोजित नहीं किया गया। इनमें से 1833 ए0सी0 विपत्रों की कुल राशि ₹ 429.32 करोड़ (कुल आहरित 6,308 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,834.28 करोड़ का 8.88 प्रतिशत) को मार्च 2021 में आहरित किया गया। ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों का जमा न करना दुर्विनियोजन तथा दुरुपयोग की सम्भावना को बढ़ाता है।

102-उच्चतम लेखा-सिविल के तहत निधि में पिछले वर्ष 2019-20 (निवल नामे 9,857.46 करोड़) की तुलना में 2020-21 में (निवल नामे 14,527.78 करोड़) वृद्धि हुई।

(अध्याय IV)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (एस0पी0एस0ई0)

इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 ने अपने नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखों के अनुसार ₹ 19,352.10 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह कारोबार वर्ष 2020-21 के लिए जी0एस0डी0पी0 के 3.13 प्रतिशत (₹ 6,18,628 करोड़) के समतुल्य था।

31 मार्च 2021 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल एस0पी0एस0ई0 में कुल निवेश (अंशपूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 45,798.12 करोड़ था। निवेश में अंशपूँजी 84.74 प्रतिशत (₹ 38,807.43 करोड़) और लंबी अवधि के ऋण 15.26 प्रतिशत (₹ 6,990.69 करोड़) शामिल थे। राज्य सरकार की अंश पूँजी में ₹ 38,419.14 करोड़

की अंशपूँजी शामिल थी। राज्य सरकार द्वारा दिया गया ₹ 1,897.21 करोड़ का ऋण 31 मार्च 2021 तक बकाया था। पिछले वर्ष की तुलना में, एस0पी0एस0ई0 की अंशपूँजी में राज्य सरकार की हिस्सेदारी में ₹ 33.01 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार ने अगस्त 2021 तक 15 कार्यरत राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0), दो सांविधिक निगमों और 16 अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को ₹ 20,145.84 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की, जिनके लेखे 31 मार्च 2021 तक बकाया थे। ये एस0पी0एस0ई0 कंपनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों/सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन कर पिछले एक से 44 वर्षों के लिए अपने लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया है।

प्रतिवेदन में शामिल 18 एस0पी0एस0ई0 में से नौ एस0पी0एस0ई0 ने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया। अर्जित लाभ 2019-20 के ₹ 600.99 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 724.17 करोड़ हो गया। 2020-21 में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाली कंपनी बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड (₹ 154.82 करोड़) थी। 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले नौ एस0पी0एस0ई0 की कुल संपत्ति ₹ 10,072.57 करोड़ थी। इन नौ एस0पी0एस0ई0 का अंशपूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) 2019-20 के 6.10 प्रतिशत की तुलना में 7.19 प्रतिशत था। 2020-21 में पाँच घाटे में और चार न लाभ न हानि वाली कंपनियों सहित सभी 18 एस0पी0एस0ई0 का आर0ओ0ई0 (-)12.10 प्रतिशत था।

31 मार्च 2021 तक, 18 एस0पी0एस0ई0 में से केवल पाँच ऐसे एस0पी0एस0ई0 थे जिन्हें ₹ 3,213.13 करोड़ की हानि हुई। इन पाँच एस0पी0एस0ई0 का संचित घाटा और निवल मूल्य, ₹ 28,852.90 करोड़ के अंशपूँजी निवेश के मुकाबले क्रमशः ₹ 19,629.17 करोड़ और ₹ 9,223.73 करोड़ था। पाँच एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और यह 31 मार्च 2021 को ₹ 85.60 करोड़ के अंशपूँजी निवेश के मुकाबले (-) ₹ 587.82 करोड़ था।

(अध्याय V)

अध्याय–I
अवलोकन

यह अध्याय वित्त लेखे की लेखापरीक्षा के आधार पर राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तनों का विश्लेषण एवं 31 मार्च 2021 को बिहार सरकार की राजकोषीय स्थिति का आकलन करता है।

1.1 राज्य की रूपरेखा

बिहार एक भूमि से घिरा राज्य है, जो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल के साथ एक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। यह भौगोलिक आकार (94,163 वर्ग कि०मी०) के मामले में भारत का बारहवाँ सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या (12.42 करोड़) के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार राज्य में 38 जिले हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और राज्य के पास कोई महत्वपूर्ण खनिज संपदा नहीं है। जैसा कि **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है, जनसंख्या का घनत्व 881 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० (2001) से बढ़कर 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० (2011) हो गया है। अखिल भारतीय औसत की तुलना में बिहार में गरीबी का स्तर अधिक है। राज्य ने 2011-12 से 2020-21 (पी०) की अवधि के लिए आर्थिक विकास में वृद्धि दिखाई है क्योंकि इसकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी०ए०जी०आर०) अखिल भारत के 9.48 प्रतिशत की तुलना में 10.73 प्रतिशत रही है। बिहार एक सामान्य श्रेणी का राज्य है और पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के अनुसार, बिहार के जी०एस०डी०पी० की मानक मूल्यांकन वार्षिक वृद्धि दर (-)9 प्रतिशत थी और इसकी जी०एस०डी०पी० की अनुमानित वार्षिक वृद्धि दर 11 प्रतिशत रही है। राज्य की प्रति व्यक्ति जी०एस०डी०पी० 2020-21 के अंत में ₹ 50,555 थी जबकि झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल की प्रति व्यक्ति जी०एस०डी०पी० क्रमशः ₹ 81,801, ₹ 73,422, ₹ 1,18,842 और ₹ 1,32,212 थी।

1.1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) एक निश्चित अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जी०एस०डी०पी० की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक निश्चित अवधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन के परिमाण को दर्शाती है।

भारत के जी०डी०पी० और राज्य के जी०एस०डी०पी० की वार्षिक वृद्धि का वर्तमान मूल्य और स्थिर मूल्य पर रूझान (आधार वर्ष: 2011-12) **तालिका 1.1** में दिया गया है।

तालिका 1.1: जी०डी०पी० की तुलना में जी०एस०डी०पी० की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्तमान मूल्य					
वर्तमान मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-) 2.97
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
पिछले वर्ष की तुलना में जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
सकल घरेलू उत्पाद में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशतता	2.74	2.74	2.80	2.92	3.13
स्थिर मूल्य (आधार वर्ष)					
स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	1,23,08,193	1,31,44,582	1,40,03,316	1,45,69,268	1,35,12,740
स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (2011-12 श्रेणी)	3,18,797	3,44,028	3,81,383	4,09,645	4,19,883
पिछले वर्ष की तुलना में सकल घरेलू उत्पाद का वृद्धि दर (प्रतिशत में)	7.52	6.80	6.53	4.04	(-) 7.25
पिछले वर्ष की तुलना में जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.43	7.91	10.86	7.41	2.50


(स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन)

बिहार की जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि पिछले पाँच वर्षों के दौरान वर्तमान और स्थिर दोनों मूल्यों पर अखिल भारतीय औसत से अधिक था।

1.1.2 क्षेत्रीय संरचना

आर्थिक गतिविधि को आमतौर पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों के अनुरूप होते हैं। अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे को समझने के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय योगदान में बदलाव को समझना महत्वपूर्ण है। 2016-17 और 2020-21 तक जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन को चार्ट 1.1 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.1: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत योगदान में परिवर्तन (2016-17 और 2020-21)




(स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन)

वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में प्राथमिक क्षेत्र का क्षेत्रीय विकास में अप्रत्याशित कमी फसलों, पशुधन, वानिकी और सिल्ली निर्माण में नकारात्मक वृद्धि के कारण 15.50 प्रतिशत से घटकर 4.40 प्रतिशत हो गया था।

पिछले वर्ष की तुलना में द्वितीयक और तृतीयक (सेवा) क्षेत्रों की वृद्धि दर में कमी आई है। चार्ट 1.2 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रीय विकास को दर्शाता है।

चार्ट 1.2: जी0एस0डी0पी0 में क्षेत्रगत वृद्धि



(स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन)

2020-21 के दौरान तीनों क्षेत्रों के क्षेत्रगत विकास दर में पिछले वर्ष की तुलना में कमी की प्रवृत्ति देखी गई है, प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र में 2019-20 की तुलना में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) का किसी राज्य के लेखों से संबंधित प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाना है, जो उन्हें राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने के लिए प्रेरित करेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस0एफ0ए0आर0) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के तहत तैयार और प्रस्तुत की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), कोषागारों द्वारा प्रस्तुत अभिश्रवों, चालानों, प्रारंभिक एवं सहायक लेखों, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यालयों तथा विभागों, जो इस तरह के लेखों के रख-रखाव के लिए जिम्मेवार हैं, तथा रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणी के आधार पर प्रतिवर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा की जाती है और इसे नि.म.ले.प. द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य आँकड़े हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य का बजट: अनुमानों के साथ-साथ राजकोषीय मानकों और आवंटन की प्राथमिकताओं का आकलन करने के साथ ही साथ इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और प्रासंगिक नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुपालन का मूल्यांकन;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के पास अन्य आँकड़े (लेखा के साथ-साथ एम0आई0एस0);
- जी0एस0डी0पी0 आँकड़े और राज्य से संबंधित अन्य आँकड़े; तथा
- भारत के नि0म0ले0प0 का विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) अधिनियम 2006 तथा भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के आलोक में भी यह विश्लेषण किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर वित्त विभाग के साथ दिसम्बर 2021 में आयोजित एकजट सम्मेलन के दौरान चर्चा की गई। विभाग से प्राप्त जवाबों को इस प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया।

1.3 प्रतिवेदन संरचना

राज्य के वित्त प्रतिवेदन को निम्नलिखित पाँच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय - I अवलोकन

यह अध्याय, प्रतिवेदन और अंतर्निहित आँकड़ों के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, जो सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के समग्र राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय - II राज्य के वित्त

यह अध्याय, राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, एवं राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण संरचना और प्रमुख लोक लेखा संव्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

अध्याय - III बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन की प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय - IV लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान किए गए लेखाओं की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

अध्याय - V राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम

यह अध्याय सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों जैसा कि उनके लेखाओं से पता चलता है, के वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा करता है।

1.4 सरकारी लेखे की संरचना एवं बजटीय प्रक्रिया

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाये गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन शामिल हैं। इस निधि से विधि के अनुसार तथा उद्देश्यों के लिए एवं भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए तरीके के अलावा किसी भी धन को विनियोजित नहीं

किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियाँ (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि), राज्य की संचित निधि (भारत व्यय) पर एक प्रभार निर्मित करती हैं और विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अधीन स्थापित किया गया है और इसे राज्यपाल के निपटान में वैसे आकस्मिक व्ययों, जिनका राज्य मंडल विधायिका से प्राधिकृत किया जाना लंबित है, को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर उपयोग करने के लिए रखा गया है। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यकारी मुख्य शीर्ष पर व्यय को नामे करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

3. राज्य के लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी लोक निधि, जहाँ सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, को लोक लेखा में जमा किया जाता है। लोक लेखा में पुनर्भुगतेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, जमा (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों अस्थायी शीर्ष हैं, अंतिम लेखांकन लंबित) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा में शामिल होते हैं। लोक लेखा विधानमंडल के मत के अधीन नहीं है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट दस्तावेज का गठन करता है। इसके अलावा, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्यय से अलग रखना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा और भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य संचालन, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) पर किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं।

पूँजीगत प्राप्तियों में शामिल हैं:

- **ऋण प्राप्तियाँ:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम के तहत शुद्ध लेनदेन, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियाँ:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली;


पूँजीगत व्यय में भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेषों में निवेश, और सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य पक्षों को ऋण और अग्रिम पर व्यय शामिल होते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यकारी और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
सी.जी.ए द्वारा मुख्य व लघु शीर्ष सूची में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदान के तहत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों के लिए छोड़ा गया लचीलापन	योजना	उप-शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	विषय शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यकारी वर्गीकरण के द्वारा विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के विषय को समझा जाता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूँजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। मुख्य शीर्षों में निहित पहले अंक के आधार पर आर्थिक वर्गीकरण का पता चलता है। उदाहरण के लिए, 0 और 1 राजस्व प्राप्तियों 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण भी कुछ विषय शीर्षों की एक अंतर्निहित परिभाषा और वितरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, सामान्यतया "वेतन" विषय शीर्ष राजस्व व्यय है, "निर्माण" विषय शीर्ष पूँजीगत व्यय है। वस्तु शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

सरकारी लेखे की संरचना



बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल, राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार, राज्य विधानमंडल को अनुदानों/विनियोगों हेतु मांगों के रूप में विवरण

प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, अनुच्छेद 204 के तहत संचित निधि से आवश्यक धन के विनियोजन हेतु विनियोग विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है।

राज्य बजट संहिता, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों की निगरानी में मार्गदर्शन करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में वर्णित है।

1.4.1 संक्षिप्त वित्तीय परिदृश्य

नीचे दी गई तालिका वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों के साथ वास्तविक वित्तीय परिणामों तथा वर्ष 2019-20 के वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका 1.2: वित्तीय वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय परिणाम की तुलना बजट अनुमान एवं वर्ष 2019-20 के वास्तविक के साथ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	जी०एस०डी०पी० से वास्तविक की प्रतिशतता
1.	कर राजस्व	30,158	34,750	30,342	87.32	4.90
2.	करेत्तर राजस्व	3,700	5,239	6,201	118.36	1.00
3.	संघीय कर का अंश	63,406	91,181	59,861	65.65	9.68
4.	सहायता अनुदान और अंशदान	26,969	52,754	31,764	60.21	5.13
5.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,24,233	1,83,924	1,28,168	69.69	20.72
6.	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	30	428	821	191.82	0.13
7.	अन्य प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
8.	उधारी एवं अन्य दायित्व (अ)	29,145	27,609	35,915	130.08	5.81
9.	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	29,175	28,037	36,735	131.02	5.94
10.	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,53,408	2,11,961	1,64,904	77.80	26.66
11.	राजस्व व्यय	1,26,017	1,64,751	1,39,493	84.67	22.55
12.	ब्याज भुगतान	10,991	12,925	12,484	96.59	2.02
13.	पूँजीगत व्यय	12,304	38,745	18,209	47.00	2.94
14.	ऋण एवं अग्रिम	666	1,230	1,114	90.57	0.18
15.	कुल व्यय (11+13+14)	1,38,987	2,04,726	1,58,816	77.57	25.67
16.	राजस्व आधिक्य/घाटा (5-11)	(-),1,784	19,173	(-),11,325	(-) 59.07	(-) 1.83
17.	राजकोषीय घाटा {15-(5+6+7)}	14,724	20,374	29,827	146.40	4.82
18.	प्राथमिक घाटा (17-12)	3,733	7,449	17,343	232.82	2.80

(स्रोत: 2020-21 के वित्त लेखे और राज्य के बजट का सारांश)

₹1 करोड़ का अंतर पूर्णांकन के कारण है।

(अ) उधार और अन्य देनदारियाँ: निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आकस्मिक निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल आरंभिक और अंतिम नकद शेष

- यह देखा गया कि 2020-21 के लिए राजस्व प्राप्ति का बजट अनुमान 2019-20 के वास्तविक अनुमान से 48.05 प्रतिशत अधिक था। तथापि, वास्तविक प्राप्ति अनुमान से 30.31 प्रतिशत कम थी, जो दर्शाता है कि राजस्व प्राप्ति का अनुमान बढ़ा दिया गया था। राजस्व प्राप्ति में संघीय करों के अंश के अंतर्गत निगम कर (16.45 प्रतिशत) और सीमा शुल्क (20.87 प्रतिशत) में पिछले वर्ष की तुलना में कम संग्रहण देखा गया था। इसके अलावा, करेत्तर राजस्व के तहत ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 2,600 करोड़) और लाभांश (₹ 603.01 करोड़) पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 3,935 करोड़ की वृद्धि का कारण था (विवरण बाद के कंडिका में है)।
- जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति, जी.एस.टी. (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के तहत राज्य सरकार का राजस्व है। हालांकि, वर्ष 2020-21 के दौरान जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण, राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 4,359.28 करोड़ का जी०एस०टी० क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के

अलावा, बिहार को राज्य सरकार की ऋण प्राप्तियों के तहत ₹ 3,905.00 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं थी। इस समझौते के कारण वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 11,325.11 करोड़ का राजस्व घाटा और ₹ 29,827.25 करोड़ का राजकोषीय घाटा जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति के बदले में ₹ 3,905.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के रूप में पढ़ा जा सकता है।

- वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में, हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में 3.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई, फिर भी 2018-19 (₹ 1,31,794 करोड़) की तुलना में 2.75 प्रतिशत कम थी। राज्य को अपने राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक धन (23.23 प्रतिशत की वृद्धि) उधार लेना पड़ा। नीचे दी गई तालिका 1.3 प्राप्तियों और व्यय की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.3: प्राप्तियों और व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व		राजस्व प्राप्तियों में राजस्व व्यय का प्रतिशत	पूँजीगत		पूँजीगत प्राप्तियों में पूँजीगत व्यय का प्रतिशत
	प्राप्तियाँ	व्यय		प्राप्तियाँ	व्यय	
2016-17	1,05,585	94,765	89.75	21,600	27,208	125.96
2017-18	1,17,447	1,02,624	87.38	13,191	28,907	219.14
2018-19	1,31,794	1,24,897	94.77	20,493	21,058	102.76
2019-20	1,24,233	1,26,017	101.44	29,175	12,304	42.17
2020-21	1,28,168	1,39,493	108.84	36,735	18,209	49.57

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- राजस्व के रूप में प्राप्त प्रत्येक ₹ 100 के विरुद्ध, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त नौ रूपया उधार लेना पड़ा।
- यद्यपि पूँजीगत व्यय कम हो रहा है, राजस्व व्यय बहुत तेज दर से बढ़ रहा है।

पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों में 25.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूँजीगत व्यय में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इस प्रकार, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 6.35 गुना और 2.03 गुना बढ़ गया।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियाँ और देनदारियों का संक्षिप्त परिदृश्य

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देनदारियों और किए गए व्यय से बनाई गई संपत्ति को समाहित करते हैं। देनदारियों में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियाँ और आरक्षित निधियाँ शामिल हैं, तथा संपत्ति में मुख्य रूप से पूँजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा नकद शेष शामिल हैं।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देनदारियों की संक्षिप्त स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ					
	2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में		2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में		
समेकित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	1,36,082.09	1,59,557.50	17.25	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	2,17,479.32	2,35,687.92	8.37
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	12,098.16	17,657.35	45.95	ब	ऋण एवं अग्रिम	21,450.23	21,743.77	1.37
आकस्मिकता निधि		350.00	350.00	0.00					

देयताएँ				परिसंपत्तियाँ						
	2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में		2019-20	2020-21	वृद्धि प्रतिशत में			
लोक लेखा										
अ	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि	9,279.09	9,445.38	1.79	अ	अग्रिम	249.96	249.96	0	
ब	जमा	35,373.24	39,634.21	12.05	ब	प्रेषण	1,916.87	1,118.43	(-) 41.65	
स	आरक्षित निधि	6,289.49	6,641.19	5.6	स	उच्चत तथा विविध	10,498.30	15,378.20	46.48	
द	उच्चत तथा विविध शेष	63.85	110.99	73.83	रोकड़ शेष (निर्धारित निधियों में निवेश सहित)			24,912.65	24,864.64	(-) 0.19
इ	अंतर्राज्यीय समाशोधन	74.01	74.01	0						
फ	सरकारी लेखा पर अधिकारि	76,897.40	65,572.29	(-) 14.73						
कुल		2,76,507.33	2,99,042.92		कुल		2,76,507.33	2,99,042.92		

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

1.5 राजकोषीय संतुलन: राजकोषीय घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

बिहार सरकार द्वारा बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 एवं संशोधन अधिनियम, 2016 पारित किया गया है, जिसका उद्देश्य राजकोषीय प्रबंधन में बुद्धिमता सुनिश्चित कर राजस्व घाटे को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे और समग्र/बकाया ऋण को स्वीकार्य स्तर तक कम करना, बेहतर ऋण प्रबंधन स्थापित करना तथा मध्यम अवधि की रूपरेखा में पारदर्शिता लाना है। इस संदर्भ में, यह अधिनियम घाटे और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले परिमाणात्मक लक्ष्य को निर्धारित करता है।

तालिका 1.5: बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदंड	मध्यावधि राजकोषीय नीति अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा(-) / आधिक्य(+) (₹ करोड़ में)	राजस्व आधिक्य	10,819.81	14,823.01	6,896.64	(-) 1,784.13	(-) 11,325.11
		✓	✓	✓	✗	✗
राजकोषीय घाटा(-) / आधिक्य(+) (जी०एस०डी०पी० के प्रतिशतता के रूप में)	वर्ष 2019-20 तक 3.00 प्रतिशत वर्ष 2020-21 के लिए 5.00 ¹ प्रतिशत	(-)16,479.15 (3.91)	(-)14,304.83 (3.05)	(-)13,806.76 (2.62)	(-)14,723.93 (2.48)	(-) 29,827.25 (4.82)
		✗	✗	✓	✓	✓
कुल लंबित ऋण का जी०एस०डी०पी० से अनुपात (प्रतिशत में)	वर्ष 2019-20 तक 28 प्रतिशत वर्ष 2020-21 के लिए 41.20 ² प्रतिशत	32.95	33.45	31.99	32.56	36.09 [#]
		✗	✗	✗	✗	✓

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे एवं बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम)

- वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य बिहार गजट (असाधारण) 31 मार्च 2021 के माध्यम से बी०एफ०आर०बी०एम० अधिनियम, 2006 की धारा 9 की उप-धारा 2 (बी) (1) में निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।
 - पंद्रहवें वित्त आयोग में अनुशंसित राज्य सरकार के सांकेतिक ऋण पथ के अनुसार 2020-21 के लिए ऋण-जी०एस०डी०पी० अनुपात को 41.20 प्रतिशत बनाए रखा जाना था।
- [#] कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी०एस०डी०पी० क्षतिपूर्ति को छोड़कर प्राप्त हुआ।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राजस्व घाटा ₹ 11,325.11 करोड़ था जो एम0टी0एफ0पी0 में राजस्व अधिशेष के अनुमानों (₹ 19,173 करोड़) से काफी कम था। इस प्रकार, बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण के कारण राजस्व घाटे में वृद्धि दर्ज की गई।

वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा बिहार गजट (असाधारण) 31 मार्च 2021 के माध्यम से बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 की धारा 9 की उप-धारा 2 (बी) (1) में निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत की वृद्धि की गई थी। राज्य ने बताया कि पंद्रहवें वित्त आयोग में अनुशंसित राज्य सरकारों के सांकेतिक ऋण पथ के अनुसार 2020-21 के लिए ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात को 41.20 प्रतिशत रखना था। राजकोषीय घाटा और ऋण से जी0एस0डी0पी0 अनुपात क्रमशः संशोधित लक्ष्य और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत था।

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय योजना (एम0टी0एफ0पी0) में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों के लक्ष्यों की तुलना वर्तमान वर्ष के लिए संबंधित वास्तविक आँकड़े के साथ नीचे तालिका 1.6 में दी गई है:

तालिका 1.6: 2020-21 के लिए एम0टी0एफ0पी0 में प्रस्तावित अनुमान की तुलना में वास्तविक आँकड़े

क्रम सं०	राजकोषीय परिवर्तनीयता	एम0टी0एफ0पी0 में अनुमानित	वास्तविक (2020-21)	अंतर (प्रतिशत में)
1	स्वकर राजस्व	34,750.00	30,341.67	(-) 12.69
2	करेत्तर राजस्व	5,239.28	6,201.38	18.36
3	केन्द्रीय कर का अंश	91,180.60	59,861.41	(-) 34.35
4	भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	52,754.10	31,763.88	(-) 39.79
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,83,923.98	1,28,168.34	(-) 30.31
6	राजस्व व्यय	1,64,751.19	1,39,493.45	(-) 15.33
7	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-6)	19,172.79	(-) 11,325.11	159.07
8	राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+)	(-) 20,374.00	(-) 29,827.25	(-) 46.40
9	ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात (प्रतिशत)	23.90	36.09 [#]	
10	चालू मूल्यों पर जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.72	4.14	

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए वित्त लेखे एवं बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम)


वित्त लेखों के अनुसार कुल बकाया ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 36.73 प्रतिशत है। हालांकि, प्रभावी ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात (36.09 प्रतिशत) कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0टी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर किया गया है, जैसा कि व्यय विभाग, भारत सरकार ने तय किया है कि यह वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने अपने एम0टी0एफ0पी0 लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। पिछले दो वर्षों में राजस्व घाटे में लगातार वृद्धि हुई है। 2017-18 में ₹ 14,823 करोड़ का राजस्व अधिशेष घटकर 2020-21 में ₹ (-)11,325.11 करोड़ (176.40 प्रतिशत) हो गया जैसा कि चार्ट 1.4 में दिखाया गया है। सभी राजकोषीय परिवर्तनीयता में कमी का मुख्य कारण संघीय करों के हिस्से की कम प्राप्ति (34.35 प्रतिशत), भारत सरकार से सहायता अनुदान (39.79 प्रतिशत) और स्व-कर राजस्व का अनुमान से कम संग्रह (12.69 प्रतिशत) था।

तीन प्रमुख राजकोषीय मानदंड यथा, (i) राजस्व अधिशेष/घाटा, (ii) राजकोषीय घाटा और (iii) प्राथमिक घाटा सरकार की वित्तीय स्थिति का आकलन करने में मदद करता है। इनकी गणना इस प्रकार से की जाती है कि वे सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में सहायक हो। राजकोषीय


मानदंडों की प्रवृत्ति और राजकोषीय देनदारियों तथा जी0एस0डी0पी0 के विश्लेषण को चार्ट 1.3 और चार्ट 1.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 1.3: घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 1.4: राजकोषीय देनदारियों और जी0एस0डी0पी0 की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में आंतरिक ऋण में 17.25 प्रतिशत (₹ 23.48 हजार करोड़), लोक लेखा देयताओं में 10.57 प्रतिशत (₹ 4.78 हजार करोड़) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 45.95 प्रतिशत (₹ 5.56 हजार करोड़) की वृद्धि के कारण राजकोषीय देनदारियों में 17.49 प्रतिशत (₹ 33.82 हजार करोड़) की वृद्धि हुई।

1.6 लेखापरीक्षा में जाँच के बाद घाटा

लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद, राज्य सरकार के कुछ वित्तीय लेन-देन जिनकी संबंधित लेखा प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप राजस्व और पूँजीगत लेखा शीर्षों के बीच व्यय का गलत वर्गीकरण हुआ है, निम्नलिखित खंड ऐसे चिन्हित वित्तीय संव्यवहार का वर्णन करता है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के बाद-घाटा

राजस्व व्यय का पूँजीगत व्यय के रूप में गलत वर्गीकरण घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करता है। इसके अलावा, स्पष्ट देनदारियों को स्थगित करना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नई पेंशन योजना में कम योगदान, निक्षेप और मोचन निधि आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक घाटे के आकलन पर ऐसी अनियमितताओं का प्रभाव तालिका 1.7 में देखा जा सकता है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्त (+)) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्त (+)) (₹ करोड़ में)	कड़िका संदर्भ
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में कम योगदान	23.04	23.04	2.4.2.3
राजस्व के बजाय पूँजी अनुभाग के तहत गलत वर्गीकरण दर्ज किया गया	351.96	-	2.4.4.1
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण जमा	17.78	17.78	4.2
ब्याज देनदारियों का निर्वहन न करना	314.40	314.40	4.2
कंपनियों, निगमों या अन्य निकायों में किए गए निवेश/ऋण जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है (पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का मुद्दा)	-	35.64	2.4.3.2
योग	707.18	390.86	

(स्रोत: वित्त लेखा और लेखापरीक्षा विश्लेषण)

प्रभावी रूप से, अभिलेखों की जाँच के परिणामस्वरूप, राज्य का राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, जो क्रमशः ₹ 11,325 करोड़ और ₹ 29,827 करोड़ था, वास्तव में उस सीमा तक क्रमशः ₹ 12,032.18 करोड़ और ₹ 30,217.86³ करोड़ होता।

³ उच्चतम लेखा के अंतर्गत रखे गए ₹ 4,548.13 करोड़ के व्यय को शामिल नहीं किया गया जैसा कि एन0टी0ए0 में बताया गया है।

अध्याय–II
राज्य का वित्त

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिदृश्य प्रस्तुत करता है, यह राज्य के वित्त लेखे और राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय संग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2016-17 से 2020-21 तक के पाँच साल की अवधि के दौरान राज्य के वित्त की समग्र प्रवृत्ति, राज्य की ऋण स्थिरता एवं प्रमुख लोक लेखा लेनदेनों का विश्लेषण करता है।

2.1 2019-20 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय संग्रह में प्रमुख परिवर्तन

यह खंड पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के प्रमुख वित्तीय संग्रह में बड़े बदलावों का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। इनमें से प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

तालिका 2.1: 2019-20 की तुलना में 2020-21 में प्रमुख वित्तीय संग्रहों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 3.17 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ राज्य के स्व कर प्राप्तियों में 0.61 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ स्वयं करेतर प्राप्तियों में 67.62 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ संघीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी में 5.59 प्रतिशत की कमी। ✓ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 17.78 प्रतिशत की वृद्धि।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ राजस्व व्यय में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.08 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.36 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 10.82 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सहायता अनुदान पर व्यय में 23.27 प्रतिशत की वृद्धि।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पूँजीगत व्यय में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 41.95 प्रतिशत की कमी। ✓ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 125.92 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 47.48 प्रतिशत की वृद्धि।
ऋणों और अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ऋण एवं अग्रिम के संवितरण में 67.19 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ ऋण एवं अग्रिम की वसूली में 2598.78 प्रतिशत की वृद्धि।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक ऋण प्राप्तियों में 23.23 प्रतिशत की वृद्धि। ✓ लोक ऋण की अदायगी में 3.23 प्रतिशत की कमी।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ✓ लोक लेखा प्राप्तियों में 22.06 प्रतिशत की कमी। ✓ लोक लेखे के संवितरण में 22.89 प्रतिशत की कमी।
नकद शेष	<ul style="list-style-type: none"> ✓ पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान नकद शेष में ₹ 286.28 करोड़ (48.68 प्रतिशत) की कमी।

2.2 निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग

यह खंड पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के धन के स्रोतों और अनुप्रयोग के घटकों की तुलना करता है। विवरण *परिशिष्ट 2.1* में शामिल हैं।

तालिका 2.2: 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के स्रोत और अनुप्रयोग का विवरण

		(₹ करोड़ में)		
	विवरणी	2019-20	2020-21	वृद्धि/कमी
स्रोत	आरंभिक नकद शेष	20,837	24,913	4,076
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,24,233	1,28,168	3,935
	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	30	820	790
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	22,035	29,035	7000
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	(-) 3,235	745	3980
	कुल	1,63,900	1,83,681	19,781
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,26,017	1,39,493	13,476
	पूँजीगत व्यय	12,304	18,209	5,905
	ऋणों और अग्रिमों का संवितरण	666	1,114	448
	अंतिम नकद शेष	24,913	24,865	(-) 48
	कुल	1,63,900	1,83,681	19,781


(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

निधि का अनुप्रयोग⁴ (₹ 1,58,816 करोड़) निधि के स्रोतों⁵ (₹ 1,28,988 करोड़) से अधिक था, यह इंगित करता है कि सरकार निधि के उपलब्ध स्रोत के माध्यम से निधि के अपने अनुप्रयोग को पूरा करने में असमर्थ है। इस अंतर को कम करने के लिए, राज्य को लोक ऋण के माध्यम से अपनी प्राप्ति में पिछले वर्ष की तुलना में 23.23 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 29,145 करोड़ से ₹ 35,915 करोड़) करनी पड़ी।

चार्ट 2.1 में वर्ष 2020-21 के दौरान संचित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत के रूप में दिया गया है।

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत/अनुप्रयोग

(प्रतिशत में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों का विवरण नीचे दिया गया है:

1. राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेतर राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं।

⁴ राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + ऋण और अग्रिम का वितरण।

⁵ राजस्व प्राप्ति + ऋण और अग्रिम की वसूली।

2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ, जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की संचित निधि का हिस्सा हैं।

3. **निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** कुछ लेनदेन जैसे लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण हैं जो संचित निधि का हिस्सा नहीं होती हैं।


इन्हें संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहाँ, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। संवितरण के बाद शेष राशि सरकार के पास निधि के रूप में उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

यह समग्र प्राप्तियों की संरचना प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, पूँजीगत और राजस्व प्राप्तियों, लोक लेखे में उपलब्ध धन (इससे किए गए निवल संवितरण) का उपयोग सरकार अपने घाटे को पूरा करने के लिए करती है।

चार्ट 2.2: 2020-21 के दौरान राज्य की प्राप्तियों की संरचना

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

2020-21 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों, पूँजीगत प्राप्तियों और निवल लोक लेखा प्राप्तियों का योगदान कुल प्राप्तियों का क्रमशः 77.37 प्रतिशत, 22.18 प्रतिशत और 0.45 प्रतिशत था। इस पर विस्तृत चर्चा आगे की कड़िकाओं में की गई है।

2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह कुल राजस्व प्राप्तियों की घटकवार प्रवृत्ति को दर्शाता है। तदोपरान्त यह केन्द्र सरकार से प्राप्तियों एवं राज्य की अपनी प्राप्तियों की विभाजित प्रवृत्ति उपलब्ध कराता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि एवं प्रवृत्ति

जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति और राजस्व प्राप्तियों की संरचना तालिका 2.3 में दी गई है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व प्राप्तियाँ (आर.आर.) (₹ करोड़ में)	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233	1,28,168
आर0आर0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.84	11.23	12.22	(-) 5.74	3.17
स्व कर राजस्व (₹ करोड़ में)	23,742	23,137	29,408	30,158	30,342
करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	2,403	3,507	4,131	3,700	6,201
स्व कर राजस्व का वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-) 5.39	1.91	25.88	0.95	7.93
सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
आर0आर0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	25.08	25.06	24.96	20.91	20.72
उत्प्लावकता ⁶ अनुपात ⁷					
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व उत्प्लावकता	0.74	0.99	0.97	(-) 0.46	0.77
जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राज्य का स्वयं राजस्व उत्प्लावकता	(-) 0.40	0.17	2.05	0.08	1.92

(स्रोत: बिहार सरकार के अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग के जी0एस0डी0पी0 आँकड़े तथा संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


- जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, राज्य का स्व राजस्व उत्प्लावकता, विगत वर्ष की तुलना में एक से अधिक हो गई। जैसे-जैसे जी0एस0डी0पी0 बढ़ता है, राज्य सरकार की अपनी राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। इससे यह भी पता लगता है कि राज्य जी0एस0डी0पी0 के साथ तालमेल रखते हुए 2020-21 के दौरान अपने स्वयं के राजस्व संसाधनों को बढ़ाने में सक्षम था। हालाँकि, 2020-21 के दौरान करेत्तर राजस्व के संग्रह में वृद्धि ने राजस्व उत्प्लावन को उच्च स्तर तक बढ़ा दिया जो कि बजट अनुमानों के अनुमानित आँकड़े से अधिक था।
- राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि का कारण सहायता अनुदान के हिस्से में ₹ 4,795.26 करोड़ और राज्य के करेत्तर राजस्व में ₹ 2,501.78 करोड़ की वृद्धि थी। इस वर्ष के दौरान, जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राजस्व उत्प्लावन सकारात्मक रहा। राजस्व प्राप्तियों की जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशतता घटकर 20.72 प्रतिशत हो गयी जो पिछले पाँच वर्षों के दौरान सबसे कम थी।
- स्वयं राजस्व प्राप्तियों का संग्रह ₹ 36,543 करोड़ था जो पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ0सी0) के ₹ 44,167 करोड़ के अनुमान और ₹ 39,989 करोड़ के बजट अनुमान से बहुत दूर था।

संघीय करों और सहायता अनुदान की निवल आय का योग राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 71 प्रतिशत होता है। राजस्व प्राप्ति का मासिक प्रवाह (घटक वार) चार्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

⁶ उत्प्लावकता अनुपात, आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में एक राजकोषीय चर की लोच में प्रतिक्रिया के परिमाण को इंगित करता है।

⁷ राजस्व उत्प्लावकता, जी0एस0डी0पी0 के वृद्धि दर के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के वृद्धि दर को इंगित करता है।


चार्ट 2.3: राजस्व प्राप्ति का मासिक प्रवाह (घटक वार)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक सिविल लेखे)

राज्य सरकार को मुख्य रूप से माह जून, 2020 (22.53 प्रतिशत) और माह मार्च, 2021 (25.28 प्रतिशत) में संघीय करों की निवल आय प्राप्त हुई थी। केंद्र सरकार से सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का बड़ा हिस्सा भी सितंबर 2020 (26.90 प्रतिशत) और मार्च 2021 (40.02 प्रतिशत) में प्राप्त हुआ था। इस कारण से, राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में उक्त अवधि में निधियों का प्रवाह अधिक हुआ है, जबकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के शेष महीनों में अप्रैल 2020 और मई 2020 को छोड़कर, जहां प्राप्ति शून्य थी, निधि प्राप्ति नाममात्र की थीं। अतः राज्य ने अपना खर्च अप्रैल 2020 से मई 2020 तक अपने नकद शेष निवेश खातों, राज्यों के अपने कर राजस्व और करेत्तर राजस्व से पूरा किया। जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राजस्व प्राप्ति की प्रवृत्ति के साथ-साथ सापेक्ष हिस्सेदारी को चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।


चार्ट 2.4: जी.एस.डी.पी. के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति के साथ-साथ उसके हिस्सेदारी की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे और बिहार सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण)

वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियाँ जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में 2019-20 की तुलना में कम हो गईं, जो राज्य को पिछले वर्ष केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी से प्राप्ति (₹ 63,406.33 करोड़) की तुलना में इस वर्ष की प्राप्ति (₹ 59,861.41 करोड़) के कम होने के कारण थी। राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति को चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियों के प्रमुख घटक संघीय करों और शुल्कों का हिस्सा (46.71 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (24.78 प्रतिशत) थे। राजस्व प्राप्तियों का केवल 28.51 प्रतिशत राज्य के अपने राजस्व का हिस्सा है। यह इस तथ्य का द्योतक है कि बिहार की वित्तीय स्थिति काफी हद तक कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान से प्रभावित है।
- राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 के दौरान ₹ 3,936 करोड़ (3.17 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। केन्द्रीय करों और शुल्कों में राज्य के हिस्से में ₹ 3,545 करोड़ (5.59 प्रतिशत) की कमी हुई, जबकि कर राजस्व में ₹ 184 करोड़ (0.61 प्रतिशत), करेत्तर राजस्व में ₹ 2,501 करोड़ (67.62 प्रतिशत) और भारत सरकार से सहायता अनुदान में ₹ 4,795 करोड़ (17.78 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.3.2.2 राज्य के स्व संसाधन

अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आकलन उसके अपने संसाधनों के संदर्भ में किया जा सकता है जिसमें उसके स्व कर और करेत्तर स्रोतों से राजस्व शामिल है। पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए स्व कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का अनुमान ₹ 39,406 करोड़ और ₹ 4,761 करोड़ था जो कि पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 12.76 प्रतिशत और 11.00 प्रतिशत अधिक था।

स्व कर राजस्व

राज्य के स्व कर राजस्व में राज्य जी0एस0टी0, मुद्रांक शुल्क और पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर कर, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं।

⁸ 2019-20 के लिए XIV वित्त आयोग का कर राजस्व अनुमान ₹ 34,946 करोड़ तथा करेत्तर राजस्व अनुमान ₹ 4,289 करोड़ था।

तालिका 2.4: राज्य के स्व कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाईन
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	11,873	8,298	6,584	6,121	6,032	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	0	6,747	15,288	15,801	16,050	
राज्य उत्पाद शुल्क	30	(-3)	(-10)	(-4)	(-4)	
मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क	2,982	3,726	4,189	4,661	4,206	
वाहन कर	1,257	1,599	2,086	2,713	2,268	
भू-राजस्व	971	779	477	275	302	
माल एवं यात्रियों पर कर	6,245	1,645	399	23	6	
अन्य कर*	384	346	395	568	1,482	
योग	23,742	23,137	29,408	30,158	30,342	

*अन्य करों में शामिल हैं⁹

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- बिक्री, व्यापार, आदि और माल और यात्रियों पर करों में घटती प्रवृत्ति, जुलाई 2017 में माल और सेवा कर (जी0एस0टी0) के कार्यान्वयन के कारण थी। माल और यात्रियों पर कर और बिक्री, व्यापार पर आंशिक रूप से करों को जी0एस0टी0 में शामिल किया गया था। एस0जी0एस0टी0 में वृद्धि मुख्य रूप से कर और इनपुट एस0जी0एस0टी0 और आई0जी0एस0टी0 का टैक्स क्रेडिट क्रॉस यूटिलाइजेशन के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क में कमी अप्रैल 2016 से राज्य में लगाई गई शराबबंदी के कारण हुई थी। राज्य उत्पाद शुल्क के तहत दिखाई देने वाली ऋणात्मक शेष राशि वापसी के कारण थी।
- न्यायिक एवं गैर-न्यायिक मुद्रांकों की बिक्री में, दस्तावेजों को छापने पर शुल्क और मुद्रांकों एवं पंजीकरण शुल्क के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण से शुल्क और भारतीय एवं राज्य मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्राप्तियों में वाहनों पर कर के तहत क्रमशः ₹ 454.66 करोड़ एवं ₹ 445 करोड़ का कम संग्रह देखा गया।
- 2016-17 से 2020-21 तक भू-राजस्व में कमी (69 प्रतिशत) मुख्य रूप से उप शीर्ष 'सर्वेक्षण और बंदोबस्त परियोजना से प्राप्ति (72 प्रतिशत)', 'भूमि अधिग्रहण प्रतिष्ठान के लिए वसूली (88 प्रतिशत)' और 'खास महल भूमि पर उपकर का संशोधन (58 प्रतिशत)' लघु शीर्ष 800 के तहत - अन्य प्राप्तियों के तहत राजस्व में कमी के कारण हुई।
- बिजली पर करों एवं शुल्कों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 915.56 करोड़ की वृद्धि से अन्य करों में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
- मासिक सिविल लेखा के अनुसार, राज्य को अप्रैल 2020 और मई 2020 में कम राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि जनवरी 2021 (10.43 प्रतिशत) और मार्च 2021 (24.69 प्रतिशत) के महीनों में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ।

⁹ व्यवसायों, व्यापारों, पेशा और रोजगार पर कर, बिजली पर शुल्क एवं कर तथा वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के स्व कर राजस्व और विकास दर को नीचे चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान 2018-19 में वृद्धि दर सबसे अधिक थी।

चार्ट 2.6: 2016-21 के दौरान स्व-कर राजस्व में वृद्धि



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस0जी0एस0टी0)

राज्य सरकार ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) अधिनियम लागू किया। जी0एस0टी0 (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार राज्यों को जी0एस0टी0 के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व नुकसान के लिए 2017-18 से शुरू होने वाले पाँच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करेगी। राज्य को देय मुआवजे की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम राजस्व आँकड़े प्राप्त होने और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अंकेक्षित किये जाने के बाद की जाएगी। किसी राज्य के किसी भी वर्ष के लिए संरक्षित राजस्व की गणना उस राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित विकास दर (14 प्रतिशत प्रति वर्ष) को लागू करके की जाएगी। जी0एस0टी0 के तहत सम्मिलित करों के राजस्व आँकड़ों की गणना के लिए आधार वर्ष 2015-16 निर्धारित किया गया था।

बिहार के मामले में, आधार वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व आँकड़ा ₹ 12,620.56 करोड़ था। आधार वर्ष के आँकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 (1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021) के लिए अनुमानित राजस्व ₹ 24,299.80 करोड़ था। अनुमानित राजस्व के मुकाबले, जी0एस0टी0 के तहत राजस्व प्राप्ति ₹ 16,050.23 करोड़ (आई0जी0एस0टी0 के अग्रिम हिस्से के रूप में प्राप्त ₹ 1,197.51 करोड़ को शामिल करते हुए) थी। बिहार सरकार ने जीएसटी क्षतिपूर्ति ₹ 4,359.28 करोड़ की सहायता अनुदान राजस्व प्राप्तियों के रूप में तथा ₹ 3,905 करोड़ बैंक-टू-बैंक ऋण जिसका पुनर्भुगतान देयता, ऋण प्राप्ति के अन्तर्गत नहीं था, प्राप्त किया।

जी0एस0टी0एन0 (वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क) के अखिल भारतीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के भारत सरकार के निर्णय के बावजूद, लेखापरीक्षा को केवल जी0एस0टी0 डेटा तक सीमित पहुँच प्रदान की गई थी।

बकाया राजस्व एवं आकलन की बकाया राशि का विश्लेषण

राजस्व का बकाया सरकार द्वारा राजस्व की वसूली में देरी को दर्शाता है। इसी प्रकार, आकलन का बकाया राशि संभावित राजस्व को दर्शाती है जो निर्धारण में विलम्ब के कारण अवरुद्ध है। ये दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और फलस्वरूप राजस्व घाटे को प्रभावित करते

हैं। राजस्व अर्जित करने वाले केवल दो विभागों ने आँकड़ा उपलब्ध कराया है। बकाया राजस्व का विवरण तालिका 2.5 में है।

तालिका 2.5: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	विभाग का नाम	31 मार्च 2020 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2021 तक कुल बकाया राशि	पाँच साल से अधिक समय से बकाया राशि
1.	वैट/बिक्री व्यापार आदि	वाणिज्यिक कर	3,696.69	2,262.17	उपलब्ध नहीं
2.	गैर लौह खनन और धातुकर्म उद्योग	खान और भूविज्ञान	360.33	387.71	246.62
योग			4,057.02	2,649.88	

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

राजस्व के बकाया के लिए देखे गए विभिन्न कारणों में भू-राजस्व के बकाया की वसूली, न्यायालयों/अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई वसूली, निर्धारित/व्यापारियों के दिवालिया होने के कारण रोकी गई वसूली आदि थे।

बकाया का आकलन

राज्य कर विभाग द्वारा प्रस्तुत बकायों के आकलन के मामलों का विवरण तालिका 2.6 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.6: बकायों का आकलन

विभाग	वर्ष के आरंभ में मामले	वर्ष के दौरान नए मामले	मूल्यांकन के लिए कुल देय	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
खनन और भू-विज्ञान	23,302	556	23,858	17	23,841	0.07
वाणिज्यिक कर विभाग	82,116	12,854	94,970	33,512	61,458	35.29

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन, प्रतिदाय के मामलों आदि का विवरण

विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, मामलों को अंतिम रूप देना और अतिरिक्त कर की मांग राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण प्रयासों के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। प्रतिदाय मामलों के निस्तारण में तत्परता विभाग के निष्पादन का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। धन प्रतिदाय के अत्यधिक मामलों के लंबित होने से लालफीताशाही, निहित स्वार्थ, रिश्वत के प्रचलन आदि का संकेत मिलता है। विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन का विवरण नीचे तालिका 2.7 दिया गया है।

तालिका 2.7: पता लगाए गए कर का अपवंचन

क्रम सं.	राजस्व शीर्ष	लंबित मामले 31 मार्च 2020 तक	पहचान किए गए मामले 31 मार्च 2021 तक	कुल	उन मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूरी हुई और जुर्माने आदि के साथ अतिरिक्त मांग उठाई गई		अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या 31 मार्च 2021 तक
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री, व्यापार पर कर/ जी०ए०सी०	531	2,095	2,626	2,098	50.27	497
2.	खनन और भू-विज्ञान	23,302	556	23,858	17	100.70	23,841

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

जैसा कि ऊपर की तालिका से देखा जा सकता है, खनन और भू-विज्ञान विभाग द्वारा केवल 17 मामलों के लिए ₹ 100.70 करोड़ के जुर्माने के साथ अतिरिक्त मांग की गई थी। यह प्रत्येक मामले से जुड़ी उच्च राशि को इंगित करता है अतः विभाग के लिए लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाना अनिवार्य हो जाता है।

प्रतिदाय के लंबित मामले

विभागों द्वारा प्रतिवेदित प्रतिदाय मामलों के लंबित मामलों का विवरण तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: प्रतिदाय के लंबित मामले

क्रम सं०	विवरण	जी०एस०टी०		बिक्री कर/वैट	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष की शुरुआत में बकाया दावे	323	1.87	1,448	121.05
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	1,414	743.01	437	126.25
3.	वर्ष के दौरान दिया गया प्रतिदाय	1,039	705.66	477	120.60
4.	वर्ष के दौरान अस्वीकार कर दिया	561	35.30	614	48.87
5.	वर्ष के अंत में बकाया शेष राशि	137	3.92	794	77.83

(स्रोत: बिहार सरकार के संबंधित विभागों द्वारा प्रदान की जानकारी)

राजस्व बकाया, कर निर्धारण बकाया, कर अपवंचन एवं प्रतिदाय मामलों पर केवल दो विभागों ने आँकड़े उपलब्ध कराये हैं। बिहार सरकार के प्रमुख राजस्व अर्जक विभागों को दिए गए कई पत्रों के बावजूद, संपूर्ण आँकड़ों के अभाव में, लेखापरीक्षा समग्र रूप से राज्य की वास्तविक स्थिति का आकलन नहीं कर सका।

करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। राज्य के करेत्तर राजस्व के घटकों को तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.9: राज्य के करेत्तर राजस्व के घटक

शीर्ष	(₹ करोड़ में)					स्पार्क लाईन
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
ब्याज प्राप्तियाँ	939.91	1,577.24	1,371.94	1,416.48	3,241.97	
लाभांश तथा लाभ	3.73	1.34	13.67	1.62	603.01	
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,459.48	1,928.16	2,744.95	2,281.50	2,356.40	
(अ) मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	16.58	27.43	52.77	24.32	40.13	
(ब) सड़क परिवहन	0.19	0.17	0.19	0.20	0.11	
(स) शहरी विकास	0.71	7.43	0.94	4.80	0.15	
(द) शिक्षा	17.09	21.47	18.85	17.13	11.50	
(इ) गैर लौह खनन धातुकर्म	997.60	1,082.67	1,560.65	1,572.07	1,708.93	
(फ) अन्य या विविध	427.31	788.99	1,111.55	662.98	595.58	
कुल	2,403.12	3,506.74	4,130.56	3,699.60	6,201.38	


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित देखा गया:

- 2020-21 में करेत्तर राजस्व ₹ 6,201.38 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 2,501.78 करोड़ (67.62 प्रतिशत) अधिक और सकल राजस्व प्राप्ति का 4.84 प्रतिशत था।
- यह देखा गया था कि समेकित निक्षेप निधि के अर्जित ब्याज ₹ 2,600 करोड़ के मोचन के कारण ब्याज प्राप्तियों में वृद्धि हुई और लोक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचित लाभ से ₹ 603.01 करोड़ का लाभांश जारी करने के कारण लाभांश तथा लाभ में वृद्धि हुई।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान राज्य के करेत्तर राजस्व और इसमें वृद्धि दर को नीचे चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है। पिछले पाँच वर्षों में 2020-21 में वृद्धि दर सबसे अधिक थी।

चार्ट 2.7: करेत्तर राजस्व एवं वृद्धि दर




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.3.2.3 केंद्र से अंतरण

केंद्र से निधि का अंतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर निर्भर करता है और पिछले पाँच वर्षों से, यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक था। केंद्र सरकार दो तरीकों से राज्यों को धन का अंतरण करती है (i) राज्यों को केंद्रीय करों का हस्तांतरण और (ii) केंद्र द्वारा दी गई सहायता अनुदान। भारत सरकार से अंतरण का विवरण नीचे चार्ट 2.8 में दिया गया है।

चार्ट 2.8: केंद्र से अंतरण की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है,

- केंद्र से अंतरण 2011-12 में ₹ 37,818.21 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 91,625.29 करोड़ हो गया। हालाँकि, भारत सरकार से प्राप्त केंद्रीय करों के हिस्से में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,544.92 करोड़ (5.59 प्रतिशत) की महत्वपूर्ण कमी हुई।
- केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में कमी ने राज्य की राजस्व प्राप्तियों को प्रमुख रूप से प्रभावित किया क्योंकि यह पूर्व में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का लगभग 70 प्रतिशत था।
- केंद्रीय कर अंतरण का बजट अनुमान ₹ 91,180.60 करोड़ था, जबकि 2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्ति केवल ₹ 59,861.41 करोड़ थी। केंद्रीय कर अंतरण की प्राप्ति में कमी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक अनुमानित राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो गया।
- वर्ष 2020-21 में अधिक राजस्व व्यय के कारण राजकोषीय घाटा अधिक था।

केंद्रीय कर अंतरण

केंद्र द्वारा किए गए वास्तविक अंतरण की तुलना में चौदहवें वित्त आयोग (2015-16 से 2019-20) और पंद्रहवें वित्त आयोग (2020-21) द्वारा अनुशासित केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी को तालिका 2.10 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 2.10: वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वित्त आयोग के अनुमान	राज्य को अनुमानित कर हिस्सा	वित्त आयोग की रिपोर्ट में अनुमान	वास्तविक हस्तांतरण	अंतर	% कमी
1	2	3	4	5	6 (4-5)	7
2015-16	सेवा कर को छोड़कर सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 9.665 प्रतिशत और साझा करने योग्य सेवा कर की शुद्ध आय का 9.787 प्रतिशत	5,79,282	56,694	48,923	7,771	13.70
2016-17	(चौदहवें एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार)	6,68,425	65,419	58,881	6,538	9.99
2017-18		7,72,304	75,585	65,083	10,502	13.89
2018-19		8,93,430	87,440	73,603	13,837	15.82
2019-20		10,34,745	1,01,270	63,406	37,864	37.39
2020-21	सभी साझा करने योग्य करों की शुद्ध आय का 10.061 प्रतिशत (पंद्रहवें एफ.सी. की सिफारिशों के अनुसार)	8,55,176	86,039	59,861	26,178	30.43

(स्रोत: वित्त आयोग की रिपोर्ट और वित्त लेख)

इस प्रकार, वर्ष 2020-21 के लिए वित्त आयोग के अनुमान की तुलना में वास्तविक कर हस्तांतरण 30.43 प्रतिशत कम था। नतीजतन, राज्य को जरूरी निधि के अनुप्रयोग को पूरा करने के लिए अधिक लोक ऋण उधार लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2016-17 से 2020-21 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत संघीय करों में राज्य का हिस्सा तालिका 2.11 में दिखाया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय कर अंतरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाइन
केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (सी0जी0एस0टी0)	-	925.48	18,166.79	17,992.97	17,788.67	
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई0जी0एस0टी0)	-	6,572	1,449.80	0	0	
निगम कर	18,889.20	19,935.56	25,596.84	21,618.94	18,062.14	
निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	13,128.06	16,834.16	18,850.99	16,939.90	18,517.49	
सीमा शुल्क	8,125.40	6,570.00	5,217.40	4,019.07	3,179.93	
संघीय उत्पाद शुल्क	9,278.51	6,867.50	3,467.28	2,794.34	2,012.03	
सेवा कर	9,416.01	7,379.29	673.31	0.00	258.09	
अन्य कर#	43.41	(-) 0.61	180.72	41.11	43.06	
केंद्रीय कर अंतरण	58,880.59	65,083.38	73,603.13	63,406.33	59,861.41	
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	20.35	10.53	13.09	(-) 13.85	(-) 5.59	
राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय कर अंतरण की प्रतिशतता	55.77	55.42	55.85	51.04	46.70	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

#अन्य करों में धन पर कर, आय और व्यय पर अन्य कर, वस्तुओं और सेवाओं के अन्य कर और शुल्क शामिल हैं।

केंद्रीय कर अंतरण में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3,544.92 करोड़ (5.59 प्रतिशत) की कमी आई है, जो राज्य को सौंपे गए निवल आय के हिस्से में कमी के कारण है। आई0जी0एस0टी0 के हिस्से और आई0जी0एस0टी0 से अग्रिम हिस्से को मुख्य शीर्ष 0006 एस0जी0एस0टी0 के तहत लघु शीर्ष 106 और 110 के रूप में लेखांकित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार को सहायता अनुदान और केंद्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त होता है। भारत सरकार के अनुदानों का विवरण तालिका 2.12 में नीचे दिया गया है।

तालिका 2.12: भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
गैर-योजना अनुदान	4,505.51	(-) 5.00	-	-	-
राज्य योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान	13,952.92	(-) 2.20	(-) 2.82	(-) 40.27	(-) 33.57
केंद्रीय योजना कार्यक्रमों के लिए अनुदान*	1,422.91	-	-	-	-
केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए अनुदान (सी0एस0एस0)	-	13,312.26	16,322.72	15,302.04	16,609.56
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान	677.68	(-) 1.00	-	-	-
वित्त आयोग अनुदान	-	4,525.06	4,775.20	7,343.61	8,850.00
अन्य अंतरण/राज्यों/विधान सभा वाले केंद्र शासित प्रदेश को अनुदान	-	7,891.01	3,556.52	4,363.24	6,337.89
कुल	20,559.02	25,720.13	24,651.62	26,968.62	31,763.88
पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशतता	5.08	25.10	(-) 4.15	9.40	17.78
राजस्व प्राप्तियों में अनुदान का प्रतिशतता	19.47	21.90	18.70	21.71	24.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* वर्ष 2017-18 से योजना और गैर-योजना अनुदानों के नामकरण को हटा दिए जाने और राज्यों को सी0एस0एस0, वित्त आयोग अनुदान और अन्य अनुदानों के लिए अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के बाद से कोई आंकड़े नहीं हैं।

योजना और गैर-योजना के अंतर (2017-18) को हटाने के साथ, केंद्र से सहायता अनुदान में केवल (i) वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकायों के लिए अनुशंसित अनुदान (ii) आपदा प्रतिक्रिया के लिए अनुदान और (iii) केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं का केंद्रीय हिस्सा के लिए अनुदान शामिल हैं। जैसा कि ऊपर देखा जा सकता है,

- भारत सरकार से सहायता अनुदान में यह वृद्धि मुख्य रूप से 'अन्य अंतरण/अनुदान' में वृद्धि (45.25 प्रतिशत) के कारण थी जिसमें वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जी0एस0टी0 मुआवजा (23.67 प्रतिशत), एन0डी0आर0एफ0 पर योगदान (126.92 प्रतिशत) और वित्त आयोग अनुदान (20.51 प्रतिशत) के तहत जारी अनुदान शामिल थे।
- 2016-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार से कुल अनुदान 18.70 प्रतिशत से 24.78 प्रतिशत के बीच रहा।

चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग से अनुदान

चौदहवें और पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान राज्य को स्थानीय निकायों, एस0डी0आर0एफ0 के लिए और राज्यों को करों के अंतरण के बाद होने वाली किसी भी राजस्व हानि के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया गया था। वास्तविक प्राप्ति की तुलना में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण तालिका 2.13 में दिया गया है।

तालिका 2.13: अनुशंसित, वास्तविक और सहायता अनुदान जारी करना

(₹ करोड़ में)

	अनुशंसा		भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी		राज्य द्वारा जारी	
	XIV एफ0सी0	XV एफ0सी0	XIV एफ0सी0	XV एफ0सी0	XIV एफ0सी0	XV एफ0सी0
	15-20	20-21	15-20	20-21	15-20	20-21
स्थानीय निकाय (पी0आर0आई0)	21,017.83	5,018	18,916.06	5,018	18,916.06	5,018
मूलभूत अनुदान	18,916.05	-	18,916.06	-	18,916.06	-
निष्पादन अनुदान	2,101.78	-	0.00	-	0.00	-
शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान	2,676.24	2,416	2,227.63	2,416	2,227.63	2,416
मूलभूत अनुदान	2,140.99	-	2,227.63	-	2,227.63	-
निष्पादन अनुदान	535.25	-	0.00	-	0.00	-
राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि ¹⁰	2,591	1,888	2,343.24	1,416	2,343.24	1,416
		(1,416+472)				

*कुल अनुदान के 25 प्रतिशत के राज्य के हिस्से सहित।

(स्रोत: XIV और XV वित्त आयोग का रिपोर्ट और वित्त लेखा)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य को प्राथमिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में निष्पादन अनुदान प्राप्त करने के लिए अनिवार्य मानदण्डों को प्राप्त न करने के कारण चौदहवें वित्त आयोग अनुदान¹⁰ का अपना पूरा हिस्सा नहीं मिल सका। इसके अलावा, वित्त लेखा 2020-21 के अनुसार, पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 5,018 करोड़ जारी किए गए थे।

2.3.3 पूँजीगत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विनिवेश से प्राप्त आय, ऋण एवं अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए पूँजीगत प्राप्तियों और उनकी संरचना का विवरण तालिका 2.14 में दिया गया है।

2020-21 के दौरान, पूँजीगत प्राप्तियाँ राज्य की कुल प्राप्तियों (₹ 1,64,903.84 करोड़) का 22.27 प्रतिशत थी। राज्य सरकार ने खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से ₹ 29,412.30 करोड़ उधार लिए और भारत सरकार से ₹ 6,502.77 करोड़ का ऋण लिया।

तालिका 2.14: पूँजीगत प्राप्तियों की संरचना और वृद्धि की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
पूँजीगत प्राप्तियाँ	21,600	13,191	20,493	29,175	36,735
ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	23	22	1,825	30	820
लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,577	13,169	18,668	29,145	35,915
आंतरिक ऋण	20,065	11,771	16,134	27,866	29,412
वृद्धि दर	14.23	(-)41.34	37.07	72.72	5.55
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,512	1,398	2,534	1,279	6,503
वृद्धि दर	85	(-) 8	81	(-) 50	408.44
ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर	17	(-) 39	42	56	23.23
गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	21	(-) 4	8,195	(-) 98	2,633.33
जी.एस.डी.पी. की वृद्धि दर	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	17	(-) 39	55	42	25.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से भारत सरकार से ऋण और अग्रिम एवं आंतरिक ऋण में वृद्धि के कारण हुई। पूँजीगत प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण प्राप्तियों का हिस्सा 97.77 प्रतिशत था। पिछले वर्षों की तुलना में ऋण पूँजी प्राप्तियों की वृद्धि दर अस्थिर थी।

¹⁰ लेखापरीक्षित वार्षिक लेखे का प्रस्तुतिकरण, स्व कर में वृद्धि, सेवा स्तरीय मानदंड का प्रकाशन आदि।

वर्तमान वर्ष में ₹ 29,412 करोड़ का आंतरिक ऋण लिया गया और पूँजीगत प्राप्तियों में इसका योगदान 80.06 प्रतिशत था। भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 408.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिसमें जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति के विरुद्ध क्रेडिट (₹ 3,905.00 करोड़), विशेष सहायता के रूप में राज्यों को पूँजीगत व्यय हेतु सहायता (₹ 843 करोड़) एवं ब्लॉक ऋण के रूप में 1989-90 से प्राप्त ब्लॉक उधार (₹ 2,050.24 करोड़) मुख्य घटक थे।

वर्तमान वर्ष में जी0एस0डी0पी0 के संबंध में निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ (4.69 प्रतिशत) पिछले वर्ष (3.70 प्रतिशत) की तुलना में अधिक उत्प्लावक रही। यह 2020-21 में ₹ 7,560.50 करोड़ (25.91 प्रतिशत) की पूँजीगत प्राप्तियों में वृद्धि के कारण था।

ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली के रूप में गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों, ने पिछले वर्ष की तुलना में लोक क्षेत्र के उद्यमों/निकायों/प्राधिकरणों से ऋण की वसूली के कारण, वृद्धि दर्शायी थी।

यद्यपि, पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत प्राप्तियों में 25.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई, उसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.4 संसाधनों का अनुप्रयोग

राज्य सरकार को राजकोषीय जिम्मेदारी कानून के तहत व्यय करने की जिम्मेदारी निहित होती है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य की चल रही वित्तीय सुधार और समेकन प्रक्रिया पूँजीगत बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर नहीं है।

2.4.1 व्यय के घटक एवं वृद्धि

समग्र व्यय और उसके घटकों का जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के साथ प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.15 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: कुल व्यय एवं इनके घटक

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टी0ई0)	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816
राजस्व व्यय (आर0ई0)	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493
पूँजीगत व्यय (सी0ई0)	27,208	28,907	21,058	12,304	18,209
ऋण एवं अग्रिम	114	243	1,470	666	1,114
जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के रूप में					
टी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	29.00	28.11	27.92	23.40	25.67
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0	22.51	21.89	23.66	21.21	22.55
सी0ई0 / जी0एस0डी0पी0	6.46	6.17	3.99	2.07	2.94
ऋण एवं अग्रिम / जी0एस0डी0पी0	0.03	0.05	0.28	0.11	0.18

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व और पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। आर्थिक वर्गीकरण के संदर्भ में व्यय की संरचना में परिवर्तन और गतिविधियों द्वारा व्यय को तालिका 2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.16: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का सापेक्ष हिस्सा

(₹ करोड़ में)

मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
सामान्य सेवाएं	32,697 (26.78)	36,139 (27.43)	42,002 (28.49)	44,016 (31.67)	47,626 (29.99)
सामाजिक सेवाएं	44,329 (36.31)	50,028 (37.97)	62,345 (42.29)	60,619 (43.61)	70,139 (44.16)
आर्थिक सेवाएं	44,943 (36.81)	45,360 (34.42)	41,604 (28.22)	33,684 (24.24)	39,935 (25.15)
अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और ऋण और अग्रिम)	118 (0.10)	247 (0.19)	1,474 (1)	668 (0.48)	1,116 (0.70)


(कोष्ठक के आँकड़ें कुल व्यय से प्रतिशत को इंगित करते हैं)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि

- राज्य ने सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं में अधिक राशि खर्च की है जबकि 2020-21 के दौरान सामान्य सेवाओं में कुल व्यय के गतिविधि घटकों की अपेक्षा मामूली भिन्नता देखी गई है।
- सामान्य सेवाओं में, राज्य सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के निक्षेप निधि के लिए योगदान को स्थगित करने को लिए गए निर्णय के कारण, राज्य ने पिछले वर्ष की तुलना में ब्याज भुगतान और ऋण की चुकौती के तहत ऋण की कमी या बचाव के लिए विनियोग पर अपने व्यय को ₹ 844.96 करोड़ कम कर दिया।
- सामाजिक सेवाओं में, पिछले वर्ष की तुलना में शहरी विकास (114 प्रतिशत) के अंतर्गत छोटे और मध्यम शहरों के एकीकृत विकास, लोक स्वास्थ्य (96 प्रतिशत) तथा परिवार कल्याण (30 प्रतिशत) के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (25 प्रतिशत) के व्यय में बड़ी वृद्धि देखी गई।
- इसके अलावा, आर्थिक सेवाओं में, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के अंतर्गत लघु सिंचाई (468.14 प्रतिशत) के रखरखाव और ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार (132.77 प्रतिशत) में प्रमुख वृद्धि देखी गई। चार्ट 2.9, 2016-21 के दौरान कुल व्यय के घटकों के हिस्से का प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.9: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

इसके अलावा, राज्य द्वारा लिए गए डिस्कॉम्स के ऋण का राज्य के ऋण संरचना पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। राज्य द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम नगण्य हैं।

2.4.2 राजस्व व्यय

सेवाओं के वर्तमान स्तर और पिछले दायित्व के भुगतान को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। राजस्व व्यय की वृद्धि का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.17: राजस्व व्यय—मूलभूत मापदंड

(₹ करोड़ में)


मापदंड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल व्यय (टी0ई0)	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816.02
राजस्व व्यय (आर0ई0)	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493.45
आर0ई0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.33	8.29	21.7	0.9	10.69
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर (प्रतिशत)	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
टी0ई0 की प्रतिशतता के रूप में राजस्व व्यय	77.62	77.88	84.72	90.67	87.83
आर0ई0 / जी0एस0डी0पी0 (प्रतिशत)	22.51	21.89	23.66	21.21	22.55
आर0ई0 का आर0आर0 से प्रतिशत	89.75	87.38	94.77	101.44	108.84
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता के साथ					
जी0एस0डी0पी0 (अनुपात)	1	0.73	1.72	0.07	2.58
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.35	0.74	1.78	(-)0.16	3.37

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से:

- राजस्व व्यय कुल व्यय का 88 प्रतिशत था और पूँजीगत व्यय के लिए केवल 11 प्रतिशत बचा था। राज्य में राजस्व घाटा है क्योंकि वर्ष के दौरान राजस्व व्यय (109 प्रतिशत) राजस्व प्राप्तियों से अधिक था जो 2004-05 के बाद से अब तक दूसरी बार हुआ है।
- राजस्व व्यय में 10.69 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों में केवल 3.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस अंतर को राज्य के लोक ऋण से पूरा किया गया है। राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 2017-18 को छोड़कर पिछले पाँच वर्षों से बढ़ रहा है।
- जी0एस0डी0पी0 के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावन अनुपात पिछले पाँच वर्षों में सबसे अधिक था क्योंकि जी0एस0डी0पी0 में वृद्धि दर 12.51 प्रतिशत से घटकर 4.14 प्रतिशत हो गई थी। तथापि, राजस्व प्राप्ति के साथ राजस्व व्यय का उत्प्लावन अनुपात 3.37 प्रतिशत था जो राज्य के वित्त का अच्छा संकेत नहीं था। राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण चार्ट 2.10 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.10: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

जैसा कि देखा जा सकता है कि प्रमुख राजस्व व्यय दो घटकों (प्रतिबद्ध व्यय और सहायता अनुदान – 39 प्रतिशत प्रत्येक) में किया गया था, जो वर्ष के दौरान कुल राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत था।

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण भिन्नताएं तालिका 2.18 में दी गई हैं।

तालिका 2.18: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान राजस्व व्यय में भिन्नता

(₹ करोड़ में)

लेखा के मुख्य शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/कमी (-)
2505-ग्रामीण विकास	871.28	2,028.04	1,156.76
2245-प्राकृतिक आपदाओं के कारण दिया गया राहत	3,592.41	6,635.65	3,043.24
2217-शहरी विकास	2,765.86	5,001.32	2,235.46
3054-सड़कें और पुल	2,293.99	3,371.89	1,077.90
2210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	6,117.98	7,599.63	1,481.65
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	6,050.00	7,080.50	1,030.50
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	17,110.38	19,635.15	2,524.77
2049-ब्याज भुगतान	10,991.42	12,484.04	1,492.62
2048-ऋण का वर्जन या कमी के लिए विनियोग	845.01	0.05	(-) 844.96
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण	2,419.48	830.08	(-)1,589.40
2401-फसल कृषिकर्म	1,862.07	1,318.43	(-)543.64
2801-ऊर्जा	5,950.24	7,517.57	1,567.33
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2,071.76	1,741.10	(-) 330.66
2216-आवास	5,483.00	4,719.81	(-)763.19
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	9,774.24	9,013.74	(-) 760.50

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत में व्यय (विशेष रूप से निःशुल्क राहत में) कृषि आदानों की खरीद के लिए किसानों को सहायता और निःशुल्क राहत में वृद्धि हुई है। पेंशन (14.76 प्रतिशत) और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी योगदान के तहत) तथा ब्याज भुगतान (13.58 प्रतिशत) भी राज्य के राजस्व व्यय में वृद्धि के कुछ कारण थे।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के कल्याण (-56.31 प्रतिशत) और पिछड़ा वर्ग के कल्याण में (-76.35 प्रतिशत) कम व्यय किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में फसल कृषिकर्म के अंतर्गत विस्तार और किसान प्रशिक्षण (62.92 प्रतिशत) तथा कृषि इंजीनियरिंग में (71.41 प्रतिशत) व्यय में कमी आई है। आवासन के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र उपयोजना के लिए विशेष संघटक योजना में कोई व्यय नहीं किया गया।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व लेखे पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन तथा मजदूरी एवं पेंशन पर व्यय शामिल हैं। सरकारी संसाधनों पर इसका पहला प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय पर वृद्धि की प्रवृत्ति सरकार के पास विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलापन देता है। प्रतिबद्ध व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.19 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.19: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वेतन एवं मजदूरी	15,784.04	17,778.74	19,968.39	20,418.41	21,841.65
पेंशन पर व्यय	12,514.52	14,293.48	16,027.75	17,110.38	19,635.15
ब्याज भुगतान	8,190.70	9,053.78	10,071.14	10,991.42	12,484.04
कुल	36,489.26	41,126.00	46,067.28	48,520.21	53,960.83
राजस्व प्राप्तियों (आर0आर0) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	14.95	15.14	15.15	16.44	17.04
पेंशन पर व्यय	11.85	12.17	12.16	13.77	15.32
ब्याज भुगतान	7.76	7.71	7.64	8.85	9.74
कुल	34.56	35.02	34.95	39.06	42.10
राजस्व व्यय (आर0ई0) के प्रतिशतता के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	16.66	17.32	15.99	16.20	15.66
पेंशन पर व्यय	13.21	13.93	12.83	13.58	14.08
ब्याज भुगतान	8.64	8.82	8.06	8.72	8.95
कुल	38.51	40.07	36.88	38.50	38.68

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा लगभग स्थिर रहा और 2016-17 में 38.51 प्रतिशत से 2020-21 में 38.68 प्रतिशत तक रहा, 2017-18 को छोड़कर जहां यह बढ़कर 40.07 प्रतिशत हो गया था। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी 2016-17 में 34.56 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 42.10 प्रतिशत हो गया।

वर्ष के दौरान, कुल प्रतिबद्ध व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 5,440.63 करोड़ (11.21 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। ब्याज भुगतान (9.74 प्रतिशत) बी0एफ0आर0बी0एम0 (संशोधन) अधिनियम, 2016 में निर्धारित राजस्व प्राप्ति के 10 प्रतिशत के वित्तीय लक्ष्य से काफी कम था, लेकिन जी0एस0डी0पी0 के 1.9 प्रतिशत के पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान से अधिक था।

राज्य ने एम0टी0एफ0पी0 के अनुसार प्रतिबद्ध व्यय बनाए रखा है। प्रतिबद्ध व्यय मदों के लिए बजट के एक बड़े हिस्से का आवंटन, पूँजीगत परिव्यय जैसी अन्य व्यय प्राथमिकताओं को तय करने के लिए राज्य के अवसर को सीमित करता है।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की लंबित देयताएँ

1 सितंबर 2005 को या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन0पी0एस0) के अंतर्गत आते हैं, जो एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत योगदान करता है और उतना ही योगदान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार ने जुलाई 2019 से अपने योगदान को बढ़ाकर 14 प्रतिशत कर दिया है। पूरी राशि (कर्मचारियों का योगदान और नियोक्ता का योगदान) को नेशनल सिविलियोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नामित फंड मैनेजर को हस्तांतरित किया जाना है।

2020-21 की अवधि के लिए एन0पी0एस0 में कुल योगदान ₹ 1,924.80 करोड़ (कर्मचारियों का योगदान ₹ 802.00 करोड़ और सरकारी योगदान ₹ 1,122.80 करोड़) होना था, जिसके विरुद्ध ₹ 1,901.76 करोड़ की राशि एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित की गई। वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ₹ 23.04 करोड़ (₹1,122.80 करोड़ - ₹ 1,099.76 करोड़) का कम योगदान था जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक राजस्व घाटे को कम बताया गया है।

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में ₹ 1,976.81 करोड़ जमा किए। 31 मार्च 2021 तक, ₹ 338.96 करोड़ (₹ 315.92 करोड़ पिछला शेष और ₹ 23.04 करोड़ कम हस्तांतरित) लोक लेखे में अंतिम शेष के रूप में पड़ा था जिसे एन0एस0डी0एल0/ट्रस्टी बैंक में जमा किया जाना शेष है।

2.4.2.4 सब्सिडी

किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के वंचित वर्गों को सब्सिडी/सहायता प्रदान करना आम बात है। सब्सिडी न केवल स्पष्ट रूप से बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को सब्सिडी वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करके दी जाती है। वित्तीय संस्थानों को बजटीय सहायता, निवेश पर अपर्याप्त प्रतिफल और सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से उपयोगकर्ता शुल्क की कम वसूली अंतर्निहित सब्सिडी की श्रेणी में आती है।

वर्तमान वर्ष के दौरान कुल सब्सिडी ₹ 8,167.42 करोड़ थी जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.66 प्रतिशत अधिक एवं राजस्व प्राप्तियों का 6.37 प्रतिशत थी। सब्सिडी पर व्यय का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.20 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.20: वर्ष 2016-21 के दौरान विभागवार अनुदान

(₹ करोड़ में)

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पाक लाईन
कृषि	344.26	406.41	490.52	518.17	164.30	
ऊर्जा	6,807.69	3,491.66	5,737.03	5,193.00	6,759.96	
खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण	976.89	490.89	638.81	618.13	578.77	
उद्योग	381.99	401.59	322.00	316.78	234.47	
परिवहन	0.00	0.00	962.77	177.17	122.57	
पशु और मत्स्य संसाधन	122.44	127.00	112.92	116.00	99.67	
अन्य	124.18	105.51	59.92	182.02	207.68	

विभाग	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	स्पार्क लाईन
सब्सिडी (₹ करोड़ में)	8,757.44	5,023.06	8,323.97	7,121.27	8,167.42	
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	8.29	4.27	6.32	5.73	6.37	
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी	9.24	4.89	6.66	5.65	5.85	

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि 82 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी ऊर्जा क्षेत्र में चली गई। इस तथ्य के बावजूद कि ऊर्जा विभाग ने बिजली खरीद के लिए डिस्कॉम्स को सब्सिडी प्रदान की, दोनों डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति अभी भी दयनीय है।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता

पिछले वर्षों की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य को अनुदान एवं ऋण के रूप में प्रदान की गई सहायता की मात्रा तालिका 2.21 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.21: स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम और नगर पालिकाएँ	3,135.50	1,794.52	2,892.56	1,533.24	4,785.08
पंचायती राज संस्थान	2,659.04	7,572.94	7,517.61	9,971.64	12,899.38
कुल (अ)	5,794.54	9,367.46	10,410.17	11,504.88	17,684.46
(ब) अन्य					
शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, सहायता प्राप्त महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, आदि)	3,101.99	4,683.27	1,905.37	3,925.89	3,716.00
विकास प्राधिकरण	11,645.91	1,786.76	5,860.77	5,839.49	999.15
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य संस्थान	15,666.90	27,521.24	33,587.98	25,311.28	32,529.37
कुल (ब)	30,414.80	33,991.27	41,354.12	35,076.66	37,244.52
कुल (अ+ब)	36,209.34	43,358.73	51,764.29	46,581.54	54,928.98
राजस्व व्यय	94,765.18	1,02,623.73	1,24,896.81	1,26,016.66	1,39,493.45
राजस्व व्यय के प्रतिशतता के रूप में सहायता	38.21	42.25	41.45	36.96	39.38


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

“सात निश्चय” योजना के क्रियान्वयन के कारण राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थाओं को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष (₹ 46,581.54 करोड़) की तुलना में 17.92 प्रतिशत की और राजस्व व्यय में 39.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। समय पर लेखा देने पर जोर दिए बिना वित्तीय सहायता जारी करना सार्वजनिक जवाबदेही के लिए हानिकारक है और खराब वित्तीय प्रबंधन (अध्याय-IV में विस्तृत) का संकेत है।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय (कैपेक्स) मुख्य रूप से सड़कों, भवनों आदि जैसे अचल बुनियादी ढाँचे की संपत्ति के निर्माण पर व्यय है। राज्य में कैपेक्स को बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों से पूरा किया जा रहा है। कैपेक्स का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.11: राज्य में पूँजीगत व्यय



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- पूँजीगत व्यय राज्य सरकार द्वारा बजट अनुमानों में किए गए आकलन और एम0टी0एफ0पी0एस0 2020-21 (₹ 38,744.59 करोड़) में किए गए अनुमान से 53.00 प्रतिशत कम था।
- विश्लेषण के दौरान, यह देखा गया कि सामान्य सेवा में पूँजीगत व्यय ₹ 2,388.26 करोड़ से घटकर ₹ 1,386.50 करोड़ हो गया। मुख्य रूप से पुलिस में ₹ 276.02 करोड़, लोक निर्माण कार्यों में ₹ 452.08 करोड़ और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में ₹ 278.88 करोड़ की कमी आई। लेकिन, सामाजिक सेवाओं में ₹ 2,802.51 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,331.52 करोड़ हो गई, जहाँ मुख्य रूप से जलापूर्ति और स्वच्छता में ₹ 3,191.89 करोड़ और सामान्य शिक्षा में ₹ 538.68 करोड़ की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय मुख्य रूप से अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम में ₹ 1,967.72 करोड़, सड़क एवं पुलों में ₹ 2,001.53 करोड़ एवं वृहत सिंचाई में ₹ 838.92 करोड़, के व्यय के कारण ₹ 7,113.13 करोड़ से बढ़कर ₹ 10,490.58 करोड़ हो गया।
- पूँजीगत व्यय और पूँजीगत प्राप्तियों के अनुपात में 2017-18 से 2019-20 के वर्षों के दौरान ह्रास की प्रवृत्ति थी जो समग्र आर्थिक मंदी का परिणाम था, लेकिन 2020-21 में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखी गई।
- लेखापरीक्षा ने देखा कि पूँजीगत शीर्ष के तहत दर्ज किए गए कुछ व्ययों का वर्गीकरण गलत था जिसके परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय का उस सीमा तक अतिकथन हुआ।

इसके अलावा, पूँजीगत व्यय की राशि को केवल कागजी व्यय के रूप में माना गया है क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा राज्य के लोक लेखे में रखा गया है। विस्तृत विश्लेषण इस रिपोर्ट के अध्याय IV के कंडिका 4.4 में शामिल किया गया है।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य के पूँजीगत व्यय के संबंध में विभिन्न मुख्य लेखा शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण परिवर्तनों को तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: 2019-20 की तुलना में 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	2019-20	2020-21	वृद्धि (+)/ कमी (-)
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	(-) 39.10	736.96	776.06
4700-प्रमुख सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	379.92	1,218.84	838.92
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,453.84	4,645.73	3,191.89
5054-सड़कों और पुलों पर पूँजीगत परिव्यय	1,202.05	3,203.58	2,001.53
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	1,590.73	3,558.45	1,967.72
5053-नागरिक उड्डयन पर पूँजीगत परिव्यय	152.44	0	(-)152.44
5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	160	50	(-)110.00
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	3,067.32	1,125.96	(-)1,941.36
4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	1,029.04	576.96	(-)452.08
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	862.34	647.99	(-)214.35

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जलापूर्ति एवं स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री पेयजल सुनिश्चय/संकल्प योजना, मुख्यमंत्री पेयजल सुनिश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) और मुख्यमंत्री पेयजल नीति पर व्यय के कारण हुई। अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय में वृद्धि, पंचायत सरकार भवन, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क पथ योजना (एन0डी0बी0 सहायता प्राप्त) पर व्यय के कारण हुई। इसके अलावा, सड़कों और पुलों पर व्यय में वृद्धि नाबार्ड ऋण द्वारा पुलों के निर्माण के कारण थी और प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि सिंचाई निर्माण परियोजना (कार्य) (नाबार्ड सहायता प्राप्त) और सिंचाई निर्माण परियोजना (कार्य) में अधिक व्यय के कारण हुई थी।

पिछले वर्ष की तुलना में बिहार स्टेट पावर (होलिंडिंग) कंपनी लिमिटेड में निवेश पर कम व्यय किया गया था। विद्युत परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय, सहायक नर्स मिडवाइफरी और मेडिकल कॉलेज के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय के तहत अनुसूचित जाति के लिए भवन निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय के तहत किया गया।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यदि राज्य सरकार घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों में, जिनकी कुल संपत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है, में निवेश जारी रखती है, वहाँ निवेश पर प्रतिफल की कोई संभावना नहीं होती है। इसी तरह, अनुभव बताते हैं कि घाटे में चल रहे निगमों और अन्य निकायों जैसे चीनी मिलों, वित्तीय निगमों आदि को दिए गए ऋणों को बढ़े खाते में डालने की अनिवार्यता है। ऐसे वित्तीय कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। यह खंड वर्तमान वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेश और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों पर पूँजीगत व्यय, जो घाटे में चल रहे हैं या जहां निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, धारणीय नहीं है।

लोक क्षेत्र उपक्रम में निवेश की गई अंशपूँजी में निवेश पर प्रतिफल और विभिन्न निकायों को दिए गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। निवेश पर प्रतिफल का प्रवृत्ति विश्लेषण तालिका 2.23 में दिया गया है।

तालिका 2.23: निवेश पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

निवेश/वापसी/उधार की लागत	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	15,916.47	23,037.29	28,327.00	31,667.39	32,870.61
प्रतिफल (₹ करोड़ में)	3.73	1.34	11.34	1.62	603.01
प्रतिफल (प्रतिशत)	0.02	0.01	0.04	0.01	1.83
सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.42	6.13	6.18	6.07	5.94
ब्याज दर और प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत)	5.88	5.82	6.14	6.06	4.11
सरकारी उधार पर ब्याज और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर[#] (₹ करोड़ में)	935.89	1,340.77	1,739.28	1,919.04	1,350.98

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

[#] वर्ष के अंत में निवेश * ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर

- 31 मार्च 2021 तक 46 सरकारी कंपनियों (₹ 31,809.38 करोड़), तीन सांविधिक निगमों (₹ 105.63), एक ग्रामीण बैंक (₹ 30.19 करोड़), 12 संयुक्त स्टॉक कंपनियों (₹ 305.17 करोड़) और 17 सहकारी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों (₹ 620.24 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 32,870.61 करोड़ था।
- राज्य ने बिजली क्षेत्र की कंपनियों (बी0एस0पी0एच0सी0एल0) में ₹ 30,764.85 करोड़ का निवेश किया है जो 2020-21 तक राज्य सरकार के कुल निवेश का 93.59 प्रतिशत था।
- पिछले वर्ष की तुलना में निवेश पर प्रतिफल में ₹ 601.39 करोड़ की वृद्धि, वित्त विभाग द्वारा लोक क्षेत्र उपक्रम को उनके कुल संचित बचत और अधिशेष का 50 प्रतिशत लाभांश जारी करने के लिए जारी निर्देशों के कारण हुई थी।
- सरकार की उधारी लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अंतर के कारण विभिन्न संस्थाओं में निवेश पर प्रतिफल पर राज्य सरकार को ₹ 1,350.98 करोड़ की काल्पनिक हानि हुई।

यह देखा गया कि राज्य सरकार ने 2020-21 तक घाटे में चल रहे एक सार्वजनिक उपक्रम को अंश पूँजी के रूप में ₹ 564.39 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की थी जिसे तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.24: घाटे में चल रही कंपनियों में किया गया निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कंपनी/निगम	संचित हानि	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचित निवेश	31 मार्च 2021 तक संचित निवेश
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	7.58	35.64	528.75	564.39

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

इसके अलावा, ₹ 1,211.60 करोड़ जो वास्तव में तीन लोक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश किया गया था, को वर्ष 2020-21 के दौरान पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि तालिका 2.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: पूँजीगत व्यय माने गए निवेश

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	कंपनी/निगम	पूँजीगत व्यय का मुख्य शीर्ष	राशि
1	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	5465	35.64
2	पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड	5075	50.00
3	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कंपनी लिमिटेड	4801	1,125.96
कुल			1,211.60

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

तदनुसार, इस वर्ष के दौरान प्रभावी पूँजीगत व्यय ₹ 16,997 करोड़ (₹ 18,208.60 करोड़ - ₹ 1,211.60 करोड़) था।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 तक लोक क्षेत्र के उपक्रमों की कोई लाभांश नीति नहीं बनाई थी। वित्त लेखे के अनुसार, सात¹¹ कंपनियों/सहकारी संस्थाओं ने 2020-21 के दौरान ₹ 603.01 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया। इसके अलावा, चार कंपनियों में ₹16.51 करोड़ विनिवेश के रूप में दिखाया गया था।

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा, सरकार ने इनमें से कई संस्थानों और संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान किए हैं। विवरण तालिका 2.26 में दिया गया है।

तालिका 2.26: पाँच वर्षों के दौरान वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

वितरित और वसूल किए गए ऋणों की मात्रा	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
लंबित ऋणों का प्रारंभिक शेष	20,857.73	20,948.29	21,169.17	20,814.33	21,450.23
वर्ष के दौरान अग्रिम राशि	113.87	242.78	1,470.56	666.30	1,113.97
वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	23.31	21.89	1,825.40	30.40	820.43
बकाया ऋणों का अंतिम शेष	20,948.29	21,169.18	20,814.33	21,450.23	21,743.77
निवल योग	90.56	220.89	(-)354.84	635.90	293.54
प्राप्त ब्याज	-	-	-	-	2.20
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	सुनिश्चित नहीं किया जा सका				
सरकार की बकाया उधारियों पर चुकाई गई ब्याज दर	5.90	5.77	5.96	5.68	5.49
भुगतान की गई ब्याज दर और प्राप्त ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत)	सुनिश्चित नहीं किया जा सका				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- वित्त लेखे के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर प्राप्त ब्याज ₹ 2.20 करोड़ था।
- राज्य सरकार द्वारा वितरित कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 21,743.77 करोड़) में से ₹ 19,811.01 करोड़ की राशि सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों को दी गई।
- वर्ष के दौरान ऋणी समूह को ₹ 934.89 करोड़ के ऋण के संवितरण के बावजूद, ऋण की कोई अदायगी नहीं देखी गई।

दस्तावेजों की जांच से पता चला कि कई मामलों में सरकार द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर को भी ऋणी के साथ अंतिम रूप नहीं दिया गया था। कुछ मामलों में, ऋण राशि के साथ ब्याज दर का खुलासा नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा के लिए सरकार द्वारा ऋणी से वसूले जाने वाले ब्याज की दर का निर्धारण करना कठिन होता है।

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अधूरे पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी की प्रवृत्तियों का आकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अधूरी परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है और राज्य को लंबे समय तक इच्छित लाभों से वंचित रखता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई धनराशि, ऋण और ब्याज

¹¹ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड- ₹ 193.38 करोड़, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड- ₹ 50.00 करोड़, बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड- ₹ 278.00 करोड़, बिहार राज्य शिक्षा अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड- ₹ 40.00 करोड़, बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड - ₹ 3.12 करोड़, क्रेडिट सहकारी समिति- ₹ 38.22 और अन्य सहकारी समिति - ₹ 0.29 करोड़।

देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ का कारण बनती है। अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

31 मार्च 2021 तक अपूर्ण परियोजनाओं की वर्षवार रूपरेखा (₹ करोड़ में)				31 मार्च 2021 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं की विभाग-वार रूपरेखा (₹ करोड़ में)			
वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च तक)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय
2011-12	380	3,395.35	1,579.46	जल संसाधन विभाग	46	758.26	292.84
2012-13	298	3,829.75	1,487.57	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	57	1,130.68	497.31
2013-14	227	3,129.86	1,273.67	भवन निर्माण विभाग	31	1,387.80	653.49
2014-15	211	3,404.88	1,300.78	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	2	2.46	1.42
2015-16	144	1,728.18	731.56	सड़क निर्माण विभाग	19	387.81	207.74
2016-17	130	2,269.08	1,521.31	ग्रामीण कार्य विभाग	2	3.54	0.84
2017-18	127	1,819.64	892.21	कुल	157	3,670.54	1,653.64
2018-19	68	790.99	315.11				
2019-20	143	3,396.64	1,000.95				
2020-21	157	3,670.54	1,653.64				

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2020-21 तक, कुल ₹ 3,670.54 करोड़ की अनुमानित लागत के विरुद्ध, केवल ₹ 1,653.64 करोड़ व्यय किया गया था और 157 परियोजनाओं में से, केवल पाँच परियोजनाओं की लागत को संशोधित किया गया था। विवरण वित्त लेखे खंड-II के परिशिष्ट IX में प्रस्तुत किया गया है। चूँकि ₹ 2,016.90 करोड़ की अनुमानित लागत वाली शेष 152 परियोजनाओं का विवरण विभागों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए उनकी संशोधित लागत वित्त लेखे में प्रदर्शित नहीं की गई थी और इस प्रकार इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था।

₹ 3,670.54 करोड़ की अनुमानित लागत की तुलना में मार्च 2021 तक केवल ₹ 1,653.64 करोड़ का व्यय किया गया था। 2020-21 के दौरान पूरा होने वाली प्रमुख अपूर्ण परियोजनाओं (100 करोड़ से अधिक की अनुमानित लागत) का विवरण तालिका 2.28 में विस्तृत है।

तालिका 2.28: 2020-21 के दौरान अपूर्ण परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	योजना/परियोजना का नाम (जिसकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत	2020-21 के दौरान व्यय	31 मार्च 2021 तक व्यय	लंबित भुगतान
1	बागमती बाढ़ प्रबंधन प्रणाली III ए के तहत मौजूदा हायाघाट काराधीन तटबंध को 123.52 कि०मी० (0.0 कि०मी०) से बढ़ाकर 165.52 कि.मी. (42 कि०मी०) तक बढ़ाना और मजबूत करना	2020-21	389.35	12.16	135.56	5.59

क्रम सं०	योजना/परियोजना का नाम (जिसकी अनुमानित लागत ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक है)	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत	2020-21 के दौरान व्यय	31 मार्च 2021 तक व्यय	लंबित भुगतान
2	कटिहार में 5200 मीटर (एजेंडा संख्या 133/198) की लंबाई में केवला गांव से बाघमारा गाँव तक गंगा नदी के बाएं किनारे का संरक्षण कार्य	2020-21	100.28	13.48	75.23	75.23
3	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयरन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2020-21	177.60	53.51	81.45	96.15
4	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयरन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2020-21	146.89	45.42	57.06	89.83
5	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयरन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2020-21	110.51	38.86	45.61	64.90
6	विधायक आवास परिसर (एम0एल0सी0) का निर्माण कार्य, पटना	2020-21	116.43	0.08	88.65	*
7	विधायक आवास परिसर (एम0एल0ए0) का निर्माण कार्य, पटना	2020-21	258.91	0.01	89.75	*
8	गया में बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण	2020-21	145.14	22.82	81.09	63.91
9	नालंदा के राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	2020-21	633.00	49.03	262.40	478.43
कुल			2,078.10	235.37	916.80	874.04

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

* राज्य सरकार द्वारा आँकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है वर्ष 2020-21 तक पूरा होने वाली योजनाओं के लिए अनुमानित लागत ₹ 2,078.10 करोड़ की तुलना में केवल 44 प्रतिशत ही व्यय किया गया था। संबंधित विभागों द्वारा परियोजनाओं को समय पर पूरा न करने का कारण सूचित नहीं किया गया था। राज्य सरकार द्वारा वित्त लेखे के परिशिष्ट-IX में उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 129 परियोजनाओं के मामले में, जो 2020-21 तक पूर्ण होने वाली थी, ₹ 1,460.21 करोड़ की राशि भुगतान के लिए देय थी (परिशिष्ट 2.2)।

कार्य पूर्ण करने और विपत्र जमा करने के बावजूद संवेदकों के विपत्रों का भुगतान को स्थगित अथवा रोक दिया जाना, सरकार के लिए देनदारियां पैदा करता है और लेखे की अपूर्णता और अपारदर्शिता प्रदर्शित करता है। ऐसी योजनाओं का अपेक्षित लाभ बड़े पैमाने पर जनता तक नहीं पहुँचाया जा सका, क्योंकि वे अधूरे रह गए थे। इसके अलावा, इससे परियोजना लागत में वृद्धि हुई। इन सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है ताकि समयलंघन के कारण लागत में वृद्धि से बचा जा सके।

2.4.3.4 उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का कार्यान्वयन

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव के लिए उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) (नवंबर 2015) प्रारंभ की थी।

राज्य डिस्कॉम के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार), संबंधित राज्य सरकार और राज्य विद्युत वितरण कंपनियों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) निष्पादित किया गया था। इस योजना ने राज्य सरकारों को दो वर्षों की अवधि के लिए डिस्कॉम के बकाया ऋण का 75 प्रतिशत देनदारी लेने की सुविधा प्रदान की।

डिस्कॉम के बकाया ऋण को अंशपूँजी, ऋण और अनुदान/सब्सिडी के रूप में लिया गया था। उदय के तहत डिस्कॉम को दिए गए ऋण को बाद के तीन वर्षों में अनुदान और अंश पूँजी में परिवर्तित किया जाना है। तदनुसार, राज्यों को ऋण को इक्विटी और सब्सिडी में बदलना पड़ा।

इसके अलावा, राज्य सरकार को तालिका 2.29 में उल्लिखित विवरण के अंश पूँजी अनुसार श्रेणीबद्ध तरीके से डिस्कॉम की हानियों, यदि कोई हो, का अधिग्रहण करना था।

तालिका 2.29: राज्य द्वारा हानि का अधिग्रहण

वर्ष	2015-16	2016-17
राज्य द्वारा वहन की जाने वाली हानि	2015-16 के हानि का 50%	2016-17 के हानि का 25%

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

इस योजना के तहत, राज्य को 30 सितंबर 2015 तक डिस्कॉम ऋण (₹ 3,109.05 करोड़) का 75 प्रतिशत ऋण लेने के लिए गैर-एस.एल.आर. बांड जारी करके और अनुदान, ऋण और अंश पूँजी के रूप में डिस्कॉम को निधि का हस्तांतरण करना था। पैकेज के तहत राज्य सरकार की देनदारी ₹ 2,331.78 करोड़ थी जिसे तालिका 2.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.30: उदय के अंतर्गत अंश पूँजी/ऋण/सब्सिडी की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूँजी निवेश	ऋण	सब्सिडी	कुल
2015-16	-	-	1,369.89	1,369.89
2016-17	-	-	961.89	961.89
कुल			2,331.78	2,331.78

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के लिए डिस्कॉम के वार्षिक लेखे तैयार नहीं किए गए थे इसलिए नियोजित पूँजी की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका। इसके अलावा, 31 मार्च 2021 को, दोनों डिस्कॉम (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 4,204.67 करोड़ और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 1,945.59 करोड़) पर ₹ 6,150.26 करोड़ का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने उदय योजना के तहत जारी बांडों पर 2020-21 में ₹ 191.36 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया था।

राज्य सरकार द्वारा सभी टैरिफ सब्सिडी और ऋण दायित्वों को पूरा करने के बावजूद, डिस्कॉम को अभी भी 2019-20 तक ₹ 4,111.25 करोड़ का परिचालन घाटा था।

2.4.3.5 राजस्व व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में या इसके विपरीत गलत वर्गीकरण

पूँजीगत व्यय, मुख्य रूप से स्थायी प्रकृति की यथार्थपूर्ण संपत्तियों के निर्माण/ अर्जन/वृद्धि करने या स्थायी उत्तरदायित्व को कम करने के उद्देश्य से किया गया व्यय है। स्थापना एवं प्रशासनिक इकाई को चलाने के लिए और अपनी संपत्ति के रखरखाव के लिए किए गए अन्य सभी व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2020-21 के दौरान, स्थापना एवं प्रशासनिक शीर्षों पर ₹ 49.49 करोड़ का व्यय किया गया था जिसे पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि वर्ष 2020-21 के लिए अनुदान संख्या 37 ग्रामीण कार्य विभाग को राजस्व प्रयोजनों और परिसंपत्तियों के निर्माण, दोनों के लिए सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गए ₹ 302.47 करोड़ (₹ 234.26 करोड़ + ₹ 68.21 करोड़), को पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा में मामला उठाए जाने पर, विभाग ने गलती स्वीकार की और कहा कि वित्त विभाग के निर्देश के तहत इन व्ययों को अभी और आगे भी राजस्व शीर्ष के तहत दर्ज किया जाएगा।

पूँजीगत व्यय के रूप में राजस्व व्यय के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप पूँजीगत व्यय को अधिक बताया गया और उस सीमा तक राजस्व व्यय को कम बताया गया। वित्तीय विवरणों की सत्यता पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएँ

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपने व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आवंटन राष्ट्रीय औसत से कम है तो न्यून राजकोषीय प्राथमिकता (किसी श्रेणी के अंतर्गत व्यय का कुल व्यय से अनुपात) किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी होती है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होता है, व्यय की गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता का विश्लेषण तालिका 2.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.31: 2020-21 के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	ए0ई0 / जी0एस0डी0पी0	सी0ई0 / ए0ई0	शिक्षा / ए0ई0	स्वास्थ्य / ए0ई0
अखिल भारतीय औसत / सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2014-15)	15.99	13.98	16.54	4.92
बिहार राज्य	26.56	19.93	18.15	3.96
अखिल भारतीय औसत / सामान्य श्रेणी के राज्यों का औसत (2020-21)	16.18	13.03	15.00	6.74
बिहार राज्य	25.67	12.16	16.71	5.35


(स्रोत: एम0ओ0एस0पी0आई0 एवं वित्त लेखे)

शिक्षा को छोड़कर स्वास्थ्य और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य की व्यय प्राथमिकता 2020-21 के दौरान अखिल भारतीय औसत (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य) से कम थी, जो क्षमता निर्माण के लिए राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2.4.5 वस्तु शीर्षवार व्यय

वस्तु शीर्षवार व्यय नीचे चार्ट 2.12 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.12: वस्तु शीर्षवार व्यय



(स्रोत: वी0एल0सी0 प्रणाली)

- ऊपर दर्शाए गए चार्ट के अनुसार, बजट का एक बड़ा अनुपात प्रतिबद्ध¹² व्यय (राजस्व व्यय का 38.68 प्रतिशत) के लिए आवंटित किया गया है जो अन्य विकासात्मक व्यय प्राथमिकताओं जैसे कि निवेश, निर्माण, आदि को बढ़ाने के लिए लचीलेपन को सीमित करता है।
- इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में वेतन पर व्यय 6.97 प्रतिशत अधिक था, जो जी0एस0डी0पी0 का 3.53 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 15.66 प्रतिशत था। पेंशन पर व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 14.75 प्रतिशत अधिक था एवं जी0एस0डी0पी0 का 3.17 प्रतिशत और राजस्व व्यय का 14.08 प्रतिशत था।

इससे पता चलता है कि प्रतिबद्ध व्यय के प्रमुख घटक साल दर साल बढ़ रहे हैं। 2020-21 के दौरान, प्रतिबद्ध देनदारियों पर व्यय 34 प्रतिशत था जबकि पूँजीगत व्यय कुल व्यय का केवल 11.46 प्रतिशत था जो की राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है।

2.5 लोक लेखा

प्राप्तियों और संवितरण के संबंध में कुछ लेन-देन जैसे कि लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण, आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं हैं, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है और यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। सरकार इनके संबंध में एक बैंकर की तरह काम करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद की शेष राशि सरकार के पास विभिन्न प्रयोजनों में उपयोग के लिए उपलब्ध निधि होती है।

¹² 2020-21 के दौरान, वेतन और मजदूरी- ₹ 21,841.65 करोड़, पेंशन- ₹ 19,635.15 करोड़, ऋण भुगतान- ₹ 12,484.04 करोड़।

2.5.1 निवल लोक लेखा शेष

राज्य के लोक लेखा में संघटक-वार निवल शेष तालिका 2.32 में दिया गया है।

तालिका 2.32: 31 मार्च 2021 तक लोक लेखे में घटक-वार निवल शेष

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
आई.— लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	लघु बचत, भविष्य निधि, आदि।	99.63	(-)80.24	277.79	190.40	166.29
जे.— आरक्षित निधि	(अ) ब्याज सहित आरक्षित निधि	(-)712.03	(-)696.39	0.01	522.95	378.12
	(ब) ब्याज रहित आरक्षित निधि	0	0	0	0	(-)26.32
के.— जमा और अग्रिम	(अ) ब्याज सहित जमा	24.46	(-)1.62	60.25	202.65	(-)75.05
	(ब) ब्याज रहित जमा	5,369.64	10,317.65	368.13	1,509.34	4,336.01
	(स) अग्रिम	(-)0.71	(-)1.72	(-)96.85	0	0
एल.— उचंत और विविध	(अ) उचंत	(-)894.39	579.80	(-)345.13	(-)5,773.58	(-)4,879.88
	(ब) अन्य लेखे	(-)4,772.25	(-)4,393.75	2,138.36	(-)2,735.55	(-)191.23
	(स) विदेशी सरकारों के साथ खोले गये लेखे	0	0	(-)0.01	(-)0.01	(-)0.01
	(द) विविध	-	-	-	-	-
एम.— प्रेषण	(अ) धनादेश, और अन्य प्रेषण	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)2.44	4.37
	(ब) अंतर्संरकारी समायोजन लेखे	0	0	0	(-)794.07	794.07
कुल		(-)1982.95	(-)892.70	5,720.97	2,478.60	506.37

नोट: (+ve) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है और (-ve) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)


उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 506.37 करोड़ की निवल लोक लेखा प्राप्तियों ने राज्य के कुल संसाधनों में अंशदान दिया। निवल लोक लेखा प्राप्तियों का प्रमुख स्रोत लोक लेखा के अन्तर्गत जमा निधि (₹ 4,260.96 करोड़) था।

उचंत खाते (सिविल) में विशेष रूप से दर्शाए गए उचंत और विविध निधियों के अंतर्गत ऋणात्मक शेषों के कारण लोक लेखे का बकाया रोकड़ शेष बढ़ गया है। अविश्रवों की अनुपलब्धता के कारण नकारात्मक आँकड़ों को व्यय या प्राप्तियों के अंतिम शीर्ष पर नहीं ले जाया जा सका। कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) ने ₹ 4,548.13 करोड़ रुपये के अविश्रवों पर आपत्ति जताई है और यह कुल व्यय से बाहर है।

2020-21 के दौरान, राज्य सरकार को ब्याज सहित आरक्षित निधियों के तहत कैंपा निधि के ₹ 522.95 करोड़ के लिए ₹ 0.12 करोड़ का ब्याज क्रेडिट के लिए प्राप्त हुआ। राज्य सरकार ने इस निधि से कोई व्यय नहीं किया। लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.13 में दर्शाए गए हैं।

चार्ट 2.13: लोक लेखा शेषों की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2.5.2 आरक्षित निधियाँ

राज्य सरकार के लोक लेखा के अंतर्गत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधियाँ सृजित की जाती हैं। इन निधियों की पूर्ति राज्य की संचित निधि से अंशदान या अनुदान से की जाती है।

वित्त लेखे के अनुसार, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्य सरकार के पास नौ सक्रिय आरक्षित निधियाँ (तीन ब्याज सहित और छह गैर-ब्याज रहित) हैं। 31 मार्च 2021 के अंत में ब्याज सहित आरक्षित निधि के तहत कुल संचित शेष राशि ₹ 901.07 करोड़ थी।

इसके अलावा, 31.03.2020 तक ₹ 26.32 करोड़ मूल्य की आरक्षित निधियाँ, जो 2001-02 से संचालित नहीं की गई हैं, को 2020-21 के दौरान राज्य की संचित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया।

2.5.2.1 समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)

12वें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को बैंकों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष आदि पर देनदारियों सहित सभी ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए और इन निधियों का उपयोग सिवाय ऋणों के मोचन के किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक (आर0बी0आई0) के दिशा-निर्देश, जो निधि के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं, इस निधि के लिए वर्ष की शुरुआत में बकाया देनदारियों के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान निर्धारित करते हैं। इसके अलावा, संपूर्ण निधि का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाता है और निवेश का विवरण वित्त लेखे के विवरणी-22 में दिया गया है।

राज्य सरकार ने 2008-09 में एक समेकित निक्षेप निधि की स्थापना की जो केवल बाजार ऋणों के परिशोधन के लिए थी और 2014-15 से, इसका उपयोग सरकार की बकाया देनदारियों के मोचन के लिए किया जाना था। हालाँकि, इसकी स्थापना के बाद से ही इसका उपयोग नहीं किया गया है।

31 मार्च 2021 को निधि का अंतिम शेष ₹ 5,996.23 करोड़ था जिसमें 31 मार्च 2021 को अर्जित ब्याज ₹ 256.11 करोड़ शामिल था। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य सरकार ने 2020-21 के दौरान समेकित निक्षेप निधि में अंशदान नहीं करने का निर्णय लिया था।

2.5.2.2 राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि

भारत सरकार (जी0ओ0आई0) ने 1 अप्रैल 2010 से पूर्ववर्ती आपदा राहत कोष को राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एस0डी0आर0एफ0) से बदल दिया। निधि के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्र और राज्यों को एक निश्चित अनुपात में निधि में योगदान करना होता है। अंशदान को लोक लेखा में मुख्य शीर्ष-8121 में अंतरित किया जाना है। वर्ष के दौरान व्यय का संचालन मुख्य शीर्ष-2245 द्वारा किया जाता है।

आर0बी0आई0 के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशा-निर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट पर लागू दर पर एस0डी0आर0एफ0 को ब्याज राज्य सरकारों द्वारा भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज अर्धवार्षिक आधार पर जमा किया जाना है। एस0डी0आर0एफ0 के निवेश पर अर्जित आय के साथ एस0डी0आर0एफ0 में वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों, नीलाम किए गए राज हंडियों और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ अन्य ब्याज अर्जक जमा में निवेश किया जाना है।

एस0डी0आर0एफ0 का उपयोग केवल आपदा पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने में हुए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना है और आपदा तैयारी, पुनर्बहाली, पुनर्निर्माण और शमन के प्रावधान को एस0डी0आर0एफ0 का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इस तरह के व्यय को सामान्य बजटीय शीर्षों/राज्य योजना निधियों आदि में शामिल किया जाना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार ने ₹ 1,416 करोड़ और राज्य सरकार ने ₹ 472 करोड़ का योगदान एस0डी0आर0एफ0 में दिया। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (एन0डी0आर0एफ0) से भी ₹ 553.17 करोड़ का अनुदान प्राप्त हुआ। एस0डी0आर0एफ0 में कुल धनराशि ₹ 2,441.17 करोड़ (शुरुआती शेष राशि ₹ 73,850/- मात्र शामिल) थी। इस निधि में से, राज्य सरकार ने 31 मार्च 2021 को ₹ 378 करोड़ की शेष राशि को छोड़कर वर्ष के दौरान ₹ 2,063.18 करोड़ का व्यय किया।

राज्य सरकार ने बिजली आपूर्ति, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी ढाँचे की तत्काल मरम्मत और पुनर्बहाली के लिए विभिन्न संस्थाओं के प्रति ₹ 2,063.18 करोड़ (मुख्य शीर्ष 2245-05 के तहत) का व्यय किया। व्यय को 2020-21 के लिए एस0डी0आर0एफ0 के तहत दर्ज किया गया था, जिसके बदले में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना बाकी है ताकि यह आश्वासन दिया जा सके कि धन का वास्तव में पूरी तरह से उपयोग किया गया था और व्यय अनुमत गतिविधियों पर था।

2.5.2.3 गारंटी मोचन निधि

राज्य के लोक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी किए गए बॉण्ड और अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटियों से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 'गारंटी मोचन निधि' का गठन राज्य सरकार करती है और लाभार्थियों द्वारा लागू किया जाता है। निधि में जमा राशि का उपयोग केवल सरकार द्वारा जारी गारंटियों के भुगतान के लिए किया जाना है और उन संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं किया जाना है जिनकी ओर से गारंटी जारी की गई थी।

राज्य सरकार ने न तो 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार गारंटी मोचन निधि बनाया है और न ही गारंटी की उच्चतम सीमा तय करने के लिए कोई नियम बनाया है।


राज्य सरकार को वर्तमान वित्तीय वर्ष के पूर्व से दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में बकाया गारंटियों के कम से कम 0.5 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान करना आवश्यक था जैसा कि प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा बनाए गए लेखे में दर्शाया गया है। तदनुसार, राज्य सरकार ने उन सिफारिशों के संदर्भ में ₹ 27.42 करोड़ (वर्ष 2020-21 की शुरुआत में ₹ 5,484.55 करोड़ की बकाया गारंटियों का 0.5 प्रतिशत) का न्यूनतम वार्षिक योगदान नहीं किया। इन निधियों का निवेश आर0बी0आई0 द्वारा किया जाना है।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति को स्थापित करने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है जिससे आवश्यक मात्रा में धन जुटाया जा सके, इसके जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, और किसी भी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा किया जा सके जो सरकार ने अधिनियमन या किसी अन्य वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किया गया हो।

31 मार्च 2021 को राज्य सरकार का बकाया ऋण ₹ 2,27,195.49 करोड़ (आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोकलेखा देयताएँ) था। पिछले वर्ष की तुलना में बकाया ऋण में 17.49 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जी0एस0डी0पी0 (4.14 प्रतिशत) की वृद्धि दर से अधिक थी। बकाया ऋण के ₹ 2,27,195.49 करोड़ में से, ₹ 39,359.93 करोड़ ने कोई ब्याज दायित्व नहीं निभाया (ब्याज रहित जमा राशियां ₹ 39,359.92 करोड़ और ब्याज रहित आरक्षित निधि ₹ 0.01 करोड़), जिनमें से ₹ 24,864.64 करोड़ नकद शेष राज्य सरकार के पास उपलब्ध था। पिछले वर्ष की इसी स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2021 तक देनदारियों और परिसंपत्तियों का एक सार तालिका 1.4 में दिया गया है, राज्य के बकाया ऋण का प्रवृत्ति विश्लेषण चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: बकाया ऋण बनाम जी0एस0डी0पी0



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम0ओ0एस0पी0आई0)

2.6.1 ऋण की रूप रेखा: घटक

राज्य सरकार के कुल ऋण का गठन आमतौर पर राज्य के आंतरिक ऋण (बाजार ऋण, आर0बी0आई0 से अर्थोपाय अग्रिम, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और वित्तीय संस्थानों से ऋण, आदि), केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम और लोक लेखा से होता है।

तालिका 2.33: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ

		(₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया कुल ऋण		1,38,721.50	1,56,776.77	1,68,921.33	1,93,381.85	2,27,195.51
लोक ऋण	आंतरिक ऋण	96,595	1,04,524.76	1,14,359.69	1,36,082.09	1,59,557.50
	भारत सरकार से ऋण	9,595.81	10,181.92	11,785.37	12,098.16	17,657.35
लोक लेखे पर देयताएँ		32,530.69	42,070.09	42,776.27	45,201.60	49,980.66
बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशतता)		18.99	13.02	7.75	14.48	17.49
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)		4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
ऋण/जी.एस.डी.पी. (प्रतिशतता)		32.95	33.45	31.99	32.55	36.09 [#]
कुल ऋण प्राप्तियाँ		72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31
कुल ऋण पुनर्भगतान		50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59	74,618.65
कुल उपलब्ध ऋण		22,143.90	18,055.27	12,144.56	24,460.53	33,813.64
ऋण पुनर्भगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)		69.60	69.61	83.55	74.03	68.82

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे और एम.ओ.एस.पी.आई.)

[#] वित्त लेखों के अनुसार ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात 36.73 प्रतिशत है। हालाँकि, जी0एस0डी0पी0 अनुपात के लिए प्रभावी ऋण की गणना बकाया समग्र ऋण से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0डी0 क्षतिपूर्ति को छोड़कर की गई है।


प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹ 2,23,290.51 करोड़ होगा क्योंकि व्यय विभाग, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में राज्य को दिए गए ₹ 3,905 करोड़ के जी0एस0डी0 क्षतिपूर्ति को वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- 2016-21 के दौरान बकाया ऋण और जी0एस0डी0पी0 अनुपात 31.99 प्रतिशत से 36.09 प्रतिशत के बीच रहा। राज्य का कुल ऋण पिछले पाँच साल से बढ़ रहा है। प्रमुख घटक आंतरिक ऋण (70 प्रतिशत) था जिसमें बाजार उधारी शामिल है।
- ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात बी0एफ0आर0बी0एम0, 2020 में निर्धारित नहीं किया गया था, जबकि जी0एस0डी0पी0 के संबंध में राज्य के सांकेतिक ऋण पथ को पंद्रहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट में परिभाषित (41.2 प्रतिशत) किया गया है। राज्य का अनुपात वित्त आयोग सीमा के भीतर था।
- लोक लेखा की बकाया देनदारियाँ भी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ी हैं जो कि जी0एस0डी0पी0 का 8.08 प्रतिशत और कुल बकाया ऋण का 21.99 प्रतिशत थी।
- बकाया समग्र ऋण 17.49 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा था। 2020-21 के दौरान, राज्य को 2004-05 के बाद से दूसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा और इसकी भरपाई लोक ऋण से की गई है।

चार्ट 2.15: घटक वार ऋण प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

चार्ट 2.16: अदायगी की तुलना में लिया गया आंतरिक ऋण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

तालिका 2.34: राजकोषीय घाटे के घटक और इसके वित्तीय प्रतिरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजकोषीय घाटे की संरचना					
1 राजस्व अधिशेष (+) / घाटा (-)	10,819.81	14,823.01	6,896.65	(-)1,784.13	(-)11,325.11
2 निवल पूँजीगत व्यय	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90	18,208.60
3 निवल ऋण एवं अग्रिम	90.56	220.90	(-)354.84	635.90	293.54
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिरूप					
1 बाजार उधारी	16,804.96	8,908.00	10,903.07	22,572.54	24,684.91
2 भारत सरकार से ऋण	757.51	586.11	1,603.45	312.79	5,559.19
3 एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	(-)1,713.12	(-)1,768.75	(-)1,819.02	(-)1,888.35	(-)1,888.35
4 वित्तीय संस्थानों से ऋण	1,512.84	790.51	750.88	1,038.22	678.85
5 छोटी बचत, पीएफ, आदि	99.63	(-)80.25	277.8	190.40	166.29
6 जमा और अग्रिम	5,393.40	10,314.32	331.52	1,711.99	4,260.96
7 उचंत और विविध	(-)5,666.65	(-)3,813.95	1,793.23	(-)8,509.14	(-)5,071.12
8 प्रेषण	(-)7.05	(-)2.76	76.05	(-)796.50	798.44
9 आरक्षित निधि	(-)712.03	(-)696.39	0	522.95	351.80
10 समग्र घाटा	16,469.49	14,236.84	13,916.98	15,154.90	29,540.96
11 नकद शेष में वृद्धि / कमी	9.66	68	(-)110.22	(-)430.95	286.28
12 सकल राजकोषीय घाटा	16,479.15	14,304.83	13,806.76	14,723.93	29,827.25

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2020-21 के लिए बिहार (असाधारण) राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2021 के माध्यम से राजकोषीय घाटे का लक्ष्य और वार्षिक उधार सीमा बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम, 2006 (संशोधन 2021) की धारा 9 की उप-धारा 2 (बी) (1) में निर्धारित सीमा से दो प्रतिशत अधिक तक बढ़ाई जाएगी। राजकोषीय घाटा (एफ0डी0), मात्रात्मक और तुलनात्मक दोनों रूप में, जी0एस0डी0पी0 के लिए 4.82 प्रतिशत था जो कि पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा 5.00 प्रतिशत के भीतर था। बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 2.97 प्रतिशत रखा गया था। 2020-21 के दौरान, पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 47.99 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो दर्शाता है कि एफ0डी0 से उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण वर्तमान वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक था।

2.6.2 ऋण की रूप रेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

ऋण परिपक्वता और पुनर्भुगतान की रूपरेखा सरकार की ओर से ऋण पुनर्भुगतान या ऋण शोधन के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती है।


तालिका 2.35: राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की परिपक्वता रूप रेखा

वर्ष	रूपरेखा (₹ करोड़)	सकल ऋण (₹ करोड़)
0-1	7,035.28	3.82
1-3	22,132.78	12.02
3-5	42,929.24	23.32
5-7	41,540.16	22.57
7 एवं अधिक	70,421.74	38.26
द्वारा	1,84,059.20	100.00

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य का 60 प्रतिशत से अधिक ऋण पाँच और उससे अधिक वर्षों के लिए बकाया है। राज्य के ऋणों की परिपक्वता रूपरेखा उसके पुनर्भुगतान भार में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्शाती है। ऋण परिपक्वता रूपरेखा को चार्ट 2.17 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.17: ऋण परिपक्वता रूप रेखा



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

ऊपर दिखाए गए ऋण परिपक्वता रूपरेखा से स्पष्ट है कि ₹ 72,097.3 करोड़ की राशि अगले पाँच वर्षों में देय हो रही है, और सरकार को उसी के अनुसार पुनर्भुगतान के प्रावधान करने होंगे।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण (डी0एस0ए0)

ऋण स्थिरता भविष्य में अपने ऋणों को चुकाने के लिए राज्य की क्षमता को इंगित करती है। राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अलावा, विभिन्न संकेतकों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करते हैं। तालिका 2.36 जो 2016-21 की अवधि के लिए ऋण स्थिरता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.36: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

ऋण स्थिरता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
बकाया लोक ऋण*	1,06,190.81	1,14,706.68	1,26,145.06	1,48,180.25	1,77,214.85
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर	19.55	8.02	9.97	17.47	19.59
जी0एस0डी0पी0	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर	13.31	11.33	12.64	12.51	4.14
ऋण / जी0एस0डी0पी0	25.22	24.47	23.89	24.95	28.65
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता प्रोफाइल – डिफॉल्ट इतिहास सहित, यदि कोई हो	4,214.57	4,653.55	7,229.82	7,109.83	6,880.47
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.67	7.73	7.68	7.58	7.67
राजस्व प्राप्तियों पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत	7.09	7.27	7.02	8.37	9.74
ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशतता	19.53	35.34	38.73	24.39	19.16
राज्य को उपलब्ध निवल ऋण [#]	9,881.42	(-)24.97	2,190.02	11,631.63	17,446.64
ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में उपलब्ध निवल ऋण	45.8	(-)0.19	11.73	39.91	48.58
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	5.64	3.6	4.96	4.93	(-)3.53

ऋण स्थिरता संकेतक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
क्वांटम स्प्रेड	5,989.16	4,129.44	6,256.79	7,305.29	-6,255.68
प्राथमिक घाटा	-8,288	-5,251	-3,736	-3,733	-17,343
ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड + प्राथमिक घाटा)	-2,298.84	-1,121.56	2,520.79	3,572.29	-23,598.68

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003- आंतरिक ऋण और 6004- केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।


राज्य सरकार को उपलब्ध निवल ऋण की गणना, लोक ऋण भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों की अधिकता और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के रूप में की जाती है।

स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, ब्याज दर या सार्वजनिक उधार की लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हो या मध्यम नकारात्मक हो। ब्याज स्प्रेड (जी. एस.डी.पी. वृद्धि - ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण x ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति में कहा गया है कि अगर प्राथमिक घाटा के साथ-साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण जी0एस0डी0पी0 अनुपात स्थिर रहेगा, या ऋण अंततः स्थिर हो जाएगी। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात बढ़ रहा होगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण-जी0एस0डी0पी0 अनुपात अंततः गिर जाएगा।

तालिका 2.36 से देखा जा सकता है कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 2020-21 को छोड़कर, सभी चार वर्षों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर (जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर) ब्याज दर या लोक ऋण की लागत से अधिक हो गई। तथापि, प्राथमिक शेष (प्राथमिक घाटा) ऋणात्मक रहा जिसके परिणामस्वरूप ऋण स्थिरीकरण की आवश्यक शर्त पूरी नहीं हुई।

वर्ष 2020-21 में प्राथमिक घाटा, क्वांटम स्प्रेड और प्राथमिक घाटा का योग और लोक ऋण का जी0एस0डी0पी0 अनुपात सबसे अधिक था, जो चिंता का विषय है। यदि प्राथमिक घाटे की तुलना में मात्रा का क्वांटम स्प्रेड नकारात्मक बना रहता है, तो इसके परिणामस्वरूप आने वाले वर्षों में ऋण अस्थिर हो सकता है। ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्तियों का विवरण चार्ट 2.18 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.18: ऋण स्थिरता संकेतकों की प्रवृत्ति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि ऋण प्राप्ति से ऋण भुगतान का प्रतिशत पिछले वर्ष से घट रहा है जो इंगित करता है कि राज्य के पास अपने उपयोग के लिए अधिक ऋण निधि है और निधि की इस तरलता का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था। लोक ऋण की वृद्धि दर वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 की वृद्धि दर से अधिक है।

2.7.1 उधार ली गई धनराशि का उपयोग

उधार ली गई धनराशि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग स्वीकार्य नहीं है। उधार ली गई निधियों का उपयोग नीचे तालिका 2.37 में दिखाया गया है।

तालिका 2.37: उधार ली गई धनराशि का उपयोग

वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
कुल उधारी	2	72,845.19	59,412.45	73,806.02	94,193.12	1,08,432.31
पहले के उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	3	50,701.29	41,357.18	61,661.46	69,732.59	74,618.65
निवल पूँजीगत व्यय	4	27,208.40	28,906.95	21,058.25	12,303.90	18,208.60
निवल ऋण एवं अग्रिम	5	90.56	220.90	(-)354.84	635.90	293.54
निवल उपलब्ध उधारों में से राजस्व व्यय का एक भाग पूरा किया गया	6 = 2-3-4-5	(-) 5,155.06	(-) 11,072.58	(-) 8,558.85	11,520.73	15,311.52


(₹ करोड़ में)

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

उपरोक्त तालिका से, यह देखा जा सकता है कि राज्य के कुल उधार का बड़ा हिस्सा पहले के उधारों के पुनर्भुगतान और पूँजीगत व्यय पर खर्च किया गया है, लेकिन 2020-21 के दौरान, राज्य के राजस्व व्यय पर ₹ 15,311.52 करोड़ की राशि खर्च की गई है जो निवल उपलब्ध उधारों से पूरा किया गया। उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियों को चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.19: उधार ली गई धनराशि के उपयोग की प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

राज्य के 68 प्रतिशत से अधिक ऋण का उपयोग पिछले पाँच वर्षों से पूर्व के ऋणों की अदायगी के लिए किये जा रहे हैं जो चार्ट 2.19 से स्पष्ट है। यह उधार ली गई धनराशि के पूँजीगत व्यय के उपयोग के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। चार्ट पूँजीगत व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का कम उपयोग करने की प्रवृत्ति को दिखाता है, हालांकि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में थोड़ी वृद्धि हुई थी। वर्ष 2020-21 के लिए, राज्य के राजस्व घाटे के आलोक में, उधार ली गई धनराशि का 14.12 प्रतिशत राजस्व व्यय के रूप में उपयोग किया गया है।

2.7.2 गारंटियों की स्थिति – आकस्मिक देयताएँ

गारंटियाँ, उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की संचित निधि पर आकस्मिक देनदारियाँ हैं, जिनके लिए गारंटी दी गई। राज्य सरकारें गारंटियों की अधिकतम सीमा के संबंध में कानून या निर्देश लेकर आई हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों में, सरकारी गारंटी को दूसरे पूर्ववर्ती वर्ष के राज्य के कर और करेत्तर राजस्व के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ तालिका 2.38 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 2.38: राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियाँ

(₹ करोड़ में)

गारंटियाँ	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि पर लागू सीमा (मानदंड)	13,459.21	20,581.52	21,181.52	21,181.52	25,113.74
ब्याज सहित गारंटियों की बकाया राशि	4,637.62	5,271.70	5,501.86	5,484.56	16,407.71

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

गारंटीकृत बकाया राशि में ऊर्जा (₹ 10,435.04 करोड़), सहकारी समितियों (₹ 1,882.87 करोड़), बिहार राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम (₹ 4,027.62 करोड़), बिहार राज्य वित्तीय निगम (₹ 29.97 करोड़), बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (₹ 31.61 करोड़) और अन्य (₹ 0.60 करोड़) शामिल थी।

लोक क्षेत्र उपक्रम को बैंकों और वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य सरकार भारत के संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन गारंटी देती है। इस प्रकार की गारंटी देने के लिए गारंटी शुल्क लिया जाता है। लोक क्षेत्र के उपक्रम, ₹ 10 लाख से अधिक की गारंटी राशि पर सालाना 1/8 प्रतिशत की दर से गारंटी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। गारंटी शुल्क की वसूली के लिए गारंटी समझौते में कोई खंड नहीं था। बिहार सरकार ने भी लोक क्षेत्र के उपक्रमों से गारंटी शुल्क का दावा नहीं किया। हालांकि, 2020-21 में केवल एक कंपनी (बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम) से ₹ 4.25 करोड़ का गारंटी शुल्क प्राप्त हुआ था।

2.7.3 नकद शेष का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ समझौते के अनुसार, राज्य सरकारों को बैंक के साथ न्यूनतम दैनिक नकद शेष ₹ 1.73 करोड़ बनाए रखना होगा। यदि किसी दिन शेष राशि सहमत न्यूनतम से कम हो जाती है, तो समय-समय पर सामान्य अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू0एम0ए0)/विशेष अर्थोपाय अग्रिम (एस0डब्ल्यू0एम0ए0)/ओवरड्राफ्ट (ओ0डी0) लेकर कमी को पूरा किया जाता है। राज्य सरकार के लिए सामान्य अर्थोपाय अग्रिम की सीमा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संशोधित की जाती है। 1 अप्रैल 2006 से यह सीमा ₹ 425.00 करोड़ तक सीमित थी।

राज्य सरकार अपने अधिशेष नकद शेष को भारत सरकार की लघु और दीर्घकालिक प्रतिभूतियों और राज हंडियों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को '0049-ब्याज प्राप्ति' शीर्ष के

तहत प्राप्तियों के रूप में जमा किया जाता है। नकद शेष राशि को समेकित निक्षेप निधि/गारंटी मोचन निधि में भी निवेश किया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य सरकार बड़े नकद शेष होने के बावजूद बाजार ऋण का सहारा लेती है जिससे नकद शेष राशि को उत्पादकता संबंधी उपयोग में लाए बिना और अधिक अभिवृद्धि होती है। नकद शेष राशि और उनके निवेश और नकद शेष निवेश लेखों का विवरण क्रमशः तालिका 2.39 और 2.40 में दिखाया गया है।

तालिका 2.39: नकद शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2020 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2021 को अंत शेष
अ. सामान्य नकद शेष		
कोषागार में नकद	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा	588.07	301.79
अन्य बैंकों में जमा	-	-
पारगमन में प्रेषण – स्थानीय	-	-
नकद शेष निवेश लेखे में धारित निवेश	17,588.74	17,826.65
कुल (अ)	18,176.81	18,128.44
ब. अन्य नकद शेष और निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् लोक निर्माण, वन अधिकारियों के पास नकद	234.65	234.65
विभाग के अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी अग्रिम	760.97	761.43
निर्धारित निधि में निवेश	5,740.22	5,740.12
कुल (ब)	6,735.84	6,736.20
कुल (अ+ब)	24,912.65	24,864.64
ब्याज प्राप्तियाँ	938.84	174.57

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के वित्त लेखे)

यह इंगित करता है कि राज्य ने एक ही समय में एक राजकोषीय घाटे वाले राज्य होने के साथ-साथ नियमित आधार पर बड़े नकद शेष को बनाए रखा है।

- "आर0बी0आई0 के पास जमा" शीर्ष के तहत शेष राशि की गणना 11 अप्रैल 2021 तक आर0बी0आई0 को सूचित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेन-देन से संबंधित अंतर सरकारी मौद्रिक निपटान को ध्यान में रखते हुए की जाती है।
- सरकार ने ₹ 17,822.00 करोड़ की नकद शेष राशि का भारत सरकार की प्रतिभूतियों में और ₹ 4.65 करोड़ अन्य राज्यों की प्रतिभूतियों में निवेश किया। इन निवेशों पर सरकार ने वर्ष के दौरान ₹ 174.57 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।
- सरकार ने पूरे वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिना कोई अग्रिम लिए नकद शेष को बनाए रखा है और इसमें पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 286.28 करोड़ की कमी हुई है।

2016-17 से 2020-21 तक नकद शेष निवेश लेखे का विवरण तालिका 2.40 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.40: नकद शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)


वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंत शेष	वृद्धि(+)/ कमी(-)	अर्जित ब्याज
2016-17	8,199.24	13,001.71	4,802.47	804.44
2017-18	13,001.71	17,395.63	4,393.92	799.82
2018-19	17,395.63	14,791.80	(-)2,603.83	909.08
2019-20	14,791.80	17,588.74	2,796.94	938.84
2020-21	17,588.74	17,826.65	237.91	174.57

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

- 2016-21 के दौरान राज्य के नकद शेष निवेश के प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला कि 2020-21 में निवेश उल्लेखनीय रूप से बढ़ा और बजट अनुमान (प्राप्ति) का 9.56 प्रतिशत रहा।
- बाजार ऋण उच्च ब्याज दरों पर लिए गए जबकि राज हुंडियों में निवेश से कम दरों पर ब्याज प्राप्त हुआ। प्रतिभूतियों में निवेश को परिपक्वता से पहले प्राप्त करना, वर्ष के दौरान अर्जित कम ब्याज का कारण था।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए नकद शेष निवेश खाते में उपलब्ध नकद शेष के साथ जुटाए गए बाजार ऋण की तुलना चार्ट 2.20 में की गई है।

चार्ट 2.20: नकद शेष की तुलना में बाजार ऋण




(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

नकद शेष निवेश लेखे में ₹ 17,826.65 करोड़ की अंतिम शेष राशि होने के बावजूद सरकार ने बाजार ऋण का सहारा लिया। इस वर्ष के लिए बाजार ऋण ₹ 24,684.91 करोड़ था। उल्लेखनीय है कि नकद शेष निवेश खाता में राशि संचयी होती है। नकद शेष निवेश खाते में निवेशित नकद शेष की तुलना में उपलब्ध माहवार नकद शेष राशि को चार्ट 2.21 में दिखाया गया है।

चार्ट 2.21: वर्ष के दौरान नकद शेष राशि और शुद्ध नकद शेष निवेश का माहवार संचालन

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक सिविल लेखे)

ऊपर दिए गए चार्ट से पता चलता है कि अंतिम नकद शेष पूरे साल लगभग एक समान था लेकिन फरवरी के महीने में सबसे अधिक था क्योंकि इसी अवधि में भारत सरकार से अधिकांश निधियाँ (70 प्रतिशत) प्राप्त हुई थी। इसके अलावा, मार्च 2021 भी यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा इस अवधि में नकदी अधिशेष के कारण नकद शेष निवेश खातों को नामे किया था।

2.8 निष्कर्ष

घाटा संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रमुख मानदंड हैं।

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
राजकोषीय घाटा पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान के भीतर था।	राज्य के प्राथमिक घाटे में वृद्धि
राज्य के अपने संसाधनों (कर और करेतर राजस्व) में थोड़ी वृद्धि हुई है।	एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम की सीमा से अधिक जी0एस0डी0पी0-ऋण के अनुपात का बढ़ना।
भारत सरकार की ओर से मिलने वाली अनुदान राशि में वृद्धि हुई है।	बिगड़ते ऋण स्थिरता संकेतक
निक्षेप निधि निवेश खाते में निवेश बढ़ा दिया गया है।	गारंटी मोचन निधि का निर्माण न करना।
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि
	नकद शेष का संधारण

2.9 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को समीक्षा करनी चाहिए

- बजट तैयार करने की प्रणाली, ताकि बजट अनुमानों और वास्तविक के बीच की खाई को पाटा जा सके।

- यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करे कि बकाया राजस्व को शीघ्रता से एकत्र किया जा सके ताकि राजकोषीय घाटे के कारण राज्य के बोझ को कम किया जा सके।
- यह सुनिश्चित करें कि कर्मचारी अंशदान की कटौती पूरी तरह से काटी जाती है, जो सरकारी योगदान से पूरी तरह मेल खाती है, और समय पर पूरी तरह से एन0एस0डी0एल0 को हस्तांतरित की जाए।
- परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। सभी अधूरी परियोजनाओं के संशोधित अनुमानों को प्राथमिकता के आधार पर तैयार और अनुमोदित किया जाना चाहिए ताकि इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक निधियों का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके।
- ऐसी संस्थाओं में कोई निवेश नहीं किया जाना चाहिए जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधार लागत को भी पूरा नहीं करता है। इसी तरह, उन संस्थाओं को कोई ऋण नहीं दिया जाना चाहिए जिनके लेखे बकाया थे।
- ऋणों के पुनर्गठन पर ध्यान देना चाहिए ताकि ब्याज भुगतान बजटीय राजकोषीय घाटे के लक्ष्य के भीतर आ सके।

अध्याय–III
बजटीय प्रबंधन

यह अध्याय, निधियों का विचलन किए बिना नीतिगत निर्णयों के प्रशासनिक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हुए अनुपूरक अनुदानों सहित बजटीय प्रक्रिया एवं आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं की प्रमाणिकता, पारदर्शिता और प्रभावशीलता तथा आनुषंगिक वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करता है। यह विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं विनियोग के अनुदान-वार विवरणी एवं सेवा प्रदाय विभागों द्वारा इन आवंटित संसाधनों के प्रबंधन की शैली को प्रदर्शित करता है। इसमें उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ अन्य विशिष्ट बजट का विस्तृत विश्लेषण भी शामिल है।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट की वार्षिक प्रक्रिया सार्वजनिक संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये विस्तृत रोडमैप प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। वित्त विभाग द्वारा बजट परिपत्र जारी किये जाने के साथ ही बजट प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें शामिल निर्देशों को वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित अनुमान और अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट अनुमानों की तैयारी किये जाने हेतु सभी विभागों द्वारा अनुपालन करना होता है। यह सामान्य रूप से हर साल अगस्त-सितंबर में होता है जैसा कि बिहार बजट मैनुअल में निर्धारित है।

राज्य ने 01 अप्रैल, 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध एकीकरण हेतु व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के रूप में एक परियोजना शुरू की थी जिसने वर्तमान व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) को प्रतिस्थापित किया है। बजट की तैयारी सी0एफ0एम0एस0 के तहत बजट प्रबंधन के उप-अनुखंडों में से एक है।

विधायी प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार के व्यय हेतु अनिवार्य शर्त है। राज्य सरकार ने वित्तीय नियमों का निर्माण करते हुए प्रतिबंधित सीमा के अधीन व्यय के विनियोग/पुनर्विनियोग की स्वीकृति देने हेतु सक्षम प्राधिकार को निर्धारित करते हुए वित्तीय शक्तियों को प्रायोजित किया है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त, पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अन्दर राशि का पुनः आवंटन करने के लिए भी किया जा सकता है। दो विभागों में बजट प्रक्रिया की समीक्षा पर चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

राज्य में एक विशिष्ट बजट तैयार करने की प्रक्रिया चार्ट 3.1 में दी गई है।

चार्ट 3.1: बजटीय प्रक्रिया



3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम द्वारा बजट के दोनों मदों, भारत और दत्तमत के रूप में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्षण, बचत तथा पुनर्विनियोगों को अलग-अलग दर्शाता है एवं विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत और राजस्व व्यय को इंगित करता है। इस प्रकार, विनियोग लेखे निधि के उपयोग, वित्त के प्रबंधन और बजटीय प्रावधानों की निगरानी को समझना सुगम करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक विनियोग लेखे के लेखापरीक्षा से यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न अनुदानों के तहत किया गया व्यय वास्तव में विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकार के अनुरूप है अथवा नहीं और ऐसे व्यय जिसे संवैधानिक प्रावधानों (अनुच्छेद 202) के तहत भारत किये जाने की आवश्यकता है उसे निर्दिष्ट प्रकार से प्रभारित किया गया है। इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि किया गया व्यय कानूनों, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.2.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश

कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत की सारभूत स्थिति को दत्तमत और भारत के रूप में विभाजित करते हुए नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 3.1: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत


(₹ करोड़ में)

	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
राजस्व	1,79,213.40	14,194.83	1,28,879.35	12,686.51	50,334.05	1,508.32
पूँजीगत	45,061.06	7,053.33	19,469.07	6,880.47	25,591.99	172.86
कुल	2,24,274.46	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18
	2,45,522.62		1,67,915.40		77,607.22	

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

बजट के विभिन्न घटकों को नीचे दिए गए चार्ट 3.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.2: बजट के घटक



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विस्तृत विनियोग लेखे)

जैसा कि उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने कुल प्रावधान के विरुद्ध 68.39 प्रतिशत का व्यय किया था परिणामतः 31.61 प्रतिशत का बचत हुआ जो बजट तैयार करने की त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया को इंगित करता है। अनुपूरक प्रावधान (₹ 33,761.12 करोड़) पूर्णतः अनावश्यक थे, क्योंकि व्यय मूल

प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था। वित्त विभाग ने लेखापरीक्षा मंतव्य को स्वीकार करते हुए इस बात की पुष्टि की कि यह बचत, वास्तविक धन/नकद की बचत न होकर केवल बजट प्रावधान की बचत है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया में, राज्य सरकार ने कुछ विशिष्ट बजट जैसे कि परिणाम बजट, जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया। परिणाम बजट 2020-21 के संबंध में उपलब्धि प्रतिवेदन भी तैयार कर विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

इन बजटों एवं उपलब्धि प्रतिवेदन का एक-दूसरे के साथ तथा विनियोग लेखे के साथ विश्लेषण किया गया एवं उसके परिणामों पर चर्चा इस प्रतिवेदन के अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.2.2 भारत एवं दत्तमत संवितरण

पिछले पांच वर्षों (2016-21) के दौरान भारत और दत्तमत में किये गये कुल संवितरण का विवरण तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: 2016-21 के दौरान भारत और दत्तमत व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य		कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध बचत (प्रतिशत में)	
	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत	दत्तमत	भारत
2016-17	1,55,825.73	13,525.86	1,14,849.67	13,148.65	40,976.08	377.23	26.30	2.79
2017-18	1,72,021.43	15,322.52	1,26,263.69	14,683.63	45,757.76	638.90	26.60	4.17
2018-19	1,90,375.36	19,114.48	1,42,022.79	18,294.88	48,352.56	819.60	25.40	4.29
2019-20	2,08,629.14	19,858.04	1,30,506.24	19,135.68	78,122.90	722.36	37.45	3.64
2020-21	2,24,274.46	21,248.16	1,48,348.42	19,566.98	75,926.04	1,681.18	33.85	7.91

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 77,607.22 करोड़ की कुल बचत वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 33,761.12 करोड़ के अनुपूरक बजट से 2.30 गुना अधिक थी।

आवंटित निधियों में बचत की बड़ी मात्रा आवश्यकता के गलत आकलन के साथ-साथ अभीष्ट उद्देश्य के लिए निधियों का उपयोग करने की अपर्याप्त क्षमता दोनों को दर्शाती है।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा

बजटीय सम्पूर्णता का अर्थ 'सार्वजनिक धन को जनहित के अनुसार उपयुक्त रूप से व्यय किया जाना' है। बजट विश्वसनीय होना चाहिए एवं राजकोषीय और वित्तीय प्रतिवेदन में निहित सूचनाएँ भरोसेमंद होनी चाहिए। बजट की प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता अंततः व्यय को वास्तविक रूप से नियोजित करने, अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को ससमय और कुशलतापूर्वक लागू करने की विभाग की क्षमता पर निर्भर करेगी।

3.3.1 विनियोग अधिनियम/विस्तृत अनुदानों की मांग द्वारा अधिदिष्टी के बिना (लोक लेखे/ बैंक खातों में) अंतरण

यह देखा गया कि निधियों को बजट में प्रावधान के पश्चात व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग को भेजी गयी। विभाग द्वारा समग्र प्रावधानित राशि तत्काल उपयोग के लिए आवश्यक न होने पर भी आगे के भुगतान/निष्पादन के लिए इसे निर्धारित बैंक खाते में जमा करने हेतु आहरित कर लिया गया।

यह भी देखा गया कि कुल व्यय में से पूंजीगत व्यय का 57 प्रतिशत, ऋण और अग्रिम के अंतर्गत होने वाले व्यय का 54 प्रतिशत और राजस्व व्यय का नौ प्रतिशत सिविल जमा और स्थानीय निधियों के खातों में जमा किया गया। जिन शीर्षों द्वारा जमा लेखे (मुख्य शीर्ष-8448 और 8443) में निधियों का अंतरण हुआ उनका विवरण तालिका 3.3 में दिखाया गया है।

तालिका 3.3: मुख्य शीर्ष 8443 एवं 8448 में अंतरित निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	मुख्य शीर्ष-8448 में अंतरित		मुख्य शीर्ष -8443 में अंतरित	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
प्राप्तियाँ	76.67	276.69	0	0
राजस्व व्यय	8,456.84	11,876.36	248.79	538.88
पूँजीगत व्यय	11,485.31	9,166.60	893.12	1,330.20
ऋण एवं अग्रिम	609.38	605.79	0	0
लोक लेखे	9,158.00	11,824.36	162.44	283.74
योग	29,786.50	33,750.20	1,304.35	2,152.85

(स्रोत: वीएलओसीओ डाटा)

विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत न होने के पश्चात् भी राज्य की संचित निधि से लोक लेखे के शीर्षों में निधियों का अंतरण बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए किया गया। साथ ही यह वित्तीय वर्ष में किये गये व्यय को भी बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करता है।

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार, विनियोग अधिनियम द्वारा वर्ष के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग चालू वित्त वर्ष के दौरान किया जा सकता है।

जब ऐसे अतिरिक्त व्यय जो कि अपरिहार्य हो, और उसकी प्रतिपूर्ति के लिए उस अनुदान में अतिरिक्त राशि के बचत होने की कोई संभावना न हो जिसे पुनर्विनियोग के माध्यम से पूरा किया जा सके, तब संबंधित विभाग के सचिव वित्त विभाग को अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोजन के लिए प्रस्ताव रखते हैं जिसे बाद में अनुपूरक बजट के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 44 मामलों (35 अनुदानों/विनियोगों) में, ₹ 17,855.06 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूर्णतः अप्रयुक्त रहे क्योंकि व्यय (₹ 1,10,142.09 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,50,136.86 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था जैसा कि परिशिष्ट 3.1 में वर्णित है।

तथापि, सात महत्वपूर्ण मामलों में जहाँ ₹ 14,417.74 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1,000 करोड़ और उससे अधिक) का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुआ, नीचे तालिका 3.4 में दिखाया गया है।

तालिका 3.4: मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹ 1,000 करोड़ या उससे अधिक के मामले) अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)
राजस्व (दत्तमत)						
1	16. पंचायती राज विभाग	23	10,135.21	2,462.63	8,236.01	1,899.20
2	20. स्वास्थ्य विभाग	93	9,129.43	2,284.93	8,520.45	608.98

क्रम सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	योजनाओं की संख्या	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में हुई बचत
1	2	3	4	5	6	7 (4-6)
3	21. शिक्षा विभाग	144	33,950.48	3,177.54	26,401.69	7,548.79
4	42. ग्रामीण विकास विभाग	26	15,940.28	1,890.75	9,299.16	6,641.12
5	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	64	7,163.72	2,179.48	5,590.39	1,573.33
(क) कुल राजस्व (दत्तमत)			76,319.12	11,995.33	58,047.70	18,271.42
पूँजीगत (दत्तमत)						
6	41. पथ निर्माण विभाग	13	5,068.75	1,346.84	3,203.88	1,864.87
7	49. जल संसाधन विभाग	14	2,957.74	1,075.57	1,956.17	1,001.57
(ख) कुल पूँजीगत (दत्तमत)			8,026.49	2,422.41	5,160.05	2,866.44
कुल योग (क+ख)			84,345.61	14,417.74	63,207.75	21,137.86

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

लेखापरीक्षा ने विश्लेषण में पाया कि संबंधित अनुदानों में व्यय प्रथम अनुपूरक बजट के समय मूल प्रावधान का 5.23 से 45.01 प्रतिशत तक और द्वितीय अनुपूरक बजट के समय व्यय 41.46 से 53.30 प्रतिशत तक था जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है-

तालिका 3.5: अनुपूरक प्रावधान जो अनावश्यक साबित हुआ

(₹ करोड़ में)

अनुदान संख्या	मूल प्रावधान	जुलाई 2020 तक का व्यय	मूल प्रावधान का व्यय प्रतिशत	प्रथम अनुपूरक (अगस्त 2020)	जनवरी 2021 तक व्यय	मूल प्रावधान का व्यय प्रतिशत	द्वितीय अनुपूरक (फरवरी 2021)	मार्च 2021 तक कुल व्यय	मूल प्रावधान का व्यय प्रतिशत
16	10,615.21	4,778.10	45.01	501.80	5,114.67	48.18	1,960.83	8,402.41	79.15
20	10,937.68	1,982.47	18.13	4.50	5,829.73	53.30	2,280.43	9,166.77	83.81
21	35,191.05	1,842.03	5.23	2,166.40	18,299.18	52.00	1,241.22	26,813.75	76.19
41	6,706.11	1,287.79	19.20	1,650.00	3,570.04	53.24	470.00	4,894.40	72.98
42	15,955.29	3,609.21	22.62	-	7,731.55	48.46	1,890.76	9,314.16	58.38
48	7,213.72	1,189.17	16.48	-	3,049.02	42.27	2,379.48	5,640.39	78.19
49	4,053.16	617.25	15.23	-	1,680.42	41.46	1,075.57	2,770.48	68.35

(स्रोत: वी0एल0सी0 डाटा)

मूल प्रावधान के विरुद्ध बचत होने के बावजूद, कई अनुदानों में इस प्रकार के अविवेकपूर्ण अनुपूरक बजट आवंटन से अन्य विभागों को निधि की कमी हुई, जो वित्तीय वर्ष के अंत में देयताओं के संचय और अपूर्ण योजनाओं की एक विस्तृत सूची से स्पष्ट है।

3.3.3 अनावश्यक और अत्यधिक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन का अर्थ, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा, विनियोग की एक इकाई से बचत का उसी अनुदान अथवा भारित विनियोग के अंतर्गत किसी अन्य इकाई में अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए किया गया अंतरण है। इस प्रकार सरकार को निर्धारित सीमाओं और प्रतिबंधों के अधीन, एक उद्देश्य के लिए मूल प्रावधान को एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई से दूसरी इकाई में पुनर्विनियोजन की अनुमति है।

विस्तृत विनियोग लेखे 2020-21 की जांच से पता चला है कि:

- 12 अनुदानों/विनियोगों के तहत 29 विस्तृत शीर्षों में ₹ 395.41 करोड़ का पुनर्विनियोजन अनावश्यक (पुनर्विनियोजन की आवश्यकता नहीं) साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक) ₹ 749.71 करोड़ (परिशिष्ट 3.2) थी।

- 13 अनुदानों/विनियोगों के तहत 18 विस्तृत शीर्षों में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रदान किए गए ₹ 1,356.49 करोड़, ₹ 702.01 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख से अधिक) की बचत को देखते हुए अत्यधिक (पुनर्विनियोजित राशि वास्तव में आवश्यकता से अधिक) साबित हुए (**परिशिष्ट 3.3**)। यह वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन किए बिना अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन को इंगित करता है।
- सात अनुदानों/विनियोगों के तहत 15 मामलों में ₹ 81.06 करोड़ की राशि पुनर्विनियोजित की गई थी जिसके लिए 31 मार्च, 2021 को पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.4** में दर्शाया गया है। बिना किसी विशिष्ट कारण के पुनर्विनियोजन अपर्याप्त व्यय नियंत्रण तंत्र को इंगित करता है।

पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से प्रावधान को बढ़ाना अनावश्यक/अत्यधिक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल/अनुपूरक बजट प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

3.3.4 अव्ययित राशि, अभ्यर्पित विनियोग और/या वृहत् बचत/अभ्यर्पण

प्रशासनिक और वित्त विभागों को अनुमानों की गणना में, गणना को प्रभावित कर सकने वाले, ज्ञात या यथोचित निकट तथ्यों के साथ पिछले वास्तविक के औसत से सिद्ध और अच्छी तरह से परखे जा चुके नियंत्रण को सख्ती से लागू करना चाहिए।

वर्ष 2020-21 के दौरान, 37 अनुदानों से संबंधित दत्तमत और भारित व्यय के अधीन बचत के 56 मामले, प्रत्येक ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक, जिसकी कुल राशि ₹ 76,654.30 करोड़ (कुल प्रावधान ₹ 2,34,933.75 करोड़ का 32.63 प्रतिशत) थी, जैसा कि **परिशिष्ट 3.5** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 41 अनुदानों में कुल अनुदान और व्यय के बीच 20 प्रतिशत या उससे अधिक की महत्वपूर्ण भिन्नता थी, जिससे ₹ 74,887.52 करोड़ (₹ 1,92,265.37 के कुल प्रावधान का 39 प्रतिशत) की भारी बचत हुई। विनियोग लेखों में इन भिन्नताओं के कारणों को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया है (**परिशिष्ट 3.6**)।

विगत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक के बचतों वाले प्रत्येक अनुदानों/विनियोगों की जाँच से पता चला की 27 अनुदानों से संबंधित 32 मामलों में कुल ₹ 37,502.92 करोड़ और अधिक की सतत बचत हुई जैसा कि **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

सतत बचत यह संकेत करती है कि बजट आवंटन पिछले वर्षों के व्यय पर विचार किए बिना किया गया था। वर्ष 2020-21 में बजट के 50 प्रतिशत से कम उपयोग को **तालिका 3.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.6: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग (2016-21)

क्रम सं०	अनुदान सं०	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की सं०*
1	1	57.38 (2,896.81)	56.02 (3,020.80)	56.53 (3,306.88)	59.48 (3,618.84)	43.63 (3,435.02)	1
2	3	50.78 (3,505.87)	51.50 (5,054.69)	72.75 (4,445.14)	29.78 (5,988.35)	29.1 (5,402.78)	2
3	4	78.95 (661.78)	60.02 (486.62)	62.03 (378.35)	49.19 (618.89)	35.41 (512.78)	2
4	5	78.57 (17.45)	70.42 (20.08)	84.69 (22.47)	4.31 (30.89)	0.71 (29.63)	2
5	8	64.99 (125.94)	70.63 (137.55)	67.68 (139.12)	60.96 (155.65)	43.19 (170.87)	1

क्रम सं०	अनुदान सं०	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	वर्षों की सं०*
6	11	61.20 (2,387.86)	79.66 (1,537.96)	77.53 (1,567.53)	88.22 (1,605.96)	24.05 (1,719.06)	1
7	12	87.16 (875.62)	86.53 (994.2)	92.20 (1,630.85)	77.25 (2,130.03)	16.41 (5,277.78)	1
8	18	49.20 (2,166.03)	50.05 (2,422.47)	79.09 (1,406.24)	50.25 (1,405.41)	32.33 (2,251.88)	2
9	23	77.53 (858.50)	73.35 (932.55)	85.01 (742.85)	46.78 (930.47)	48.09 (966.03)	2
10	30	87.52 (425.05)	50.68 (651.07)	57.59 (459.70)	48.98 (510.22)	44.94 (627.00)	2
11	37	94.55 (9,410.50)	68.71 (11,285.05)	34.37 (11,509.34)	29.41 (12,067.97)	44.67 (11,638.89)	3
12	40	54.30 (848.00)	62.92 (896.46)	67.68 (819.20)	57.80 (971.91)	47.49 (1,407.49)	1
13	45	66.54 (274.71)	41.96 (220.22)	67.48 (251.11)	65.53 (218.24)	39.20 (119.78)	2
14	46	19.34 (784.65)	83.84 (173.00)	43.72 (168.76)	16.23 (314.74)	18.22 (309.53)	4

(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)


* 50 प्रतिशत से कम उपयोग वाले वर्षों की संख्या; कोष्ठक में आंकड़े वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित बजट को ₹ करोड़ में दर्शाते हैं

इन 14 अनुदानों में से दो अनुदान ऐसे थे जिनमें बजट का उपयोग पिछले पांच वर्षों में तीन या उससे अधिक बार 50 प्रतिशत से कम था। बिहार सरकार ने पिछले वर्षों में विभागों द्वारा व्यय की गई बजटीय राशि के प्रतिशत का संज्ञान नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप बजट अनुमान बढ़ा हुआ और अवास्तविक था। उदाहरणस्वरूप, अनुदान संख्या 37 के लिए, बजटीय राशि 2016-17 में ₹ 9,410.50 करोड़ से बढ़कर 2019-20 में ₹ 12,067.97 करोड़ हो गई, बावजूद इसके कि वास्तविक व्यय इन वर्षों में 94.55 प्रतिशत से गिरकर 29.41 प्रतिशत हो गया। यहां तक कि 2020-21 में बजट में कमी वास्तविक व्यय के प्रतिशत के अनुरूप नहीं थी। यह भी देखा गया कि अनुदान संख्या 37 (ग्रामीण कार्य विभाग) के तहत अधिकांश बचत मुख्य रूप से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना जैसी पूंजीगत योजनाओं के तहत हुई। अनुदान संख्या 46 (पर्यटन विभाग) के तहत प्रमुख बचत पूंजीगत योजना मुख्य शीर्ष 'पर्यटन संरचनाओं का विकास' के तहत प्रदर्शित हुई।

वर्ष 2020-21 में अभ्यर्पित राशि की जांच (प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ और अधिक) से पता चला है कि 15 अनुदानों के तहत ₹ 12,836.85 करोड़ का अभ्यर्पण था। 13 अनुदानों के तहत अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था जो निधियों के गलत आकलन को दर्शाता है। अनुदानवार विवरण **परिशिष्ट 3.8** में प्रदर्शित है।

यह स्पष्ट है कि विभाग अपने मूल बजट प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहे जिसने अनुपूरक प्रावधान को निरर्थक कर दिया। अन्य तीन अनुदानों में अभ्यर्पित राशि अनुपूरक प्रावधानों से भी अधिक थी। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया है कि अनुदान संख्या 3, 12 और 18 के अंतर्गत आने वाले विभाग, जो मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय करने के लिए उत्तरदायी हैं, उनके मूल बजट प्रावधानों के 70 प्रतिशत से अधिक की बचत को दर्शाता है। **चार्ट 3.3** में वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी कुल बचत के साथ-साथ बचत के प्रतिशत द्वारा समूहित अनुदानों/विनियोगों की संख्या को दर्शाया गया है।

चार्ट 3.3: कुल बचत के साथ बचत के प्रतिशत के आधार पर समूहीकृत अनुदानों/विनियोगों की संख्या




(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

उपरोक्त चार्ट से पता चलता है कि 51 में से 14 अनुदानों में 50 प्रतिशत से अधिक बचत हुई थी जिसमें तीन अनुदानों में उनके बजट प्रावधानों का 80 प्रतिशत से अधिक बचत थी। इसलिए, राज्य को अपनी बजटीय प्रणाली की जांच करनी चाहिए, क्योंकि 33 प्रतिशत अनुदान उनके बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत से अधिक बचत को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण चार्ट 3.4 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.4: वित्तीय वर्ष 2020-21 के समाप्ति से पहले बचत और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

बिहार बजट संहिता के कंडिका 104 के अनुसार, अतिरिक्त व्यय जो निश्चित रूप से पूर्वानुमानित नहीं थे अथवा सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित नहीं थे, उनको पूरा करने के लिए बचत में से कोई राशि रिजर्व में नहीं रखी जानी चाहिए। बचत का अभ्यर्पण चालू वर्ष के 15 फरवरी तक कर दिया जाना चाहिए। असाधारण मामलों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक प्रस्तुत किया जा सकता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारित प्रावधानों का व्यापक उल्लंघन करते हुए 15 फरवरी के बाद ₹ 6,216.76 करोड़ का वृहद अभ्यर्पण किया गया, जिसने अन्य विभागों को निधि से वंचित किया, जिसका वे उपयोग कर सकते थे।

3.3.5 पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान

सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्थान अथवा व्यक्तियों को दिये गये भुगतान हैं जो सहायता, दान अथवा अंशदान की प्रकृति के होते हैं। सहायता अनुदान किसी संस्था को विशिष्ट उद्देश्य के लिए सहायता के प्रयोजनार्थ दिया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों का निर्माण भी शामिल है। आई0जी0ए0एस0-2 के अनुसार, उन मामलों को छोड़कर जहाँ भारत के नि0म0ले0प0 की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत न किया गया हो, किसी ग्रान्टर द्वारा ग्रांटी को संवितरित सहायता अनुदान को सहायता अनुदान की प्रकृति पर ध्यान दिए बिना राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत एवं लेखांकित किया जाना है।

वित्त लेखे 2020-21 के परिशिष्ट-III के अनुसार, 2020-21 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में जारी कुल धनराशि ₹ 54,928.98 करोड़ थी, जिनमें से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आवंटित धनराशि ₹ 10,273.35 करोड़ (18.70 प्रतिशत) थी।

3.3.6 अधिकाई व्यय और उसका नियमन

संविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सेवा पर कोई धनराशि उस वित्तीय वर्ष में उस सेवा के लिए दी गई राशि से अधिक व्यय की गई है, तो राज्यपाल इस आधिक्य की मांग हेतु राज्य की विधानसभा में इसे प्रस्तुत करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि, राज्य सरकार वित्तीय वर्ष में अनुदानों/विनियोगों में प्रावधान से आधिक्य व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनिवार्य रूप से नियमन करायेगी।

यद्यपि, इस अनुच्छेद के अन्तर्गत अधिकाई व्यय के नियमन की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे पर चर्चा पूरी होने के बाद अधिकाई व्यय का नियमन किया जाता है। ऐसा करने में विफल होना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है और लोकनिधि के उपयोग पर विधायिका द्वारा कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य को विफल करती है।

संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पशुपालन विभाग के अंतर्गत 1987-88 से 1996-97 की अवधि से संबंधित ₹ 657.98 करोड़ के अधिकाई व्यय के 10 मामले विचाराधीन थे और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 1989-90 के एक मामले में ₹ 0.35 करोड़ की राशि का नियमितीकरण 31 मार्च 2021 तक नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 2019-20 में ₹ 2.30 करोड़ का एक मामला सामने आया था।

3.4 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणी

विभागों में बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए प्रबंधन को बजटीय नियंत्रण प्रणाली की समस्याओं को हल करने के उपाय करने चाहिए। साथ ही, सरकारों को अपने बजटीय नियंत्रण प्रणाली के प्रत्येक कार्यनिष्पादन संकेतक के लिए वार्षिक उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए ताकि विभाग प्रत्येक संकेतक के लिए निर्धारित वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें।

3.4.1 बजट प्रक्षेपण और अपेक्षा एवं वास्तविकी के बीच का अंतर

कर प्रबंधन/अन्य प्राप्तियों और सार्वजनिक व्यय का कुशल प्रबंधन विभिन्न वित्तीय संकेतकों की प्राप्ति को संतुलित रखता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट (मूल/अनुपूरक) प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 3.7 में दर्शायी गयी है।

तालिका 3.7: वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की सारभूत स्थिति

(₹ करोड़ में)

व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि	मार्च 2021 में अभ्यर्पित की गई राशि	मार्च 2021 में अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता (कॉलम 8/ कॉलम 6*100)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
दत्तमत	I- राजस्व	1,50,590.33	28,623.07	1,79,213.40	1,28,879.35	50,334.05	5,988.17	965.92	1.92
	II- पूँजी	38,744.58	4,586.92	43,331.50	18,355.09	24,976.41	6,106.26	28.03	0.11
	III- ऋण और अग्रिम	1,230.44	499.12	1,729.56	1,113.98	615.58	0.00	0.00	0.00
	कुल दत्तमत	1,90,565.35	33,709.11	2,24,274.46	1,48,348.42	75,926.04	12,094.43	993.95	1.31
प्रभारित	IV- राजस्व	14,160.88	33.95	14,194.83	12,686.51	1,508.32	972.90	0.39	0.03
	V- पूँजी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI- सार्वजनिक ऋण अदायगी	7,035.27	18.06	7,053.33	6,880.47	172.86	0.00	0.00	0.00
	कुल प्रभारित	21,196.15	52.01	21,248.16	19,566.98	1,681.18	972.90	0.39	0.03
कुल योग	2,11,761.50	33,761.12	2,45,522.62	1,67,915.40	77,607.22	13,067.33	994.34	1.28	

टिप्पणी: व्यय में ₹ 2,072.41 करोड़ की राशि के राजस्व व्यय की वसूली / वापसी और ₹ 146.50 करोड़ के पूँजीगत व्यय की वसूली को व्यय में कमी के रूप में समायोजित किया गया है।

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)


उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष के दौरान ₹ 2,45,522.62 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1,67,915.40 करोड़ (68.39 प्रतिशत) का व्यय हुआ। यह दर्शाता है कि ₹ 33,761.12 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान परिहार्य था यद्यपि व्यय मूल प्रावधान (₹ 2,11,761.50 करोड़) के स्तर तक भी नहीं आया था।

₹ 77,607.22 करोड़ (31.61 प्रतिशत) की समग्र बचत, राजस्व खंड के अन्तर्गत 46 अनुदानों तथा आठ विनियोगों में ₹ 51,842.37 करोड़ की बचत तथा पूँजीगत खंड के अन्तर्गत ऋण तथा अग्रिम भाग के सात अनुदानों तथा लोक ऋण पुनर्भुगतान के एक अनुदान सहित 34 अनुदानों में ₹ 25,764.85 करोड़ की बचत के परिणामस्वरूप हुई।

₹ 77,607.22 करोड़ के कुल बचत में से केवल 16.84 प्रतिशत (₹ 13,067.33 करोड़) का अभ्यर्पण वर्ष के दौरान हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 64,539.89 करोड़ के बचत (कुल बचत के 83.16 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। कुल बचत अनुपूरक प्रावधान से 229.87 प्रतिशत अधिक थी। बजट में समग्र प्रावधान के सापेक्ष समग्र बचत और आधिक्य के प्रतिशत की प्रवृत्ति चार्ट 3.5 में दिखाया गया है।

चार्ट 3.5: 2016-17 से 2020-21 के दौरान बजट का उपयोग

(₹ करोड़ में)



(स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे)

प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चलता है कि विनियोग से संबंधित कुल बचत पिछले पाँच वर्षों के दौरान 23.47 प्रतिशत से 34.51 प्रतिशत था, जो महत्वपूर्ण है। यह गलत अनुमान तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने में योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है।

इसके अलावा, 47 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 532 विस्तृत लेखा शीर्षों में ₹ 12,155.10 करोड़ के संपूर्ण प्रावधान का उपयोग नहीं किये जाने के मामले थे। इन मामलों में से 26 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 102 मामलों में ₹ 11,646.15 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ और अधिक) के कुल प्रावधान अप्रयुक्त थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.9** में वर्णित है। निधियों का उपयोग न होने से पता चलता है कि बजट को या तो उचित दूरदर्शिता के बिना तैयार किया गया था या कार्यक्रम के क्रियान्वयन में गंभीर चूक हुई थी।

3.4.2 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए उनका वास्तविक वित्त पोषण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत समाज कल्याण एवं अन्य योजनाओं से संबंधित, प्रमुख नीतियों की घोषणा बजट में की गयी। इस विषय पर 44 में से 14 विभागों ने जवाब दिया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभागों द्वारा कुछ प्रमुख नीतिगत पहल की गई थी परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी जैसा की नीचे **तालिका 3.8** में वर्णित है।

तालिका 3.8: नीतियाँ जिनके लिए प्रावधान किया गया परन्तु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	योजना का नाम	बजट	संशोधित	व्यय
			प्राक्कलन	प्राक्कलन	
1	मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन	इंटीग्रेटेड एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम	4.00	4.00	0.00
2	अल्पसंख्यक कल्याण	मुस्लिम परित्यक्त महिलाओं को वित्तीय सहायता	2.00	2.00	0.00
3		मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम (आय-सह-मेधा, प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप)	1.00	1.00	0.00
4		राज्य योजना भवन	2.50	2.50	0.00
5	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	40.00	40.00	0.00
6		पोस्ट मैट्रिक वजीफा	60.00	60.00	0.00
7		अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की शेयर पूंजी	4.00	4.00	0.00
8		अनुसूचित जाति के विकास की योजना	1.45	1.45	0.00
9		अनुसूचित जाति के विकास की योजना	4.25	4.25	0.00
10		अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए भवन	3.00	3.00	0.00
11	गन्ना उद्योग	शेष परिव्यय	15.22	15.22	0.00

(स्रोत: विभागों से प्राप्त आँकड़े)

विभागों द्वारा प्राक्कलनों में संशोधन का कारण सूचित नहीं किया गया है। यह लाभार्थियों को उद्दिष्ट लाभ से वंचित करता है। ऐसी योजनाओं में बचत अन्य विभागों को निधि से वंचित करता है, जिनका वे उपयोग कर सकते थे।

3.4.3 पुनर्विनियोग के संबंध में वित्तीय शक्ति का उल्लंघन


किसी वर्ष के अनुदान या विनियोगों के भीतर अनुज्ञेय पुनर्विनियोगों को वर्ष के भीतर ही किसी समय स्वीकृत किया जाना चाहिए लेकिन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि एक मामले में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अप्रैल (08.04.2021) में पुनर्विनियोग के लिए अनुरोध किया और वित्त विभाग ने निर्धारित प्रावधान के विरुद्ध ₹ 5.47 करोड़ की राशि के लिए मई (06.05.2021) में अपनी मंजूरी दी।

3.4.4 सघन व्यय

बिहार बजट संहिता (बी0बी0एम0) यह निर्धारित करता है कि जब तक कि अपरिहार्य न हो विलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज किया जाय। वर्ष के अंत में किसी संवितरण अधिकारी के व्याधीन राशि अक्सर फिजूलखर्ची और सघन व्यय को आमंत्रित करती है। बजटीय नियंत्रण की प्राथमिक आवश्यकता सुनिश्चित करने के लिए व्यय का एक समान प्रवाह आवश्यक है।

लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि 13 विभागों में, अंतिम तिमाही के दौरान व्यय (₹ 14,838.40 करोड़) तथा मार्च 2021 में व्यय (₹ 9,837.20 करोड़), वर्ष के दौरान कुल व्यय (₹ 25,151.25 करोड़) का क्रमशः 59 प्रतिशत और 39.11 प्रतिशत थे जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में विस्तृत है। मार्च 2021 में 29 अनुदानों के 87 विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत कुल मूल प्रावधान ₹ 7,583.75 करोड़ (प्रत्येक एक करोड़ रुपये एवं अधिक के मामले) के व्यय के प्रकरण थे जैसा की **परिशिष्ट 3.11** में विस्तृत है। हालांकि, पूरे विनियोग के लिए, मार्च 2021 में व्यय कुल व्यय का 20 प्रतिशत था जबकि मार्च 2021 में प्राप्तियाँ कुल प्राप्तियों की 25 प्रतिशत थी। वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और व्यय की माहवार प्रवृत्ति **चार्ट 3.6** में दिखाई गई है।


चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मासिक प्राप्तियाँ और व्यय



(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक व्यय प्रतिवेदन तथा मासिक सिविल लेखे)

इसके अतिरिक्त, **परिशिष्ट 3.10** दर्शाता है कि मार्च 2021 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अधिकतम 96.96 प्रतिशत (₹ 400.85 करोड़) का व्यय हुआ था, परंतु कुल व्यय की गई राशि के आधार पर, मार्च 2021 में शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा ₹ 2,590.56 करोड़ का अधिकतम व्यय किया गया था जबकि मूल बजट प्रावधान ₹ 7,213.72 करोड़ और अनुपूरक प्रावधान ₹ 2,379.48 करोड़ (फरवरी 2021) उपलब्ध था तथा विभाग का कुल वास्तविक व्यय केवल ₹ 5,640.39 करोड़ था। मासिक व्यय नीचे **चार्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

चार्ट 3.7: मार्च में व्यय की अधिकता को इंगित करता शहरी विकास एवं आवास विभाग का माहवार व्यय



(स्रोत: वर्ष 2020-21 का मासिक व्यय प्रतिवेदन)


लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च महीने में ₹ 2.42 करोड़ की राशि लोक लेखे में अंतरित की गई थी। इस प्रकार वर्ष के अंतिम भाग/दिन में विभाग द्वारा वृहत राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन एवं प्रभावी व्यय नियंत्रण के अभाव को दर्शाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय वित्तीय औचित्य का उल्लंघन है।

3.4.5 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम 1950 के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई थी।

बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम 2015 के द्वारा बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2020 से 30 मार्च 2021 की अवधि के लिए निधि के कोष को अस्थायी रूप से ₹ 350 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 8,470.45 करोड़ कर दिया। यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा एवं भूकम्प तथा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित वैसे परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए, जिसके लिए बजट प्रावधान न किया गया हो एवं व्यय को तत्काल किया जाना हो, के लिए था। बढ़ाई गई कुल राशि के पचास प्रतिशत का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पुनर्वास के उपायों के लिए किया जाना था। यह देखा गया कि राज्य सरकार द्वारा आकस्मिकता निधि से ₹ 5,825.42 करोड़ की राशि के 65 आहरण किये गये थे जिसमें से कुल ₹ 2,335.72 करोड़ (40.10 प्रतिशत) के 32 आहरण गैर-आकस्मिक व्यय के लिए किया गया जैसा कि परिशिष्ट 3.12 में विस्तृत है।

चार्ट 3.8: आकस्मिक निधि से गैर आकस्मिक व्यय



(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

इस प्रकार, एक नियमित बजट में धनराशि का प्रावधान करने के बजाय, इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आकस्मिक निधि से स्वीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त, आकस्मिकता निधि के विश्लेषण से पता चला कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान न केवल प्राकृतिक आपदाओं पर राहत और भारत सरकार द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के राज्यांश को पूरा करने के लिए परंतु गैर-आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय के लिए भी अस्थायी आधार पर इसे नियमित रूप से बढ़ाया जाता रहा है। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के दौरान प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय आकस्मिकता निधि से आहरित निधि का 34.52 से 78.77 प्रतिशत था जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: आकस्मिकता निधि से प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	वर्ष	आकस्मिकता निधि से कुल व्यय	प्राकृतिक आपदाओं पर व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
1	2016-17	4,416.63	1,524.42	34.52
2	2017-18	4,949.21	3,898.33	78.77
3	2018-19	4,353.49	1,725.00	39.62
4	2019-20	3,529.76	2,332.00	66.07
5	2020-21	5,825.42	2,925.53	50.22

(स्रोत: वित्त विभाग के अभिलेख)

वित्त विभाग पर उपरोक्त नियमित व्यय के लिए बजटीय प्रावधान करने और इसे वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में अपेक्षित पूर्व विधायी अनुमोदन प्राप्त करने का दायित्व था।

आकस्मिकता निधि का उपयोग संवैधानिक उपबंधों के विरुद्ध एक अग्रदाय खाते के रूप में किया जा रहा है।

3.5 बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणी

बजटीय पारदर्शिता से तात्पर्य सभी प्रासंगिक वित्तीय सूचनाओं का समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण प्रकटीकरण और सरकारी राजस्व, आवंटन और व्यय पर सटीक सूचना प्रदान करना है। इस संदर्भ में, बिहार सरकार ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) की शुरुआत (01 अप्रैल 2019) की।

बजट को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2020–21 के बजट के साथ परिणाम बजट, जेन्डर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया ताकि उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक निधियों का उनको आवंटन किया जा सके तथा लेखांकन एवं उपलब्धियों को अधिक विश्वसनीय बनाया जा सके। बजट 2020–21 के संदर्भ में एक उपलब्धि प्रतिवेदन भी तैयार कर विधानमंडल के पटल पर रखा गया था।

बजट दस्तावेजों के तुलनात्मक अध्ययन/विश्लेषण से पता चला कि मुख्य बजट में शामिल कुल 2483 योजनाओं के मुकाबले “परिणाम बजट” में केवल 1284 योजनाएं तथा “उपलब्धि प्रतिवेदन” में केवल 698 योजनाएं ली गई थीं जैसा कि तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: विशिष्ट बजट के साथ बजट का तुलनात्मक विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बजट	योजनाओं की संख्या	बजट राशि	मूल बजट का प्रतिशत	व्ययित राशि (विनियोग लेखा)	बजट अनुमान के मुकाबले प्रतिशत व्यय	ग्रुप 'अ' योजनाओं की संख्या
1	विनियोग लेखा	2126	2,45,522.62	100.00	1,67,915.40	100.00	
2	परिणाम बजट (बजट अनुमान)	1284	1,35,187.04	55.06	93,703.06	55.80	
3	जेन्डर बजट (बजट अनुमान)	551	33,176.27	13.51	50,103.08	29.84	80
4	बाल कल्याण बजट (बजट अनुमान)	209	37,257.58	15.17	31,950.63	19.03	
5	हरित बजट (बजट अनुमान)	231	5,693.88	2.32	14,231.42	8.48	66
6	उपलब्धि प्रतिवेदन (पुनरीक्षित अनुमान)	698	1,18,202.71	48.14	78,955.42	47.02	

(स्रोत: विनियोग लेखे के साथ परिणाम, जेन्डर, बाल कल्याण एवं हरित बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन)

विश्लेषण के दौरान, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राज्य ने प्रत्येक वर्ष एक अभ्यास के रूप में विधान मंडल के समक्ष विशिष्ट बजट प्रस्तुत किया है, लेकिन विभाग अभी भी योजनाओं के लेखांकन को गुणवत्ता प्रदान करने में पीछे हैं। यद्यपि पिछले पांच वर्षों में बजट परिव्यय के आकार में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, तथापि राज्य में अंतर-विभागीय समन्वय और जेन्डर संवेदीकरण के प्रशासनिक संस्थान कमजोर हैं।

3.6 चयनित अनुदानों की समीक्षा

वर्ष 2020–21 के दौरान बचत/आधिक्य एवं बजट प्रावधानों तथा अनुपूरक मांगों के परिमाण के आधार पर अनुदान संख्या-37, ग्रामीण कार्य विभाग एवं अनुदान संख्या-42, ग्रामीण विकास विभाग की बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। समीक्षा के परिणाम नीचे विस्तृत हैं –

3.6.1 अनुदान संख्या 37: “ग्रामीण कार्य विभाग”

ग्रामीण सड़कों के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों को अनेक सामाजिक-आर्थिक लाभ होते हैं जो अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करता है। बिहार सरकार राज्य के सर्वांगीण सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण सड़कों (आवश्यक पुलियों और जल निकासी संरचनाओं सहित) के निर्माण की जिम्मेदारी ग्रामीण कार्य विभाग के पास है।

राज्य को 1,29,209 चिह्नित बसावटों के ग्रामीण संपर्क के लिए कुल 1,29,473¹³ कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना था और अब तक 68,174 चिह्नित बसावटों के लिए कुल 68,591 कि०मी० ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसमें से 45,672 चिह्नित बसावटों के लिए पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत लगभग 45,832 कि०मी० ग्रामीण सड़क का निर्माण किया गया

¹³. <https://rwdbihar.gov.in/AboutUs.aspx> : कार्यकारी सारांश

है। राज्य को पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत करीब 10,937 कि0मी0 लंबाई की सड़क सहित 60,882 कि0मी0 अतिरिक्त सड़क का निर्माण करना था।

वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस अनुदान में पाँच मुख्य शीर्ष (2245, 2515, 3054, 3451 और 4515) संचालित थे। संक्षिप्त वित्तीय प्रावधान नीचे तालिका 3.11 में वर्णित है –

तालिका 3.11: 2020-21 के लिए संक्षिप्त विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	कुल व्यय	बचत (5-6)	कुल प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पूँजीगत	9,424.00	00	9,424.00	3,310.69	6,113.31	64.87
2	राजस्व	1,214.89	1,000.00	2,214.89	2,016.83	198.06	8.94
	कुल	10,638.88	1,000.00	11,638.89	5,327.52	6,311.37	54.23

(स्रोत: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार)

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्यों का पता चला :

3.6.1.1 बजटीय प्रक्रिया

- योजना और विकास विभाग ने ₹ 8,768.05 करोड़ के मूल प्रस्ताव (राजस्व और पूंजीगत शीर्ष में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत केंद्रीय हिस्सेदारी के रूप में ₹ 500.00 करोड़) को बढ़ाकर ₹ 9,619.00 करोड़ कर दिया था। अंततः वित्त विभाग ने ₹ 1,000 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान सहित ₹ 11,638.89 करोड़ का प्रावधान किया। विभाग ने केवल ₹ 5,327.52 करोड़ (45.77 प्रतिशत) का ही व्यय किया।
- कुल प्रावधान में से, पूंजीगत खंड हेतु ₹ 9,424 करोड़ और पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 5,086.00 करोड़ (विभाग के मूल प्रस्ताव से 10 गुना अधिक) थे। भारत सरकार ने ₹ 5,086.00 करोड़ के बजट प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 1.13 करोड़ (0.02 प्रतिशत) प्रशासनिक व्यय हेतु जारी किए थे और यह राशि जिसे व्यय के रूप में दिखाया गया है, वास्तव में लोक लेखे में पड़ी थी। पी0एम0जी0एस0वाई0 के दिशा-निर्देशों में उल्लिखित मानदंडों को पूरा नहीं करने के परिणामस्वरूप योजना के तहत पूंजीगत कार्यों के लिए धन जारी नहीं की गयी थी।

कुल प्रावधान और कुल आवंटन के बीच बड़ा अंतर यह प्रदर्शित करता है कि वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान बिना किसी उचित योजना के तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा ने विशेष रूप से पाया कि पी0एम0जी0एस0वाई0 के पूंजीगत खंड का बजट निर्माण अत्यधिक अवास्तविक और त्रुटिपूर्ण था।

3.6.1.2 योजना कार्यान्वयन

- विभाग द्वारा 2016-17 से 2020-21 के दौरान लगभग 912.73 कि0मी0¹⁴ लम्बाई की कम से कम 388¹⁵ सड़क परियोजनाओं (राज्य योजनाएं-193) का संवेदक के साथ करार निष्पादन के चरण में परित्याग कर दिया गया था (परिशिष्ट 3.13)।
- लेखापरीक्षा ने यह पाया कि राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानी द्वारा 2016-17 से 2020-21 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना के 4973 निरीक्षणों में 1029 सड़क और पुल परियोजनाओं को "असंतोषजनक" की श्रेणी में रखा था। इस प्रकार, यह राज्य के निगरानी तंत्र की कमियों को इंगित करता है (परिशिष्ट 3.14)।

¹⁴ राज्य योजना अंतर्गत 284.01 कि0मी0 एवं पी0एम0जी0एस0वाई0 अंतर्गत 628.72 कि0मी0।

¹⁵ 193 राज्य योजनाएँ एवं 195 पी0एम0जी0एस0वाई0 सड़क परियोजनाएँ।

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने पी0एम0जी0एस0वाई0 के केंद्राश से वर्ष 2020–21 के लिए लेखा शीर्ष 37–4515001030216 के मद में वृक्षारोपण के लिए ₹ 27 करोड़ का प्रावधान किया था जो कि योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

3.6.1.3 वित्तीय प्रबंधन

- लेखापरीक्षा ने पाया कि विनियोग लेखे के अनुसार विभाग का कुल व्यय ₹ 5,199.65 करोड़ था जबकि विभाग ने ₹ 5,327.52 करोड़ (₹ 127.87 करोड़ अधिक) के व्यय की सूचना दी थी जिसके समाशोधन की आवश्यकता थी।
- पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओ0एम0एम0ए0एस0) के माध्यम से दर्शाये गए व्यय और बिहार सरकार के विस्तृत विनियोग लेखाओं में दर्ज व्यय की राशि में ₹ 1,885.18 करोड़ का भारी अंतर था (परिशिष्ट 3.15)।
- बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बी0आर0आर0डी0ए0) और बिहार सरकार के विस्तृत विनियोग लेखाओं के बीच पूंजीगत व्यय में ₹ 1,579.58 करोड़ और राजस्व व्यय में ₹ 3,183.63 करोड़ का अंतर था (परिशिष्ट 3.16)।
- बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यक्रम निधि के लिए ₹ 2883.57 करोड़ के केंद्रीय हिस्से के अनुपातिक 40 प्रतिशत समतुल्य राज्यांश के रूप में ₹ 2000.00 करोड़ की राशि जारी की गई थी, जो ₹ 77.62 करोड़ अधिक थी। यह राशि अलग बैंक खाते (आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक खाता सं0 040401010716) में रखी गई थी। उस खाते में उपार्जित / प्राप्त ₹ 54.13 लाख का ब्याज अब तक अप्रयुक्त था। खाता अभी भी परिचालन में है (सितंबर 2021)।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान राज्य योजना के अंतर्गत स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष के तहत व्यय की गई ₹ 323.07 करोड़ की राजस्व प्रकृति के राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में लेखांकित किया गया था (परिशिष्ट 3.17)। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राजस्व प्रयोजनों और परिसंपत्तियों के सृजन के लिए वर्ष 2020–21 के लिए सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए गये ₹ 68.21 करोड़ की राशि को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा मामला उठाये जाने पर विभाग ने गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वित्त विभाग के निर्देश के तहत इन व्ययों को अब से राजस्व शीर्ष के तहत लेखांकित किया जाएगा।
- यह पाया गया है कि राजस्व शीर्ष के तहत पी0एम0जी0एस0वाई0 के लिए प्राप्त ₹ 234.26 करोड़ (₹ 1.13 करोड़ + ₹ 233.13 करोड़) की राशि को मुख्य शीर्ष 4515 के तहत व्यय के रूप में लेखांकित किया गया था। परिणामस्वरूप राजस्व व्यय की न्यूनोक्ति और पूंजीगत व्यय का अतिशयोक्ति हुई।
- पी0एम0जी0एस0वाई0 योजना पर अर्जित ₹ 1,630.61 करोड़ की ब्याज की राशि 31 मार्च 2021 तक अप्रयुक्त थी। इसका उपयोग इसी योजना के लिए किया जाना था, हालांकि, अब तक इसका उपयोग न करना निधि की पार्किंग की ओर इंगित करता है।
- लेखापरीक्षा ने पाया कि नोडल अधिकारी के पास सी0एफ0एम0एस0 पूर्व के बैंक खाते अभी भी अस्तित्व में हैं और इन लेखाओं में एम0एम0जी0एस0वाई0 के कार्यक्रम निधि के तहत ₹ 75.12 करोड़ (मार्च 2021) का अंतशेष और ब्याज पड़ा हुआ है। यह वित्त विभाग¹⁶ के आदेशों का उल्लंघन था। सी0एफ0एम0एस0 के कार्यान्वयन के बाद भी बैंक खातों को संचालित रखने का कारण विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया (सितंबर 2021)।

3.6.1.4 आस्थगित देयता

ओ0एम0एम0ए0एस0 के अनुसार 2006–07 से 2020–21 के दौरान भौतिक रूप से काम के पूर्ण होने के बाद भी पी0एम0जी0एस0वाई0 की 278 परियोजनाओं और एम0एम0जी0एस0वाई0 की 11,938 परियोजनाओं के लिए संवेदकों को क्रमशः ₹ 83.44 करोड़ और ₹ 1,561.52 करोड़ का भुगतान नहीं

¹⁶ वित्त विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक 2575 दिनांक 14.05.2020।

किया गया था, जबकि विभाग के पास उनके पी0एल0 खाते में पर्याप्त निधि उपलब्ध थी (सितंबर 2021)। विभाग से आस्थगित देयता का कारण प्रतीक्षित है।

3.6.1.5 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

- लेखापरीक्षा ने पाया कि 2015-16 और 2016-17 के दौरान ए0सी0 विपत्र के माध्यम से आहरित ₹ 41.64 करोड़ की राशि 31 मार्च 2021 तक असमायोजित पड़ी थी। आगे यह देखा गया कि ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से आहरित राशि पी0एम0जी0एस0वाई0 और एम0एम0जी0एस0वाई0 परियोजनाओं से संबंधित योजनागत गतिविधियों के लिए थी, जो कि बी0एफ0आर0 (बिहार वित्तीय नियमावली) और बी0टी0सी0 (बिहार ट्रेजरी कोड) के संबंधित नियमों के विपरीत है।
- इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान सहायता अनुदान के रूप में ₹ 10.00 करोड़ प्राप्त/आहरित किये गये थे, जिनके विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किए गए थे (सितंबर 2021)।

3.6.2 अनुदान संख्या 42: "ग्रामीण विकास विभाग"

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार ग्रामीण इलाकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ बुनियादी ढांचे के निर्माण के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को कम करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम लागू करता है। विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा कर एवं आधारभूत संरचना बनाकर ग्रामीण परिवार की स्थिति में सुधार करता है। बिहार सरकार गरीबों के कौशल विकास के लिए संस्थानों के निर्माण और आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग के कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो व्यक्तियों के कौशल विकास में वृद्धि एवं स्वयं सहायता समूहों की योग्य श्रेणियों के लिए स्व-रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देता है। विभाग का लक्ष्य बहु-आयामी रणनीति के तहत योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से लोगों का सतत विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि प्रदान करना है।

ग्रामीण विकास विभाग के लिए निर्धारित अनुदान संख्या 42 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 10 मुख्य शीर्षों (2203, 2215, 2216, 2220, 2501, 2505, 2515, 3451, 3454 और 4515) के माध्यम से अपना वित्तीय प्रबंधन का संचालन कर रहा था।

बजटीय प्रक्रिया और व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा की गई। संक्षिप्त वित्तीय परिव्यय/प्रावधान नीचे तालिका 3.12 में वर्णित हैं -

तालिका 3.12: संक्षिप्त वित्तीय परिव्यय/प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	बजट अनुमान	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (3+4)	व्यय	बचत (5-6)	कुल प्रावधान के प्रतिशत के रूप में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	राजस्व	15,940.28	1,890.75	17,831.03	9,299.16	8,531.87	47.85
2	पूँजीगत	15.01	0.00	15.01	15.00	0.01	0.07
कुल		15,955.29	1,890.75	17,846.04	9,314.16	8,531.88	47.81

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के विनियोग लेखे)

अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट हुए:

3.6.2.1 बजटीय प्रक्रिया

- कुल प्रावधान ₹ 17,846.04 करोड़ के विरुद्ध ₹ 8,531.88 करोड़ की राशि की बचत हुई थी। वित्त विभाग ने कहा कि योजना पी0एम0ए0वाई0-(ग्रा0) के केन्द्रांश की राशि ₹ 4,798.70 करोड़ का अंतरण कार्यान्वयन एजेंसी को सीधे किये जाने के परिणामस्वरूप राज्य के बजट में किए गए प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका।

- लोहिया स्वच्छता योजना¹⁷ और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना¹⁸ के बजट प्रस्ताव में क्रमशः 100 प्रतिशत और 4125.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई, परंतु विभाग इन योजनाओं के तहत कोई भी व्यय करने में विफल रहा।
- प्रधानमंत्री आवास योजना—ग्रा0 [पी0एम0ए0वाई0—(जी0)], के लिए कुल ₹ 9,087.58 करोड़ के प्रावधान में से पी0एम0ए0वाई0—(जी0) के लिए ₹ 6,208.92 करोड़ का बजट केन्द्रांश के रूप में रखा गया था। भारत सरकार ने केन्द्रांश की राशि के विरुद्ध केवल ₹ 1,885.32 करोड़ (30.36 प्रतिशत) ही जारी किए।
- मनरेगा योजनाओं में केंद्रांश एवं राज्यांश के रूप में ₹ 3,095 करोड़ के कुल प्रावधान में से वर्ष के दौरान केवल ₹ 2,027.38 करोड़ (66 प्रतिशत) व्यय किए गए।

कुल प्रावधान और कुल आवंटन के बीच बढ़ा अंतर यह संकेत करता है कि वर्ष 2020–21 के लिए बजट का अनुमान बिना उचित योजना के तैयार किया गया था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पी0एम0ए0वाई0—(जी0) के लिए बजट अवास्तविक और गलत था।

3.6.2.2 वित्तीय प्रबंधन

- कुल ₹ 17,846.04 करोड़ के प्रावधान में से केवल ₹ 9,314.16 करोड़ का उपयोग किया गया था। इस प्रकार, ₹ 8,531.88 करोड़ (47.81 प्रतिशत) की बचत हुई जिसमें से केवल ₹ 671.51 करोड़ (7.87 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित किए गए।
- विभाग द्वारा समुचित समाशोधन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप व्यय के आंकड़ों में ₹ 44.88 लाख का अंतर पाया गया।
- कुल व्यय ₹ 463.24 करोड़ में से ₹ 218.20 करोड़¹⁹ (47 प्रतिशत) की राशि का व्यय माह मार्च 2021 में तीन लेखा शीर्षों के तहत की गई थी।
- 2016–17 से 2020–21 के दौरान पी0एम0ए0वाई0—(जी0)/आई0ए0वाई0 की योजनाओं पर ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 376.71 करोड़ की राशि का उपयोग नहीं किया गया था। इसका उपयोग उसी योजना के लिए किया जाना था जो कि वर्तमान तिथि तक नहीं की जा सकी है, यह निधि के पार्किंग को इंगित करता है।

इस प्रकार, बचत की बड़ी राशि, बैंक खातों में राशि की पार्किंग और वर्ष के अंतिम समय में व्यय करने से बजट प्रावधानों एवं व्यय के दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन तथा प्रभावी बजटीय नियंत्रण की कमी का संकेत मिलता है।

3.6.2.3 योजना कार्यान्वयन

मनरेगा योजनाओं में जहां लक्ष्य और उपलब्धि दोनों की मात्रा निर्धारित की गई थी, वहाँ 2500 लाख मानव-दिवसों के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि में 217 लाख मानव दिवसों (₹ 268.64 करोड़²⁰) की कमी थी।

3.6.2.4 आस्थगित देयता

- मनरेगा योजना में ₹ 1067.62 करोड़ की पर्याप्त राशि रहने के बावजूद ₹ 821.61 करोड़ (22 अक्टूबर 2021 को एम0आई0एस0 के अनुसार) की आस्थगित देयता थी।
- कार्यान्वयन एजेंसी को विलंब से केंद्रांश जारी करने के एवज में ₹ 25.42 करोड़²¹ की ब्याज राशि के भुगतान का उत्तरदायित्व था। आस्थगित देयता ने राजकोषीय घाटे में उस सीमा तक बढ़ोत्तरी की।

¹⁷ लोहिया स्वच्छता योजना में ₹ 100.00 करोड़ की मांग के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार के द्वारा ₹ 200.00 करोड़ का बजट अनुमान अनुमोदित किया गया।

¹⁸ मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ₹ 10.00 करोड़ की मांग के विरुद्ध योजना एवं विकास विभाग द्वारा ₹ 422.51 करोड़ का बजट अनुमान अनुमोदित किया गया।

¹⁹ ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान: ₹ 1.73 करोड़ (100 प्रतिशत), एन0आर0एल0एम0: ₹ 197.25 करोड़ (47 प्रतिशत) एवं प्रखण्ड आई0टी0 केन्द्र: ₹ 19.22 करोड़ (42 प्रतिशत)।

²⁰ ₹ 123.80 प्रति दिन की दर से।

²¹ पी0एम0ए0वाई0—(जी0): ₹ 16.51 करोड़ और मनरेगा ₹ 8.91 करोड़।

3.6.2.5 अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे

- अनुदान सहायता के रूप में कुल ₹ 3,052.79 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध, ₹ 1,072.93 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र का समर्पण लंबित था (अगस्त 2021)।
- ए0सी0 विपत्रों के माध्यम से आहरण का विवरण विभाग के पास उपलब्ध नहीं था तथापि यह देखा गया कि लगभग ₹ 17.17 करोड़ की राशि समायोजन हेतु लंबित थी (अगस्त 2021)।

3.7 विशिष्ट बजट की समीक्षा

महिलाएं एवं बच्चे, पर्यावरण, वन, और जलवायु परिवर्तन समाज का सबसे कमजोर हिस्सा हैं और उनके लिए निर्धारित सार्वजनिक निधियों पर अधिक ध्यान देने, पारदर्शिता और तार्किक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बिहार, एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, इन आवश्यकताओं को अच्छी तरह समझता है और जेंडर बजट, बाल कल्याण बजट और हरित बजट तैयार किया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इनकी समीक्षा की गई और अग्रवर्ती कंडिकाओं में इनकी चर्चा की गई है।

3.7.1 जेंडर बजट की समीक्षा

जेंडर बजटिंग भारत सरकार की नीतियों और दृष्टिकोण का एक हिस्सा है, और इसका लक्ष्य महिलाओं का समग्र विकास है। भारत सरकार के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम0एच0आर0डी0) ने जेंडर बजटिंग के तौर-तरीकों और निष्पादन के पर्यवेक्षण के लिए चेकलिस्ट के साथ-साथ अनुदेश और मार्गदर्शन जारी किए (अक्टूबर 2004) जो कि नीति निर्माण और निर्णय लेने में जवाबदेही और पारदर्शिता स्थापित करने का उद्देश्य रखता है।

बिहार देश के उन अग्रिम राज्यों में से एक है जिसने वर्ष 2005-06 में भारत सरकार द्वारा पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किए जाने के 3 वर्षों के बाद 2008-09 में जेंडर बजटिंग को अपनाया। समाज कल्याण विभाग योजनाओं के समन्वय और निगरानी के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। अप्रैल 2016 में एक जेंडर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई थी और समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजटिंग के लिए इसे राज्य आधारित एजेंसी के रूप में नामित किया गया था। **तालिका 3.13** में 2016-21 की पांच वर्षों की अवधि के दौरान राज्य द्वारा जेंडर बजट के तहत किए गए आवंटन का विवरण दिया गया है।

तालिका 3.13: जेंडर बजट के तहत आवंटित कुल संसाधन


(₹ करोड़ में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
महिलाओं के लिए परिव्यय	15,077	20,615.4	25,573.8	30,874.49	33,176.27
राज्य बजट का कुल आकार	1,44,696	1,60,085.69	1,76,990.27	2,00,501	2,11,761
राज्य बजट में महिलाओं के लिए परिव्यय की हिस्सेदारी (%)	10.4	12.9	14.45	15.04	15.66
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में महिलाओं के लिए परिव्यय	3.5	4.2	4.96	5.39	4.83

(स्रोत : वर्ष 2020-21 का जेंडर बजट)

वर्ष 2020-21 के दौरान 20 विभागों के अंतर्गत जेंडर बजट के लिए ₹ 33,176.27 करोड़ आवंटित किए गए थे, तथापि महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए 10 विभागों के अधीन केवल 80 योजनाएं ही चल रही थीं। महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार की गई योजनाओं पर समग्र बजट के भीतर श्रेणी अ (100 प्रतिशत – ₹ 11,901.94 करोड़ 80 योजनाओं के लिये) और श्रेणी ब (कम से कम 30 प्रतिशत – ₹ 21,274.33 करोड़ 440 योजनाओं के लिये) व्यय करने का प्रस्ताव किया गया था (विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 3.18** में)। **चार्ट 3.9** में वर्ष 2016-21 के दौरान जीएसडीपी और कुल बजट के संबंध में जेंडर बजट के प्रतिशत पर प्रकाश डाला गया है।

चार्ट 3.9: बजट और जीएसडीपी की तुलना में जेंडर बजट



(स्रोत: बजट और जेंडर बजट 2020-21)

जेंडर बजट की वित्तीय उपलब्धि नीचे तालिका 3.14 में वर्णित है:

तालिका 3.14: जेंडर बजट का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

योजना श्रेणी	समूह (प्रतिशत व्यय के आधार पर)	योजनाओं की संख्या	जेंडर बजट (बजट अनुमान)	विनियोग लेखे के अनुसार उपलब्ध शुद्ध बजट/निधि	व्यय
अ (100%)	शून्य	29	2,688.17	2,932.69	(-)0.01
	01 से 25	7	213.37	213.37	26.06
	26 से 50	4	4,479.33	4,610.26	1,961.38
	51 से 75	10	131.86	139.86	83.67
	75 से अधिक	30	4,389.22	5,970.62	5,629.58
	कुल अ		80	11,901.94	13,866.79
ब (कम से कम 30%)	शून्य	97	926.81	3,017.48	0
	01 से 30	22	1,727.95	3,798.95	135.66
	30 से अधिक	321	18,619.57	56,377.74	41,136.45
	कुल ब		440	21,274.33	63,194.16
कुल योग		520	33,176.27	77,060.95	48,972.80

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे के साथ जेंडर बजट)

वर्ष 2020-21 के अंत में कुल ₹ 48,972.80 करोड़ (श्रेणी 'अ' के लिए ₹ 7,700.69 करोड़ और श्रेणी 'ब' के लिए ₹ 41,272.11 करोड़) का व्यय किया गया था। इससे पता चलता है कि सबसे ज्यादा व्यय (84 प्रतिशत) श्रेणी 'ब' की योजनाओं में किया गया। यह गैर-विशिष्ट प्रावधानों में व्यय की सांद्रता पर प्रकाश डालता है और इस प्रकार जेंडर बजट के माध्यम से महिलाओं को वांछित स्तर तक लाभ पहुंचाने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका था।

लेखापरीक्षा ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0वि0वि0) और समाज कल्याण विभाग (स0क0वि0) के संबंध में, जहां प्रमुख योजनाएं चल रही थीं, विनियोग लेखाओं के साथ जेंडर बजट (श्रेणी अ) के वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण किया। कुल 48 योजनाओं में से 17 ग्रा0वि0वि0 से तथा 31 स0क0वि0 से संबंधित थे जहां क्रमश पांच और 25 प्रमुख²² योजनाएं चल रही थीं। तालिका 3.15 में इन दोनों विभागों के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के दौरान बजट और व्यय का संविक्षित आंकड़ा दिखाया गया है जबकि योजनावार विवरण परिशिष्ट 3.19 में वर्णित है।

²² प्रमुख योजनाओं का तात्पर्य पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण योजनाएँ।

तालिका 3.15: दो विभागों के तहत बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

विभाग	बजट	जेंडर बजट	श्रेणी 'अ'	मामले / योजनाओं की संख्या	व्यय		
					योजनाओं में कोई व्यय नहीं (उपलब्ध राशि प्रतिशत में)	50 प्रतिशत से कम	50 प्रतिशत से अधिक
ग्रा0वि0वि0	15,320.33	12,672.34	8,977.92	17	12 (22.54)	01	04
स0क0वि0	7,130.41	4,276.05	801.74	31	08 (1.39)	05	18

(स्रोत - बजट अभिलेख)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि दोनों विभागों ने 12 और आठ योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया था जबकि ग्रा0वि0वि0 और स0क0वि0 के पास क्रमशः ₹ 2,249.95 करोड़ और ₹ 16.20 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी।

यह भी पाया गया कि जेंडर बजट के तहत तीन²³ योजनाओं में ₹ 45.06 करोड़ का प्रावधान किया गया था लेकिन विनियोग लेखों में नहीं पाया गया। फलतः लेखापरीक्षा वास्तविक व्यय को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

राज्य सरकार ने महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित योजना के लक्ष्यों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए 2020-21 के जेंडर बजट में पिछले वर्षों के जेंडर बजट के उपलब्धियों के बारे में कोई सूचना नहीं दी थी। इस प्रकार, वास्तविक व्यय प्रतिवेदन सहित किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रतिवेदन/अभिलेखों के अभाव में, जेंडर बजटिंग के तहत महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित योजनाओं के लक्ष्यों की प्रभावशीलता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।


3.7.2 बाल कल्याण बजट की समीक्षा

बिहार में कुल आबादी का 48 प्रतिशत (4.48²⁴ करोड़ बच्चे (2.35 करोड़ बालिका (47 प्रतिशत)) शून्य से 18 वर्ष की आयु वर्ग से हैं। यह कुल आबादी का सबसे कमजोर वर्ग है एवं राज्य सरकार उनके सर्वांगीण विकास के लिए लोक वित्त आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (एन0सी0टी0) और राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 के आलोक में बिहार सरकार ने वर्ष 2013-14 से बाल कल्याण बजट तैयार करना प्रारंभ किया।

राज्य बाल कल्याण बजट के क्रम विकास के आंकड़े²⁵ निम्न प्रकार हैं-

चार्ट 3.10: राज्य बाल कल्याण बजट 2014-15 से 2020-21

(₹ करोड़ में)



(स्रोत : प्रासंगिक वर्षों का बाल कल्याण बजट)

²³ 01-2415017960309- ₹ 0.04 करोड़, 08-2205001020001- ₹ 2.12 करोड़, 48-2217800010101- ₹ 42.90 करोड़।

²⁴ जनगणना-2011 एवं बाल कल्याण बजट 2020-21 बिहार सरकार।

²⁵ वर्ष 2014-15 से 2020-21 तक का बाल कल्याण बजट।

बाल कल्याण बजट 2020-21 के कुल प्रावधानों का वर्णन नीचे तालिका 3.16 में किया गया है:

तालिका 3.16: 2018-19 से 2020-21 तक बाल कल्याण बजट का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट	स्थापना एवं प्रतिबद्ध		राज्य योजना		केंद्र प्रायोजित योजना	
		राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
2018-19 वास्तविक	28,552.69	9,043.76	31.67	3,567.21	12.50	15,941.71	55.83
2019-20 वास्तविक ²⁶	27,640.16	7,594.39	27.48	4,440.62	16.06	15,605.16	56.46
2020-21 बजट अनुमान	37,257.58	9,951.78	26.71	6,425.75	17.25	20,880.04	56.04

(स्रोत - वर्ष 2020-21 का बाल कल्याण बजट)

बाल कल्याण बजट में वर्णित 209 योजनाओं में से उपलब्धि प्रतिवेदन 2020-21 में केवल 125 ही सूचित किए गए। अनुमोदित विनियोग लेखों के अनुसार, यह पाया गया कि 144 योजनाओं (69 प्रतिशत) में व्यय 80 प्रतिशत से कम था। बाल कल्याण बजट के तहत बजट प्रावधानों की तुलना में वित्तीय उपलब्धि नीचे तालिका 3.17 में विस्तृत है :

तालिका 3.17: बाल कल्याण बजट का वित्तीय प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	समूह	योजनाओं की संख्या	शुद्ध बजट (विनियोग लेखे)	व्यय (विनियोग लेखे)
1	81-100	65	25,018.18	23,474.61
2	61-80	36	5,065.04	3,569.72
3	41-60	18	3,599.93	1,879.44
4	21-40	18	8,301.45	2,973.35
5	00-20	24	1,889.66	53.52
6	शून्य	48	2,958.33	-0.01
	कुल	209	46,832.60	31,950.63

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे और बाल कल्याण बजट)

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि ₹ 2,958.33 करोड़ की निधि उपलब्ध रहने के बावजूद 48 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया था। 24 योजनाओं में ₹ 53.52 करोड़ (2.83 प्रतिशत) का व्यय किया गया था जबकि ₹ 1,889.66 करोड़ उपलब्ध थे। यह परिलक्षित होता है कि बाल कल्याण बजट बच्चों के कल्याण के लिए सहायक होने के बजाय महज एक कागजी कार्रवाई के रूप में तैयार किया गया था। राज्य सरकार ने बताया कि बाल कल्याण बजट एक पृथक अभ्यास नहीं था। यह मुख्य बजट से बच्चों के लिए किए गए आवंटन का एक संग्रह मात्र है।

3.7.3 हरित बजट की समीक्षा

हरित बजट का अर्थ है पर्यावरणीय और जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने हेतु बजटीय नीति-निर्माण के माध्यम से साधनों का उपयोग करना।

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि-वानिकी इसकी अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, इसके अलावा, पर्यावरणीय और जलवायु परिवर्तन से संबंधित अन्य मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। राज्य में वर्तमान में 6845 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित प्राकृतिक वन क्षेत्र है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 7.27 प्रतिशत है।

बिहार, भारत सरकार के अनुरूप हरित बजट तैयार करने और लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। चूंकि हरित बजट तैयार करने के लिए कोई निश्चित नियम या मानदंड नहीं है, राज्य ने विभिन्न विभागों में इन घटकों पर होने वाले व्यय को संकलित कर हरित बजट तैयार किया है। संक्षिप्त हरित बजट प्रावधान नीचे तालिका 3.18 में दिए गए हैं।

²⁶ बाल कल्याण बजट 2021-22।

तालिका 3.18: 2020-21 के दौरान हरित बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	2020-21 बजट अनुमान ²⁷
1	वर्ष के लिए राज्य के बजट अनुमान	2,11,761.49
2	हरित बजट से संबंधित 19 विभागों का कुल प्रावधान	81,176.46
3	19 विभागों के हरित बजट से संबंधित प्रमुख शीर्षों में कुल प्रावधान	27,162.85
4	हरित बजट	5,693.88
5	विभागों के कुल प्रावधान में हरित बजट (प्रतिशत में) (क्रम संख्या 4 / क्रम संख्या 2 X 100) शामिल है	7.01
6	हरित बजट (प्रतिशत में) (क्रम संख्या 4 / क्रम संख्या 3 X 100) से संबंधित शीर्षों में से हरित प्रावधान	20.96

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के हरित बजट)

जांच में यह पाया गया है कि 19 विभागों की ₹ 5,693.88 करोड़ की कुल 231 योजनाओं को हरित बजट 2020-21 में शामिल किया गया है (विस्तृत विवरण परिशिष्ट 3.20 में)।

यह देखा गया है कि 100 प्रतिशत आवंटन के साथ समूह 'अ' के रूप में वर्गीकृत 66 योजनाओं में से केवल 10 योजनाओं में (आठ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से और एक ग्रामीण विकास विभाग से) 80 से 100 प्रतिशत आवंटन का उपयोग किया गया था, 14 योजनाओं में 50 से 80 प्रतिशत, और 29 योजनाओं में 50 प्रतिशत तक आवंटन का उपयोग किया गया था। यद्यपि कि 13 योजनाओं में वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

इसके अलावा समूहवार योजनाओं की उपलब्धि तालिका 3.19 में प्रदर्शित है -

तालिका 3.19: हरित बजट में शामिल योजनाओं की उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

समूह	अंश	योजनाओं की संख्या		विनियोग लेखा के अनुसार			प्रतिशत में उपलब्धि
		हरित बजट	उपलब्धि प्रतिवेदन	योजनाओं की संख्या	शुद्ध बजट	व्यय	
ए	100%	66	41	64	1,873.80	672.93	35.91
बी	75-90%	10	8	10	152.50	निर्धारित प्रतिशत के अनुसार योजनाओं, बजट अनुमान तथा व्यय के वर्गीकृत सूचनाएँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण निश्चित नहीं किया जा सका।	लागू नहीं
सी	50-75%	37	31	37	3,949.93		
डी	25-50%	29	27	29	733.34		
ई	05-25%	53	34	53	7,372.52		
एफ	01-05%	36	30	36	17,566.04		
		231	171	229	31,648.12		

(स्रोत - वर्ष 2020-21 के विनियोग बजट के साथ हरित बजट)

इस प्रकार, वास्तविक व्यय सहित किसी विशिष्ट निष्पादन/उपलब्धि प्रतिवेदन/अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा में, योजनाओं की प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया जा सका। विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि हरित बजट, विनियोग लेखा और उपलब्धि प्रतिवेदन में एकरूपता नहीं थी फलतः लेखापरीक्षा प्रत्येक योजना के विरुद्ध सटीक निष्पादन को सुनिश्चित नहीं कर सका।

3.7.4 परिणाम बजट के साथ उपलब्धि प्रतिवेदन की समीक्षा

परिणाम बजट का उद्देश्य वित्तीय बजट और प्रदर्शन बजट के बीच एक सह-संबंध स्थापित करना और न केवल मध्यवर्ती भौतिक उपलब्धियों बल्कि परिणामों को भी पता लगाना था। सरकार द्वारा वित्तीय अनुरोध के माध्यम से महत्वपूर्ण संभावित भौतिक परिणाम दिखाते हुए परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन की पहल 2006-07 में प्रारंभ की गई थी। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा व्ययों की

²⁷ वर्ष 2020-21 का हरित बजट।

समीक्षा करके व्यय की उपयोगिता का आकलन किया जा सकता है। यह जनता को लक्षित परिणामों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है और सरकार की अपने वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। परिणाम बजट सरकार द्वारा व्यय की गई राशि के संबंध में भौतिक उपलब्धि निर्धारित करता है, वही उपलब्धि प्रतिवेदन निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध उपलब्धियों को प्रस्तुत करती है।

लेखापरीक्षा ने यह आकलन करने का प्रयास किया कि क्या परिणाम बजट तैयार करने से संबंधित विभिन्न आदेशों और निर्देशों का पालन किया गया था ताकि यह अपने इच्छित उद्देश्य की पूर्ति कर सके और सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिणाम बजट की समीक्षा की गई –

- कि इसके लिए निर्धारित कानूनों, नियमों एवं विनियमों और परिणाम बजट तैयार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया गया था; तथा
- कि भौतिक लक्ष्यों की रिपोर्टिंग में विसंगतियां थीं और आंकड़े विश्वसनीय थे।

दो विभागों के वर्ष 2020-21 के परिणाम बजट की समीक्षा हेतु लेखापरीक्षा की जांच के लिए ग्रामीण कार्य विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग का चयन किया गया। इसके अतिरिक्त दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों, ग्रामीण कार्य विभाग के तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और ग्रामीण विकास विभाग के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के वित्तीय परिव्यय और भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धि का भी विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

3.7.4.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, परिणाम बजट को इस तरीके से तैयार किया जाना है कि इसमें कार्यकारी सारांश, परिचय, बजट अनुमानों का विवरण, सुधारात्मक उपाय और नीतिगत पहल, पिछले प्रदर्शन की समीक्षा और वित्तीय समीक्षा शामिल हों।

वित्त विभाग प्रत्येक वर्ष विभागों द्वारा परिणाम बजट तैयार करने के लिए परिशिष्ट-XII युक्त एक परिपत्र जारी करता है। इस परिपत्र में बजट अनुमान के विवरण को छोड़कर इस प्रारूप में भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप अन्य आवश्यकताओं का अभाव था। संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप होने वाली सामान्य बचत, योजनाओं के निष्पादन के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र और योजनाओं के अप्रचलित हो जाने अथवा धन की आवश्यकता समाप्त होने के कारण अभ्यर्षण के बारे में जानकारी का अभाव था।

3.7.4.2 परिणाम बजट की तुलना में वित्तीय और भौतिक परिव्यय

क. अनुदान संख्या 37- ग्रामीण कार्य विभाग

वर्ष 2020-21 के 17 योजनाओं में से परिणाम बजट और उपलब्धि प्रतिवेदन में केवल 12 योजनाएं शामिल की गई थीं। वित्तीय उपलब्धि नीचे तालिका 3.20 में वर्णित है-

तालिका 3.20: बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	योजना का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार शुद्ध बजट	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय उपलब्धि	जमा 8443 - 8448	वास्तविक व्यय
1	बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण	10.00	10.00	100.00	10.00	10.00	-

क्रम सं०	योजना का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार शुद्ध बजट	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय उपलब्धि	जमा 8443 - 8448	वास्तविक व्यय
2	ग्रामीण कार्य विभाग के विभिन्न कार्यालयों की स्थापना	185.00	122.25	66.08	122.42	0.00	122.25
3	मुख्यमंत्री- ग्राम संपर्क योजना	611.72	529.32	86.53	529.32	529.32	0.00
4	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	1,392.04	1,228.34	88.24	1,228.34	1,228.34	-0.00
5	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	333.00	233.13	70.01	233.13	233.13	0.00
6	ग्रामीण विकास परियोजनाएं (नाबार्ड सहायता प्राप्त योजना)	300.00	93.00	31.00	93.00	68.00	25.00
7	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	96.19	96.19	100.00	96.19	96.19	-
8	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना।	500.00	415.00	83.00	415.00	415.00	-
9	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (एनडीबी)	700.00	455.00	65.00	455.00	455.00	-
10	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (विश्व बैंक सहायता प्राप्त)	300.00	201.00	67.00	201.00	201.00	-
11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	5,086.00	1.13	0.02	1.13	1.13	-
12	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	105.05	49.83	47.43	49.75	-	49.83
	कुल	9,619.00	3,434.18	35.70	3,434.27	3,237.10	197.07

(स्रोत - वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे, उपलब्धि प्रतिवेदन और वीएलसी आंकड़े)

जैसा कि ऊपर की तालिका से स्पष्ट है -

- कुल ₹ 9,619.00 करोड़ के प्रावधान के मुकाबले केवल ₹ 3,434.18 करोड़ (उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 3,434.27 करोड़) व्यय किए गए थे जो कुल प्रावधान के 35.70 प्रतिशत के बराबर था।
- यह भी देखा गया कि कुल ₹ 3,434.18 करोड़ व्यय के विरुद्ध ₹ 3,237.10 करोड़ (94.26 प्रतिशत) की राशि मुख्य शीर्ष 8443 और 8448 में पार्क की गई थी। लेखापरीक्षा पार्किंग की कुल राशि में से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय की राशि को सुनिश्चित नहीं कर सकी।
- ऊपर वर्णित 12 योजनाओं में से नौ योजनाओं में धन का शत-प्रतिशत पार्किंग की गई थी।

प्रमुख कार्यक्रम पीएमजीएसवाई के वित्तीय और भौतिक परिव्यय की समीक्षा तालिका 3.21 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.21: पी0एम0जी0एस0वाई0 के वित्तीय और भौतिक परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट आकलन	पुनरीक्षित आकलन	वास्तविक व्यय	बजट आकलन से भिन्नता (प्रतिशत)	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत कार्य के विरुद्ध उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
2016-17	3,540.00	5,000.00	3,276.24	263.76 (7.45)	2,003	1,882
2017-18	5,500.00	4,633.00	1,539.64	3,960.36 (72.01)	850	682
2018-19	5,285.66	200.00	1,789.59	3,496.07 (66.14)	531	431
2019-20	5,286.66	540.00	1,172.87	4,113.79 (77.81)	351	207
2020-21	5,419.00	5,419.00	1,680.60	3,738.40 (68.99)	468	0

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में भिन्नता का संकेत देते हैं
(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

कार्यक्रमों की उपलब्धियों की तुलना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की समीक्षा से पता चला है कि भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के बीच कोई सीधा सह-संबंध नहीं था। पी0एम0जी0एस0वाई0 में 2016-17 से 2020-21 के दौरान वास्तविक व्यय बजट अनुमान की तुलना में 7.45 प्रतिशत से 77.81 प्रतिशत तक कम था। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान पुनरीक्षित अनुमान में कमी के कारण बजट अनुमान की तुलना में वास्तविक व्यय में कमी भी देखी गई।

ख. अनुदान संख्या 42- ग्रामीण विकास विभाग

परिणाम बजट में शामिल सभी 29 योजनाओं को वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। योजनावार वित्तीय उपलब्धि (विपत्र कोड के लिए ध्यान दिए बिना) नीचे तालिका 3.22 में विस्तृत है-

तालिका 3.22: बजट प्रावधान के विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	संकलित योजनाओं का नाम	विनियोग लेखे के अनुसार शुद्ध बजट	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार वित्तीय उपलब्धि
1	बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	3.90	1.73	1.73
2	बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना	423.40	334.49	334.49
3	सतत आजीविका योजना	150.00	97.50	97.50
4	विकास प्रबंधन संस्थान	12.01	3.96	3.96
5	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	56.00	19.05	15.48
6	मुख्यालय स्थापना	6.00	4.31	4.31
7	इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)	7,309.16	4,727.48	4,727.48
8	बिहार एकात्मक सामाजिक सुरक्षा परियोजना (ईएपी) को एकीकृत सुदृढीकरण	34.59	34.59	34.59
9	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)	3,094.96	2,027.38	2,027.38
10	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	1,724.00	1,039.17	1,039.17
11	स्वच्छ भारत मिशन	2,024.97	656.72	656.72
12	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना- मुख्यालय स्थापना	3.00	0.70	0.70
13	जल जीवन हरियाली मिशन	8.42	7.06	7.06
14	जल जीवन हरियाली	5.00	1.00	1.00
	कुल	14,855.41	8,955.14	8,951.57

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे, उपलब्धि प्रतिवेदन)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है-

- ₹ 14,855.41 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध केवल ₹ 8,955.14 करोड़ (उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार ₹ 8,951.57 करोड़) का व्यय किया गया था, जो कुल प्रावधान के 60.28 प्रतिशत के बराबर है।
- उपलब्धि प्रतिवेदन, परिणाम बजट और अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच से पता चला है कि स्वच्छ भारत मिशन, एन0आर0एल0एम0 और बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन जैसी तीन योजनाओं के तहत 15 लेखा शीर्षों में कोई मात्रात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं था। हालांकि उपलब्धि प्रतिवेदन में उपलब्धि की मात्रा प्रदर्शित की गई थी।
- मनरेगा योजना में जहां लक्ष्य और उपलब्धि दोनों की मात्रा निर्धारित की गई थी, वहाँ 2,500 लाख के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 217 लाख मानव-दिवस की कम उपलब्धि प्रदर्शित थी।

प्रमुख कार्यक्रम पी0एम0ए0वाई0-(जी0) के वित्तीय और भौतिक परिव्यय की जांच के परिणाम तालिका 3.23 में दर्शाए गए हैं-

तालिका 3.23: पी0एम0ए0वाई0-(जी0) के वित्तीय और भौतिक परिव्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	पुनरीक्षित अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान से भिन्नता (प्रतिशत में)	अनुमोदित इकाई की संख्या	उपलब्धियां (संख्या)
2016-17	2,132.08	5,848.89	3,459.93	1,327.85 (62.27)	6,37,658	5,62,009
2017-18	5,821.27	4,367.27	1,004.28	(-4,816.99 (82.74)	5,38,959	4,57,363
2018-19	6,411.28	5,555.73	5,293.28	(-1,118.00 (17.43)	0	0
2019-20	5,900.00	8,432.56	5,390.93	(-509.07 (8.62)	13,02,259	935,478
2020-21	8,127.99	9,087.58	4,728.52	(-3,399.47 (41.82)	7,82,102	1,07,351

कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में भिन्नता का संकेत देते हैं
(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े)

कार्यक्रमों की उपलब्धियों की तुलना में वित्तीय और भौतिक लक्ष्यों की जांच से स्पष्ट हुआ कि भौतिक लक्ष्यों और वित्तीय परिव्यय के बीच कोई सीधा सह-संबंध नहीं था। पी0एम0ए0वाई0-जी0 में 2017-18 से 2020-21 के दौरान बजट आकलन से वास्तविक व्यय नौ प्रतिशत से 83 प्रतिशत कम था, हालांकि 2016-17 में यह बजट अनुमान से 62 प्रतिशत अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान शून्य उपलब्धियों के कारण के संबंध में विभाग का जवाब प्रतीक्षित था।

3.7.4.3 आंकड़ों की विश्वसनीयता

वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली, कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी के लिए अनेक उपकरणों में से एक है। एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई0एम0आई0एस0) एक व्यापक वेब आधारित सूचना प्रणाली है जो राज्यों और केंद्र को कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाती है। लेखापरीक्षा अवलोकन निम्न प्रकार हैं -

अ पी0एम0जी0एस0वाई0

तालिका 3.24: परिणाम बजट और ओ0एम0एम0ए0एस में विसंगति²⁸

परिणाम बजट/उपलब्धि प्रतिवेदन के अनुसार				ओ0एम0एम0ए0एस के अनुसार			परिणाम बजट के लक्ष्य में ओ0एम0एम0ए0एस प्रतिवेदन की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
वर्ष	लक्ष्य (किमी)	उपलब्धि (किमी)	कमी	लक्ष्य (किमी)	उपलब्धि (किमी)	कमी	
2018-19	5,800	अनुपलब्ध	--	3,960	3,199.59	760.41	46.46
2019-20	4,500	691	3,809	3,370	406.35	2,963.65	33.53
2020-21	3,600	1805	1,795	2,600	1,806.14	793.86	38.46

(स्रोत— ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार)

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, विगत पांच वर्षों में परिणाम बजट प्रतिवेदन और ओ0एम0एम0ए0एस0 (एमआईएस) प्रतिवेदन में अंकित पी0एम0जी0एस0वाई0 के लक्ष्यों के बीच बहुत भिन्नता है। यह भिन्नता 33.53 प्रतिशत से 46.46 प्रतिशत तक है। हालांकि पी0एम0जी0एस0वाई0 की उपलब्धि दोनों प्रतिवेदनों में लगभग एक जैसी थी। लेकिन निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध दोनों प्रतिवेदनों में उपलब्धि ओ0एम0एम0ए0एस0 प्रतिवेदन के निकटतम है, यद्यपि केवल 69.67 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति, यह दर्शाती है कि परिणाम बजट प्रतिवेदन के साथ-साथ ओ0एम0एम0ए0एस0 प्रतिवेदन में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली वास्तविकता से बहुत दूर थी।

ब पी0एम0ए0वाई0—(जी0)

तालिका 3.25: परिणाम बजट और आईएमआईएस प्रतिवेदन में विसंगति

वर्ष	परिणाम बजट के अनुसार (बसावटों की संख्या) ²⁹			आईएमआईएस के अनुसार (बसावटों की संख्या) ³⁰		
	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी	लक्ष्य	उपलब्धि	कमी
2016-17	6,37,658	1,72,821	4,64,837	अनुपलब्ध	1	ज्ञात नहीं
2017-18	5,38,959	1,39,839	3,99,120	अनुपलब्ध	28,135	
2018-19	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	5,81,832	
2019-20	8,00,000	1,11,540	6,88,460	अनुपलब्ध	3,76,220	
2020-21	7,00,000	8,90,264	1,90,264 अधिक	अनुपलब्ध	9,42,626	

(स्रोत उपलब्धि प्रतिवेदन और pmay.nic.in)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, 2016–21 की अवधि के दौरान पी0एम0ए0वाई0—(जी0) के परिणाम बजट प्रतिवेदन और आवास सॉफ्ट (एम0आई0एस0 प्रतिवेदन) प्रतिवेदन में लक्ष्य और उपलब्धि के बीच एक बड़ा अंतर था। आवास सॉफ्ट में लक्ष्य से संबंधित जानकारी नहीं दी गई थी। हालांकि योजनाओं की उपलब्धि विभाग की उपलब्धि से मेल नहीं खाती थी। आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण दो प्रकार के प्रतिवेदनों के बीच आंकड़ों का सत्यापन संभव नहीं हो सका। आंकड़ों की विश्वसनीयता संदिग्ध थी।

3.7.4.4 सी0एफ0एम0एस0 से लाभ/हानि

सी0एफ0एम0एस0 का उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर सरकारी कामकाज को अधिक पारदर्शिता प्रदान करना और अंतिम स्तर तक निधियों को ट्रैक करना है जिससे मध्यवर्ती विलंब को कम किया जा सके और लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया जा सके।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि दो वर्षों के कार्यान्वयन के बाद भी, सी0एफ0एम0एस0 इसके लागू किये जाने के पूर्व के समय के अवास्तविक बजट तैयार करने (कंडिका 3.3.4), पूंजीगत से राजस्व और अन्य का गलत वर्गीकरण (कंडिका 2.4.4.1) जैसे मामलों का समाधान नहीं कर सका है।

²⁸ ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ओ0एम0एम0ए0एस0) बी0आर0आर0डी0ए0 द्वारा किए गए कार्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति का प्रबंधन और निगरानी के लिए एक उपकरण।

²⁹ उपलब्धि प्रतिवेदन के साथ परिणाम बजट।

³⁰ पी0एम0ए0वाई0 साईट एन0आई0सी0 द्वारा अनुरक्षित (pmay.nic.in)।

3.7.4.5 निष्कर्ष

बिहार सरकार के परिणाम बजट में संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामस्वरूप सामान्य बचत, बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र की वर्तमान स्थिति और विभाग के साथ अव्ययित शेष राशि के बारे में जानकारी नहीं दी गई। भौतिक उत्पादन लक्ष्य यथार्थवादी तरीके से तय नहीं किए गए थे। आंकड़ों में विसंगतियां थीं जिन्होंने वित्तीय परिव्यय से अपेक्षित परिणामों को मापने के लिए एक साधन के रूप में परिणाम बजट की उपयोगिता को कमजोर किया।

हालांकि, परिणाम बजट तैयार करने के दिशा-निर्देशों से विचलन ने इस मौलिक उद्देश्य को कमजोर किया। वित्तीय परिव्यय और भौतिक परिणामों के बीच कोई प्रत्यक्ष सह-संबंध नहीं था; एक ही बजटीय आवंटन के भीतर उपलब्धियां लक्ष्यों की तुलना में कम थीं; परिणाम बजट और वेब-आधारित ऑनलाइन प्रणाली के बीच कार्यक्रमों के लक्ष्यों के आंकड़ों के चित्रण में विसंगति थी; और वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी आंकड़ों की अविश्वसनीयता से प्रभावित थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यह प्रयास बिना उचित सावधानी के किया गया था और इस प्रकार लक्षित लाभार्थियों को परिणाम बजट प्रस्तुत करके आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित लाभ नहीं पहुंचाया जा सका।

3.8 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को विभागीय नियंत्री अधिकारियों के माध्यम से व्यय की प्रवृत्ति की निगरानी करनी चाहिए ताकि अनावश्यक प्रावधान न किए जाएं, निधियों को अनावश्यक रूप से नहीं रखा जाए और अंतिम क्षणों में अभ्यर्पण और आवंटन को व्यपगत किए बिना, निधियों को शीघ्रताशीघ्र अभ्यर्पित किया जाए।

सरकार को चाहिए कि –

- सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचत समय पर अभ्यर्पित कर दी गईं ताकि निधियों का उपयोग अन्य विकास उद्देश्यों के लिए किया जा सके।
- लगातार बचत के कारणों की समीक्षा करें और ऐसी स्थितियों से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि आवंटित राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
- अनुदान नियंत्री अधिकारियों के पुनर्विनियोग प्रस्तावों पर तभी सहमत हों जब व्यय की प्रवृत्ति इनके लिए आवश्यक हो।
- समय पर राशि का अभ्यर्पण सुनिश्चित करें और अभ्यर्पण को कम करने के लिए विभागों को समय पर बजटीय संसूचना की एक प्रणाली विकसित किया जाय।
- वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग के दौरान व्यय की अधिकता को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए।
- एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम0आई0एस0) तैयार करें जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के स्तर पर आधारित सभी एसी विपत्रों की अव्ययित राशि को प्रकाश में लाने में मदद करे जिन्हें वे वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले समेकित निधि में अंतरित करने में विफल रहते हैं।
- वित्त विभाग को इस बात पर जोर देना चाहिए कि संबंधित विभाग जेंडर बजट/बाल कल्याण बजट/हरित बजट और परिणाम बजट के लिए निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करे ताकि सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता आ सके और कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

अध्याय–IV
लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन
संव्यवहार

यह अध्याय, वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और पूर्णता, पारदर्शिता, माप एवं प्रकटीकरण के संबंध में निर्देशों का अनुपालन तथा लेखाओं की गुणवत्ता का अवलोकन करता है।

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना पर आधारित एक बेहतर आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली, राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार, वित्तीय नियम, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसे अनुपालनों की स्थिति प्रतिवेदन की समयपरता एवं गुणवत्ता, सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन एवं नियंत्रण पर प्रतिवेदन यदि प्रभावी एवं क्रियात्मक हो तो यह राज्य सरकार को उनके आधारभूत उत्तरदायित्व के निर्वहन, रणनीतिक योजना का निर्माण एवं निर्णय लेने में सहायक होता है।

लेखाओं की पूर्णता से संबंधित मामले

4.1 राज्य की समेकित निधि एवं लोक लेखे के बाहर की निधि

संविधान के अनुच्छेद 267 के प्रावधानों के अधीन, अनुच्छेद 266 (1) निर्धारित करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज हंडियों को निर्गमित करके उस सरकार द्वारा उगाही किए गए सभी ऋणों, अर्थोपाय अग्रिमों और उस सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से प्राप्त सभी धन एक समेकित निधि बनाएगी, जिसे "राज्य की समेकित निधि" कहा जाएगा।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 5(1) के अनुसार, राज्य द्वारा नियुक्त किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार अथवा उगाही किए गए सरकारी लोक धन राजस्व के अलावा, प्राप्त या जमा किए गए सभी धन, लोक लेखे में जमा किए जाएंगे।

उपकर संग्रहण

राज्य में क्रियाशील उपकर संग्रहण में से दो की संवीक्षा लेखापरीक्षा के दौरान की गई, अवलोकन निम्नवत थे—

• भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर

भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (बी0ओ0सी0डब्ल्यू0) का गठन राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2008 में किया गया था। बोर्ड का मुख्य कार्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत निधि उपलब्ध कराना है। बोर्ड, वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य में भारत सरकार, बिहार सरकार, अर्द्ध-सरकारी और निजी क्षेत्र के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों पर किये गए कुल खर्च का एक प्रतिशत की दर से निधि एकत्र करता है।

विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा—108—लोक कार्य जमा के अन्तर्गत लेखांकित किया गया था जिसमें श्रम उपकर के अलावा कई अन्य प्राप्तियाँ भी थी। परिणामतः, विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। सरकार द्वारा जून 2019 में एक अलग उप-शीर्ष (8443—00—108—0004), श्रम से संबंधित परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न विभागों द्वारा संग्रहित श्रम उपकर के लेखांकन के लिए खोला गया था। वित्त लेखे 2020—21 के अनुसार, ₹ 116.97 करोड़ की राशि जमा एवं ₹ 31.44 करोड़ की निकासी के फलस्वरूप 31 मार्च 2021 तक ₹ 85.53 करोड़ की राशि शेष थी। यद्यपि, बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 ने कहा है कि 2020—21 के दौरान श्रम उपकर से ₹ 329.96 करोड़ संग्रहित किये गए तथा ₹ 540.01 करोड़

(योजनाओं और स्थापना पर व्यय सहित) व्यय किये गये। हालाँकि, वित्त लेखे 2020-21 में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा अंत शेष ₹ 1,175.64 करोड़ को सम्मिलित नहीं किया गया था। चूँकि इस संबंध में बी0ओ0सी0डब्ल्यू0 द्वारा विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई फलतः संग्रहित आँकड़ों के अंतर पर लेखापरीक्षा द्वारा टिप्पणी नहीं की जा सकी।

• बिहार जिला खनिज फाउण्डेशन (बी0डी0एम0एफ0)

इसका गठन, खानों एवं खनिजों (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम 67) की धारा 9B के साथ पठित धारा 15A की उप-धारा (4) में प्रदत्त शक्तियों के तहत, वर्ष 2015 में यथासंशोधित, किया गया था, जो खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए क्रियाशील था। सरकार द्वारा निर्दिष्ट दरों पर खनिज रियायतों के धारकों से प्राप्त शुल्क से निधि का संग्रहण, की जाती है। उक्त निधि का उपयोग "प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना" के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक ₹ 61.75 करोड़ की राशि संग्रहित की गई है, जिसमें से ₹ 23.12 करोड़ 2020-21 से संबंधित हैं। हालाँकि, संबंधित वर्षों के वित्त लेखे में इन आँकड़ों को लेखाबद्ध नहीं किया गया था जबकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा किये गए थे। अतः लेखापरीक्षा द्वारा निधि की वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

4.2 ब्याज सहित जमा राशियों पर ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना

सरकार का दायित्व है कि वह ब्याज सहित वाली जमा राशियों पर ब्याज का भुगतान करे, जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1: ब्याज सहित जमा के संबंध में ब्याज के दायित्व का निर्वहन नहीं करना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ब्याज सहित जमा का नाम	01 अप्रैल 2020 को शेष राशि	ब्याज देय		ब्याज भुगतान
			बकाया	दर (प्रतिशत)	
1.	8342-अन्य जमा-117-सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन योजना	349.85	27.76	7.1	शून्य
2.	8011-बीमा एवं पेंशन निधि-106-अन्य बीमा एवं पेंशन निधि	41.12			शून्य
3.	8121-129- राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि (एस0सी0ए0एफ0)	522.95	17.78	3.4	शून्य
4.	8009-101- सामान्य भविष्य निधि	10,322.15	732.87	7.1	450.00
5.	8009-104- अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि	243.30	17.27	7.1	13.50
कुल			795.68		463.50

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)


सरकार द्वारा ₹ 332.18 करोड़ (₹ 795.68 करोड़ - ₹ 463.50 करोड़) की राशि का प्रावधान ब्याज सहित जमाराशियों पर ब्याज के भुगतान के लिए नहीं किया गया था। इस प्रकार, सरकार की ब्याज देयता के कम प्रावधान के कारण राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे पर ₹ 332.18 करोड़ की कमी थी।

4.3 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधे हस्तांतरण

केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/ गैर-सरकारी संगठनों को पर्याप्त धनराशि सीधे हस्तांतरित करती है। चूँकि, इन निधियों को राज्य बजट के माध्यम से नहीं दिया जाता है, अतः यह राज्य सरकार के खातों में परिलक्षित नहीं होते हैं। ये हस्तांतरण संबंधित वर्षों के वित्त लेखे के खंड-II के परिशिष्ट-VI में प्रदर्शित होते हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे ₹ 16,440.70 करोड़ हस्तांतरित किये गये जो विगत वर्ष (₹ 10,170.12 करोड़) की तुलना में 61.66 प्रतिशत अधिक था। पिछले पांच वर्षों के दौरान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण की प्रवृत्ति को चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि का सीधे हस्तांतरण



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

छ: कार्यान्वयन एजेंसियों से विभिन्न योजनाओं³¹ के अंतर्गत प्राप्त निधि की उपयोगिता से संबंधित जानकारी माँगी गई थी। यद्यपि, कोई भी जानकारी इन एजेंसियों द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं की गई।

4.4 स्थानीय जमा निधि

राज्य पंचायती राज्य अधिनियम प्रावधान करता है कि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय जमा निधि-109-पंचायत निकाय कोष अंतर्गत), क्रमशः जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कोष का संधारण कर सकेंगे। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन तथा पंचायती राज्य संस्थानों (पी0आर0आई0) द्वारा प्राप्त सभी धन जैसे कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग अनुदान के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और अपने स्वयं के राजस्व (कर एवं करेतर प्राप्तियों सहित) शामिल होंगे। नगरपालिका अधिनियम में यह भी परिकल्पना की गयी है कि नगरपालिका निधि नगर निकाय के पास होगा। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या प्राप्त किये जाने योग्य सभी धन के साथ-साथ नगर निकाय द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय जमा निधि -102-नगर निकाय कोष में रखा जाता है। स्थानीय निधि के अंतर्गत नगर निकाय कोष एवं पंचायत निकाय कोष के अन्तर्गत जमा करने का विवरण तालिका 4.2 में है।

तालिका 4.2: स्थानीय जमा निधि

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
नगर निकाय कोष (8448-102)	प्रारंभिक शेष	1	1,738.35	2,330.64	2,742.77	3,307.66	3,743.56
	प्राप्तियाँ	2	2,122.51	1,968.32	2,712.09	2,469.66	3,913.13
	व्यय	3	1,530.22	1,556.19	2,147.20	2,033.77	2,622.90
	अंत शेष	4	2,330.64	2,742.77	3,307.66	3,743.56	5,033.79

³¹ योजना एवं विकास विभाग अंतर्गत सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, एम्स पटना अंतर्गत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी0एम0-किसान)।

वर्ष		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
पंचायत निकाय कोष*	प्रारंभिक शेष	5	140.38	434.93	631.61	650.49	754.98
	प्राप्तियाँ	6	650.99	695.52	735.54	374.78	556.49
	व्यय	7	356.44	498.84	716.67	270.29	458.89
	अंत शेष	8	434.93	631.61	650.49	754.98	852.58

* जिला परिषद और पंचायत समिति निधि शामिल
(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि, पिछले कई वर्षों में, बिहार सरकार राजस्व एवं पूँजीगत मुख्य शीर्ष खातों को डेबिट करके समेकित निधि से राशि को लोक निधि (विशेष रूप से जमा खातों) में हस्तांतरित कर रही है। हस्तांतरित राशि को उस वर्ष के लिए व्यय के रूप में खातों में लिया जाता है यद्यपि वास्तविक व्यय संबंधित वर्ष के दौरान हुआ हो अथवा नहीं। वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक जमा खाता (मुख्य शीर्ष 8448) में संग्रहित ₹ 28,573.60 करोड़ (तालिका 4.3 में वर्णित) है, जिसे संबंधित वर्षों में राजस्व या पूँजीगत व्यय के रूप में पहले ही दर्शाया जा चुका है, लेकिन जमा शीर्ष में अव्ययित पड़ा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने वाले मुख्य चूककर्ता विभागों में पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग भी थे जैसा कि कंडिका 4.5 में चर्चा की गई है। राजस्व और पूँजी शीर्षों से हस्तांतरण के अलावा, यह भी देखा गया कि ऋण एवं अग्रिम से ₹ 605.79 करोड़ और प्राप्ति शीर्ष से ₹ 276.69 करोड़ भी जमा शीर्षों में हस्तांतरित किए गए हैं। वित्त विभाग से जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण ऋण एवं अग्रिम शीर्ष तथा प्राप्ति शीर्षों से हस्तांतरण के कारणों का पता नहीं चल सका।

तालिका 4.3: स्थानीय जमा निधि की हस्तांतरित राशि का प्रवृत्ति विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व			पूँजीगत			योग	8448 का अंत शेष
	वित्त लेखे के अनुसार राजस्व व्यय	मुख्य शीर्ष 8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता	वित्त लेखे के अनुसार पूँजीगत व्यय	8448 में हस्तांतरित राशि	राशि की प्रतिशतता		
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+6)	
2016-17	94,765	6,007	6.34	27,208	14,862	54.62	20,869	13,110.29
2017-18	1,02,624	7,135	6.95	28,907	15,069	52.13	22,204	21,728.33
2018-19	1,24,897	9,306	7.45	21,058	13,606	64.61	22,912	23,181.78
2019-20	1,26,017	14,531	11.53	12,304	11,314	91.95	25,845	24,942.26
2020-21	1,39,493	11,876	8.51	18,209	9,167	50.34	21,043	28,573.60

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण से पता चला है कि स्थानीय निधियों के राजस्व व्यय में 47 प्रतिशत की वृद्धि जबकि पूँजीगत व्यय में 33 प्रतिशत की कमी आई थी। यह राज्य स्तर पर व्यय के अनुरूप है जहां राजस्व व्यय 89.75 प्रतिशत से बढ़कर 108.84 प्रतिशत हो गया जबकि इसी अवधि में पूँजीगत व्यय 125.96 प्रतिशत से घटकर 49.57 प्रतिशत हो गया था।

यह भी ज्ञात हुआ कि पिछले पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय की नामित राशि को मुख्य शीर्ष-8448 में 50 से 92 प्रतिशत तक जबकि राजस्व व्यय की राशि को 6 से 12 प्रतिशत तक हस्तांतरित की गई, जो निधियों के अव्यवहृत रहने को प्रोत्साहित कर रहा है। लोक लेखे की अव्यवहृत राशि, वास्तविक पूँजीगत व्यय के अतिकथन को इंगित करता है।

31 मार्च 2021 तक 260 पी0एल0 खाते में (सात नए पी0एल0 खातों सहित) शेष ₹ 28,376.52 करोड़ था। इसके अलावा 18 पी0एल0 खातों को सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरित नहीं किया गया था जिसमें ₹ 5.87 करोड़ शेष था।

260 पी0एल0 खातों में से 13 पी0एल0 खाते ऐसे थे, जिसमें ₹ 6.22 करोड़ शेष थे, जिनमें पांच वर्षों से अधिक समय से कोई लेनदेन नहीं हुआ।

14 पी0एल0 खाते ऐसे थे जिनमें 2018-19 के अंत शेष और 2019-20 के आरंभिक शेष के बीच विसंगतियां पाई गई थीं। सितंबर 2021 तक ₹ 5.82 करोड़ की विसंगति का समाशोधन नहीं किया गया था इसके अलावा, सड़क निर्माण विभाग के अंतर्गत, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के एक पी0एल0 खाते में, 2019-20 के अंत शेष एवं 2020-21 के प्रारंभिक शेष में ₹ 650.00 करोड़ का अंतर पाया गया था।

समय-समय पर पी0एल0 खातों का समाशोधन नहीं किया जाना एवं पी0एल0 खातों के अवशेष राशि का वित्त वर्ष समाप्ति के पूर्व समेकित निधि में हस्तांतरण नहीं किया जाना लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

पारदर्शिता से संबंधित मुद्दे

4.5 उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति में विलंब

बिहार वित्त नियमावली के नियम 341(2) के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान उतने ही अनुदान का भुगतान करना चाहिए जितनी कि वर्ष के दौरान व्यय होने कि संभावना हो। बिहार कोषागार संहिता के नियम 431 के अंतर्गत सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) के लिए विपत्र हस्ताक्षरित या प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिकारी को देखना चाहिए कि आवश्यकता से पूर्व अग्रिम धन का आहरण न हो। मार्च महीने में इन अनुदानों के सघन भुगतान के कोई भी अवसर नहीं होने चाहिए। आगे, वित्त विभाग के शासकीय आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2011 द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देने की समय सीमा संस्वीकृति की तिथि से 18 माह तक निर्धारित किया गया है।

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार विवरणी तालिका 4.4 में दर्शायी गई है:

तालिका 4.4 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की वर्षवार विवरणी

(₹ करोड़ में)


वर्ष*	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
2018-19 तक	2,633	49,853.07
2019-20	645	26,922.62
2020-21	608	15,911.62
कुल	3,886	92,687.31

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

* उल्लेखित वर्ष, लंबित वर्ष से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 महीने बाद।

मुख्य चूककर्ता विभाग पंचायती राज विभाग (₹ 26,922.39 करोड़), शिक्षा विभाग (₹ 19,212.69 करोड़), समाज कल्याण विभाग (₹ 10,941.87 करोड़), शहरी विकास एवं आवास विभाग (₹ 10,022.99 करोड़), ग्रामीण विकास विभाग (₹ 4,635.73 करोड़) आदि थे, जैसा कि चार्ट 4.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.2: लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र वाले 10 मुख्य विभाग



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

अनुदान सं- 42 ग्रामीण विकास विभाग के जाँच में पाया गया कि कुछेक मामलों में अगला अनुदान कुछ शर्तों के अधीन विमुक्त किया गया था जिसमें उपयोगिता प्रमाण पत्र तीन माह के अंदर समर्पित करना था। हालाँकि, उस समय सीमा के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

2020-21 के दौरान सरकार द्वारा भुगतान किए गए ₹ 54,928.98 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन पर ₹ 10,273.35 करोड़ खर्च किए गए थे। राज्य के वित्त प्रतिवेदन 2020-21 के एकजट सम्मेलन के दौरान वित्त विभाग ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्रों के निपटान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

यद्यपि कि नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र के प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे मामलें प्रकाशित किए जाते रहे हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। कई मामलों में, प्राप्तकर्ताओं को संबंधित विभागों से आगे भी अनुदान प्राप्त होना जारी रहता है, भले ही पहले के अनुदानों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित हों। अधिक मात्रा में उपयोगिता प्रमाण पत्र का लंबित रहना, निधि के दुरुपयोग एवं धोखाधड़ी के जोखिम को बढ़ाता है।

उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने का तात्पर्य है कि वर्षों से निधि कैसे खर्च किया गया प्राधिकरणों द्वारा नहीं बताया जाना। इन निधियों को उपलब्ध कराने से लक्षित उद्देश्य प्राप्त कर लिए गए हैं, ऐसा कहा जाना भी संभव नहीं है।


4.5.1 अनुदेयी संस्थाओं को "अन्य" अभिलेखित किया जाना

सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को समुचित संस्थान कोड देने के लिए राज्यों में एक तंत्र होना चाहिए। ये अनुदान प्रधान महालेखाकार कार्यालय के वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण (वी0एल0सी0) प्रणाली में भी दर्ज किए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र की राशि की निगरानी की जाती है। यदि, अनुदान राज्य के कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, तो लेखाओं की पारदर्शिता के हित में यह आवश्यक है कि सरकार अनुदेयी संस्थान, जिन्हें निधि प्रदान की जा रही है, का विवरण तथा स्वरूप बताए।

जाँच के दौरान देखा गया कि वी0एल0सी0 प्रणाली के माध्यम से संस्वीकृत सहायता अनुदान और उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र दर्ज किया गया और विभागवार अनुश्रवण किया गया। यह भी देखा गया

कि 2020-21 के दौरान कुल सहायता अनुदान की राशि ₹ 54,928.98 करोड़ में से ₹ 31,159.75 करोड़ (56.73 प्रतिशत) 'अन्य' के रूप में दर्ज किया गया (परिशिष्ट-III, वित्त लेखे, 2020-21)। विगत तीन वर्षों में 'अन्य' के रूप में सहायता अनुदान का कुल सहायता अनुदान की प्रतिशत प्रवृत्ति चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: अनुदेयी संस्थानों का "अन्य" के रूप में अभिलेखन



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

यह आवश्यक है कि सरकार उस अनुदानी संस्था का ब्यौरा और स्वरूप उपलब्ध कराए जिसे वह धन उपलब्ध करा रही है। उचित कोड के अभाव में, सभी संस्थानों में लंबित राशि का पता नहीं लगाया जा सका, जो लेखे की पारदर्शिता को प्रभावित करता है।

4.6 सार आकस्मिक (ए0 सी0) विपत्र

बिहार कोषागार संहिता (बी0टी0सी0), 2011 के नियम 177 में यह प्रावधान है कि आहरण और संवितरण अधिकारी (डी0डी0ओ0) द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर आहरित निधि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और अव्ययित राशि को उसी वर्ष के 31 मार्च के पूर्व कोषागार को प्रेषित कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बी0टी0सी0, 2011 के नियम 194 के अनुसार, जिस महीने में ए0सी0 विपत्र आहरित कि गई हो उसके अगले छः माह के भीतर प्रतिहस्ताक्षरित विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी0सी0) प्रस्तुत किया जाएगा। कोई भी सार आकस्मिक विपत्र का आहरण छः माह के बाद तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि विस्तृत आकस्मिक विपत्र समर्पित नहीं कर दिया जाता। ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के समर्पित किए जाने का वर्षवार प्रगति तालिका 4.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.5: ए0सी0 विपत्रों के विरुद्ध डी0सी0 विपत्रों के प्रस्तुत किए जाने का वर्षवार प्रगति (₹ करोड़ में)


वर्ष	आरंभिक शेष		योग		समाशोधन		अवशेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2018-19 तक	1,05,710	48,335	0	0	91,203	43,940.63	14,507	4,394.37
2019-20	14,507	4,394.37	5,689	4,231.06	0	0	20,196	8,625.43
2020-21	20,196	8,625.43	6,308	4,834.28	0	0	26,504	13,459.71

(स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें)

वर्ष 2020-21 के दौरान, 1833 ए0सी0 विपत्रों की कुल राशि ₹ 429.32 करोड़ (कुल आहरित 6,308 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 4,834.28 करोड़ का 8.88 प्रतिशत) मार्च 2021 में आहरित की गई। 602 ए0सी0 विपत्रों की राशि ₹ 291.92 करोड़ (कुल आहरित ए0सी0 विपत्रों का 6.04 प्रतिशत) विभिन्न पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए आहरित किए गए थे।

वी0एल0सी0 आँकड़ों (2016-17 से 2020-21) के प्रवृत्ति विश्लेषण में पाया गया कि मुख्य शीर्ष 4047 से मुख्य शीर्ष 5475 के तहत पूँजीगत व्यय के लिए ₹ 3,637.21 करोड़ आहरित किए गए थे। इनमें से, ₹ 2,490.34 करोड़ मार्च 2021 तक असमायोजित थे। पूँजीगत व्यय पर अग्रिम आहरण के कारण का पता नहीं लगाया जा सका। मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र चार्ट 4.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.4: मुख्य शीर्षवार लंबित डी0सी0 विपत्र



(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

वित्तीय वर्ष के अंत में सार आकस्मिक विपत्रों द्वारा पूँजीगत परिसम्पत्ति निर्माण पर व्यय मुख्यतः बजट प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किए गए आहरण के साथ-साथ कमजोर लोक व्यय प्रबंधन को दर्शाता है। अग्रिमों का लंबी अवधि तक असमायोजित रहना दुर्विनियोजन एवं धोखाधड़ी के जोखिम से भरा होता है।

निर्धारित समय के भीतर डी0सी0 विपत्र जमा न करना वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है।

4.6.1 सी0एफ0एम0एस0, में 'ऑनलाइन विपत्र तैयार करने एवं जमा करने' मॉड्यूल के तहत डी0सी0 और यू0सी0 विपत्र का गैर-कार्यान्वयन एवं अनुपालन नहीं किया जाना

बिहार सरकार ने 01 अप्रैल 2019 से सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिए सी0एफ0एम0एस0 के रूप में एक परियोजना शुरू की है। सरकार ने कहा कि व्यय प्रबंधन को शामिल करने वाले आठ मॉड्यूल पूरी तरह कार्यात्मक हैं। ए0सी0/डी0सी0 और यू0सी0 विपत्रों की देख-रेख और निगरानी के लिए एक मॉड्यूल विकसित करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा द्वारा सी0एफ0एम0एस0 के "ऑन-लाइन विपत्र तैयार करने एवं जमा करने" मॉड्यूल की समीक्षा की गई और पाया गया कि ए0सी0 और सहायता अनुदान विपत्र का स्वरूप एवं प्रावधान सी0एफ0एम0एस0 में लागू किया गया, जैसा कि निर्धारित था। हालाँकि, अगस्त 2021 तक ए0सी0 विपत्रों के समायोजन के लिए संबंधित प्रावधान लागू नहीं किया गया था। डी0सी0 विपत्रों को सी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से नहीं दर्शाए जाने के परिणामस्वरूप, सी0एफ0एम0एस0 में लंबित ए0सी0 विपत्रों की निगरानी नहीं की जा सकती है, जिससे मॉड्यूल का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है।

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के साथ वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे पर एक्जिट सम्मेलन (अक्टूबर 2021) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा बताया गया कि सी०एफ०एम०एस० में डी०सी० विपत्र का कार्यान्वयन 2021-22 के दौरान प्रारंभ करने का इरादा है।

4.7 व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाता

बी०टी०सी० 2011 के नियम 339 में वर्णित है कि महालेखाकार को सूचना देते हुए वित्त विभाग के लिखित प्राधिकार के बिना कोई भी व्यक्तिगत जमा खाता कोषागार में नहीं खोला जाएगा। नियम 340(बी) में कहा गया है कि इस खाते का उपयोग केवल उन विशेष मामलों के लिए किया जाएगा, जहां सार्वजनिक हित में व्यय का प्रवाह सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं होती है या बड़ी संख्या में छोटे लाभार्थी होते हैं जो कि दूर-दराज बिखरे हुए हों जिन्हें कोषागार के माध्यम से प्रत्यक्ष संवितरण व्यावहारिक नहीं हो। पी०डी० खातों में समेकित निधि से किया गया हस्तांतरण संबंधित सेवा मुख्य शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है। पी०डी० प्रशासकों को वित्तीय वर्ष के अंत में सभी पी०डी० खातों की समीक्षा करने और लगातार पाँच वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष, जिसमें धन आहरण किया गया था को मिलाकर)³² तक अव्ययित राशि को सेवा शीर्ष के व्यय में कमी कर समेकित निधि को हस्तांतरित करना आवश्यक है।

वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना³³ के अनुसार, दिनांक 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी पी०डी०/व्यक्तिगत बही (पी०एल०) खाता, दिनांक 01.04.2019 को सी०एफ०एम०एस० में खोला हुआ माना जाएगा और पी०डी०/पी०एल० खातों में अप्रयुक्त राशि बाद के पाँच वर्षों में व्यय हो जाएगी। वर्तमान में, निष्क्रिय पी०डी० खातों की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है।

जाँच के दौरान पता चला कि मार्च 2021 के अंत में 252 पी०डी० खातों में प्रशासकों के पास ₹ 3,811.33 करोड़ पड़े थे जैसा कि तालिका 4.6 में दर्शाया गया है। इसके अलावा, पी०डी० खातों और वित्त लेखे (विवरणी-21, मुख्य शीर्ष 8443-106) के अंत शेष के बीच ₹ 9.18 करोड़ का अंतर पाया गया।

इनके अलावा, 10 पी०डी० खाते, जिनमें ₹ 1.54 करोड़ की राशि पड़ी है, सी०टी०एम०आई०एस० से सी०एफ०एम०एस० में स्थानांतरित किए जाने हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया है।

तालिका 4.6: सी०एफ०एम०एस० के अनुसार वर्ष 2020-21 के दौरान पी०डी० खातों की विवरणी (₹ करोड़ में)

01.04.2020 को आरंभिक शेष		वर्ष के दौरान योग		वर्ष के दौरान समापन		31.03.2021 को अंत शेष	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
158 ¹	3,312.94	90 ²	1,061.65	0	563.26	252 ³	3,811.33

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

टिप्पणी-


- 158 में से दो नए पी०डी० खाते जिनमें से एक 2017 में महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख के अनुसार बंद हो गया है, लेकिन अभी भी सी०एफ०एम०एस० में प्रदर्शित हो रहा है।
- 90 नए पी०डी० खाते खोले गए जिनमें ₹ 199.17 करोड़ की राशि जमा की गई।
- 252 पी०डी० खाते में से 2 पी०डी० खातों को वर्ष के दौरान सी०एफ०एम०एस० में स्थानांतरित किया गया है। इस वर्ष 2 नए पी०डी० खाते सामने आए जिनमें से एक को वर्ष 2017 में महालेखाकार कार्यालय के अभिलेख के अनुसार बंद कर दिया गया और एक पी०डी० खाता सी०एफ०एम०एस० में नए के रूप में दिखाई दिया जबकि यह सी०एफ०एम०एस० से पूर्व के डाटा बेस में उपलब्ध नहीं था।

³² बिहार सरकार की अधिसूचना सं० 6679 दिनांक 23.08.2016।

³³ अधिसूचना सं०. एम०-4-02/2020-2916/एफ० दिनांक: 03.06.2020।

वर्ष के अंत में पी0डी0 खातों में समापन शेष की प्रवृत्ति को चार्ट 4.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.5: 2016-17 से 2020-21 के दौरान पी0डी0 खातों में समापन शेष



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान, 89 पी0डी0 खाते ऐसे पाए गए, जिनमें पिछले पांच वर्षों से कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

पी0डी0 खातों की शेष राशि का समय-समय पर समाशोधन नहीं किया जाना, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले पी0डी0 खातों में अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित नहीं करना लोक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन के जोखिम को दर्शाता है। राज्य को चाहिए कि (i) पी0डी0 खातों में राशि को अवरुद्ध रखने को निरुत्साहित करें जिससे विधायिका से जाँच कम हो जाती है और (ii) मौजूदा प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

4.8 लघु शीर्ष '800' का अनुचित प्रयोग

अन्य प्राप्तियों और अन्य व्यय से संबंधित लघु शीर्ष 800 को केवल तभी संचालित किया जाना चाहिए जब लेखे में उपयुक्त लघु शीर्ष का प्रावधान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित व्यवहार को निरुत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह शीर्ष, संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों इत्यादि को नहीं दर्शाता है फलतः लेखे के पारदर्शिता को प्रभावित करता है। वर्ष 2020-21 के दौरान, कुल व्यय ₹ 1,57,702.05 करोड़ में से ₹ 132.24 करोड़ (0.08 प्रतिशत) का व्यय लघु शीर्ष '800' में नामित किया गया था। इसी प्रकार, कुल प्राप्त ₹ 1,28,168.34 करोड़ में से ₹ 3,364.36 करोड़ (2.62 प्रतिशत) लघु शीर्ष '800' में नामित किया गया था। लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यय एवं प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत एवं अधिक) क्रमशः तालिका 4.7 एवं 4.8 में उल्लेखित हैं।

तालिका 4.7: वित्त वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800-“अन्य व्यय” के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण व्यय (50 प्रतिशत और अधिक)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष '800' अंतर्गत व्यय	कुल व्यय के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में व्यय का प्रतिशत
1	2250	अन्य सामाजिक सेवा	13.71	17.01 ³⁴	124.09
2	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	53.47	53.47	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

³⁴ ₹ 17.01 करोड़ में से ₹ 3.30 करोड़ अधिक भुगतान की वसूली की गई (₹ 3.65 करोड़ रुपये-₹ 0.35 करोड़ धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियमों के प्रशासन के अधीन थे)।

तालिका 4.8: वित्त वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800 – “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत नामित महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ (50 प्रतिशत और अधिक)


(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष '800' अंतर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियों के अनुपात में लघु शीर्ष '800' में प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	3,240.62	3,063.65	94.54
2	0059	लोक कार्य	4.79	4.46	93.03
3	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	27.88	15.67	56.21
4	0075	विविध सामान्य सेवाएं	33.75	28.54	85.01
5	0230	श्रम और रोजगार	11.36	7.98	70.26
6	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0.06	0.06	100.00
7	0401	फसल कृषिकर्म	8.47	4.71	55.68
8	0426	सहकारिता	6.17	3.28	53.10
9	0851	ग्राम और लघु उद्योग	0.10	0.10	100.00
10	0852	उद्योग	0.11	0.11	100.00
11	1053	नागरिक उड्डयन	3.15	3.13	99.32
12	1056	अंतर्देशीय जल परिवहन	0.01	0.01	100.00
13	1456	सिविल आपूर्ति	0.01	0.01	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)


इसके अलावा, वर्ष 2016-17 से 2020-21 के दौरान, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत व्यय ₹ 174.65 करोड़ से घटकर ₹ 132.24 करोड़ तथा प्राप्तियाँ ₹ 1,212.95 करोड़ से बढ़कर ₹ 3,364.36 करोड़ हो गया। जैसा कि चार्ट 4.6 और चार्ट 4.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.6: वित्त वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-“अन्य व्यय” का संचालन



(स्रोत: वित्त लेखे, 2016-17 से 2020-21)।

चार्ट 4.7: वित्त वर्ष 2016-21 के दौरान लघु शीर्ष 800-“अन्य प्राप्तियाँ” का संचालन



(स्रोत: वित्त लेख, 2016-17 से 2020-21)

वर्ष 2020-21 के दौरान, लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत वृहत् व्यय मुख्य शीर्ष 5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय (₹ 53.47 करोड़) तथा 2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ (₹ 17.01 करोड़) और वृहत् प्राप्तियाँ मुख्य शीर्ष 0049-ब्याज प्राप्तियाँ (₹ 3,063.65 करोड़) के अंतर्गत नामित की गई थी। राजकोषीय प्रबंधन के अनुसार, लघु शीर्ष '800' का उपयोग केवल उन्हीं प्राप्तियों और व्यय के लिए किया जाना है जो अनावर्ती हों और तत्काल खाता शीर्ष, जिसके तहत इसे नामित किया जा सकता है, आसानी से उपलब्ध नहीं है।

काल-क्रम आँकड़े जहां लघु शीर्ष 800-“अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय” के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ तथा “अन्य व्यय” तालिका 4.9 और तालिका 4.10 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.9: काल-क्रम आँकड़े जहां लघु शीर्ष '800' “अन्य प्राप्तियाँ” के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ नामित की गई थीं

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	0049	ब्याज प्राप्तियाँ	133.37	776.94	261.57	478.10	3,063.65
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	84.02	7.12	35.43	126.42	15.67
3	0230	श्रम और रोजगार	9.12	14.00	12.41	7.76	7.98
4	0401	फसल कृषिकर्म	5.17	7.57	6.89	5.97	4.71
5	1053	नागरिक उड्डयन	3.45	3.82	6.50	1.58	3.13

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

तालिका 4.10: काल-क्रम आँकड़े जहां महत्वपूर्ण व्यय लघु शीर्ष 800-“अन्य व्यय” के तहत नामित किए गए थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	विवरण	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	2250	अन्य सामाजिक सेवाएँ	12.96	4.40	5.04	21.25	17.01

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख)

प्रवृत्ति विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि कुछ मुख्य शीर्ष लगातार लघु शीर्ष '800' “अन्य प्राप्तियों” और “अन्य व्यय” के अंतर्गत दर्ज के लिए प्रयोग किए गए थे। वर्ष 2020-21 के दौरान, यह पाया गया कि मुख्य शीर्ष 0049 के अंतर्गत जमा निधि (समेकित निक्षेप निधि के अर्जित ब्याज का विमोचन) से ₹ 2,599.99 करोड़

ब्याज प्राप्त हुआ। इस राशि का उद्देश्य बिहार समेकित निक्षेप निधि (सी0एस0एफ0)³⁵ को अर्जित और संचित ब्याज आय के माध्यम से बिहार राज्य विकास ऋण में प्रतिदेय था।

सर्वव्यापी लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत बड़ी राशियों का वर्गीकरण, वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता को प्रभावित करता है और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं और व्यय की गुणवत्ता के उचित विश्लेषण को विकृत करता है।

मात्रात्मक संबंधित मुद्दे

4.9 मुख्य उचंत और ऋण, जमा और प्रेषण (डी0डी0आर0) शीर्ष के अंतर्गत लंबित शेष

निश्चित मध्यवर्गी /समायोजन शीर्ष जो 8658- उचंत शीर्ष के नाम से जाना जाता है, सरकारी लेखे में प्राप्तियों एवं व्यय के वैसे लेन देन को प्रदर्शित करने के लिए संचालित होता है जिसे उसकी प्रकृति की जानकारी न होने के कारण अथवा अन्य कारणों से सुनिश्चित लेखा शीर्ष में प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। वित्त लेखे, उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष को प्रदर्शित करता है। इन शीर्षों के अंतर्गत लंबित शेष, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत लंबित नामे तथा जमा शेष को अलग से जोड़कर तैयार किया जाता है। विगत तीन वर्षों के अंत तक कुछ मुख्य उचंत तथा प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत सकल आँकड़ों की स्थिति तालिका 4.11 में दर्शायी गयी है।

तालिका 4.11: उचंत एवं प्रेषण शीर्ष के अंतर्गत शेष राशि

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2018-19		2019-20		2020-21	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्य शीर्ष 8658-उचंत						
101-पी0ए0ओ0 उचंत	314.56	0	289.23	0	313.90	0
निवल	नामे 314.56		नामे 289.23		नामे 313.90	
102- उचंत लेखा सिविल	4,408.94	452.87	10,495.81	638.35	15,598.70	1,070.92
निवल	नामे 3,956.07		नामे 9,857.46		नामे 14,527.78	
107-नकदी निपटान उचंत लेखा	0	32.29	0	32.29	0	32.29
निवल	जमा 32.29		जमा 32.29		जमा 32.29	
109-रिजर्व बैंक उचंत मुख्यालय	264.57	(-) 0.01	249.56	2.56	262.64	0
निवल	नामे 264.58		नामे 247.00		नामे 262.64	
110-रिजर्व बैंक उचंत सी0ए0ओ0	1,280.04	894.61	1,194.19	894.61	1,501.24	895.64
निवल	नामे 385.43		नामे 299.58		नामे 605.60	
112-स्रोत पर कर कटौती उचंत (टी.डी.एस)	1,126.83	1,455.19	953.83	1,281.53	994.38	1,459.04
निवल	जमा 328.36		जमा 327.70		जमा 464.66	
123- ए0आई0एस0 ऑफिसर्स समूह बीमा योजना	0.45	6.91	0.35	6.53	0.27	6.24
निवल	जमा 6.46		जमा 6.18		जमा 5.97	
मुख्य शीर्ष 8782-नकद प्रेषण						
102-पी0 डब्ल्यू0 प्रेषण	16,746.56	15,838.27	16,748.75	15,837.56	16,749.16	15,837.54
निवल	नामे 908.29		नामे 911.19		नामे 911.62	
103-वन प्रेषण	3,146.33	2,937.60	3,146.65	2,938.38	3,147.35	2,943.86
निवल	नामे 208.73		नामे 208.27		नामे 203.49	

(स्रोत: वित्त लेखे, 2018-19 से 2020-21)

स्वीकृति आदेशों/पेंशन भुगतान कागजात/चलंत विपत्र/उप-अभिश्चव इत्यादि नहीं लगाये जाने के कारण प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय ने वित्त वर्ष 2020-21 में ₹ 4,548.13 करोड़

³⁵ ₹ 600 करोड़, दिनांक 03.03.2021, ₹ 1,000 करोड़, दिनांक 07.04.2020 तथा ₹ 1,000 करोड़, दिनांक 08.12.2020।

(राजस्व व्यय, ₹ 1,356.46 करोड़ और पूँजीगत व्यय, ₹ 3,191.67 करोड़) के 14,424 अभिश्रवों पर आपत्ति दर्ज किया है। वर्ष 2020-21 के लेखों के अंतिमीकरण तक सभी अभिश्रव संशोधित नहीं किये गए थे।

उचंत और प्रेषण मदों का समाशोधन, राज्य कोषागारों (कार्य और वन विभाग इत्यादि सहित) द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है। यदि इन राशियों का समाशोधन नहीं होता है तो प्रमुख उचंत शीर्षों के अधीन राशियाँ जमा होती चली जाएंगी जो राजकीय व्यय की सटीक एवं निष्पक्ष तस्वीर को प्रतिबिंबित नहीं करेगी।


4.10 विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

विभागों के नियंत्री अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने तथा उनके लेखाओं की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यय को बजट अनुदान के अंतर्गत रखना चाहिए। राज्य के वित्तीय नियम यह निर्धारित करते हैं कि उनके लेखे में वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज प्राप्तियाँ और व्यय का समाशोधन प्रत्येक महीने महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय के लेखा अभिलेखों के साथ किये जाए।

हालाँकि, यह पाया गया कि अभी तक समाशोधन मॉड्यूल कार्यशील नहीं है। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि में प्राप्तियों एवं व्यय के समाशोधन नहीं किये जाने की प्रवृत्ति में वृद्धि दर्ज की गयी है।

इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों के दौरान असमाशोधन की स्थिति को चार्ट 4.8 में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.8: पिछले तीन वर्षों के दौरान असमाशोधन की स्थिति



(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं ले0 एवं हक0 कार्यालय द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

लेखे का समाशोधन न करने से लेखे में दर्शाए गए प्राप्तियों और व्यय के आँकड़ों की पूर्णता और सत्यता के आश्वासन पर प्रभाव पड़ता है। सांहित्तिक प्रावधानों तथा कार्यकारी निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप न केवल गलत वर्गीकरण हुआ बल्कि बजटीय प्रक्रिया का उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ।

4.11 नकद शेष का समाशोधन

महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के लेखे में दर्ज राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक (भा0रि0बैं0) द्वारा प्रतिवेदित नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

हालाँकि, 31 मार्च 2021 को प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के अभिलेख के अनुसार रोकड़ शेष ₹ 301.79 करोड़ (नामे) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित ₹ 9.37 करोड़ (नामे) था। मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक से समायोजन न मिलने और कोषागारों से संशोधित लेखे प्राप्त न होने के कारण ₹ 311.16 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था। ₹ 311.16 करोड़ (नामे) के निवल अंतर में से ₹ 37.11 करोड़ (नामे) 2016-17 से पहले की अवधि से संबंधित है।

4.12 लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष तब उत्पन्न होता है जब लेन-देन को नामे करने के बजाय गलती से जमा अथवा इसके विपरीत किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिकूल शेष तालिका 4.12 में नीचे दर्शाए गए हैं जो लोक लेखे शीर्ष के अधीन और 2020-21 के वित्त लेखे में सम्मिलित हैं।

तालिका 4.12: 2020-21 के दौरान लोक लेखे के अंतर्गत प्रतिकूल शेष

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का विवरण	ऋणात्मक शेष
8011	बीमा और पेंशन निधि	(-) 483.91
8336	सिविल जमा	(-) 0.55

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दे

4.13 लेखांकन मानको का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (नि0म0ले0प0) के सलाह पर, संघ और राज्यों के लेखे का स्वरूप निर्धारित कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त भारत के नि0म0ले0प0 ने जवाबदेही तंत्र को सुदृढ करने एवं सरकारी लेखा और वित्तीय प्रतिवेदन के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी0ए0एस0ए0बी0) की स्थापना की थी। नि0म0ले0प0 के सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आई0जी0ए0एस0) अधिसूचित किए हैं। लेखांकन मानको का अनुपालन तालिका 4.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.13: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्रम सं0	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	आई0जी0ए0एस0- 1: सरकार द्वारा दी गयी गारंटी-प्रकटीकरण आवश्यकता	<ul style="list-style-type: none"> गारंटियों का एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करना वर्गवार एवं प्रक्षेत्रवार प्रकटीकरण 	वित्त लेखे में विवरणी 9 एवं 20 तैयार की गयी हैं। चूँकि राज्य सरकार द्वारा पूर्ण वर्गवार एवं क्षेत्रवार जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, फलतः प्रकटीकरण अपूर्ण रहा।	सभी प्रत्याभूतिदाता, राज्य सरकार के विभागों और वर्ष के दौरान दी गयी प्रत्याभूतियों की संख्या का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	आई0जी0ए0एस0- 2: सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	<ul style="list-style-type: none"> प्रदाता अथवा अनुदेयी दोनों के रूप में सहायता अनुदान का वर्गीकरण और लेखांकन 	वित्त लेखे में विवरणी 10 तैयार की गयी हैं। हालाँकि, राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान की विस्तृत सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।	वस्तु के रूप में प्राप्त सहायता अनुदान की राशि का निर्धारण नहीं किया जा सका।

क्रम सं०	लेखांकन मानक	आई0जी0ए0एस0 का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
3.	आई0जी0ए0एस0- 3: सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> • ऋण एवं अग्रिम के संबंध में मान्यता, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग • पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए, • ऋणों एवं अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए 	<ul style="list-style-type: none"> • वित्त लेखे में विवरणी 7 और 18 तैयार की गयी हैं। हालांकि, उपरोक्त विवरणी में दर्शाए गए अंतशेष का समाशोधन ऋण इकाई/राज्य सरकार के साथ नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कई/कुछ ऋण एवं अग्रिम के आँकड़े भी उपलब्ध नहीं कराया है। • संबंधित सूचना राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" का प्रकटीकरण नहीं किया जा सका। 	राज्य सरकार द्वारा संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराया गया फलतः "अन्य ऋणी संस्थाओं से बकाया का पुनर्भुगतान", "अवसूलनीय ऋण एवं अग्रिमों को बट्टे खाते में डाला जाना" और "ऋण के वैसे मामले जिन्हें सर्वकालिक ऋण के रूप में मंजूरी दी गई" को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

4.14 लेखाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता

76 कोषागारों एवं अन्य लेखा प्रतिपादक इकाइयों (ए0आर0यू0) द्वारा प्रस्तुत आरंभिक लेखे के आधार पर बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखे को संकलित किया गया है। लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा सीधे महालेखाकार कार्यालय को भेजे जाने वाले लेखे को बिहार सरकार ने 01.04.2019 से बंद कर दिया और उनके लेन-देन अब कोषागारों के माध्यम से कर दिए गए हैं।

वर्ष 2020-21 की मासिक लेखे समापन प्रतिवेदन के अनुसार पाया गया कि अप्रैल, 2020 से संबंधित लेखे का समापन 08.12.2020 यानी छः महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद किया गया था। तदुपरान्त शेष मासिक लेखे का समापन नियमित अंतराल पर किये गए, लेकिन मार्च 2021 के लेखे का समापन 04.05.2021 को किया गया था।

माह फरवरी 2021 में ए0आर0यू0 द्वारा लेखे को समय पर समर्पित करने में विफलता के कारण इनका समावेश संबंधित माह के मासिक सिविल लेखों में नहीं जा सका था। वर्ष के अंत में किसी भी लेखे को असमावेशित नहीं रखा गया था।

लेखे का असमावेशन, न केवल सरकार की बजटीय स्थिति को विकृत करता है, अपितु कार्यान्वयन के अंतिम छोर तक निधि प्रवाह की निगरानी, विकास कार्यक्रमों पर व्यय की नियोजित गति, लक्षित लाभार्थियों को अभीष्ट लाभ, विभागों के कार्यकलाप आदि को भी प्रभावित करता है।

अन्य मुद्दे

4.15 गबन, हानि, चोरी, इत्यादि

बिहार वित्त नियमावली के नियम 31 में प्रावधान किया गया है कि लोक निधि, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य प्रकार से हानि से संबंधित मामले, संबंधित कार्यालय द्वारा उच्चाधिकारी एवं वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को भी तत्काल सूचित किया जाना चाहिए,

चाहे इस तरह हुई हानि की क्षतिपूर्ति संबंधित जिम्मेदार पक्ष के द्वारा क्यों न कर दी गई हो। इस तरह के मामलों को संदेह उत्पन्न होने के तुरंत बाद बिना जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये प्रतिवेदित कर दिया जाना चाहिए। 44 विभागों में से सात विभागों ने शून्य सूचना दी थी और केवल अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार ने ₹ 6.49 करोड़ की सरकारी सामग्री के गबन/हानि/चोरी से संबंधित 11 मामलों की सूचना दी थी। हालाँकि, विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई थी लेकिन अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

राज्य विधानमंडल में प्रतिवेदन की प्रस्तुति के बाद संबंधित विभागों द्वारा लेखापरीक्षा में वर्णित कंडिकाओं पर स्वप्रेरणा से एक व्याख्यात्मक टिप्पणी लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) के समक्ष उपस्थापित किया जाना आवश्यक होता है। संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन (ए0टी0एन0) महालेखाकार को (उसकी पुष्टि के बाद लो0ले0स0 को अग्रेषित) उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होता है।

2020-21 के दौरान, लो0ले0स0 ने राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा के लिए कोई बैठक आयोजित नहीं की थी। वर्ष 2008-09 से 2018-19 के वर्षों से संबंधित 306 कंडिकाओं में से मार्च 2021 तक केवल तीन कंडिकाओं पर ही चर्चा हुई थी। राज्य के वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कुल 303 कंडिकाएं चर्चा के लिए लंबित हैं।

लो0ले0स0 के कहने पर वित्त विभाग को सभी विभागों को निर्देश जारी करने चाहिए थे कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वाले सभी कंडिकाओं एवं समीक्षा पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ कर दें, भले ही इन मामलों की जाँच लो0ले0स0 द्वारा प्रारंभ की गई हो अथवा नहीं।

4.17 राज्य के पुनर्गठन पर शेष राशि का विभाजन

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में राज्य के विभाजन की तारीख अर्थात् 15 नवंबर, 2000 को पूंजी (मुख्य शीर्ष 4059 से 5475), ऋण एवं अग्रिम (मुख्य शीर्ष 6202 से 7615) के तहत परिलक्षित शेष राशि तथा भाग-III लोक लेखे (रिजर्व बैंक के पास जमा को छोड़कर) के तहत शेष राशियों को विभाजित करने के तरीके का प्रावधान किया गया है। उपर्युक्त शीर्षों के अंतर्गत वित्त लेखे (खंड II) के परिशिष्ट-XIII में वर्णित ₹ 11,148.69 करोड़ की राशि का विभाजन किया जाना है। झारखंड सरकार को कतिपय मदों के प्रस्तावित विभाजन पर कुछ आपत्ति थी जिन्हें महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार द्वारा सत्यापित और संशोधित किया गया था। इसे 13 दिसंबर 2018 को बिहार सरकार को उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। बिहार सरकार की सहमति अद्यतन प्रतीक्षित है।

4.18 अस्थायी अग्रिम एवं अग्रदाय का असमायोजन

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 177 के अनुसार, जब तक तत्काल भुगतान की आवश्यकता न हो, कोषागार से कोई धनराशि का आहरण नहीं किया जाना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति में अग्रिम के रूप में धनराशि का आहरण किया जाता है, तो इस प्रकार आहरित राशि का अव्ययित शेष, अगले विपत्र में कम आहरण द्वारा अथवा अभिश्रव द्वारा यथाशीघ्र एवं किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें धनराशि का आहरण किया गया हो, की समाप्ति के पूर्व कोषागार में वापस जमा करा दिया जाना चाहिए।

31 मार्च 2021 तक ₹ 184.52 करोड़ की राशि, जिन्हें इन निर्देशों के संदर्भ में कोषागार को वापस किया जाना चाहिए था, असमायोजित अग्रिम के रूप में लम्बित था। इसके अलावा लोक कार्य प्रमंडलों द्वारा ₹ 25.46 करोड़ की राशि भी अग्रदाय के रूप में रखी गयी थी। विवरण तालिका 4.14 में दिया गया है।

तालिका 4.14: 31 मार्च 2021 को असमायोजित अस्थायी अग्रिम/अग्रदाय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	विभाग का नाम	असमायोजित अस्थायी अग्रिम और अग्रदाय की कुल राशि		
		अस्थायी अग्रिम	अग्रदाय	कुल
1	भवन निर्माण	5.45	7.08	12.53
2	सिंचाई	25.25	1.65	26.90
3	राष्ट्रीय राजमार्ग	0.78	0.09	0.87
4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	8.15	0.48	8.63
5	पथ निर्माण	67.43	0.29	67.72
6	ग्रामीण कार्य	5.96	10.31	16.27
7	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	59.48	5.33	64.81
8	नलकूप और लघु सिंचाई	12.02	0.23	12.25
	कुल	184.52	25.46	209.98

(स्रोत: वित्त लेखे, 2020-21)

4.19 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
	संग्रहित उपकर को निरंतर राज्य के लोक लेखा के बाहर रखा जाना
	लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बढ़ती संख्या
	लंबित डी0सी0 विपत्रों की बढ़ती संख्या
	उच्चत शीर्ष के अंतर्गत बढ़ती राशि
	ब्याज सहित जमा राशियों के संबंध में ब्याज देयता में वृद्धि
	सार्वजनिक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के वार्षिक लेखाओं के लंबित रहने की अवधि में वृद्धि

4.20 अनुशंसाएँ

वित्त विभाग को चाहिए कि:

- सी0एफ0एम0एस0 में डी0सी0 विपत्र का प्रावधान हो।
- सभी पी0डी0 खातों की समीक्षा करें तथा सुनिश्चित करें कि—
 - वर्ष के अंत में पी0डी0 खातों में पड़ी सभी राशियों को अविलंब समेकित निधि में प्रेषित कर दिया जाए।
 - पी0डी0 खातों से संबंधित वित्तीय नियमों का पालन करने में विफल रहने वाले विभाग और कोषागार अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।
- लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत वर्तमान में दर्शाए जाने वाले सभी मदों की व्यापक समीक्षा करे तथा यह सुनिश्चित करे कि इस तरह के प्राप्ति और व्यय, प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के परामर्श से उचित लेखा शीर्ष के अंतर्गत दर्ज किये जाए।
- एक समय सीमा निर्धारित करे जिसके भीतर प्रशासनिक विभाग लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एकत्र करे और यह सुनिश्चित करे, कि ऐसा न किए जाने तक अनुदेयी को कोई और अनुदान जारी न हो पाए तथा लंबित प्रमाण पत्र के लिए जिम्मेदारी तय किया जाए।

- सुनिश्चित करे कि सभी नियंत्री अधिकारी निर्धारित अवधि से अधिक से लंबित सभी ए0सी0 विपत्रों को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें और यह भी सुनिश्चित करे कि इनका आहरण सिर्फ बजट प्रावधानों को व्यपगत होने से बचाने के लिए नहीं किए गए हैं। लंबित ए0सी0 विपत्रों के समायोजन में अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदारी तय किये जाए।
- दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच शेष राशि का निपटान शीघ्र कर देना चाहिए।

अध्याय–V
राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
(एस0पी0एस0ई0)

यह अध्याय बिहार में सरकारी कम्पनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन का सारांश प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) के अन्तर्गत उन सरकारी कम्पनियों को शामिल किया गया है जिनमें राज्य सरकार की धारिता 51 प्रतिशत या उससे अधिक है तथा इनमें ऐसी सरकारी कम्पनियों की सहायक कम्पनियाँ भी शामिल हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कम्पनियों को भी एस0पी0एस0ई0 के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारों या केन्द्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कम्पनी को इस अध्याय में सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में दर्शाया गया है।

राज्य में मार्च 2021 तक एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या 79 थी, जिसमें 37 कार्यशील एस0पी0एस0ई0 एवं 42 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 थी। विगत तीन वर्षों यथा 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर इस अध्याय में कुल 18 एस0पी0एस0ई0 (15 सरकारी कम्पनियाँ, एक सांविधिक निगम तथा दो सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ) को शामिल किया गया है। शेष 61³⁶ एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक के लिए बकाया थे या निष्क्रिय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, उन्हें इस अध्याय में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि लेखाओं के बकाया रहने के कारण वर्ष 2020-21 के लिए इन एस0पी0एस0ई0 द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक योगदान एवं अर्जित लाभ/वहन की गई हानि सहित उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी। फलतः राजकोष में उनका योगदान राज्य विधानमंडल को भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

5.1 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

5.1.1 अधिदेश

सरकारी कम्पनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अन्तर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करते हैं और उस तरीके पर निर्देश देते हैं जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करनेवाली संविधियों में उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा केवल नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

5.1.2 इस अध्याय में क्या शामिल है

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों, सांविधिक निगमों तथा सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति, जैसा कि उनके लेखाओं से प्रकट होता है, को दर्शाया गया है। वर्ष 2020-21 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का प्रभाव इस अध्याय में दिया गया है।

³⁶ कुल 61 एस0पी0एस0ई0 में से, आठ अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 सहित 11 एस0पी0एस0ई0 ने अपने प्रथम लेखे को प्रस्तुत/अन्तिमीकृत नहीं किया था तथा शेष 50 एस0पी0एस0ई0, जिसमें 33 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 भी शामिल हैं, के लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक समय के लिए बकाया थे।

5.1.3 एस0पी0एस0ई0 की संख्या

31 मार्च 2021 को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 79 एस0पी0एस0ई0 थे। इनमें 72 सरकारी कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगम तथा चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ शामिल थी।

इनमें से, 18 एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश इस अध्याय में शामिल किया गया है और इन एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति को तालिका 5.1 में दर्शाया गया है:

सरकारी कम्पनियाँ	72
सांविधिक निगम	3
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4
कुल एस0पी0एस0ई0	79

तालिका 5.1: इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 का कार्यक्षेत्र और प्रकृति

एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति	एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की संख्या				इस अध्याय में शामिल नहीं किए गए एस0पी0एस0ई0 की संख्या
		वर्ष तक के लेखे				
		2020-21	2019-20	2018-19	कुल	
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	30	2	10	2	14	16
सांविधिक निगम	3	0	1	0	1	2
सरकारी कम्पनियों / निगमों की कुल संख्या	33	2	11	2	15	18
सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4	0	0	2	2	2
कार्यशील एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	37	2	11	4	17	20
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	42	0	1	0	1	41
अकार्यशील सांविधिक निगमों	-	-	-	-	-	-
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की कुल संख्या	42	0	1	0	1	41
कुल	79	2	12	4	18	61

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2020-21 के दौरान नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों / सांविधिक निगमों के विवरण परिशिष्ट 5.1 में दिये गये हैं।

31 मार्च 2021 तक का इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय निष्पादन का सारांश (सरकारी कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमों)

एस0पी0एस0ई0 की संख्या	79
शामिल किए गए एस0पी0एस0ई0	18
प्रदत्त पूँजी (18 एस0पी0एस0ई0)	₹ 38,807.43 करोड़
दीर्घावधि ऋण (10 एस0पी0एस0ई0)	₹ 6,990.69 करोड़
शुद्ध लाभ (नौ एस0पी0एस0ई0)	₹ 724.17 करोड़
शुद्ध हानि (पाँच एस0पी0एस0ई0)	₹ 3,213.13 करोड़
शून्य लाभ / हानि (चार एस0पी0एस0 ई0) ³⁷	
घोषित लाभांश (एक एस0पी0एस0ई0)	₹ 6.02 करोड़ ³⁸
टर्नओवर (18 एस0पी0एस0ई0)	₹ 19,352.10 करोड़
निवल मूल्य (18 एस0पी0एस0ई0)	₹ 20,568.55 करोड़

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

इस अध्याय में परिशिष्ट 5.2 में दर्शाए गए 61 एस0पी0एस0ई0 शामिल नहीं हैं।

³⁷ 18 एस0पी0एस0ई0 में से 2020-21 के दौरान चार एस0पी0एस0ई0 ऐसे थे जिन्होंने लाभ अर्जित अथवा हानि वहन नहीं किया था क्योंकि या तो उनका कारोबार शुरू नहीं हुआ था या उनके लाभ/कुल व्ययों को उनके अनुषंगी कम्पनियों में बाँट दिया गया था या लाभ को लाभार्थियों में वितरित कर दिया गया था। एस0पी0एस0ई0 के संबंध में जहाँ किसी विशेष वर्ष के लेखे 30 सितम्बर 2021 के पूर्व प्राप्त नहीं हुए थे, वहाँ आँकड़े उनके नवीनतम अन्तिमीकृत लेखे अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 से लिए गए हैं।

³⁸ वर्ष 2018-19 के दौरान।

5.1.4 राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

इस अध्याय में शामिल 18 एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में एस0पी0एस0ई0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों की अवधि के लिए एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी0एस0डी0पी0 का विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 5.2: एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर एवं बिहार के जी0एस0डी0पी0 का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19			2019-20			2020-21		
	ऊर्जा	गैर-ऊर्जा	कुल	ऊर्जा	गैर-ऊर्जा	कुल	ऊर्जा	गैर-ऊर्जा	कुल
टर्नओवर	15,077.91	2,028.31	17,106.22	17,077.90	2,021.84	19,099.74	17,330.26	2,021.84	19,352.10
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	-	-	13.26	(-0.32)	11.65	1.48	0.00	1.32
बिहार राज्य का जी0एस0डी0पी0	5,27,976			5,94,016			6,18,628		
जी0एस0डी0पी0 में पिछले वर्ष के जी0एस0डी0पी0 की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-			12.51			4.14		
टर्नओवर का बिहार के जी0एस0डी0पी0 से प्रतिशत	2.86	0.38	3.24	2.87	0.34	3.22	2.80	0.33	3.13

(स्रोत: बिहार सरकार के जी0एस0डी0पी0 आँकड़ों तथा एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर आँकड़ों के आधार पर संकलित)

ऊर्जा क्षेत्र के आठ एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर 2018-19 के ₹ 15,077.91 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 17,330.26 करोड़ हो गया। 2018-19 से 2020-21 के दौरान टर्नओवर की वृद्धि दर 1.32 प्रतिशत तथा 11.65 प्रतिशत के मध्य रही जबकि जी0एस0डी0पी0 का वृद्धि दर इसी अवधि में 4.14 प्रतिशत तथा 12.51 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले दो वर्षों के दौरान जी0एस0डी0पी0 की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर³⁹ 8.24 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समयावधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की एक उपयोगी पद्धति है। जी0एस0डी0पी0 के 8.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर में पिछले दो वर्षों में 7.21 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप जी0एस0डी0पी0 में ऊर्जा क्षेत्र के इन एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2.86 प्रतिशत से घटकर 2.80 प्रतिशत हो गई।

पुनः, 10 गैर-ऊर्जा एस0पी0एस0ई0 का टर्नओवर 0.32 प्रतिशत घटकर 2018-19 के ₹ 2,028.31 करोड़ से 2020-21 में ₹ 2,021.84 करोड़ हो गया। पिछले दो वर्ष के दौरान जी0एस0डी0पी0 के 8.24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि के मुकाबले इन एस0पी0एस0ई0 के टर्नओवर में 0.16 प्रतिशत की नकारात्मक चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई।

5.2 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में निवेश एवं बजटीय सहायता

31 मार्च 2021 के अन्त तक 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी और ऋणों में निवेश की राशि को तालिका 5.3 में दर्शाया गया है:

³⁹ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर = $[\{(2020-21 \text{ का मूल्य} / 2018-19 \text{ का मूल्य})^{(1/2 \text{ वर्ष})} - 1\} \times 100]$

तालिका 5.3: सरकारी कम्पनियों और निगमों में अंश पूँजी एवं ऋण

(₹ करोड़ में)


निवेश के स्रोत	31 मार्च 2020 तक			31 मार्च 2021 तक		
	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल	अंश पूँजी	दीर्घकालिक ऋण	कुल
राज्य सरकार	38,386.13	1,897.21	40,283.34	38,419.14	1,897.21	40,316.35
केन्द्र सरकार	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00
अन्य	295.28	4,856.68	5,151.96	328.29	5,093.48	5,421.77
कुल निवेश	38,741.41	6,753.89	45,495.30	38,807.43	6,990.69	45,798.12
कुल निवेश में राज्य सरकार के निवेश का प्रतिशत	99.08	28.09	88.54	99.00	27.14	88.03

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.2.1 अंश पूँजी धारिता

2020-21 के दौरान, इस अध्याय में शामिल किए गए 18 एस0पी0एस0ई0 में अंकित मूल्य पर कुल अंश पूँजी धारिता में ₹ 66.02 करोड़⁴⁰ की निवल वृद्धि दर्ज की गई थी। अंकित मूल्य पर राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता 2019-20 के ₹ 38,386.13 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 38,419.14 करोड़ हो गई। सरकारी कम्पनियों और निगमों में 31 मार्च 2021 को समाप्त विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य और अन्य द्वारा अंश पूँजी में धारिता को चार्ट 5.1 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.1: एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी निवेश



(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

अंश पूँजी में ₹ 38,419.14 करोड़ के निवेश में से राज्य सरकार ने ₹ 38,246.11 करोड़ का निवेश ऊर्जा क्षेत्र में किया है। वर्ष 2020-21 तक राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 के प्रदत्त पूँजी में किए गए महत्वपूर्ण निवेश का विवरण तालिका 5.4 में दर्शाया गया है:

⁴⁰ ₹ 66.02 करोड़ में से 50 प्रतिशत अर्थात् ₹ 33.01 करोड़ का निवेश बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में किया गया।

तालिका 5.4: राज्य सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निवेश धारिता

एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	18 एस0पी0एस0ई0 में कुल निवेश के विरुद्ध धारिता का प्रतिशत
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	12,267.96	31.93
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0)	ऊर्जा	11,653.84	30.33
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0)	ऊर्जा	7,949.99	20.69
बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0जी0सी0एल0)	ऊर्जा	4,812.96	12.53
बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0)	ऊर्जा	1,271.06	3.31
बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)	उद्योग	39.95	0.10

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में निवेश

सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेश को तालिका 5.5 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.5: सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों में अंश पूँजी की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	प्रदत्त पूँजी			कुल प्रदत्त पूँजी
		बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य	
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.05	0.10
2	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.05	0.10
	कुल	0.10	0.00	0.10	0.20

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.2.2 राज्य सरकार की कम्पनियों तथा निगमों को दिया गया ऋण

5.2.2.1 31 मार्च 2021 को बकाया दीर्घावधि ऋणों की गणना

31 मार्च 2021 को 18 एस0पी0एस0ई0 में से 10⁴¹ में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घावधि ऋण ₹ 6,990.69 करोड़ था। शेष आठ एस0पी0एस0ई0 के पास कोई दीर्घावधि ऋण 31 मार्च 2021 को नहीं था। एस0पी0एस0ई0 के बकाया दीर्घावधि ऋणों का वर्षवार विवरण तालिका 5.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.6: एस0पी0एस0ई0 में दीर्घावधि ऋण

(₹ करोड़ में)

ऋण का स्रोत	2018-19	2019-20	2020-21
राज्य सरकार	1,771.84	1,897.21	1,897.21
केन्द्र सरकार	0.00	0.00	0.00
अन्य ⁴²	3,436.76	4,856.68	5,093.48
कुल निवेश	5,208.60	6,753.89	6,990.69

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

⁴¹ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0एच0सी0एल0), बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी0एस0पी0टी0सी0एल0), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस0बी0पी0डी0सी0एल0), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन0बी0पी0डी0सी0एल0), बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (बी0जी0सी0एल0), बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी0एस0ए0आई0डी0सी0एल0), पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड (पी0एस0सी0एल0), बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (बी0एस0ई0एफ0सी0एल0), पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (पी0एम0आर0सी0) एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम (बी0एस0एफ0सी0)।

⁴² अन्य स्रोत से ऋण के आँकड़े में रूरल इलेक्ट्रिकेशन कॉरपोरेशन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, बैंक एवं बिहार अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी से लिए गए ऋण शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिये गये दीर्घावधि ऋण में ₹ 125.37 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी जबकि अन्य स्रोतों से ऋण में ₹ 1,656.72 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई थी। 31 मार्च 2021 तक कुल ऋण में राज्य सरकार का ऋण ₹ 1,897.21 करोड़ (27.14 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का ₹ 1,240.33 करोड़ (65.38 प्रतिशत) ऊर्जा कम्पनियों के पास बकाया था तथा शेष (₹ 656.88 करोड़) अन्य कम्पनियों के पास था, जबकि अन्य स्रोतों से ऋणों (₹ 5,089.90 करोड़) का 99.93 प्रतिशत ऊर्जा कम्पनियों से सम्बन्धित था।

बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम द्वारा मूलधन तथा ब्याज की राशि का पुनर्भुगतान पिछले तीन वर्षों के दौरान नहीं किया गया था।

5.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले तरीकों में से एक है कि क्या कम्पनी अपने समस्त ऋण चुकाने में समर्थ है। ऋण चुकाने योग्य माने जाने के लिए एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज की राशि से अधिक होना चाहिए। 10 एस0पी0एस0ई0, जिनके पास 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण थे, में कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घावधि ऋणों का कवरेज तालिका 5.7 में दर्शाया गया है :

तालिका 5.7: कुल परिसंपत्तियों के साथ दीर्घावधि ऋणों का कवरेज

(₹ करोड़ में)

एस0पी0एस0ई0 की प्रकृति	सकारात्मक व्याप्ति				नकारात्मक व्याप्ति			
	एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	दीर्घावधि ऋण	संपत्ति	ऋणों के विरुद्ध संपत्ति का प्रतिशत	एस0पी0 एस0ई0 की संख्या	दीर्घावधि ऋण	संपत्ति	ऋणों के विरुद्ध संपत्ति का प्रतिशत
सांविधिक निगमों	-	-	-	-	1	228.47	209.72	91.79
सरकारी कम्पनियाँ	8	6,731.24	1,15,347.92	1,713.62	1	30.98	25.35	81.83
कुल	8	6,731.24	1,15,347.92	1,713.62	2	259.45	235.07	90.60

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

10 एस0पी0एस0ई0 में से दो एस0पी0एस0ई0⁴³ के कुल संपत्ति का मूल्य बकाया दीर्घावधि ऋणों से कम था।

5.2.3 एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता

बिहार सरकार द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से एस0पी0एस0ई0 को विभिन्न रूपों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2021 को समाप्त होने वाले विगत तीन वर्षों के दौरान एस0पी0एस0ई0, जो इस अध्याय में शामिल किये गये हैं, को अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी से सम्बन्धित बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण तालिका 5.8 में दर्शाया गया है:

⁴³ बिहार राज्य वित्तीय निगम एवं बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

तालिका 5.8: एस0पी0एस0ई0 को दिये गये बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण ⁴⁴	2018-19		2019-20		2020-21	
	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	राशि
ऊर्जा						
अंश पूँजी का व्यय (i) ⁴⁵	1	5,035.36	1	3,079.20	1	33.01 ⁴⁶
प्रदत्त ऋण (ii)	4	440.78	3	116.56	-	-
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	3	7,521.42	2	6,685.17	-	-
कुल व्यय (i+ii+iii) ऊर्जा	5	12,997.56	4	9,880.93	1	33.01
गैर-ऊर्जा						
अंश पूँजी का व्यय (i)	1	9.50	-	-	-	-
प्रदत्त ऋण (ii)	1	16.00	-	-	1	600.00
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	2	400.24	1	8.81	-	-
कुल व्यय (i+ii+iii) गैर-ऊर्जा	2	425.74	1	8.81	1	600.00
कुल व्यय	7	13,423.30	5	9,889.74	2	633.01

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान इन एस0पी0एस0ई0 को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 633.01 करोड़ से ₹ 13,423.30 करोड़ के मध्य रही। 2020-21 के दौरान ₹ 33.01 करोड़ की अंश पूँजी का निवेश बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड में किया गया। पुनः, बजटीय सहायता के रूप में ₹ 600.00 करोड़ के ऋण का आवंटन बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड को बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 के लिए विद्यार्थियों को ऋण का वितरण करने के लिए किया गया। इस राशि को बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड के लेखाओं में अन्य चालू देयताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5.3 सरकारी कम्पनियों एवं निगमों से प्रतिफल

5.3.1 एस0पी0एस0ई0 द्वारा अर्जित लाभ

वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या नौ थी। अर्जित लाभ वर्ष 2019-20 के ₹ 600.99 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 724.17 करोड़ हो गया था। 18 एस0पी0एस0ई0 में से चार एस0पी0एस0ई0 वर्ष 2018-19 से तथा एक एस0पी0एस0ई0 2019-20 से हानि वहन करते आ रहे थे। नौ एस0पी0एस0ई0, जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया था, का निवल मूल्य ₹ 10,072.57 करोड़ था। इन नौ एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) वर्ष 2019-20 में नौ एस0पी0एस0ई0 के 6.10 प्रतिशत की तुलना में 7.19 प्रतिशत था। वर्ष 2020-21 में पाँच हानि वहन करने वाले एवं चार बिना लाभ/हानि वाले एस0पी0एस0ई0 सहित सभी 18 एस0पी0एस0ई0 का अंश पूँजी पर प्रतिफल (-)12.10 प्रतिशत था।


2018-19 से 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या चार्ट 5.2 में दर्शायी गयी है:

⁴⁴ यह राशि केवल राज्य के बजट से व्यय दर्शाती है।

⁴⁵ बिहार सरकार ने दो डिस्कॉम्स तथा दो अनुषंगियों को उनके होल्डिंग कंपनी यथा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड की ओर से प्रत्यक्ष पूँजी जारी की जिसके विरुद्ध इन अनुषंगियों ने अपनी होल्डिंग कंपनी को अंश जारी किए। अतः जारी की गई सरकारी निधि के लिए, अनुषंगियों की ओर से केवल होल्डिंग कंपनी को विचारित किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र का उपक्रम एक संयुक्त उपक्रम है।

⁴⁶ वर्ष 2020-21 हेतु ऊर्जा क्षेत्र के एस0पी0एस0ई0 में से बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड को छोड़कर किसी अन्य के लेखे प्राप्त नहीं हुए।

चार्ट 5.2: विगत तीन वर्षों के दौरान लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों की संख्या तथा उनका अंश पूँजी पर प्रतिफल



(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2020-21 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले प्रक्षेत्रों को तालिका 5.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.9: शीर्ष प्रक्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान अधिकतम लाभ का योगदान दिया

प्रक्षेत्र	लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	शुद्ध अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	सभी एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ से लाभ का प्रतिशत
ऊर्जा	2	614.98	84.92
गैर-ऊर्जा	7	109.19	15.08
कुल	9	724.17	100.00

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

2020-21 के दौरान, ₹ 614.98 करोड़ का शुद्ध लाभ, जो कि एस0पी0एस0ई0 के कुल लाभ का 84.92 प्रतिशत था, का योगदान ऊर्जा क्षेत्र द्वारा किया गया था। वर्ष 2020-21 के दौरान अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 10 करोड़ से ज्यादा लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 की सूची को तालिका 5.10 में दर्शाया गया है :

तालिका 5.10: एस0पी0एस0ई0 की सूची जिसने ₹ 10 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित किया

क्रम सं0	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखाओं के अंतिमीकरण का वर्ष	शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)
1	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	460.16
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2020-21	154.82
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	35.78
4	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	23.57
5	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	23.86
6	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2019-20	18.58

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.3.2 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश का भुगतान

इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के संबंध में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान लाभांश भुगतान का विवरण तालिका 5.11 में दिया गया है:

तालिका 5.11: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एस0पी0एस0ई0 द्वारा लाभांश भुगतान

वर्ष	कुल एस0पी0एस0ई0 जहाँ बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी में निवेश किया गया		एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभ अर्जित किया		एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित/भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	बिहार सरकार द्वारा निवेशित अंश पूँजी (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	एस0पी0एस0ई0 द्वारा घोषित/भुगतान किया गया लाभांश (₹ करोड़ में)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5x100
2018-19	17	35,256.44	10	269.51	1	6.02	2.23
2019-20	18	38,386.13	9	600.99	-	-	-
2020-21	18	38,419.14	9	724.17	-	-	-

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले एस0पी0एस0ई0 को न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान करना आवश्यक होता। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान नौ से 10 एस0पी0एस0ई0 ने लाभ अर्जित किया। हालांकि, उक्त अवधि के दौरान केवल एक⁴⁷ एस0पी0एस0ई0 ने बिहार सरकार को लाभांश घोषित/भुगतान किया। 2018-19 अवधि के दौरान लाभांश भुगतान अनुपात 2.23 प्रतिशत थी।

5.4 ऋण शोधन

5.4.1 ब्याज व्याप्ति अनुपात

ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान करने की क्षमता को निर्धारित करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व की आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात दर्शाता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 18 एस0पी0एस0ई0 में से 10⁴⁸ एस0पी0एस0ई0 में दीर्घकालिक ऋण बकाया थे। शेष आठ एस0पी0एस0ई0 के पास 31 मार्च 2021 तक कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं थे। वर्ष 2020-2021 के दौरान, केवल सात एस0पी0एस0ई0 ने अपने लेखाओं में ब्याज की राशि को प्रावधानित किया था तथा शेष तीन⁴⁹ एस0पी0एस0ई0 ने अपने लेखाओं में ब्याज की राशि को प्रावधानित नहीं किया था। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण वाले एस0पी0एस0ई0 के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 5.12 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.12: ब्याज व्याप्ति अनुपात

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब्याज	ब्याज एवं करों से पूर्व आय	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात >= 1 वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ब्याज व्याप्ति अनुपात < 1 वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या
सांविधिक निगम					
2018-19	18.09	4.64	1	-	1
2019-20	17.68	36.26	1	1	-
2020-21	17.68	36.26	1	1	-
सरकारी कम्पनियाँ					
2018-19	392.64	(-)1344.01	4	2	2
2019-20	517.02	(-)1998.16	6	3	3
2020-21	591.33	(-)1764.01	6	3	3

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

⁴⁷ बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 6.02 करोड़ कर सहित)।

⁴⁸ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड, बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

⁴⁹ बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एवं पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य सरकार की तीन सरकारी कम्पनियों यथा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड एवं बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था। इससे यह पता चलता है कि मार्च 2021 तक अत्यधिक हानि वहन करने के कारण इन एस0पी0एस0ई0 की आय उनके ब्याज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह दिवालियेपन के उच्च जोखिम को भी इंगित करता है।

5.4.2 राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, बिहार सरकार द्वारा छः एस0पी0एस0ई0 को प्रदान किए गए दीर्घकालिक ऋणों पर ₹ 491.36⁵⁰ करोड़ का ब्याज बकाया था। एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधि-वार विश्लेषण तालिका 5.13 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.13: राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	ऋण पर कुल बकाया ब्याज	1 वर्ष से कम समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज	1-3 वर्ष के लिए ऋण पर बकाया ब्याज	3 वर्ष से अधिक समय के लिए ऋण पर बकाया ब्याज
1	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	45.39	7.66	15.32	22.41
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	20.40	1.65	3.30	15.45
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	170.38	48.93	97.86	23.59
4	बिहार राज्य वित्तीय निगम	233.92	17.68	35.36	180.88
5	बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	18.92	0.00	0.00	18.92
6	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2.35	0.77	1.58	0.00
कुल योग		491.36	76.69	153.42	261.25

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि ₹ 261.25 करोड़ का ब्याज तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया था। बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड इस अवधि के दौरान बकाया ऋण के मूलधन के साथ-साथ ब्याज को चुकाने में भी विफल रही क्योंकि कम्पनी अकार्यशील हो गई थी जबकि बिहार राज्य वित्तीय निगम भी पुनर्भुगतान करने में विफल रही क्योंकि निगम कोई नया व्यवसाय अर्थात् नया कर्ज नहीं दे रही है जो कि इसकी आय/राजस्व का मुख्य साधन है।

5.5 सरकारी कम्पनियों की परिचालन दक्षता

5.5.1 नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) एक अनुपात है, जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। आर0ओ0सी0ई0 की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई0बी0आई0टी0) को नियोजित पूँजी⁵¹ द्वारा विभाजित करके की जाती है। प्रत्येक एस0पी0एस0ई0 के आर0ओ0सी0ई0 का विवरण परिशिष्ट 5.1 में दिए गए हैं। वर्ष 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 18 एस0पी0एस0ई0 का समेकित नियोजित पूँजी पर प्रतिफल तालिका 5.14 में दर्शाया गया है:

⁵⁰ बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड ने अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त किया। अतः बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड की ब्याज की राशि को विचारित नहीं किया गया।

⁵¹ नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण - संचित हानियाँ - स्थगित राजस्व व्यय।

तालिका 5.14: नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

प्रक्षेत्र	एस0पी0एस0ई0 की संख्या	ई0बी0आई0टी0 (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आर0ओ0सी0ई0 (प्रतिशत में)
2018-19				
ऊर्जा	8	(-)1,643.11	24,297.58	(-)6.76
गैर-ऊर्जा	9	120.04	1,011.52	11.87
कुल	17	(-)1,523.07	25,309.10	(-)6.02
2019-20				
ऊर्जा	8	(-)2,256.03	25,947.01	(-)8.69
गैर-ऊर्जा	10	149.72	1,156.58	12.95
कुल	18	(-)2,106.31	27,103.59	(-)7.77
2020-21				
ऊर्जा	8	(-)2,022.64	26,404.64	(-)7.66
गैर-ऊर्जा	10	146.50	1,154.60	12.69
कुल	18	(-)1,876.14	27,559.24	(-)6.81

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

यह देखा गया कि 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों का नियोजित पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान कम था, जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल में कमी थी।

5.5.2 सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आर0ओ0आर0आर0)

बिहार सरकार द्वारा 18 कम्पनियों में महत्वपूर्ण निवेश को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के दृष्टिकोण से इस प्रकार के निवेश पर प्रतिफल आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना, केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। अतः निवेश पर प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य (पी0वी0) को ध्यान में रखकर की गई है ताकि बिहार सरकार द्वारा किए गए निवेश पर वास्तविक प्रतिफल को ज्ञात किया जा सके। राज्य सरकार द्वारा एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण तथा पूँजीगत अनुदान के रूप में 2014-15 से लेकर 31 मार्च 2021 तक निवेश किया गया था, जिसपर राज्य सरकार द्वारा निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना की गई है।

18 एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निधियों के निवेश पर वर्तमान मूल्य की गणना निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर की गई थी:

- ब्याज मुक्त/डिफॉल्टेड दीर्घकालिक ऋण और पूँजीगत अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है। इसके अलावा, उन मामलों में जहाँ एस0पी0एस0ई0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण को बाद में अंश पूँजी में परिवर्तित कर दिया गया था, अंश पूँजी में परिवर्तित ऋण की राशि को ब्याज मुक्त ऋण की राशि से घटा दिया गया है और उस वर्ष की अंश पूँजी में जोड़ा गया है। राजस्व अनुदान और सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई धनराशि को निवेश के रूप में नहीं माना गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को डिस्काउंट दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

इन कंपनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2021 तक अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/ डिफॉल्टेड ऋण और पूँजीगत अनुदान के रूप में 18 कंपनियों में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति तथा इसी अवधि में इन्हीं

एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति को तालिका 5.15 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.15: 2014-15 से 2020-21 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश का वर्षवार विवरण और सरकारी निधियों के वास्तविक प्रतिफल की दर

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई अंश पूँजी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त/ डिफाल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय	वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii={vii*(100+vi)/100}	ix={vii*vi/100}	x	xi= (x*100/viii)
2014-15 तक	0.00	9,017.54	6,243.75	15,261.29	6.59	15,261.29	16,267.01	1,005.72	(-906.11)	(-5.57)
2015-16	16,267.01	6,931.91	1,423.49	8,355.40	6.58	24,622.41	26,242.56	1,620.15	(-907.07)	(-3.46)
2016-17	26,242.56	5,291.39	5,212.82	10,504.21	6.42	36,746.77	39,105.92	2,359.14	(-1,312.85)	(-3.36)
2017-18	39,105.92	8,970.73	222.89	9,193.62	6.13	48,299.54	51,260.30	2,960.76	(-7,780.58)	(-15.18)
2018-19	51,260.30	5,044.86	3,477.65	8,522.51	6.18	59,782.81	63,477.39	3,694.58	(-2,455.36)	(-3.87)
2019-20	63,477.39	3,129.70	1,966.80	5,096.50	5.68	68,573.89	72,468.88	3,895.00	(-2,612.14)	(-3.60)
2020-21	72,468.88	33.01	0.00	33.01	5.94	72,501.89	76,808.50	4,306.61	(-2,488.96)	(-3.24)
कुल		38,419.14	18,547.40	56,966.54						

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन 18 कम्पनियों में निवेशित धनराशि का शेष 2014-15 के ₹ 15,261.29 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹ 56,966.54 करोड़ हो गया था क्योंकि राज्य सरकार ने अंश पूँजी (₹ 29,401.60 करोड़) एवं पूँजीगत अनुदान (₹ 12,303.65 करोड़) के रूप में अतिरिक्त निवेश किया था। 31 मार्च 2021 तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य ₹ 76,808.50 करोड़ दर्ज किया गया।

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014-15 से 2020-21 के दौरान ऊर्जा कम्पनियों द्वारा हानि वहन करने के कारण इन एस0पी0एस0ई0 की कुल अर्जित आय और वास्तविक प्रतिफल की दर नकारात्मक रही, जो यह इंगित करता है कि सरकार के निधियों की लागत वसूल करने के लिए निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन्न करने के बजाय उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में अत्यधिक हानियों का संचय किया है, जिससे वे व्यावसायिक रूप से अव्यवहारिक हो गए हैं।

5.5.3 एस0पी0एस0ई0 में निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0)

निवेश पर प्रतिफल⁵² कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना कुल निवेश से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 के क्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल **रफ़्यडक 5-16** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.16: प्रक्षेत्रवार निवेश पर प्रतिफल

प्रक्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
ऊर्जा	(-4.08)	(-4.97)	(-4.41)
गैर-ऊर्जा	7.13	8.25	8.07
कुल	(-3.63)	(-4.46)	(-3.94)

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों का निवेश पर प्रतिफल वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान बेहतर हुआ जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों में निवेश पर प्रतिफल में वृद्धि थी।

⁵² निवेश पर प्रतिफल = (ब्याज, कर और अधिमान लाभ/अंश पूँजी) × 100 / निवेश। जहाँ निवेश = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घकालिक ऋण।

5.5.4 एस0पी0एस0ई0 में अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0)

अंश पूँजी पर प्रतिफल⁵³ कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन को मापने का एक उपाय है जिसकी गणना शेयरधारकों की अंश पूँजी से शुद्ध आय को विभाजित कर की जाती है। 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के लिए एस0पी0एस0ई0 की क्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल तालिका 5.17 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.17: प्रक्षेत्रवार अंश पूँजी पर प्रतिफल

(प्रतिशत में)

प्रक्षेत्र	2018-19	2019-20	2020-21
ऊर्जा	(-)12.85	(-)13.66	(-)12.90
गैर-ऊर्जा	22.11	20.10	20.18
कुल	(-)12.22	(-)12.84	(-)12.10

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

तालिका से यह देखा जा सकता है कि 18 सरकारी कम्पनियों और निगमों का अंश पूँजी पर प्रतिफल वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक नकारात्मक रही जिसका मुख्य कारण ऊर्जा कम्पनियों की हानियाँ एवं अंश पूँजी पर प्रतिफल नकारात्मक थी।

5.6 हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 एवं पूँजी का क्षरण

5.6.1 हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0

वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या पाँच से छः के मध्य रही जिसे तालिका 5.18 में दर्शाया गया है:

तालिका 5.18: 2018-19 से 2020-21 के दौरान हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या

वर्ष	हानि वहन करने वाले एस0पी0एस0ई0 की संख्या	वर्ष के लिए शुद्ध हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य ⁵⁴ (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगमों				
2018-19	1	13.45	511.85	(-)423.96
2019-20	-	-	-	-
2020-21	-	-	-	-
सरकारी कम्पनियाँ				
2018-19	5	2,711.42	16,115.00	10,118.21
2019-20	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73
2020-21	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73
कुल				
2018-19	6	2,724.87	16,626.85	9,694.25
2019-20	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73
2020-21	5	3,213.13	19,629.17	9,223.73

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

वर्ष 2020-21 के दौरान पाँच एस0पी0एस0ई0 को हुई कुल ₹ 3,213.13 करोड़ की हानि में से ₹ 3,203.65 करोड़ की हानि तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा वहन की गई थी जिसकी सूची तालिका 5.19 में दर्शायी गयी है:

⁵³ अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/अंश पूँजी) × 100 जहाँ अंश पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय - संचित हानि - स्थगित राजस्व व्यय।

⁵⁴ निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी संचय और अंश प्रीमियम लेखे किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं ह्रास को वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

तालिका 5.19: एस0पी0एस0ई0 जिन्होंने ₹ 10 करोड़ से अधिक की हानि वहन की

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अंतिमीकृत लेखा का वर्ष	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि
1	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-)1,664.84
2	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-)1,282.88
3	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-)255.93

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.6.2 सरकारी कम्पनियों में पूँजी का क्षरण

31 मार्च 2021 तक, 18 एस0पी0एस0ई0 में से 13 एस0पी0एस0ई0 (सभी कार्यशील) का निवल मूल्य सकारात्मक था। शेष पाँच एस0पी0एस0ई0, जिसमें चार⁵⁵ कार्यशील एवं एक⁵⁶ अकार्यशील थे, का निवल मूल्य नकारात्मक था। इन चार कार्यशील एस0पी0एस0ई0 तथा एक अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य उनके संचित हानियों से पूरी तरह क्षरित हो गई थी क्योंकि इन एस0पी0एस0ई0 में 31 मार्च 2021 तक अंश पूँजी निवेश ₹ 77.96 करोड़ एवं ₹ 7.64 करोड़ के विरुद्ध निवल मूल्य क्रमशः (-) ₹ 405.51 करोड़ एवं (-) ₹ 182.31 करोड़ थी। दो⁵⁷ एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य उसके प्रदत्त पूँजी के आधे से भी कम थी और एक एस0पी0एस0ई0 अर्थात् नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड का निवल मूल्य 31 मार्च 2021 के अंत में ₹ 11,653.84 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरुद्ध ₹ 6,482.83 करोड़ (55.63 प्रतिशत) थी, जो उसकी वित्तीय क्षमता की रूग्णता को दर्शाता है।

5.7 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का समापन

31 मार्च 2021 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की संख्या नीचे दी गई है :

तालिका 5.20: अकार्यशील एस0पी0एस0ई0

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की संख्या	42	42	42
इनमें से, समापन की प्रक्रिया के अधीन एस0पी0एस0ई0 की संख्या	5	5	5

(स्रोत: संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सा0क्षे0उ0), बिहार सरकार तथा परिशिष्ट-5.2 में वर्णित सूचना के आधार पर संकलित)

2020-21 में दर्शाये गये सभी 42 एस0पी0एस0ई0, पाँच वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील थे। अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की स्थिति निम्न तालिका में दर्शायी गई है:

तालिका 5.21: अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की स्थिति

क्रम सं०	स्थिति	एस0पी0एस0ई0 की संख्या
1	परिसमापन की प्रक्रिया में	5
2	नाम हटाने के लिए कम्पनी रजिस्ट्रार (आर0ओ0सी0) को आवेदन	6
3	राज्य सरकार ने न्यायालय से समापन याचिका को वापस लेने का निर्णय लिया	12
4	बिहार एवं झारखण्ड के मध्य संपत्तियों तथा देनदारियों का बँटवारा न होने के कारण परिसमापन की प्रक्रिया लम्बित	6
5	कम्पनी विधि न्यायाधिकरण के अन्तर्गत प्रक्रियाधीन	2
6	लेखाओं के अन्तिमीकरण न होने के कारण लम्बित	1
7	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	10
कुल		42

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर संकलित)

⁵⁵ लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, पीरपैती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

⁵⁶ बिहार स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

⁵⁷ बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

बिहार सरकार 32 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0⁵⁸ को समाप्त करने का निर्णय पूर्व में ही ले चुकी है और ये परिसमापन की विभिन्न अवस्था में है। हालाँकि, शेष 10 एस0पी0एस0ई0 के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लेखे एक⁵⁹ वर्ष से 44⁶⁰ वर्षों (प्रारंभ से ही) तक बकाया में थे। इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 की व्यवहार्यता भी संदिग्ध है क्योंकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 का कोई योगदान नहीं है।

इसके अतिरिक्त, इन अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 के लगातार अस्तित्व में बने रहने से कर्मचारियों एवं स्थापना व्यय के रूप में राजकोष पर व्यापक बोझ पड़ता है।

5.8 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को बजटीय सहायता जिनके लेखे बकाये थे

कम्पनी अधिनियम, 2013 में यह निर्धारित किया गया है कि कम्पनियों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण को संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से छह महीने के भीतर अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितम्बर तक अंतिम रूप से तैयार कर लेना है। समय पर लेखा तैयार कर प्रस्तुत करने में विफलता कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों के लिए उत्तरदायी बनाती हैं।

सरकार ने अगस्त 2021 तक 15 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0), दो सांविधिक निगमों और 16 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0, जिनके लेखे 31 मार्च 2021 तक बकाया थे, को ₹ 20,145.84 करोड़ की बजटीय सहायता (अंश पूँजी, ऋण, अनुदान, सब्सिडी और स्वीकृत प्रत्याभूति) प्रदान की। इन एस0पी0एस0ई0 ने कम्पनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों/एस0पी0एस0ई0 के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 44 वर्षों से अपने लेखाओं को अंतिम रूप नहीं दिया है (परिशिष्ट 5.3)।

वित्त लेखे (पाँच वर्ष के आँकड़े) की जाँच के दौरान यह देखा गया कि बिहार सरकार ने बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड⁶¹ में 2018–19 को छोड़कर 2016–17 से 2020–21 के दौरान नियमित रूप से निवेश किया था, जबकि कम्पनी के वार्षिक लेखे 2014–15 से बकाया हैं। कई⁶² अन्य कम्पनियाँ भी थीं जिन्होंने पिछले कई वर्षों से अपने लेखे प्रस्तुत नहीं किए हैं, लेकिन विगत पाँच वर्षों से सरकार से निवेश प्राप्त कर रहे हैं।

लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिए जाने के कारण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0), कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित अनुपूरक लेखापरीक्षा एवं वैसे निगमों की सांविधिक लेखापरीक्षा, जैसा कि उनके अधिनियम में वर्णित है, करने में असमर्थ रहा है। लेखाओं को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधायिका के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच से बच जाते हैं। नतीजतन, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, समय पर नहीं किये जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इंकार नहीं किया जा सकता है।

⁵⁸ 42 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 में से 32 अकार्यशील एस0पी0एस0ई0 परिसमापन की विभिन्न अवस्था में है।

⁵⁹ बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

⁶⁰ बिहार स्कूटर्स लिमिटेड।

⁶¹ 2016–17: ₹ 85.11 करोड़, 2017–18: ₹ 100 करोड़, 2019–20: ₹ 91.80 करोड़, 2020–21: ₹ 35.64 करोड़।

⁶² पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018–19: ₹ 3.00 करोड़, 2019–20: ₹ 160 करोड़, 2020–21: ₹ 50.00 करोड़), बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (2017–18: ₹ 20.00 करोड़), बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि. मिटेड (2018–19: ₹ 5.00 करोड़) इत्यादि।

5.9 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एस0पी0एस0ई0) की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि0म0ले0प0) सरकारी कम्पनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुपूरक प्रतिवेदन या उस पर टिप्पणी निर्गत करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों के अनुसार अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा नि0म0ले0प0 द्वारा की जाए तथा प्रतिवेदन राज्य की विधायिका को प्रस्तुत किया जाए।

5.10 नि0म0ले0प0 द्वारा एस0पी0एस0ई0 के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत राज्य सरकार की कम्पनी के मामले में वित्तीय वर्ष शुरू होने से 180 दिनों की अवधि के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को नियुक्त किया जाता है।

5.11 एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

5.11.1 ससमय प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लेन देनों पर वार्षिक प्रतिवेदन कम्पनी की वार्षिक सामान्य बैठक (ए0जी0एम0) के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है और उसे यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और नि0म0ले0प0 द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक टिप्पणी के साथ राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र राज्य की संचित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 आयोजित किया जाना आवश्यक है। यह भी कहा गया है कि एक ए0जी0एम0 और अगले ए0जी0एम0 की तिथि के मध्य 15 महीनों से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में निर्दिष्ट है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण ए0जी0एम0 में उनके विचार के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(7) में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, कम्पनी के निदेशकों सहित, पर जुर्माना और कारावास जैसे दण्ड लगाने का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों के बावजूद, 30 सितम्बर 2021 तक विभिन्न एस0पी0एस0ई0 के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसके ब्यौरे आगामी कड़िकाओं में दिये गये हैं।

5.11.2 राज्य सरकार की कम्पनियों/सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में समयबद्धता

31 मार्च 2021 तक, नि0म0ले0प0 के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में, 72 राज्य सरकार की कम्पनियाँ, तीन सांविधिक निगमों और चार सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ (कुल 79 एस0पी0एस0ई0) थी। इनमें से 30 सितम्बर 2021 तक सभी राज्य सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों से लेखाएँ प्राप्त थे। राज्य सरकार की दो⁶³ कम्पनियों ने वर्ष 2020-21 के लिए अपने लेखाओं को 30 सितम्बर 2021 को या उससे पहले नि0म0ले0प0 द्वारा लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार की शेष 70 कम्पनियों, तीन सांविधिक निगमों और चार सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों (कुल 77 एस0पी0एस0ई0) की लेखाएँ विभिन्न कारणों से बकाया (अप्राप्त) थे।

⁶³ बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधान द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से नि०म०ले०प०, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लिए एकमात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य वित्तीय निगम और बिहार राज्य भण्डारण निगम के संबंध में, लेखापरीक्षा सनदी लेखाकारों द्वारा की जाती है और नि०म०ले०प० द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

बिहार राज्य वित्तीय निगम के वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लेखे, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के लेखे और बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक के लेखे 30 सितम्बर 2021 तक प्रतिक्षित थे।

30 सितम्बर 2021 तक एस०पी०एस०ई० के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में बकाया का विवरण तालिका 5.22 में दिया गया है :

तालिका 5.22: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ/सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ/ सांविधिक निगमों			
	सरकारी कम्पनियाँ	सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगमों	कुल
31 मार्च 2021 तक नि०म०ले०प० के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत एस०पी०एस०ई० की कुल संख्या	72	04	03	79
घटाव : एस०पी०एस०ई० के नए उद्यम जिनके 2020-21 के लेखे देय नहीं थे	-	-	-	-
एस०पी०एस०ई० की संख्या जिनके वर्ष 2020-21 के लिए लेखे देय (बकाया) थे	72	04	03	79
एस०पी०एस०ई० की संख्या जिन्होंने 30 सितम्बर 2021 तक नि०म०ले०प० के लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2020-21 के लिए लेखे प्रस्तुत किए	02	-	-	02
30 सितम्बर 2021 तक बकाया लेखाओं वाले एस०पी०एस०ई० की संख्या	70	04	03	77
बकाया लेखाओं की संख्या	1,339 ⁶⁴	12	11	1,362
बकाया के ब्यौरे	परिसमापनाधीन	100	-	100
	अकार्यशील	1,100	-	1,100
	कार्यशील	139	12	162
'कार्यशील' श्रेणी के विरुद्ध बकाया का अवधि-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2020-21)	08	-	08
	दो वर्ष (2019-20 और 2020-21)	04	02	08
	तीन वर्ष और अधिक	127	10	146

(स्रोत: एस०पी०एस०ई० के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

इन कम्पनियों के नाम परिशिष्ट 5.4 में दर्शाये गये हैं। कुल 77 एस०पी०एस०ई० में 35 कार्यशील एस०पी०एस०ई० के 162 लेखे एक से 23 वर्ष के लिए बकाया थे जबकि 42 अकार्यशील एस०पी०एस०ई० के 1,200 लेखे एक से 44 वर्ष के लिए बकाया थे।

5.12 नि०म०ले०प० का पर्यवेक्षण-लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

5.12.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप और लेखांकन मानकों हेतु राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखांकन मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार किया जाना अपेक्षित है। सांविधिक निगमों द्वारा नि०म०ले०प०

⁶⁴ कम्पनी रजिस्ट्रार पटना के परिपत्र दिनांक 23.09.2021 के अनुसार वैसी कम्पनियाँ जो अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (ए०जी०एम०) आयोजित करने में असमर्थ हैं, उस तिथि को जब उन कम्पनियों द्वारा ए०जी०एम० आयोजित की जानी थी, उस देय तिथि से दो महीने का अवधि विस्तार दिया गया। अतः एस०बी०पी०डी०सी०एल० एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल० के वर्ष 2020-21 के लेखे जो बाद में प्राप्त हुए थे, उन्हें कम्पनी रजिस्ट्रार के परिपत्र दिनांक 23.09.2021 का अनुपालन नहीं करने के कारण बकाया माना गया है।

के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे नियमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार किया जाना अपेक्षित होता है।

5.12.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों के द्वारा एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक राज्य सरकार की कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उनपर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं।

नि0म0ले0प0 इस उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन की निगरानी के माध्यम से निरीक्षक की भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता है :

- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना।
- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर पूरक प्रतिवेदन देना या टिप्पणी करना।

5.12.3 एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी उस इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया (आई0सी0ए0आई0) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा नि0म0ले0प0 द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत नि0म0ले0प0 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ राज्य सरकार की चयनित कम्पनियों के प्रमाणित लेखे की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से नि0म0ले0प0 द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ, यदि कोई है, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं।

5.13 नि0म0ले0प0 की पर्यवेक्षण भूमिका के परिणाम

5.13.1 कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं की लेखापरीक्षा

30 सितम्बर 2021 तक वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण राज्य सरकार की दो⁶⁵ कम्पनियों से प्राप्त हो गए थे। राज्य सरकार की कम्पनियों के इन दो लेखाओं की समीक्षा प्रक्रियाधीन है।

⁶⁵ बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड एवं बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड।

5.13.2 एस0पी0एस0ई0 पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अनुपूरक के रूप में जारी नि0म0ले0प0 की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान 28 लेखाओं (21 गैर ऊर्जा एवं सात ऊर्जा) को सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों की उनके द्वारा लेखापरीक्षा के बाद अग्रेषित किया गया। नि0म0ले0प0 द्वारा एक लेखा पर गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र (एन0आर0सी0) जारी की गई और शेष एस0पी0एस0ई0 के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान नि0म0ले0प0 द्वारा 29⁶⁶ लेखाओं पर (25 गैर ऊर्जा एवं चार ऊर्जा) अस्वीकरण (डिस्कलेमर) जारी किये गये तथा नौ लेखाओं (आठ गैर ऊर्जा एवं एक ऊर्जा) पर टिप्पणी किये गये जिसमें बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2018-19 का एक लेखा सम्मिलित है जिसपर यह प्रतिकूल⁶⁷ टिप्पणी की गई कि कम्पनी के लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी0) के अन्तर्गत सही एवं निष्पक्ष स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की सूची जिन पर जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान टिप्पणियाँ जारी की गई थी, तालिका 5.23 में दर्शाया गया है :

तालिका 5.23: इस अध्याय में शामिल एस0पी0एस0ई0 की सूची जिसमें नि0म0ले0प0 द्वारा टिप्पणियाँ जारी की गई थी

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखा का वर्ष
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19
3	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2018-19
4	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2019-20

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं पर नि0म0ले0प0 द्वारा निर्गत किये गये टिप्पणी के आधार पर संकलित)

सरकारी कम्पनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ, जिनका वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता पर ₹ 1,521.20 करोड़ तथा सम्पत्तियों/देयताओं पर ₹ 65.71 करोड़ था, को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

ए लाभप्रदता पर टिप्पणी

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सेन्टेज आय पर बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 3.55 करोड़ के सेन्टेज आय की राशि का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए परिचालन से प्राप्त राजस्व (सेन्टेज आय) और चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 3.55 करोड़ कम प्रतिवेदित किया गया। ➤ वर्ष 2018-19 (25.03.2019 से 31.03.2019) की अवधि के दौरान सावधि जमा पर ब्याज देय होने के बावजूद ब्याज के रूप में, ₹ 13.58 लाख की राशि का लेखांकन उस वर्ष नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अन्य आय तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 13.58 लाख कम प्रतिवेदित किया गया।

⁶⁶ इन आँकड़ों में वे लेखे भी शामिल हैं जो कि जनवरी 2021 से पूर्व प्राप्त हुए और उनकी लेखापरीक्षा की गई तथा लेखे पर प्रतिवेदन जनवरी 2021 से सितम्बर 2021 के दौरान जारी किये गये।

⁶⁷ महत्वपूर्ण सम्बन्धित मामले तालिका ए एवं बी में दर्शाये गये हैं (लाभप्रदता/वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ)।

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	टिप्पणियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2018-19 के लिए कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी०एस०आर०) निधि पर प्राप्त ब्याज राशि के रूप में ₹ 6.32 लाख की राशि को कम्पनी के आय के रूप में माना गया तथा इसे लाभ एवं हानि खाते में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.32 लाख से अन्य आय को अधिक एवं सी०एस०आर० निधि को कम प्रतिवेदित किया गया।
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने आई०सी०ए०आई० के विशेष सलाहकार समिति के लाभ एवं हानि खाते में लागत जोड़ आधार पर निष्पादित कार्यों के अनुबंध व्यय से संबंधित राय को न मानते हुए परिचालन से राजस्व के रूप में प्राप्त ₹ 1,498.79 करोड़ का गलत लेखांकन किया। इसके परिणामस्वरूप परिचालन से प्राप्त राजस्व और अनुबंध व्यय को ₹ 1,498.79 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया। कम्पनी (सी०पी०आई०यू०-पटना) ने वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना (एस०एस०-81) पर सिविल लागत को एजेंसी एवं आकस्मिक प्रभार के रूप में लेखांकित किया परन्तु उस पर अर्जित आय का अपने खाता बही में लेखांकन नहीं किया था। परिणामतः परिचालन से प्राप्त राजस्व और कार्य प्रगति ₹ 18.22 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया। कम्पनी ने, कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के प्रावधानों के अनुसार लाभ एवं हानि खाते में अस्थायी शेड (मूल्य : ₹ 0.70 करोड़) पर मूल्यहास से संबंधित ₹ 0.44 करोड़ की राशि भारत नहीं की थी। इसके परिणामस्वरूप उस वर्ष के लिए लाभ को ₹ 0.44 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।

बी वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> सेन्टेज आय पर बिहार सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण, वित्तीय वर्ष 2018-19 में 25.01.2016 से 31.03.2018 की अवधि के दौरान निष्पादित परियोजनाओं पर सेन्टेज आय से संबंधित ₹ 15.28 करोड़ की राशि का लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2018-19 के लिए संचय एवं अधिशेष तथा चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 15.28 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया। अग्रिम आय कर के रूप में कुल भुगतान की गई ₹ 25.79 करोड़ की राशि के विरुद्ध आयकर विभाग द्वारा प्रतिदाय की गई ₹ 23.82 करोड़ की राशि का गलत लेखांकन होने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देनदारियों एवं अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों को ₹ 23.82 करोड़ से अधिक प्रतिवेदित किया गया।

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	टिप्पणियाँ
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ अल्पावधि प्रावधानों के अन्तर्गत कुल ₹ 2.04 करोड़ की राशि सी०एस०आर० से संबंधित हैं जिनमें ₹ 0.71 करोड़ वर्तमान वर्ष के लिए तथा ₹ 1.33 करोड़ पूर्व वर्ष के लिए है। आई०सी०ए०आई० द्वारा जारी कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु व्यय के लेखांकन पर निर्देश के आलोक में सी०एस०आर० गतिविधियों पर व्यय नहीं की जाने वाली राशि के लिए वित्तीय विवरण में कोई प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए और तत्संबंधी कारणों को निदेशकों के प्रतिवेदन में उल्लेखित किया जाना चाहिए। हालाँकि, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(5) के तहत न तो सी०एस०आर० गतिविधि पर कोई राशि खर्च की और न ही निदेशकों के प्रतिवेदन में इस हेतु कोई कारण बताया। ➤ 2018-19 की अवधि के दौरान कुल ₹ 7.84 करोड़ के प्राप्त विपत्र का उस वर्ष के लेखे में उपार्जित (एक्रुअल) आधार पर लेखांकन नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप कार्य प्रगति को ₹ 8.39 करोड़, व्यापार देनदारियों को ₹ 7.84 करोड़ तथा सेन्टेज आय को ₹ 0.55 करोड़ से कम प्रतिवेदित किया गया।
2	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कम्पनी द्वारा दावा किए गए आयकर प्रतिदाय की राशि ₹ 29.11 करोड़ थी। आयकर अधिकारियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार कम्पनी वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के लिए ₹ 14.20 करोड़ के धनवापसी की राशि प्राप्त करने के योग्य नहीं है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.20 करोड़ की राशि से अन्य चालू परिसम्पत्ति को अधिक एवं व्यय को कम प्रतिवेदित किया गया।
3	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (2018-19)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान के लिए देय जुर्माने के रूप में ₹ 2.47 लाख का प्रावधान नहीं करने के कारण अन्य चालू देयताओं एवं लाभ को ₹ 2.47 लाख कम प्रतिवेदित किया गया। ➤ वर्ष 2018-19 में लेखांकन मानक 26 के अनुसार ₹ 8.24 लाख के प्रारंभिक व्यय को भारित नहीं करने के परिणामस्वरूप अन्य गैर-चालू परिसम्पत्ति एवं लाभ को ₹ 8.24 लाख अधिक प्रतिवेदित किया गया।
4	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (2019-20)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ सामान्य उपरिव्यय लागत (ओवरहेड कॉस्ट) के तहत ₹ 1.88 करोड़ की राशि, जो प्रत्यक्ष रूप से निर्माण परियोजना की लागत से सम्बन्धित नहीं थी, उन्हें "निर्माण के दौरान व्यय" के अन्तर्गत लेखांकित किया गया। उपरिव्यय लागत के गलत लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹ 1.88 करोड़ से पूंजीगत कार्य प्रगति एवं लाभ को अधिक प्रतिवेदित किया गया।

सी प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	टिप्पणियाँ
1	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (2018-19)	➤ कम्पनी ने अपने लेखाओं में बिहार सरकार के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण, कि कम्पनी बिहार सरकार की ओर से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण पर लगने वाले ब्याज की गणना करेगी और इसे लाभार्थियों से वसूल करेगी, को प्रकट नहीं किया था।
2	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (2019-20)	➤ कम्पनी ने वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में भारत उधार लागत पूँजीकरण के दर का प्रकटीकरण नहीं किया। अतः कम्पनी ने भारतीय लेखा मानक 23 के तहत प्रकटीकरण से सम्बन्धित आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया।

5.13.3 सांविधिक निगम

तीन सांविधिक निगमों में से, किसी भी निगम ने 2020-21 के अपने लेखाओं को 30 सितम्बर 2021 तक अंतिमीकृत और अग्रेषित नहीं किया था। इन सांविधिक निगमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण और लेखाओं के बकाये का विवरण तालिका 5.24 में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 5.24: सांविधिक निगमों के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण और लेखाओं के बकाये की स्थिति

क्रम सं०	निगम का नाम	विभाग का नाम	नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं का वर्ष	अवधि जिसके लेखे बकाया में है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	सहकारिता	2015-16	2016-17 से 2020-21	05
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	2016-17	2017-18 से 2020-21	04
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	2018-19	2019-20 से 2020-21	02

(स्रोत: एस०पी०एस०ई० के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

5.14 लेखा मानकों / भारतीय लेखा मानक के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कम्पनी अधिनियम की धारा 129(1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने लेखा मानक एक से सात और नौ से 29 निर्धारित किया है। इनके अलावा, केन्द्र सरकार ने कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 तथा कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) (संशोधन) नियमावली, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखा मानक (इंड-एस) अधिसूचित किए हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने प्रतिवेदित किया कि दो एस०पी०एस०ई० ने परिशिष्ट 5.5 में दर्शाये गये अनिवार्य लेखा मानकों / इंड-एस का अनुपालन नहीं किया था। जैसा कि परिशिष्ट से देखा जा सकता है, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दो एस०पी०एस०ई० द्वारा दो लेखा मानकों का अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी मामलों को प्रतिवेदित किया।

नि0म0ले0प0 द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन एस0पी0एस0ई0 ने परिशिष्ट 5.6 में दर्शाये गए लेखा मानकों/इंड-एस का अनुपालन नहीं किया जिसे उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा भी प्रतिवेदित नहीं किया गया था। जैसा कि परिशिष्ट में देखा जा सकता है, तीन एस0पी0एस0ई0 द्वारा लेखा मानकों/इंड-एस के अनुपालन नहीं किये जाने संबंधी पाँच मामले थे।

पटना
दिनांक: 11 अप्रैल 2022



(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 21 अप्रैल 2022



(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.1)

राज्य का परिचय

अ. सामान्य आँकड़े

क्रम सं.	विवरण	आँकड़े	
1	क्षेत्रफल	94,163 वर्ग कि.मी.	
2	जनगणना (2020 के अनुसार)	12.42 करोड़	
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)	1,106	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत = 21.90 प्रतिशत)	33.7	
5	साक्षरता (2011 के जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत)	61.8	
6	शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जन्म पर) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जन्म पर)	29	
7	जन्म से जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत = 69.40 वर्ष)	69.1	
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) 2020-21 के चालू मूल्य पर (₹ करोड़ में)	6,18,628	
9	प्रति व्यक्ति जी0एस0डी0पी0 ⁶⁸ सी0ए0जी0आर0 ⁶⁹ (2011-12 से 2020-21)	बिहार	8.70
		सामान्य कोटि के राज्य	8.08
10	जी0एस0डी0पी0 सी0ए0जी0आर0 (2011-12 से 2020-21)	बिहार	10.73
		सामान्य कोटि के राज्य	9.48
11	जनसंख्या वृद्धि (2011 से 2021)	बिहार	17.93
		सामान्य कोटि के राज्य	12.30

ब. वित्तीय आँकड़े

(प्रतिशत में)

क्रम सं0	विवरण सी0ए0जी0आर0	2011-12 से 2019-20		2019-20 से 2020-21	
		सामान्य कोटि के राज्य	बिहार	सामान्य कोटि के राज्य	बिहार
क	राजस्व प्राप्तियों का	2.08	(-)5.74	(-)4.56	3.17
ख	कर राजस्व का	2.12	2.55	(-)4.43	0.61
ग	करेत्तर राजस्व का	23.38	(-)10.43	(-)35.60	67.62
घ	कुल व्यय का	4.16	(-)5.72	4.54	14.27
ड	पूँजीगत व्यय का	(-)5.55	(-)7.81	(-)2.36	47.99
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	11.55	(-)3.00	(-)1.19	1.66
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	10.09	12.73	14.51	24.22
ज	वेतन एवं मजदूरी का	9.07	2.35	2.27	7.00
झ	पेंशन का	10.46	6.75	6.02	14.90

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार)।

⁶⁸ जी0एस0डी0पी0 = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

⁶⁹ सी0ए0जी0आर0 = चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर।

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: कड़िका 2.2)

राज्य सरकार के वित्त के काल श्रृंखला आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
खंड अ. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,05,585	1,17,447	1,31,794	1,24,233	1,28,168
(i) कर राजस्व	23,742 (23)	23,137 (20)	29,408 (22)	30,158 (24)	30,342 (24)
विक्रय, व्यापार आदि पर कर	11,873 (50)	8,298 (36)	6,584 (23)	6,121 (20)	6,032 (20)
राज्य उत्पाद	30 (0)	(-3.00) (0)	(-10) (0)	(-4.00) (0)	(-4) (0)
वाहनों पर कर	1,257 (5)	1,599 (7)	2,086 (7)	2,713 (9)	2,268 (7)
मुद्रांक एवं निबंधन शुल्क	2,982 (13)	3,726 (16)	4,189 (14)	4,661 (16)	4,206 (14)
भू-राजस्व	971 (4)	779 (3)	477 (2)	275 (1)	302 (1)
माल एवं यात्री कर	6,245 (26)	1,645 (7)	399 (1)	23 (0)	6 (0)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	6,747 (29)	15,288 (52)	15,800 (52)	16,050 (53)
अन्य कर	384 (2)	346 (2)	395 (1)	568 (2)	1,482 (5)
(ii) करेतर राजस्व	2,403 (2)	3,507 (3)	4,131 (3)	3,700 (3)	6,201 (5)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्यांश	58,881 (56)	65,083 (55)	73,603 (56)	63,406 (51)	59,861 (47)
(iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान	20,559 (19)	25,720 (22)	24,652 (19)	26,969 (22)	31,764 (25)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	0	0	0	0	0
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	23	22	1825	30	820
4. कुल राजस्व एवं गैर ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,05,608	1,17,469	1,33,619	1,24,263	1,28,988
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	21,577	13,169	18,668	29,145	35,915
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	20,065	11,771	16,134	27,866	29,412
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,512	1,398	2,534	1,279	6,503
6. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
7. संचित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5+6)	1,27,185	1,30,638	1,52,287	1,53,408	1,64,903
8. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
9. लोक लेखा प्राप्तियाँ	61,730	57,107	68,259	1,94,512	2,17,837
10. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (7+8+9)	1,88,915	1,87,745	2,20,546	3,47,920	3,82,740
खंड ब. व्यय/संवितरण					
11. राजस्व व्यय	94,765	1,02,624	1,24,897	1,26,017	1,39,493
योजना	33,576 (35)	35,951 (35)	47,365 (38)	44,576 (35)	44,201 (32)

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
स्थापना और प्रतिबद्ध	61,189 (65)	66,673 (65)	77,532 (62)	81,441 (65)	95,292 (68)
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	30,607 (32)	33,374 (32)	38,691 (31)	41,628 (33)	46,239 (33)
सामाजिक सेवाएँ	40,737 (43)	45,770 (45)	58,284 (47)	57,816 (46)	63,807 (46)
आर्थिक सेवाएँ	23,417 (25)	23,476 (33)	27,918 (22)	26,571 (21)	29,445 (21)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	4	4	4	2	2
12. पूँजीगत व्यय	27,208	28,907	21,058	12,304	18,209
योजना	27,192 (100)	28,866 (100)	20,999 (100)	12,253 (100)	18,194 (100)
स्थापना और प्रतिबद्ध	16 (0)	41 (0)	59 (0)	51 (0)	15 (0)
सामान्य सेवाएँ	2,090 (8)	2,765 (10)	3,311 (16)	2,388 (19)	1,387 (8)
सामाजिक सेवाएँ	3,592 (13)	4,258 (15)	4,061 (19)	2,803 (23)	6,331 (35)
आर्थिक सेवाएँ	21,526 (79)	21,884 (75)	13,686 (65)	7,113 (58)	10,491 (57)
13. ऋणों एवं अग्रिमों का संवितरण	114	243	1,470	666	1,114
14. कुल (11+12+13)	1,22,087	1,31,774	1,47,425	1,38,987	1,58,816
15. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,215	4,653	7,230	7,110	6,880
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	3,461	3,841	6,300	6,143	5,937
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के तहत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	754	812	930	967	943
16. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
17. अंतर्राज्यीय समाशोधन	-	-	-	-	-
18. संचित निधि से कुल संवितरण (14+15+16+17)	1,26,302	1,36,427	1,54,655	1,46,097	1,65,696
19. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
20. लोक लेखा संवितरण	57,268	46,299	67,135	1,97,747	2,17,092
21. राज्य द्वारा कुल संवितरण (18+19+20)	1,83,570	1,82,726	2,21,790	3,43,844	3,82,788
खंड स. घाटा					
22. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-11)	10,820	14,823	6,897	(-) 1,784	(-) 11,325
23. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-14)	(-)16,479	(-)14,305	(-)13,807	(-) 14,724	(-) 29,827
24. प्राथमिक घाटा (-)/ प्राथमिक अधिशेष (+) (23+25)	(-)8,288	(-)5,251	(-)3,736	(-) 3,733	(-) 17,343
खंड द. अन्य आँकड़े					
25. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	8,191	9,054	10,071	10,991	12,484
26. स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता	36,209	43,359	51,764	46,582	54,929
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) [@]	4,21,051	4,68,746	5,27,976	5,94,016	6,18,628
28. लंबित राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अंत में)	1,38,722	1,56,777	1,68,921	1,93,382	2,27,195*
29. लंबित प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	4,460	5,174	5,398	5,380	16,080
30. अधिकतम दी गई प्रत्याभूति (वर्ष के अंत में)	13,053	20,234	20,834	20,834	24,972
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	130	127	68	143	157
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	1,521	892	315	1,001	1,654

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
खंड ई. राजकोषीय स्थिति का संकेतक					
I संसाधन संग्रहण (प्रतिशत में)					
कर राजस्व/जी०एस०डी०पी०	5.64	4.94	5.57	5.08	4.90
करेत्तर राजस्व/जी०एस०डी०पी०	0.57	0.75	0.78	0.62	1.00
केंद्रीय अंतरण/जी०एस०डी०पी०	18.87	19.37	18.61	15.21	14.81
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जी०एस०डी०पी०	29.00	28.11	27.92	23.40	25.67
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	115.63	112.20	111.86	111.88	123.91
राजस्व व्यय/कुल व्यय	77.62	77.88	84.72	90.67	87.83
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	33.37	34.73	39.53	41.60	40.18
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	19.18	17.82	18.94	19.12	18.54
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	22.29	21.94	14.28	8.85	11.47
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	20.57	19.84	12.04	7.13	10.59
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजस्व अधिशेष/जी०एस०डी०पी०	2.57	3.16	1.31	(-)0.30	(-)1.83
राजकोषीय घाटा/जी०एस०डी०पी०	3.91	3.05	2.62	2.48	4.82
प्राथमिक घाटा/जी०एस०डी०पी०	1.97	1.12	0.71	0.63	2.80
राजस्व अधिशेष/राजकोषीय घाटा	65.66	103.62	49.95	12.12	37.97
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन (प्रतिशत में)					
राजकोषीय दायित्व/जी०एस०डी०पी०	32.95	33.45	31.99	32.56	36.09 [#]
राजकोषीय दायित्व/राजस्व प्राप्तियाँ	131.38	133.49	128.17	153.66	177.26
राजकोषीय दायित्व/राज्य के स्व-संसाधन	530.59	588.41	503.66	563.82	621.72

कोष्ठक में दिए गए आँकड़े प्रत्येक उप-शीर्षों की कुल प्रतिशतता (निकटतम) दर्शाते हैं।

@ जी०एस०डी०पी०:- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

* प्रभावी बकाया राजकोषीय देनदारियाँ ₹ 2,23,290.51 करोड़ होंगी क्योंकि ऋण प्राप्तियों के तहत राज्य को बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में दिए गए ₹ 3,905 करोड़ के जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति को किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा जो वित्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

कुल बकाया देनदारियों से ऋण प्राप्तियों के तहत बैंक-टू-बैंक ऋण के रूप में प्राप्त ₹ 3,905 करोड़ के जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति को छोड़कर प्राप्त।

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: कडिका 2.4.3.3)

अपूर्ण परियोजनाओं पर लंबित भुगतान

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/संशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
1	जहानाबाद में सिकरिया आहर पाइन सिंचाई योजना से मिली सुलाइस गेट का जीर्णोद्धार	518.88	2019-20	2020-21	85	114.35	240.42	463.63	704.06	*
2	जहानाबाद में मोरहर नदी पर नागबागीचा बांध व पाइन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	965.43	2019-20	2020-21	85	290.07	584.21	429.23	1,013.44	*
3	जहानाबाद में कोहरन पाइन फॉर्म सुगाओ का जीर्णोद्धार	270.37	2019-20	2020-21	70	57.74	157.84	112.53	*	*
4	जहानाबाद में कनौली महमपुर वैन पाइन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	170.84	2019-20	2020-21	80	104.98	104.98	65.86	*	*
5	जहानाबाद में लखावर कुंड आहर पाइन एवं पोखर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	155.45	2019-20	2020-21	80	96.73	96.73	58.72	*	*
6	बवना कला आहर पाइन सिंचाई योजना जहानाबाद का जीर्णोद्धार	202.92	2020-21	2020-21	60	65.68	65.69	137.23	*	*
7	जहानाबाद में कचनामा कुमारडीह पायने एवं आहर सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	241.78	2020-21	2020-21	60	74.15	74.16	167.62	*	*
8	जहानाबाद में ग्राम गोवन पाइन सिंचाई योजना का जीर्णोद्धार	222.83	2020-21	2020-21	80	102.47	102.48	163.52	266.00	*
9	नवादा जिले में बरौन्या आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	868.28	2019-20	2020-21	50	62.08	160.58	707.70	*	*
10	नवादा जिले में बादलपुर तालाब	136.1	2019-20	2020-21	50	58.39	58.39	77.71	*	*
11	नवादा में हराना आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	261.6	2019-20	2020-21	85	127.34	127.35	134.25	*	*
12	नवादा में केवली आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	210.93	2019-20	2020-21	85	22.64	87.99	122.94	*	*
13	नवादा में हडसा बरौहाना व भडसेनी का शेष कार्य	756.38	2019-20	2020-21	80	137.57	249.89	506.49	*	*
14	नवादा में अबनैया आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	350.98	2019-20	2020-21	75	125.56	232.60	118.37	*	*
15	नवादा में सरकंडा जोगी लपड़ा टैंक	156.97	2020-21	2020-21	85	78.86	78.87	78.10	*	*
16	नवादा में सरकंडा डेनमार्क आहर तालाब	155.14	2020-21	2020-21	83	75.87	75.88	79.26	*	*
17	नवादा में सोनसा नेउरी आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	195.50	2020-21	2020-21	50	*	*	195.50	*	*
18	वोहारी नजरडीह आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	255.20	2020-21	2020-21	55	*	*	255.20	*	*
19	नवादा में महस्थ तालाब-1	255.14	2020-21	2020-21	30	66.37	66.38	188.77	*	*
20	नवादा में बाजर मोहम्मदपुर आहर/पाइन सिंचाई प्रणाली	178.57	2020-21	2020-21	55	*	*	178.57	*	*
21	जमुई में गेरखिजोर आहर का जीर्णोद्धार	173.72	2019-20	2020-21	65	91.00	91.00	82.72	*	*
22	जमुई में मुशारी पोखर, डोमरा, बरखी, विचली पोखर का जीर्णोद्धार	118.8	2019-20	2020-21	80	6.14	55.45	63.35	*	*

(₹ लाख में)

क्रम सं०	परियोजना / कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
23	जमुई में एकसी वियर का जीर्णोद्धार	193.19	2019-20	2020-21	80	81.96	97.05	96.14	*	*
24	बागमती बाढ़ प्रबंधन प्रणाली III ए के तहत मौजूदा हयाघाट कराधीन तटबंध को 123.52 किमी (0.0 किमी) से बढ़कर 165.52 किमी (42 किमी) करना और मजबूत करना	38,934.70	2017-18	2020-21	67	1,215.60	13,556.06	529.25	*	*
25	गाया में करसन मल्हारी रॉक फील वियर	156.44	2020-21	2020-21	25	*	*	39.11	*	*
26	गाया में कसियाडीह आहर पाइज	138.48	2020-21	2020-21	85	*	*	138.48	*	*
27	झांझा, जमुई में बरनार जलाशय योजना से निकाली गई नहरों का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण और वन भूमि के बजाय गैर-वन भूमि के स्तंभन और सीमांकन कार्य	481.62	2018-19	2020-21	85	16.20	337.09	144.53	481.62	*
28	पटना में मसौड़ी प्रखंड के ग्राम बेरों के पास दर्धा नदी पर बेरों बैराज का निर्माण	4,325.11	2018-19	2020-21	79	394.80	2,863.56	986.95	*	*
29	समस्तीपुर में बलुआही पोखर	104.43	2019-20	2020-21	80	41.15	41.15	52.92	*	*
30	समस्तीपुर में बाबू पोखर	117.28	2019-20	2020-21	85	25.30	25.30	91.98	*	*
31	समस्तीपुर में चैता/देता पोखर	178.16	2019-20	2020-21	60	36.27	36.27	84.58	*	*
32	समस्तीपुर में सती पोखर	100.03	2020-21	2020-21	75	*	*	100.03	*	*
33	काकरघाटी शाखा नहर के आरखी 125.00 और 82.10 से बरूजर उप-वितरक और गोकुल उप-वितरक का शेष मिट्टी कार्य और दरमगा में इसकी संरचनाएँ	314	2019-20	2020-21	42	64.75	98.43	215.57	*	*
34	कटिहार में 5200 मीटर (एजेडा संख्या 133/198) की लंबाई में केवला गांव से बाघमारा गांव तक गंगा नदी के बाएँ किनारे का संरक्षण कार्य	10,027.74	2020	2020-21	40	1,348.31	2,334.64	7,522.63		
35	नालंदा में अकबरपुर, पंचालोवा आहर पाइज योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य	116.79	2020-21	2020-21	70	*	*	116.79	*	*
36	नालंदा में प्रखंड गिरियाक ग्राम पंचायत राज प्यारपुर में आहर व पाइज स्लुइस गेट का जीर्णोद्धार कार्य	106.93	2020-21	2020-21	75	55.67	67.72	39.21	*	*
37	पूर्णिया में 05 एल.आई योजना (डोभा, पकरिया, गडुआ, खरकट्टा-1, खरकट्टा-2) का जीर्णोद्धार	136.93	2020-21	2020-21	65	48.11	48.11	13.57	*	*
38	जिला सीतामढ़ी के ब्लॉक के-सोनबर्षा में कचहरीपुर के पास झिम नदी पर सिंचाई निर्माण के लिए गेटेड वियर का निर्माण	2,490.14	2018-19	2020-21	62	66.11	1,627.81	862.63	*	*
39	काराकाट प्रखंड अंतर्गत काव को मिलाने वाली नदी पर पुल-सह-गिरावट सह त्रिकोण नियामक का निर्माण कार्य एवं जमोड़ी अनुमंडल में शिवपुर हाल्ट के समीप 1.20 किमी पर महुआरी वितरण के किमी 1.72, 4.60 एवं 5.40 किमी पर बने आउटलेट की मरम्मत/निर्माण कार्य। रोहतास में केसट-1 वितरण में नागेंद्र झा महिला महाविद्यालय के पास किमी 0.90 पर क्षतिग्रस्त पुल एवं पुल निर्माण कार्य का जीर्णोद्धार कार्य	119.27	2019-20	2020-21	75	30.66	*	76.68	*	*

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित *
40	लखीसराय जिले के सूरजगढ़ा प्रखंड में घोघला कोल नदी को आपस में जोड़कर द्वारसन नदी के बहाव को बढ़ाने की योजना	1,034.74	2019-20	2020-21	40	3.45	163.08	871.66	*	*
41	दरभंगा में 200 बड़ पड़े नलकूपों का निर्माण	124.12	2019-20	2020-21	80	55.63	79.26	44.86	**	**
42	दरभंगा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) लोह प्रभावित कार्य	659.34	2019-20	2020-21	70	78.57	378.77	280.57	**	**
43	दरभंगा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) लोह प्रभावित कार्य	279.25	2019-20	2020-21	65	2.43	168.98	110.27	**	**
44	दरभंगा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता) सार्वजनिक जल आपूर्ति कार्य	264.16	2019-20	2020-21	70	43.91	132.10	132.06	**	**
45	दरभंगा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता) सार्वजनिक जल आपूर्ति कार्य	557.62	2019-20	2020-21	70	23.02	273.91	283.71	**	**
46	दरभंगा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता) सार्वजनिक जल आपूर्ति कार्य	426.2	2019-20	2020-21	75	64.32	209.16	217.04	**	**
47	दरभंगा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति कार्य	1,888.30	2019-20	2020-21	55	62.43	728.97	1,159.33	**	**
48	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	1,659.79	2019-20	2020-21	60	599.67	671.93	987.85	*	*
49	जलापूर्ति योजना	17759.89	2019-20	2020-21	60	5,351.60	8,144.93	9,614.95	*	*
50	जलापूर्ति योजना	4,724.80	2019-20	2020-21	65	1,688.64	2,665.29	2,059.50	*	*
51	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	3768.28	2019-20	2020-21	55	1,148.25	1,576.71	2,191.56	*	*
52	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	4,923.93	2019-20	2020-21	55	1,813.17	2,286.70	2,673.22	*	*
53	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	3939.95	2019-20	2020-21	60	1,654.08	1,997.28	1,942.66	*	*
54	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	7,489.34	2019-20	2020-21	55	3,068.92	3,504.86	3,984.47	*	*
55	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित जन जलापूर्ति कार्य	244.03	2019-20	2020-21	55	64.50	113.25	130.77	*	*
56	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	14,688.86	2019-20	2020-21	52	4,541.53	5,706.13	8,982.72	*	*

क्रम सं०	परियोजना / कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित *
57	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	3541.15	2019-20	2020-21	55	1,243.95	1,695.27	1,845.87	*	*
58	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	2,977.21	2019-20	2020-21	60	1,317.72	1,489.15	1,488.05	*	*
59	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	6511.87	2019-20	2020-21	60	2,541.19	3,240.54	3,271.32	*	*
60	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	5,222.36	2019-20	2020-21	70	2,236.42	3,166.47	2,055.88	*	*
61	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	3,492.05	2019-20	2020-21	55	1,427.99	1,589.71	1,902.33	*	*
62	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	11050.8	2019-20	2020-21	52	3,886.36	4,560.81	6,489.98	*	*
63	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	5,838.77	2019-20	2020-21	65	2,498.65	3,285.22	2,553.54	*	*
64	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	163.53	2019-20	2020-21	45	46.32	51.34	112.18	*	*
65	किशनगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता) आयसन प्रभावित लघु जलापूर्ति योजना	477.34	2019-20	2020-21	45	128.48	128.48	348.86	*	*
66	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	745.45	2017-18	2020-21	40	142.91	227.46	74.26	*	*
67	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	187.28	2019-20	2020-21	53	52.53	45.97	49.31	*	*
68	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	177.68	2019-20	2020-21	39	38.87	35.36	33.69	*	*
69	औरंगाबाद में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (रैर-गुणवत्ता)	125.62	2019-20	2020-21	57	57.03	56.60	15.03	*	*
70	मुख्यमंत्री निश्चय योजना - गुणवत्ता, देव	114.95	2019-20	2020-21	39	39.11	13.53	31.42	*	*
71	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	179.28	2019-20	2020-21	46	45.63	59.27	22.53	*	*
72	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	133.85	2019-20	2020-21	72	72.03	61.68	34.23	*	*
73	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	119.31	2019-20	2020-21	22	22.36	18.28	8.38	*	*
74	औरंगाबाद के दाउदनगर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (रैर-गुणवत्ता)	137.68	2019-20	2020-21	62	61.85	45.58	395.62	*	*
75	औरंगाबाद के रफीगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	128.29	2019-20	2020-21	66	65.88	78.18	6.33	*	*

क्रम सं0	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
76	औरंगाबाद के रफीगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	128.29	2019-20	2020-21	74	74.07	101.54	41.05	*	*
77	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	141.99	2019-20	2020-21	18	18.47	11.79	14.42	*	*
78	औरंगाबाद के मदनपुर में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता)	100.49	2019-20	2020-21	46	46.29	43.20	3.31	*	*
79	औरंगाबाद के रफीगंज में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गुणवत्ता)	150.66	2019-20	2020-21	62	61.80	68.30	24.81	*	*
80	औरंगाबाद के ओबरा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता)	111.47	2019-20	2020-21	56	55.71	50.82	11.27	*	*
81	औरंगाबाद के ओबरा में मुख्यमंत्री निश्चय योजना (गैर-गुणवत्ता)	113.65	2019-20	2020-21	55	55.19	51.64	11.08	*	*
82	बसंतपुर, सीवान में हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति)	883	2019-20	2020-21	85	50.48	77.98	23.00	*	*
83	लकड़ी दरगाह, सीवान में हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति)	883	2019-20	2020-21	50	14.49	24.84	119.26	*	*
84	हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति) दरौली, सीवान	883	2019-20	2020-21	80	14.74	52.27	71.77	*	*
85	हसनपुरा, सीवान में हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति)	883	2019-20	2020-21	50	237.09	237.09	125.01	*	*
86	सागर सुल्तानपुर, सीवान में हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति)	883	2019-20	2020-21	85	48.94	55.56	6.37	*	*
87	जियाये, सीवान में हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति)	883	2019-20	2020-21	25	12.09	12.09	149.16	*	*
88	गोरियाकोठी, सीवान में हर घर नल का जल (वार्ड कार्यान्वयन और प्रबंधन समिति)	883	2019-20	2020-21	75	61.46	61.46	119.56	*	*
89	मधेपुरा के ग्वालपारा में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण	1030.17	2019-20	2020-21	38	94.79	394.79	635.18	*	*
90	मधेपुरा के उदाकिशुनगंज में डी टाइप (जी+3) आवास का निर्माण	272.16	2019-20	2020-21	5	12.51	12.51	259.65	*	*
91	बांका के चंदन प्रखंड में निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	149.56	2019-20	2020-21	75	81.95	111.95	37.61	*	*
92	बांका में कटोरिया प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	1,573.20	2019-20	2020-21	27	130.43	429.74	1,143.46	*	*
93	बांका में बांका प्रखंड सह अंचल कार्यालय-सह-निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य	1546.54	2019-20	2020-21	23	214.42	359.91	1,186.62	*	*
94	बांका में सहकर भवन का निर्माण कार्य	213.57	2019-20	2020-21	37	33.76	78.76	134.81	*	*
95	जहानाबाद के प्रसबीघा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 100 बिस्तरों वाले बाल छात्रावास (जी+3) का निर्माण	410.58	2019-20	2020-21	75	185.25	287.87	122.71	*	*
96	वैशाली में हाजीपुर के बिदुपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण	5,914.96	2018-19	2020-21	70	1,335.84	4,020.76	302.36	*	*

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
97	वैशाली के हाजीपुर में प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण	481.39	2018-19	2020-21	80	99.00	342.27	139.12	*	*
98	दरभंगा स्थित जिला परिवहन कार्यालय सह सुविधा केंद्र कार्यालय में 10 काउंटर भवन का निर्माण कार्य	256.44	2019-20	2020-21	65	48.76	133.68	122.75	*	*
99	दरभंगा में घनश्यामपुर अंचल के बुधैव इनायतपुर पंचायत में बाढ़ आश्रय का निर्माण कार्य	100.13	2019-20	2020-21	5	*	*	100.13	*	*
100	बिहपुर ब्लॉक, भागलपुर में सी-टाइप निवास, उप रजिस्ट्री कार्यालय (आवासीय और गैर-आवासीय) का निर्माण	141	2019-20	2020-21	60	18.20	18.20	122.79	*	*
101	कलेक्ट्रेट परिसर अरवल में ए. बी. सी. डी. एफ. जी और विशेष प्रकार की चारदीवारी, पहुँच-पथ, मिट्टी भरने और जल निकासी का निर्माण कार्य	546.3	2019-20	2020-21	27	*	149.75	396.55	*	*
102	अरवल के शिवनगर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में 100 बिस्तरों वाले पुरुष छात्रावास का निर्माण कार्य	398.73	2019-20	2020-21	57	*	226.85	171.88	*	*
103	नालंदा में माधुरा बिहारशरीफ में वीवीपैट गोदाम का निर्माण	555.7	2019-20	2020-21	39	190.18	190.18	365.51	*	*
104	किशनगंज में आबकारी भवन का निर्माण	284.44	2019-20	2020-21	80	127.49	127.49	151.53	*	*
105	गया में बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण	14,514.00	2018-19	2020-21	49	2,281.98	8,108.50	6,391.02	*	*
106	नालंदा के राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण	633.00	2018-19	2020-21	33	4,903.41	26,239.80	47,842.66	*	*
107	पटना में राजभवन के परिसर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवास का निर्माण	1,020.00	2018-19	2020-21	75	198.05	757.11	283.84	*	*
108	आरा में जिला परिवहन कार्यालय का निर्माण	209	2018-19	2020-21	66	25.00	95.92	33.24	*	*
109	पश्चिम चंपारण बेतिया में 2000 क्षमता के सभागार का निर्माण कार्य	3941.87	2019-20	2020-21	85	3,243.03	3,243.03	698.83	*	*
110	बेतिया, पश्चिमी चंपारण में जिला आबकारी कार्यालय के बैरक, हजत, मलखाना, कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	278.05	2019-20	2020-21	70	132.30	132.30	145.74	*	*
111	पश्चिमी चंपारण, बेतिया में जिला अतिथि गृह में अतिरिक्त अतिथि गृह का निर्माण कार्य	326.5	2019-20	2020-21	60	30.74	30.74	295.75	*	*
112	सारण जिले के अतर्गत प्रखंड सदर में बिसुनपुरा में पंचायत सरकार भवन का निर्माण	100.1	2019-20	2020-21	75	50.27	50.27	49.82	*	*
113	प्रखंड की महासाठा पंचायत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य	145.64	2020	2020-21	80	91.93	91.93	53.71	*	*
114	लखीसराय में वर्ष 2018-19 के लिए आरसीसी सड़क संभाग लखीसराय अंतर्गत तराहारी से टेकाही (हलसी एसएच 08) सड़क लंबाई 7.50 किमी का निर्माण/सुधार कार्य	1479.83	2019-20	2020-21	58	376.32	851.64	628.18	*	*

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित *
115	समस्तीपुर में वर्ष 2018-19 के लिए एसबीडी के तहत विद्यापति ब्लॉक वाया काचा में दयाल चौक (आरसीडी रोड) से महुदाबाद (आरसीडी रोड) का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण	2,278.26	2018-19	2020-21	70	617.67	1,595.89	682.36	*	*
116	सीवान में आरसीडी के तहत बदरजिमी-कैलगढ़ रोड (मिरगंज-बड़हरिया रोड से ग्यानी मोरे से खानपुर तक) के लिए 6.103 से 11.123 (लंबाई 5.02 किमी) तक निर्माण/सुधार सह (सीएमबीडी) कार्य	1,175.40	2015-16	2020-21	78.54	44.89	923.23	252.17	*	252.17
117	सीवान में सीएमबीडी के तहत वर्ष 2014-15 के लिए महाराजगंज-तरवारा रोड का आईआरव्यूपी कार्य 0.00 से 10.20 किमी में	1,665.63	2015-16	2020-21	82.91	43.34	1,381.03	284.60	*	284.60
118	सीवान में सीएमबीडी के तहत वर्ष 2013-14 के लिए जौरादेई-नरेंद्रपुर सड़क के लिए निर्माण/सुधार (बोड़ाई और सुदृढीकरण) सह सीएमबीडी कार्य 0.00 से 5.00 किमी.	598.29	2014-15	2020-21	86.93	76.59	520.13	78.16	*	78.16
119	सीवान में वर्ष 2013-14 के लिए एंडर-रघुनाथपुर रोड के लिए 0.0-11.40 किमी से निर्माण/सुधार (बोड़ाई और सुदृढीकरण) सह उत्पादन और प्रदर्शन आधारित सड़क संपत्ति रखरखाव कार्य	2258.68	2014-15	2020-21	79.5	198.07	1,795.77	462.91	*	462.91
120	फरियानी चौक एन.एच.-31 से बहोलिया स्थान (धमदाहा-रूपौली एसएच-66 रोड) वाया चापे, कामाख्या स्थान से माजरा, काकर्जन, मुस्ही, सहारा रोड को किमी से चौड़ा और मजबूत करना। पूर्णिया में 0.00 से 20.84 (सड़क की कुल लंबाई - 20.84 किमी) (नाबाई)	3,811.37	2018-19	2020-21	50	532.08	532.08	2,081.17	*	*
121	आरा में मिट्टी कार्य, रोड क्रस्ट, बॉक्स कल्वर्ट और विविध सहित सड़क का निर्माण वर्ष 2019-20 के लिए सिडिकेट से सिंगही वाया बिन्दटोली, मारुतीनगर, लकड़िया पुल, बलबतारा (किमी 0.00 से 2.41) तक कुल लंबाई 2.41 किमी (बंशीधर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड)	410.78	2020-21	2020-21	86	292.55	292.55	46.45	*	*
122	पटना में वर्ष 2018-19 के लिए सगुना मोड़ से खगौल रोड दानापुर (किमी 0.00 से 4.050) तक चौड़ीकरण और सुदृढीकरण (सर्विस लेन के साथ चार लेन तक)	5,787.00	2018-19	2020-21	71	347.98	4,114.76	1,672.24	*	*
123	वर्ष 2018-19 के लिए पटना में सड़क निर्माण विभाग सड़क बिक्रम वाया गोनावा मोड़ से सड़क निर्माण विभाग अमहारा किमी 0.00 से 20.811 किमी तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं सुधार	3,946.93	2018-19	2020-21	46	550.92	1,830.23	2,116.70	*	*
124	छपरा में वर्ष 2018-19 के लिए 0 से 6.44 किमी में चौनवा-चौनपुर रोड का आईआरव्यूपी कार्य	1,362.70	2019-20	2020-21	79	*	1,110.70	302.55	*	*

क्रम सं०	परियोजना / कार्यों का नाम	कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तिथि	प्रारंभ का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगतिशील व्यय	लंबित भुगतान	संशोधित लागत, यदि कोई हो/सशोधन की तिथि #	शेष कार्य की लागत मुद्रास्फीति के लिए समायोजित
125	भमुआ में 0 से 7.255 किमी में रामगढ़-बरौरा रोड के चौड़ीकरण व सुदृढीकरण का कार्य	1,706.61	2019	2020-21	82	*	1,402.40	304.20	*	*
126	पमेडी मोड़-रेडबीघा-बोसबीघा (किमी:-0.00 से 7.15 तक) और लिंक पथ पमेडा (किमी-0.00 से 2.60) कार्य वर्ष 2018-19 पटना में	3,049.89	2018-19	2020-21	10	500.00	500.00	2,549.89	*	*
127	वर्ष 2018-19 के लिए बक्सर में सड़क संभाग, बक्सर अंतर्गत दिनारा (एनएच-30) से जलहरा (एसएच-17) सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	2,572.08	2019-20	2020-21	81	758.24	1,887.60	500.00	*	*
128	समस्तीपुर में बजरंगबती से बंदे सिमन वाया कस्तूरबा विद्यालय का काम	124.41	2019-20	2020-21	70	59.37	59.37	47.11	*	*
129	एमआएल01- राहैपुर मोड़ से तैतपुर वाया मनियार टोला मोहिउद्दीनपुर चौक समस्तीपुर में कार्य	229.55	2019-20	2020-21	40	24.84	24.84	200.25	*	*
								146,020.61		
								(1460.21 करोड़)		

** विवरण संबंधित प्रभागों/राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया

(स्रोत: वित्त लेख 2020-21)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कडिका 3.3.2)

अनुपूरक प्रावधान के मामले

(प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) जो अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3-5)=(6)
राजस्व (भारित)					
1	13. ब्याज भुगतान	12,924.65	26.03	12,484.04	440.61
2	28. उच्च न्यायालय बिहार	182.28	1.31	155.00	27.28
(अ) कुल राजस्व (भारित)		13,106.93	27.34	12,639.04	467.89
राजस्व (दत्तमत)					
3	01. कृषि विभाग	3,102.81	221.66	1,498.54	1,604.27
4	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,178.92	66.20	638.17	540.75
5	04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	380.49	2.28	181.55	198.94
6	08. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	169.27	1.60	73.80	95.47
7	09. सहकारिता विभाग	1,132.63	240.56	894.63	238.00
8	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,641.46	59.11	412.78	1,228.68
9	12. वित्त विभाग	327.61	3.65	184.09	143.52
10	16. पंचायती राज विभाग	10,135.21	2,462.63	8,236.01	1,899.20
11	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,579.45	657.44	728.06	851.39
12	20. स्वास्थ्य विभाग	9,129.43	2,284.93	8,520.45	608.98
13	21. शिक्षा विभाग	33,950.48	3,177.54	26,401.69	7,548.79
14	22. गृह विभाग	11,602.49	154.76	9,472.35	2,130.14
15	23. उद्योग विभाग	656.74	7.16	367.68	289.06
16	25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	123.52	52.17	97.12	26.40
17	27. विधि विभाग	915.71	34.54	809.63	106.08
18	29. खान एवं भूतत्व विभाग	53.51	2.65	34.06	19.45
19	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	237.24	94.76	204.97	32.27
20	32. विधानमंडल	224.87	7.62	181.91	42.96
21	33. सामान्य प्रशासन विभाग	735.62	58.41	560.42	175.20
22	35. योजना एवं विकास विभाग	811.90	3.01	485.34	326.56
23	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	892.74	469.55	667.49	225.25
24	42. ग्रामीण विकास विभाग	15,940.28	1,890.75	9,299.16	6,641.12
25	43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	258.50	18.25	216.40	42.10
26	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,720.81	2.50	1,270.24	450.57
27	46. पर्यटन विभाग	62.49	17.85	18.69	43.80
28	47. परिवहन विभाग	358.69	42.37	217.74	140.95
29	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	7,163.72	2,179.48	5,590.39	1,573.33
(ब) योग राजस्व (दत्तमत)		1,04,486.59	14,213.43	77,263.36	27,223.23
योग राजस्व (अ+ब)		1,17,593.52	14,240.77	89,902.40	27,691.12

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	व्यय	मूल प्रावधान में से बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3-5)=(6)
पूँजीगत (भारित)					
30	14. ऋण अदायगिर्यौ	7,035.27	18.06	6,880.47	154.80
(स) पूँजीगत (भारित)		7,035.27	18.06	6,880.47	154.80
पूँजीगत (दत्तमत)					
31	01. कृषि विभाग	50.00	60.55	0.00	50.00
32	03. भवन निर्माण विभाग	4,530.40	7.06	1,156.68	3,373.72
33	12. वित्त विभाग	3,911.50	62.47	681.89	3,229.61
34	21. शिक्षा विभाग	1,240.57	230.07	412.06	828.51
35	22. गृह विभाग	481.01	17.22	139.44	341.57
36	23. उद्योग विभाग	259.11	43.02	96.91	162.20
37	25. सूचना प्रावधिकी विभाग	150.00	17.00	115.50	34.50
38	35. योजना एवं विकास विभाग	1,289.66	90.00	735.60	554.06
39	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	5,250.00	600.00	4,751.32	498.68
40	41. पथ निर्माण विभाग	5,068.75	1,346.84	3,203.88	1,864.87
41	43 . विज्ञान एवं प्रावधिकी विभाग	78.00	10.94	72.05	5.95
42	46. पर्यटन विभाग	221.14	8.05	37.72	183.42
43	49. जल संसाधन विभाग	2,957.74	1,075.57	1,956.17	1,001.57
44	51. समाज कल्याण विभाग	20.19	27.44	0.00	20.19
(द) पूँजीगत (दत्तमत)		25,508.07	3,596.23	13,359.22	12,148.85
योग पूँजीगत (स+द)		32,543.34	3,614.29	20,239.69	12,303.65
महायोग (अ+ब+स+द)		1,50,136.86	17,855.06	1,10,142.09	39,994.77

(स्रोत: वित्तीय वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कडिका 3.3.3)

निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01	2402-00-102-0004- क्षेत्रीय स्थापना	7.04	0.00	7.04	0.64	6.25	0.00	1.43
2	03	2059-80-001-0011- उद्यान (स्थापना)	19.41	0.00	19.41	1.57	9.00	0.00	11.98
3		4059-60-051-0104- परिसदन का निर्माण एवं संधारण	8.69	0.00	8.69	10.50	5.66	0.00	13.53
4	06	2015-00-102-0001- मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	44.34	0.00	44.34	1.69	36.87	0.00	9.16
5		2015-00-106-0005- निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्द्धसैनिक बलों पर व्यय	97.37	25.00	122.37	3.75	111.08	0.00	15.04
6	08	2205-00-103-0101- पुरातत्व निदेशालय	2.25	0.00	2.25	2.20	1.16	0.00	3.29
7	20	2210-01-001-0001- स्वास्थ्य निदेशालय	35.58	0.00	35.58	0.55	20.41	0.00	15.72
8		2210-01-110-0002- दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल	105.01	19.43	124.44	3.40	106.34	0.00	21.50
9		2210-01-200-0008- रक्त भंडार	4.49	0.00	4.49	0.53	4.40	0.00	0.62
10		2210-03-103-0001- प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1,330.52	37.64	1,368.16	8.18	1,191.30	0.00	185.04
11		2210-05-105-0012- नर्स प्रशिक्षण	23.03	0.00	23.03	3.42	12.15	0.00	14.30
12		2210-06-104-0001- औषधी नियंत्रण स्थापना	24.17	0.00	24.17	1.92	21.76	0.00	4.33
13	21	2202-03-102-0127- नालंदा खुला विश्वविद्यालय	1.50	0.00	1.50	33.77	0.00	0.00	35.27
14	22	2055-00-001-0001- अधीक्षण	83.69	5.46	89.15	10.06	74.65	0.00	24.56
15		2055-00-003-0008- प्रशिक्षण विद्यालय, डुमरांव	9.45	0.53	9.98	0.52	8.02	0.00	2.48
16		2055-00-101-0001- आपराधिक जांच विभाग	336.49	0.00	336.49	1.75	231.41	0.00	106.83
17		2055-00-104-0002- पैदल सैन्य पुलिस	1,344.30	0.00	1,344.30	3.50	1,200.64	0.00	147.16
18		2055-00-114-0002- कम्प्युटर	5.92	0.00	5.92	0.69	4.57	0.00	2.04
19		2070-00-108-0001- अग्नि रक्षा सेवा	117.78	0.00	117.78	8.00	116.38	0.00	9.40
20		2235-02-106-0002- परिवीक्षा सेवाएं	20.61	0.00	20.61	0.68	17.41	0.00	3.88

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	23	2851-00-103-0113- शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	8.00	3.00	11.00	1.55	6.89	0.00	5.66
22	32	2011-02-103-0002- विधान परिषद सचिवालय	49.10	7.62	56.72	1.15	50.10	5.30	2.47
23	39	2245-02-101-0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति आपदाओं से राहत हेतु अनुदान	200.00	0.00	200.00	4.35	191.04	0.00	13.31
24		2245-02-109-0001- क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, नालों एवं मल प्रवाह प्रणाली की मरम्मती एवं प्रत्यास्थापना	2.00	28.00	30.00	8.68	25.91	5.00	7.77
25		2245-02-115-0002- मत्स्य प्रक्षेत्र से गाद बालू आदि का निकासन	0.01	0.00	0.01	5.00	0.00	0.00	5.01
26		2251-00-090-0017- आपदा प्रबंधन विभाग	7.41	0.25	7.66	0.79	5.94	0.00	2.51
27	40	2052-00-090-0017- राजस्व और भूमि सुधार विभाग	19.19	0.88	20.07	0.79	13.61	0.00	7.25
28	51	2235-02-103-0325- मातृत्व लाभ योजना	52.48	184.17	236.65	51.00	235.53	0.00	52.12
29		2236-02-789-0204- एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	537.25	0.00	537.25	224.78	432.75	303.23	26.05
योग			4,497.08	311.98	4,809.06	395.41	4,141.23	313.53	749.71

(स्रोत: अनुदान लेखापरीक्षा विवरणी, 2020-21 सहित विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कडिका 3.3.3)

निधियों का आधिक्य पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (+)	वास्तविक व्यय	अभ्यर्पण	अंतिम बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	03	2059-01-053-0029- स्वास्थ्य विभाग के भवनों का जीर्णोद्धार	0.00	1.25	0.46	0.00	0.79
2	06	2015-00-105-0005- निर्वाचन में प्रतिनियुक्त अर्धसैनिक बलों पर व्यय	2.35	5.35	4.94	0.00	2.76
3	13	2049-01-305-0001- पुराने ऋणों से संबंधित व्यय	20.00	5.50	24.09	0.00	1.41
4	15	2071-01-105-0001- 15/11/2000 के पूर्व के पेंशन पाने वालों को परिवारिक पेंशन	98.15	500.00	445.53	0.00	152.62
5	16	2515-00-001-0001- मुख्यालय पंचायत, स्थापना	5.30	4.44	7.64	0.00	2.10
6	20	2210-05-101-0001- आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय	11.65	3.02	13.96	0.00	0.71
7	21	2202-03-102-0024- पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	312.87	90.00	325.26	0.00	77.61
8	22	2055-00-001-0008- सिपाही की नियुक्ति हेतु केंद्रीय चयन बोर्ड	23.25	15.00	36.08	0.00	2.17
9		2055-00-003-0006- बिहार पुलिस अकादमी	21.21	11.26	28.24	0.00	4.23
10		2055-00-109-0012- थानों के लिए व्यय	2.00	4.00	3.88	0.00	2.12
11	30	2225-04-277-0103- बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजना	10.00	14.00	14.00	8.00	2.00
12	35	2235-60-200-0117- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	114.50	33.21	125.30	0.00	22.41
13		2235-60-789-0106- मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना	24.00	6.40	27.40	0.00	3.00
14	39	2235-01-200-0003- शीत लहर से बचाव हेतु उपाय	0.50	1.40	0.74	0.00	1.16
15	39	2245-02-101-0001- निःसहायों और विकलांगों को नकद भुगतान	2,900.00	500.00	3,005.40	0.00	394.60
16	42	2501-06-789-0302- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)	155.40	5.66	157.18	0.00	3.88
17	48	2215-02-789-0101- नाली निर्माण एवं मल निकासी के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	145.00	96.00	232.61	0.00	8.39
18		2217-01-191-0109- शहरी क्षेत्र में नागरिक सुविधाएं— सहायक अनुदान	70.00	60.00	109.95	0.00	20.05
योग			3,916.18	1356.49	4,562.66	8.00	702.01

(स्रोत: 2020-21 का विस्तृत विनियोग लेखे एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कडिका 3.3.3)

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर पुनर्विनियोजन के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	विभाग का पत्र संख्या और दिनांक		वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति की पत्र संख्या और दिनांक		राशि
		पत्र सं०	दिनांक	पत्र सं०	दिनांक	
1	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1206	24.03.2021	329	31.03.2021	0.22
2		1249	25.03.2021	340	31.03.2021	0.02
3	03. भवन निर्माण विभाग	2071	20.03.2021	351	31.03.2021	0.12
4		2077	20.03.2021	349	31.03.2021	0.73
5	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03	8.04.2021	06	31.03.2021	5.47
6	20. स्वास्थ्य विभाग	119	24.03.2021	330	31.03.2021	20.48
7		330	24.03.2021	343	31.03.2021	0.05
8	22. गृह विभाग	2898	31.03.2021	348	31.03.2021	2.02
9		2899	31.03.2021	345	31.03.2021	0.06
10		2794	25.03.2021	346	31.03.2021	0.05
11	26. श्रम संसाधन विभाग	1175	19.03.2021	333	31.03.2021	0.12
12	51. समाज कल्याण विभाग	647	19.03.2021	337	31.03.2021	0.06
13		383	25.02.2021	336	31.03.2021	0.40
14		572	12.03.2021	335	31.03.2021	0.26
15		17	23.03.2021	334	31.03.2021	51.00
	योग					81.06

(स्रोत: बिहार सरकार के अभ्यर्पण पत्रों का संग्रहण)

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कडिका 3.3.4)

कुल प्रावधान में से ₹ 100 करोड़ एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरुद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(अ) राजस्व (भारित)								
1	12. वित्त विभाग	972.54	0.00	972.54	0.05	972.49	99.99	0.01
2	13. ब्याज भुगतान	12,924.65	26.03	12,950.68	12,484.04	466.64	3.60	96.40
योग राजस्व (भारित)		13,897.19	26.03	13,923.22	12,484.09	1439.13	10.34	89.66
(ब) राजस्व (दत्तमत)								
3	1. कृषि विभाग	3,102.81	221.66	3,324.47	1,498.54	1,825.93	54.92	45.08
4	2. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,178.92	66.20	1,245.12	638.17	606.95	48.75	51.25
5	3. भवन निर्माण विभाग	865.32	0.00	865.32	415.36	449.96	52.00	48.00
6	4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	380.49	2.28	382.77	181.55	201.22	52.57	47.43
7	6. निर्वाचन विभाग	797.23	250.00	1,047.23	922.73	124.50	11.89	88.11
8	9. सहकारिता विभाग	1,132.63	240.56	1,373.19	894.63	478.56	34.85	65.15
9	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,641.46	59.11	1,700.57	412.78	1,287.79	75.73	24.27
10	12. वित्त विभाग	327.61	3.65	331.26	184.09	147.17	44.43	55.57
11	15. पेंशन	20,454.11	0.00	20,454.11	19,665.43	788.68	3.86	96.14
12	16. पंचायती राज विभाग	10,135.21	2,462.63	12,597.84	8,236.01	4,361.83	34.62	65.38
13	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,579.45	657.44	2,236.89	728.06	1,508.83	67.45	32.55
14	20. स्वास्थ्य विभाग	9,129.43	2,284.93	11,414.36	8,520.45	2,893.91	25.35	74.65
15	21. शिक्षा विभाग	33,950.48	3,177.54	37,128.02	26,401.69	10,726.33	28.89	71.11
16	22. गृह विभाग	11,602.49	154.76	11,757.25	9,472.35	2,284.90	19.43	80.57
17	23. उद्योग विभाग	656.74	7.16	663.90	367.68	296.22	44.62	55.38
18	26. श्रम संसाधन विभाग	859.52	0.67	860.19	438.16	422.03	49.06	50.94
19	27. विधि विभाग	915.71	34.54	950.25	809.63	140.62	14.80	85.20
20	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	237.24	94.76	332.00	204.97	127.03	38.26	61.74
21	33. सामान्य प्रशासन विभाग	735.62	58.41	794.03	560.42	233.61	29.42	70.58

क्रम सं०	अनुदान / विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरुद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
22	35. योजना एवं विकास विभाग	811.90	3.01	814.91	485.34	329.57	40.44	59.56
23	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	606.45	468.03	1,074.48	626.92	447.56	41.65	58.35
24	37. ग्रामीण कार्य विभाग	1,214.89	1,000.00	2,214.89	1,897.72	317.17	14.32	85.68
25	38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	280.48	0.41	280.89	178.65	102.24	36.40	63.60
26	39. आपदा प्रबंधन विभाग	4,438.01	4,920.98	9,358.99	6,741.96	2,617.03	27.96	72.04
27	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	892.74	469.55	1,362.29	667.49	694.80	51.00	49.00
28	41. पथ निर्माण विभाग	1,637.36	773.16	2,410.52	1,690.52	720.00	29.87	70.13
29	42. ग्रामीण विकास विभाग	15,940.28	1,890.75	17,831.03	9,299.16	8,531.87	47.85	52.15
30	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,720.81	2.50	1,723.31	1,270.24	453.07	26.29	73.71
31	47. परिवहन विभाग	358.69	42.37	401.06	217.74	183.32	45.71	54.29
32	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	7,163.72	2,179.48	9,343.20	5,590.39	3,752.81	40.17	59.83
33	49. जल संसाधन विभाग	1,095.87	0.00	1,095.87	814.31	281.56	25.69	74.31
34	50. लघु जल संसाधन विभाग	411.59	642.75	1,054.34	872.51	181.83	17.25	82.75
35	51. समाज कल्याण विभाग	7,974.16	2,996.39	10,970.55	8,794.69	2,175.86	19.83	80.17
योग राजस्व (दत्तमत)		144,229.42	25,165.68	1,69,395.10	1,19,700.34	49,694.76	29.34	70.66
योग राजस्व (अ+ब)		1,58,126.61	25,191.71	1,83,318.32	1,32,184.43	51,133.89	27.89	72.11
(स) पूँजीगत (भारित)								
36	14 . ऋण अदायगियों	7,035.27	18.06	7,053.33	6,880.47	172.86	2.45	97.55
योग पूँजीगत (भारित)		7,035.27	18.06	7,053.33	6,880.47	172.86	2.45	97.55
(द) पूँजीगत (दत्तमत)								
37	01. कृषि विभाग	50.00	60.55	110.55	0.00	110.55	100.00	0.00
38	03. भवन निर्माण विभाग	4,530.40	7.06	4,537.46	1,156.68	3,380.78	74.51	25.49

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	व्यय	बचत	बचत की प्रतिशतता	प्रावधान के विरुद्ध प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
39	04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	130.01	0.00	130.01	0.00	130.01	100.00	0.00
40	09. सहकारिता विभाग	35.75	275.89	311.64	175.86	135.78	43.57	56.43
41	10. ऊर्जा विभाग	1,263.93	1,011.04	2,274.97	1,368.96	906.01	39.83	60.17
42	12. वित्त विभाग	3,911.50	62.47	3,973.97	681.89	3,292.08	82.84	17.16
43	16. पंचायती राज विभाग	480.00	0.00	480.00	166.40	313.60	65.33	34.67
44	20. स्वास्थ्य विभाग	1,808.25	0.00	1,808.25	645.72	1,162.53	64.29	35.71
45	21. शिक्षा विभाग	1,240.57	230.07	1,470.64	412.06	1,058.58	71.98	28.02
46	22. गृह विभाग	481.01	17.22	498.23	139.44	358.79	72.01	27.99
47	23. उद्योग विभाग	259.11	43.02	302.13	96.91	205.22	67.92	32.08
48	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	295.00	0.00	295.00	76.82	218.18	73.96	26.04
49	35. योजना एवं विकास विभाग	1,289.66	90.00	1,379.66	735.60	644.06	46.68	53.32
50	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	5,250.00	600.00	5,850.00	4,751.32	1,098.68	18.78	81.22
51	37. ग्रामीण कार्य विभाग	9,424.00	0.00	9,424.00	3,301.93	6,122.07	64.96	35.04
52	41. पथ निर्माण विभाग	5,068.75	1,346.84	6,415.59	3,203.88	3,211.71	50.06	49.94
53	46. पर्यटन विभाग	221.14	8.05	229.19	37.72	191.47	83.54	16.46
54	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	50.00	200.00	250.00	50.00	200.00	80.00	20.00
55	49. जल संसाधन विभाग	2,957.74	1,075.57	4,033.31	1,956.17	2,077.14	51.50	48.50
56	50. लघु जल संसाधन विभाग	787.50	0.00	787.50	257.19	530.31	67.34	32.66
कुल पूँजीगत (दत्तमत)		39,534.32	5,027.78	44,562.10	19,214.55	25,347.55	56.88	43.12
कुल पूँजीगत (स+द)		46,569.59	5,045.84	51,615.43	26,095.02	25,520.41	49.44	50.56
कुल योग (अ+ब+स+द)		2,04,696.20	30,237.55	2,34,933.75	1,58,279.45	76,654.30	32.63	67.37

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कडिका 3.3.4)

कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत एवं अधिक बचत वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	01. कृषि विभाग	3,152.81	282.21	3,435.02	1,498.54	43.63	1,936.48	56.37
2	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	1,178.92	69.08	1,248.00	639.99	51.28	608.01	48.72
3	03. भवन निर्माण विभाग	5,395.72	7.06	5,402.78	1,572.04	29.10	3,830.74	70.90
4	04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	510.50	2.28	512.78	181.55	35.41	331.23	64.59
5	05. राज्यपाल सचिवालय	29.63	0.00	29.63	0.21	0.71	29.42	99.29
6	07. निगरानी विभाग	42.72	0.00	42.72	29.95	70.11	12.77	29.89
7	08. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	169.27	1.60	170.87	73.80	43.19	97.07	56.81
8	09. सहकारिता विभाग	1,168.38	516.45	1,684.83	1,070.49	63.54	614.34	36.46
9	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1,659.96	59.11	1,719.07	413.42	24.05	1,305.65	75.95
10	12. वित्त विभाग	5,211.65	66.12	5,277.77	866.03	16.41	4,411.74	83.59
11	16. पंचायती राज विभाग	10,615.21	2,462.63	13,077.84	8,402.41	64.25	4,675.43	35.75
12	17. वाणिज्य -कर विभाग	196.43	0.00	196.43	131.80	67.10	64.63	32.90
13	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,594.45	657.44	2,251.89	728.06	32.33	1,523.83	67.67
14	20. स्वास्थ्य विभाग	10,937.68	2,284.93	13,222.61	9,166.17	69.32	4,056.44	30.68
15	21. शिक्षा विभाग	35,191.05	3,407.61	38,598.66	26,813.75	69.47	11,784.91	30.53
16	22. गृह विभाग	12,083.50	171.98	12,255.48	9,611.79	78.43	2,643.69	21.57
17	23. उद्योग विभाग	915.85	50.18	966.03	464.59	48.09	501.44	51.91
18	24. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	238.18	0.00	238.18	182.97	76.82	55.21	23.18
19	25. सूचना प्रावैधिकी विभाग	273.52	69.17	342.69	212.62	62.04	130.07	37.96
20	26. श्रम संसाधन विभाग	869.52	0.67	870.19	439.66	50.52	430.53	49.48
21	29. खान एवं भूतत्व विभाग	53.51	2.65	56.16	34.06	60.65	22.10	39.35
22	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	532.24	94.76	627.00	281.79	44.94	345.21	55.06

क्रम सं०	अनुदान/विनियोग संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	उपयोग की प्रतिशतता	बचत	बचत की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
23	32. विधानमंडल	226.33	7.62	233.95	182.47	78.00	51.48	22.00
24	33. सामान्य प्रशासन विभाग	743.35	58.41	801.76	567.29	70.76	234.47	29.24
25	35. योजना एवं विकास विभाग	2,101.56	93.01	2,194.57	1,220.94	55.63	973.63	44.37
26	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	5,856.45	1,068.03	6,924.48	5,378.24	77.67	1,546.24	22.33
27	37. ग्रामीण कार्य विभाग	10,638.89	1,000.00	11,638.89	5,199.65	44.67	6,439.24	55.33
28	38. निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	280.48	0.41	280.89	178.65	63.60	102.24	36.40
29	39. आपदा प्रबंधन विभाग	4,443.81	4,920.98	9,364.79	6,741.96	71.99	2,622.83	28.01
30	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	937.94	469.55	1,407.49	668.47	47.49	739.02	52.51
31	41. पथ निर्माण विभाग	6,706.11	2,120.00	8,826.11	4,894.40	55.45	3,931.71	44.55
32	42. ग्रामीण विकास विभाग	15,955.29	1,890.75	17,846.04	9,314.16	52.19	8,531.88	47.81
33	43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	336.50	29.19	365.69	288.45	78.88	77.24	21.12
34	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	1,724.81	2.50	1,727.31	1,270.24	73.54	457.07	26.46
35	45. गन्ना उद्योग विभाग	118.95	0.83	119.78	46.95	39.20	72.83	60.80
36	46. पर्यटन विभाग	283.63	25.90	309.53	56.41	18.22	253.12	81.78
37	47. परिवहन विभाग	372.69	42.37	415.06	218.62	52.67	196.44	47.33
38	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	7,213.72	2,379.48	9,593.20	5,640.39	58.80	3,952.81	41.20
39	49. जल संसाधन विभाग	4,053.61	1,075.57	5,129.18	2,770.48	54.01	2,358.70	45.99
40	50. लघु जल संसाधन विभाग	1,199.09	642.75	1,841.84	1,129.70	61.34	712.14	38.66
41	51. समाज कल्याण विभाग	7,994.35	3,023.83	11,018.18	8,794.69	79.82	2,223.49	20.18
	योग	1,63,208.26	29,057.11	1,92,265.37	1,17,377.85	61.05	74,887.52	38.95

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कडिका 3.3.4)

2016-17 से 2020-21 के दौरान सतत् बचत (₹ 100 करोड़ और अधिक) को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व (दत्तमत)						
1	01. कृषि विभाग	1,214.66 (42.22)	1,150.72 (41.01)	1,436.00 (44.06)	1,319.44 (38.00)	1,825.93 (54.92)
2	02. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	133.55 (22.25)	148.73 (19.90)	248.04 (26.51)	336.30 (29.88)	606.95 (48.75)
3	03. भवन निर्माण विभाग	187.74 (29.91)	102.59 (16.63)	192.56 (24.81)	433.89 (52.13)	449.95 (52.00)
4	04. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	135.68 (37.66)	182.47 (42.95)	123.94 (34.56)	219.03 (59.03)	201.22 (52.57)
5	09. सहकारिता विभाग	117.61 (21.62)	138.21 (14.67)	843.17 (46.26)	1,155.32 (66.35)	478.56 (34.85)
6	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	921.82 (38.86)	285.23 (19.11)	342.72 (22.04)	174.41 (10.99)	1,287.78 (75.73)
7	12. वित्त विभाग	100.83 (38.82)	119.66 (44.64)	104.75 (34.86)	125.45 (40.21)	147.18 (44.43)
8	15. पेंशन	3,770.68 (23.17)	5,570.01 (28.04)	650.32 (3.90)	1,402.03 (7.57)	788.67 (3.86)
9	16. पंचायती राज विभाग	919.67 (12.45)	607.76 (6.64)	1,836.67 (17.93)	4,686.73 (35.04)	4,361.83 (34.62)
10	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,097.53 (50.74)	1,208.16 (49.93)	255.11 (18.68)	653.10 (48.20)	1,508.83 (67.45)
11	20. स्वास्थ्य विभाग	3,350.96 (41.37)	1,427.99 (19.99)	1,877.89 (22.84)	2,322.97 (25.02)	2,893.91 (25.35)
12	21. शिक्षा विभाग	3,837.45 (16.77)	7,703.21 (24.50)	9,957.93 (26.96)	11,102.36 (29.96)	10,726.33 (28.89)
13	22. गृह विभाग	970.47 (13.55)	866.99 (11.77)	724.29 (8.10)	2,033.64 (18.44)	2,284.89 (19.43)
14	26. श्रम संसाधन विभाग	273.01 (39.50)	102.51 (22.49)	175.23 (24.13)	208.91 (24.51)	422.03 (49.06)
15	27. विधि विभाग	289.30 (34.98)	204.74 (25.14)	153.84 (16.66)	228.92 (22.96)	140.62 (14.80)
16	33. सामान्य प्रशासन विभाग	169.23 (25.13)	166.51 (30.27)	221.94 (30.75)	226.36 (30.08)	233.61 (29.42)
17	35. योजना एवं विकास विभाग	1,291.09 (55.48)	1,030.36 (74.05)	156.02 (25.78)	596.72 (68.54)	329.57 (40.44)
18	37. ग्रामीण कार्य विभाग	432.17 (27.33)	228.19 (14.39)	198.87 (16.53)	545.26 (24.66)	317.17 (14.32)
19	39. आपदा प्रबंधन विभाग	1,210.03 (67.09)	1,362.71 (34.39)	3,176.72 (65.92)	3,730.70 (50.74)	2,617.04 (27.96)
20	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	363.65 (44.40)	306.85 (35.34)	238.51 (30.14)	369.32 (39.67)	694.80 (51.00)
21	41. पथ निर्माण विभाग	222.55 (17.66)	476.18 (35.81)	487.94 (34.41)	1,214.66 (58.70)	720.00 (29.26)
22	42. ग्रामीण विकास विभाग	4,468.35 (43.48)	5,166.39 (49.82)	6,175.24 (32.58)	8,870.62 (47.79)	8,531.88 (47.85)

क्रम सं०	अनुदान सं० तथा नाम	बचत की राशि (कुल अनुदान का प्रतिशत कोष्ठक में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	497.99 (30.35)	390.28 (27.75)	441.72 (30.16)	474.37 (29.73)	453.07 (26.29)
24	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	1,244.82 (26.93)	1,811.89 (35.89)	2,064.28 (38.50)	3,250.51 (52.13)	3,752.81 (40.17)
25	51. समाज कल्याण विभाग	1,798.95 (27.08)	2,142.20 (26.02)	3,243.44 (33.97)	2,265.40 (23.52)	2,175.85 (19.83)
योग		29,019.79 (27.70)	32,900.54 (27.26)	35,327.14 (25.61)	47,946.42 (31.52)	47,950.48 (29.34)
पूँजीगत (दत्तमत)						
26	03. भवन निर्माण विभाग	1,537.81 (53.43)	2,348.80 (52.93)	1,018.64 (27.76)	3,771.12 (73.14)	3,380.78 (74.51)
27	09. सहकारिता विभाग	120.67 (71.72)	118.13 (45.98)	230.27 (21.97)	554.00 (98.70)	135.77 (43.57)
28	10. ऊर्जा विभाग	5,330.74 (47.83)	130.74 (1.79)	623.36 (10.72)	1,454.24 (31.80)	906.01 (39.83)
29	20. स्वास्थ्य विभाग	261.23 (23.32)	619.16 (52.87)	481.38 (29.80)	1,259.58 (59.65)	1,162.53 (64.29)
30	35. योजना एवं विकास विभाग	278.56 (22.24)	587.58 (40.10)	380.40 (20.46)	586.96 (34.82)	644.06 (46.68)
31	41. पथ निर्माण विभाग	442.80 (7.65)	372.09 (6.26)	192.24 (3.34)	3,614.83 (65.29)	3,211.71 (50.06)
32	49. जल संसाधन विभाग	511.32 (23.38)	1,405.44 (35.54)	179.43 (5.89)	3,553.85 (78.83)	2,077.14 (51.50)
योग		8,483.13 (34.58)	5,581.94 (22.77)	3,105.72 (13.62)	14,794.58 (61.31)	11,518.00 (55.48)
महायोग		37,502.92 (29.00)	38,482.48 (26.50)	38,432.86 (23.91)	62,741.00 (35.60)	59,468.48 (32.28)

(स्रोत: वर्ष 2016-17 से 2020-21 के विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कडिका 3.3.4)

वर्ष 2020-21 में ₹ 100 करोड़ और उससे अधिक की राशि के अभ्यर्पण का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र म सं०	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	अभ्यर्पित राशि
1	01. कृषि विभाग	3,152.81	282.21	3,435.02	1,498.54	1,936.48	234.01
2	03. भवन निर्माण विभाग	5,395.72	7.06	5,402.78	1,572.04	3,830.74	781.48
3	09. सहकारिता विभाग	1,168.38	516.45	1,684.83	1,070.49	614.34	135.23
4	12. वित्त विभाग	5,211.66	66.12	5,277.77	866.03	4,411.75	3,950.40
5	16. पंचायती राज विभाग	10,615.21	2,462.63	13,077.84	8,402.41	4,675.43	1,067.13
6	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,594.45	657.44	2,251.89	728.06	1,523.83	639.96
7	21. शिक्षा विभाग	35,191.05	3,407.61	38,598.66	26,813.75	11,784.91	493.08
8	22. गृह विभाग	12,083.50	171.98	12,255.48	9,611.79	2,643.69	114.42
9	35. योजना एवं विकास विभाग	2,101.56	93.01	2,194.57	1,220.94	973.63	160.51
10	39. आपदा प्रबंधन विभाग	4,443.81	4,920.98	9,364.79	6,741.96	2,622.83	1,066.37
11	41. पथ निर्माण विभाग	6,706.11	2,120.00	8,826.11	4,894.40	3,931.71	1,419.73
12	42. ग्रामीण विकास विभाग	15,955.29	1,890.75	17,846.04	9,314.16	8,531.89	671.51
13	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	7,213.72	2,379.48	9,593.20	5,640.39	3,952.81	275.00
14	49. जल संसाधन विभाग	4,053.61	1,075.57	5,129.18	2,770.48	2,358.70	421.67
15	51. समाज कल्याण विभाग	7,994.35	3,023.83	11,018.18	8,794.69	2,223.49	1,406.35
	कुल	1,22,881.21	23,075.12	1,45,956.34	89,940.13	56,016.21	12,836.85

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के लिए विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कडिका 3.4.1)

निधियों का शत प्रतिशत अनुपयोग (₹ 10 करोड़ और उससे अधिक)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
1	01	2401-00-103-0218-सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटरियल	20.75
2		2401-00-103-0318-सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मेटरियल	12.16
3		2401-00-109-0218-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	33.20
4		2401-00-109-0318-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	19.46
5		2401-00-113-0217-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाइजेशन	79.68
6		2401-00-113-0317-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाइजेशन	53.12
7		2401-00-789-0245-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाइजेशन	15.36
8		2401-00-789-0345-सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाइजेशन	10.24
9		2415-01-277-0112-कौशल विकास मिशन	11.62
10		4401-00-051-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	41.50
11		6401-00-190-0002-बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को ऋण	60.55
12	02	2403-00-101-0201-राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम	22.03
13		2403-00-106-0501-बिहार एक्वाकल्चर एवं पशुधन कार्यान्वयन परियोजना (बाली) (आई0एफ0डी0 संपोषित)	22.00
14		2403-00-106-0212-राष्ट्रीय पशु प्रबंधन	22.03
15		2404-00-191-0201-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर0के0वी0वाई0) (ए0सी0ए0)	15.00
16		2405-00-109-0501-बिहार एक्वाकल्चर एंड पशुधन कार्यान्वयन परियोजना (बाली) (आई0एफ0डी0 संपोषित)	17.00
17	03	4059-60-051-0126-विकास प्रबंधन संस्थान	100.00
18		4408-02-101-0101-लक्षित जनवितरण प्रणाली के लिए खाद्यान का भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण का कार्यक्रम	100.00
19		4408-02-101-0102-खाद्यान भंडार गोदामों का निर्माण (नाबार्ड संपोषित)	50.00
20	04	5053-02-102-0101-हवाई अड्डे	130.01
21	09	2425-00-108-0118-पैक्सों/ब्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने के लिए अनुदान	18.00
22	10	6801-00-201-0105-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण (नाबार्ड)	10.00
23	12	2054-00-098-0001-स्थानीय निधि अंकेक्षण	32.27
24		4202-01-190-0102-बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम	2,975.00
25	13	2049-03-117-0001-सरकारी कर्मचारी के लिए परिभाषित अंशदान पेंशन योजना पर ब्याज	10.00
26	15	2071-01-197-0001-शिक्षक की सेवानिवृत्त पेंशन लाभ योजना के तहत अंशदान	40.00
27		2071-01-198-0001-शिक्षक की सेवानिवृत्त पेंशन लाभ योजना के तहत अंशदान	42.00
28	16	2515-00-800-0114-ग्राम पंचायत के विभिन्न मदों हेतु	25.00
29	18	2408-01-101-0201-एन0एफ0एस0ए0 के अंतर्गत खाद्यान्नों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	317.54
30		2408-01-101-0405-एन0एफ0एस0ए0 के अंतर्गत खाद्यान्नों के अन्तः राज्यीय हथालन एवं फेयर प्राइस शॉप डीलर्स मार्जिन	417.54
31		5475-00-051-0104-खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत गोदामों के लिए पहुँच पथ का निर्माण	10.00
32	19	2406-01-105-0104-प्रदूषण नियंत्रण पर्षद	20.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
33	20	2210-04-200-0203-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	12.00
34		2235-60-110-0204-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना सहित असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य विभाग)	45.00
35		2235-60-110-0305-आयुष्मान भारत-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा (ए०बी०एन०एच०पी०एम०)	100.00
36		4210-01-051-0104-शहरी क्षेत्र में राजकीय औषधालय का निर्माण	20.00
37		4210-03-105-0112-ए०एन०एम० और जी०एन०एम० स्कूल	20.00
38		4210-03-105-0119-बी०एस०सी० नार्सिंग कॉलेज (निश्चय)	15.00
39	21	2202-01-109-0103-मध्य विद्यालय के छात्रों का परिभ्रमण	58.45
40		2202-02-004-0102-हुनर	40.00
41		2202-02-052-0103-उच्च विद्यालयों का उन्नयन कार्यक्रम	94.55
42		2202-02-109-0110-मुख्यमंत्री बिहार दर्शन योजना	12.00
43		2202-02-109-0207-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	556.63
44		2202-02-109-0307-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर०एम०एस०ए०)	101.33
45		2202-02-789-0207-समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	300.00
46		2202-02-789-0307-समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	200.00
47		2202-02-796-0209-समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	25.00
48		2202-02-796-0309-समग्र शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा (सर्व शिक्षा अभियान)	18.81
49		2202-04-200-0204-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत	66.87
50		2202-04-200-0304-राष्ट्रीय शिक्षा मिशन-साक्षर भारत	44.58
51		4202-01-201-0105-प्राथमिक विद्यालय भवन	375.00
52		4202-01-201-0106-जल-जीवन-हरियाली	50.00
53		4202-01-202-0109-राजकीय उच्च विद्यालय कें भवन का निर्माण	105.00
54		4202-01-202-0112-शिक्षा भवन	15.00
55		4202-01-202-0113-सिमुलतल्ला आवासीय विद्यालय	50.00
56		4202-01-202-0115-जल-जीवन-हरियाली	23.00
57		4202-01-203-0108-राजकीय महाविद्यालय	10.00
58		4202-01-789-0101-राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय के भवन निर्माण	100.00
59	22	4055-00-051-0304-पुलिस और अन्य बलों के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय योजना	14.42
60	23	2852-80-102-0110-औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार	10.00
61		4885-02-050-0101-औद्योगिक विकास के लिए भूमि अर्जन	50.00
62		6851-00-103-0001-बिहार राज्य हथकरघा/विद्युत्करघा/हस्त शिल्प विकास निगम	14.00
63		6857-01-190-0001-बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम को ऋण	11.60
64		6860-01-190-0001-बिहार राज्य वस्त्र निगम को ऋण	16.40
65	35	4070-00-051-0210-सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	51.09
66		4070-00-051-0310-सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	21.80
67		4070-00-789-0302-सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०)	12.27
68	39	2245-02-112-0104-संचार उपकरणों का क्रय	12.00
69		2245-02-800-0008-क्षतिग्रस्त बिजली प्रणाली हेतु	12.00
70	40	2029-00-103-0206-राष्ट्रीय भू-अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (एन०एल०आर०एम०पी०)	86.35
71		3454-01-101-0403-जनगणना, 2021	126.55
72	41	5054-03-101-0104- मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना।	20.00
73		5054-03-337-0211-विशेष सहायता (बी०आर०जी० पथ)	155.00

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष तथा विवरणी	अनुपयोगित कुल प्रावधान
(1)	(2)	(3)	(4)
74	42	2215-02-105-0103-लोहिया स्वच्छता योजना	200.00
75		2216-03-105-0107-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	167.51
76		2216-03-789-0105-मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	250.00
77		2216-03-789-0202-इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	1,762.62
78		2216-03-796-0202-इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	60.78
79		2515-00-102-0218-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन।	79.20
80		2515-00-102-0318-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन।	20.00
81	44	2225-01-102-0216-प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई०)	40.00
82		2225-01-277-0219-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	60.00
83	45	2852-08-789-0101-आर्थिक सहायता	11.20
84	48	2215-01-796-0102-पेयजल की आपूर्ति के लिए स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	10.00
85		2217-01-789-0205-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन।	48.00
86		2217-03-051-0201-स्वच्छ भारत अभियान	190.10
87		2217-03-051-0204-स्मार्ट सिटी मिशन योजना	420.00
88		2217-03-051-0301-स्वच्छ भारत अभियान	50.00
89		2217-03-192-0106-शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थानों को सहायक अनुदान	25.00
90		2217-03-193-0105-शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित	20.00
91		2217-03-193-0113-विशेष स्वच्छता अनुदान	17.00
92		2217-05-001-0101-ई-गवर्नेंस/शहरी सुधार कार्यक्रमों और इसके समतुल्य कार्यक्रमों के लिए	15.00
93		2217-05-001-0107- शहरी आधारभूत संरचनाओं से संबंधित परियोजना तैयार करने हेतु नगर निकायों/प्राधिकरणों एवं इनके समतुल्य संस्थानों को सहायक अनुदान	10.00
94		2217-80-001-0501-बिहार नगरीय विकास परियोजना- बाह्य संपोषित	143.00
95		2217-80-192-0009-पेशाकर के आलोक में अनुदान	25.74
96		2217-80-193-0008-पेशाकर के आलोक में अनुदान	15.66
97	49	4700-80-051-0310-उत्तर कोयल जलाशय परियोजना (नाबार्ड एल०टी०आई०एफ०)	50.00
98	51	2235-02-101-0223-दिव्यांग व्यक्तियों के लिए योजना (सीपडा)	18.00
99		2235-02-103-0219-इंदिरा गांधी मातृत्व सहायता योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन	15.00
100		2235-02-104-0110-बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना	50.00
101		4235-02-102-0208-एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	27.35
102		4235-02-102-0308-एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई०सी०डी०एस०)	20.23
योग			11,646.15

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के विस्तृत विनियोग लेखे)

परिशिष्ट 3.10
(संदर्भ: कडिका 3.4.4)
मार्च 2021 माह में सघन व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं विभाग का नाम	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	वर्ष 2020-21 के दौरान कुल व्यय	माह जनवरी से मार्च 2021 के दौरान हुआ व्यय	व्यय के सापेक्ष में कुल व्यय का प्रतिशत	
								जनवरी - मार्च 2021	मार्च 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	01. कृषि विभाग	97.33	208.58	411.83	780.80	1,498.54	615.89	52.10	41.10
2	03. भवन निर्माण विभाग	87.02	223.35	375.92	885.76	1,572.05	512.72	56.34	32.61
3	06. निर्वाचन विभाग	9.05	23.33	359.30	531.04	922.73	303.13	57.55	32.85
4	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	5.19	2.29	2.61	403.34	413.42	400.85	97.56	96.96
5	14. ऋण अदायगिरियाँ	1,577.43	836.15	1,017.77	3,449.12	6,880.47	1,627.25	50.13	23.65
6	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	11.55	42.00	40.95	187.28	281.79	165.23	66.46	58.64
7	31. संसदीय कार्य विभाग	0.58	0.56	0.50	5.24	6.87	5.03	76.20	73.15
8	37. ग्रामीण कार्य विभाग	1,278.13	136.00	324.31	3,461.22	5,199.65	1,663.17	66.57	31.99
9	43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	36.38	42.34	53.82	155.91	288.45	105.46	54.05	36.56
10	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	47.65	114.58	118.79	989.22	1,270.24	943.63	77.88	74.29
11	45. गन्ना उद्योग विभाग	3.27	3.29	4.33	36.05	46.95	33.90	76.80	72.22
12	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	1,005.53	546.58	1,037.23	3,051.05	5,640.39	2,590.56	54.09	45.93
13	50. लघु जल संसाधन विभाग	119.47	66.28	41.57	902.38	1,129.70	870.38	79.88	77.04
योग		4,278.59	2,245.32	3,788.94	14,838.40	25,151.25	9,837.20	59.00	39.11

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक व्यय विवरणी)

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: कडिका 3.4.4)

मार्च 2021 में किए गए शत प्रतिशत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
1	02	2403-00-789-0111-अस्पताल औषधालय तथा अन्य स्थापना	1.81
2		2403-00-789-0102-बैंक यार्ड मुर्गी पालन योजना	1.00
3		4403-00-102-0101-फ्रोजेन सीमेन बैंक	1.82
4	09	2401-00-110-0107-पायलट मौसम आधारित फसल बीमा योजना हेतु राज्य फसल बीमा निधि को प्रीमियम अनुदान	28.07
5		2401-00-110-0104-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अंतर्गत किसानों को बीमित फसलों की क्षतिपूर्ति हेतु राज्य फसल बीमा निधि में अनुदान	5.46
6		4425-00-051-0303-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०)(ए०सी०ए०)	4.96
7	10	4801-05-796-0101-बिहार राज्य पावर (होल्टिंग) कंपनी लिमिटेड।	1.33
8		6801-00-201-0101-बिहार राज्य जल विद्युत निगम को ऋण	5.79
9	11	2225-03-277-0214-प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	16.19
10		2225-03-277-0314-प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति	16.19
11		2225-03-277-0215-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	56.99
12	13	2049-03-104-0001-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	450.00
13		2049-03-104-0002-अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	13.50
14		2049-03-108-0001-बीमा और पेंशन निधि पर ब्याज	430.00
15	14	6003-00-101-0062-8.38 प्रतिशत बिहार सरकार स्टॉक 2021	600.00
16	15	2071-01-106-0001-भारतीय संविधान के अनुच्छेद 290 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को देय अंशदान-प्रभृत	4.68
17	16	2515-00-789-0214-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर०जी०एस०ए०)	1.57
18		2515-00-800-0112-ग्राम कचहरी के विभिन्न मदों हेतु	2.81
19	18	3456-00-103-0101-बी०पी०एल० परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न आपूर्ति	9.05
20	19	3435-04-101-0001-प्रदूषण नियंत्रण	10.00
21	20	2210-01-103-0301-प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा (पी०एस०एस०वाई०) फेज-5 (बी) के तहत आई०जी०आई०एम०एस० का उन्नयन	8.00
22		2210-02-200-0202-औषधीय पौधों से संबंधित मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	5.17
23		2210-02-200-0302-औषधीय पौधों से संबंधित मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन	1.00
24		2210-05-200-0002-राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान	1.91
25		4210-01-110-0110-इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना	10.00
26		4210-03-105-0220-बर्न इंजुरी के रोकथाम एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन०पी०पी०एम०बी०आई०)	2.69

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
27	21	2202-01-102-0102-शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के आलोक में प्रस्वीकृत निजी विद्यालयों को प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि	22.66
28		2202-01-109-0102-मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	55.00
29		2202-01-789-0102-मुख्यमंत्री पोशाक योजना	5.35
30		2202-02-110-0002-सैनिक स्कूल	3.66
31		2202-02-110-0006-सिमुलतला आवासीय विद्यालय	4.48
32		2202-02-110-0007-गैर सरकारी स्कूलों को सहायता	225.40
33		2202-03-102-0028-आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय	8.00
34	21	2202-03-107-0108-मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट उत्तीर्ण) प्रोत्साहन योजना	375.95
35		2202-04-200-0203-अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	4.54
36		2202-04-789-0202-अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षणिक विकास हेतु समर्थन	1.16
37		2202-80-004-0011-ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान	2.50
38		4202-01-203-0207- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान।	16.20
39	22	4055-00-210-0402-महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध की रोकथाम (सी0सी0पी0डब्लू0सी0)	1.93
40		4070-00-051-0113-होमगार्ड के लिए भवन का निर्माण	1.10
41	23	2851-00-102-0106-उद्योग मित्र	1.53
42		2851-00-103-0113-शिल्प अनुसंधान योजना संस्थान को मजबूत करना	6.89
43		2851-00-108-0101-पावरलूम योजना	5.00
44		2852-80-102-0150-प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के केंद्रीय संस्थान की स्थापना	3.96
45		2852-80-102-0135-उद्यमियों विकास योजना की स्थापना	6.57
46	30	2225-04-050-0101-मौलाना आजाद नागरिक उर्दू विश्वविद्यालय, दरभंगा	30.38
47		2225-04-277-0101-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	30.00
48		5465-01-190-0104-बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की शेयर पूंजी के रूप में पूंजी हिस्सेदारी	35.64
49	31	2011-02-101-0201-राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (एन0ई0भी0ए0)	1.92
50		2011-02-101-0301-राष्ट्रीय ई-विधान आवेदन (एन0ई0भी0ए0)	1.28
51	33	2070-00-003-0006-बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बी0आई0पी0ए0आर0डी0)	3.16
52	35	4515-00-102-0203-वाम पंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) जिलों के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता (एसीए)	80.00
53	37	4515-00-103-0216-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0)	1.13
54	38	2030-02-101-0001-केंद्रीय स्टॉप डिपो, नासिक रोड से प्राप्त टिकटों की लागत	7.22
55	39	2245-02-106-0001-क्षतिग्रस्त सड़कों और पुलों की मरम्मत और बहाली	3.94
56		2245-05-101-0001-प्राकृतिक आपदा कोष	2,441.17
57	40	3604-00-200-0001- भूमि के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर जिला परिषदों को उपकर का भुगतान	1.96

क्रम सं०	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष एवं विवरण	मार्च में 100 प्रतिशत व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)
58	41	3054-80-797-0101-सेंट्रल रोड फंड से स्थानांतरण	649.09
59	42	2515-00-003-0101-बिहार ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	1.73
60	44	2225-01-190-0001-बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम, पटना	6.44
61		2225-01-198-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा	250.92
62		2225-01-277-0222-अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	25.00
63		2225-02-102-0202-अनुसूची जनजातियों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	11.46
64		2225-02-102-0105-अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए	2.00
65		2225-02-197-0101-छात्रवृत्ति/वजीफा	6.05
66		2225-02-198-0101-वजीफा/छात्रवृत्ति	18.55
67		2225-02-277-0216-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3.00
68	48	2225-02-277-0217-अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	8.05
69		2225-02-796-0125-थारुहाट क्षेत्र का विकास	2.00
70		2215-01-192-0103-जल जीवन हरियाली	3.50
71		2215-01-796-0103-पेयजल की आपूर्ति के लिए नगर परिषदों को अनुदान-सहायता	5.50
72		2217-01-001-0002-पटना मेट्रोपॉलिटन एरिया अथॉरिटी।	5.99
73		2217-01-796-0201-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन	1.04
74		2217-03-191-0113- भूमि अधिग्रहण।	5.68
75		2217-03-192-0114-विशेष सफाई अनुदान	20.00
76		2217-03-193-0104-नागरिक क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं	3.35
77		2217-03-193-0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान	9.34
78		2217-80-191-0016-व्यावसायिक कर के आलोक में अनुदान	32.55
79		2217-80-191-0003-बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए नगर निगमों को सहायक अनुदान	700.00
80	3475-00-108-0202-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	22.62	
81	3475-00-789-0202-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	6.95	
82	49	4700-80-005-0101-सर्वेक्षण और अनुसंधान (स्थापना)	2.32
83	50	2702-02-005-0002-लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का रखरखाव	45.95
84		2702-03-103-0002-सरकारी नलकूप	650.00
85	51	2235-03-101-0102-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना	2.00
86		2235-03-102-0203-राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना	1.00
87		2235-03-789-0303-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना	2.00
योग			7,583.75

(स्रोत: वर्ष 2020-21 के मासिक व्यय विवरणी)

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: कडिका 3.4.5)

गैर आकस्मिक खर्च के लिए आकस्मिकता निधि से निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2013	मंत्रिपरिषद	माननीय मंत्रियों के विद्युत बिलों के भुगतान हेतु राशि	0.80
2	2014	न्याय-प्रशासन	14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार दीवानी अदालतों में अनुबंध आधारित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर्स के मानदेय के भुगतान हेतु।	12.72
3			ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सिविल न्यायालयों में तकनीकी कर्मचारियों को मानदेय के भुगतान एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना के रिकॉर्ड डिजिटलीकरण हेतु	1.31
4			विभिन्न न्यायिक परिषदों में पीठासीन अधिकारियों और वर्ग सी/डी कर्मचारियों को मानदेय के हेतु अग्रिम	4.50
5	2029	भू-राजस्व	बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं व्यवस्था कार्यक्रम के तहत नव नियोजित संविदा आधारित श्रमिकों के मानदेय के भुगतान की राशि	178.67
6	2049	ऋण अदायगियाँ	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के ब्याज भुगतान की राशि	26.03
7	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएँ	जेम पोर्टल के माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री के कार्यालय उपयोग के लिए कार खरीदने हेतु	0.17
8			जेम पोर्टल के माध्यम से सचिव (संसाधन), बिहार के उपयोग के लिए एक इनोवा कार खरीदने हेतु	0.18
9			बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन संस्था में कार्यरत श्रमिकों/अधिकारियों को वेतन भुगतान हेतु अग्रिम	58.00
10	2070	अन्य प्रशासनिक मंडलीय सेवाएँ	संभागीय हिंदी प्रशिक्षण केन्द्र, पटना के नव नियोजित कर्मचारियों के सेवा वेतन आदि का अग्रिम भुगतान।	0.07
11	2202	सामान्य शिक्षा	मुख्यमंत्री छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु	34.00
12	2215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	राज्य मद के एक भाग के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के निर्माण के लिए अनुदान संख्या 42-ग्रामीण विकास विभाग के तहत अग्रिम। अनुदान संख्या 42-के तहत कुल मद 41,816.66 लाख है।	8.36
13			राज्य मद के एक भाग के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के निर्माण के लिए अनुदान संख्या 42-ग्रामीण विकास विभाग के तहत अग्रिम। अनुदान संख्या 42-के तहत कुल मद 41,816.66 लाख है।	83.63
14			राज्य मद के एक भाग के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के निर्माण के लिए अनुदान संख्या 42-ग्रामीण विकास विभाग के तहत अग्रिम।	326.17
15	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा में शाखा परिसर के विकास एवं विस्तार, मूलभूत सुविधाओं का निर्माण एवं अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास हेतु	30.38

क्रम सं०	मुख्य शीर्ष	कार्यक्रम का नाम	उद्देश्य	राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	2404	गव्य विकास	राज्य योजनान्तर्गत कम्पेड के अधीनस्थ दुग्ध संघों द्वारा स्थापित की जा रही 10 परियोजनाओं को पूर्ण करने की स्वीकृति हेतु	47.70
17	2406	वानिकी और वन्यजीव	राज्य कैम्पा योजना से संबंधित योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 2151-17 लाख का अग्रिम	21.51
18			राज्य कैम्पा योजना से संबंधित योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ₹ 864.40 लाख का अग्रिम	8.64
19			भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए।	135.00
20			राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली पत्र सं० एल नं। एनए-5/1/2020-एनए एवं विभाग स्वीकृति संख्या 2222 दिनांक 27/07/2020 के आलोक में प्राप्त स्वीकृति	77.54
21			राष्ट्रीय प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली पत्र सं० एल नं। एनए-5/1/2020-एनए एवं विभाग स्वीकृति संख्या 2222 दिनांक 27/07/2020 के आलोक में प्राप्त स्वीकृति	2.56
22	2425	सहकारिता	मुख्यमंत्री हरित कृषि प्लांट योजना के लिए पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की राशि	219.53
23	3451	सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ	प्रमुख सचिव, गन्ना उद्योग, बिहार, पटना हेतु नवीन इनोवा कार क्रय करने हेतु	0.20
24			बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास लिमिटेड, पटना के पक्ष में देयता भुगतान	11.00
25	4215	जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत व्यय हेतु अग्रिम	48.00
26			मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत व्यय हेतु अग्रिम	3.00
27			जलापूर्ति हेतु अग्रिम एवं स्वच्छता हेतु व्यय, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना	249.00
28	4700	प्रमुख सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	सिंचाई परियोजना में मुख्य निर्माण कार्य हेतु अग्रिम	456.00
29	5475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	बिहार में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनः पंजीकरण हेतु राशि	33.52
30			वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कार्यरत क्षेत्रीय बैंकों की पुनर्प्रक्रिया सहायता के लिए 19.95 करोड़ रुपये का भुगतान	19.95
31	6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के आंतरिक ऋण के भुगतान के लिए राशि	18.05
32	6425	सहकारी संस्थाओं को ऋण	मुख्यमंत्री हरित कृषि प्लांट योजना के लिए पैक्स में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की राशि	219.53
कुल				2,335.72

(स्रोत: वित्त विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: कंडिका 3.6.1.2)

परित्यक्त सड़क परियोजनाओं का विवरण राज्य योजना सहित

क्रम सं०	वर्ष	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना		ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	कुल
			मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (नाबार्ड)		
1	2006-07	-	-	12	-	12
2	2007-08	-	-	06	-	06
3	2008-09	-	-	01	-	01
4	2009-10	-	-	-	-	-
5	2010-11	-	-	-	-	-
6	2011-12	-	-	-	-	-
7	2012-13	-	-	02	-	02
8	2013-14	-	08	-	-	08
9	2014-15	-	29	-	-	29
10	2015-16	-	11	01	-	12
11	2016-17	41	16	-	04	61
12	2017-18	-	23	04	16	43
13	2018-19	-	11	02	29	42
14	2019-20	79	16	-	-	95
15	2020-21	75	2	-	-	77
कुल		195	116	28	49	388

(स्रोत: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.14					
(संदर्भ: कंडिका 3.6.1.2)					
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2016-17 से 2020-21 तक का राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रबंधन प्रतिवेदन					
क्रम सं०	संतोषजनक	अपेक्षित सुधारों सहित संतोषजनक	असंतोषजनक	असंतोषजनक (प्रतिशत)	कुल
पूर्ण कार्य					
1	674	127	114	12.46	915
जारी कार्य					
2	1643	388	337	14.23	2368
अनुरक्षण					
3	633	195	565	40.56	1393
पुल					
4	224	60	13	4.38	297
कुल			1029		4973

(स्रोत: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: कडिका 3.6.1.3)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	व्यय की बुकिंग	लेखा शीर्ष	वित्तीय वर्ष					कुल
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	
1	विनियोग लेखे, बिहार सरकार में बुक पूँजीगत व्यय	37-4515-00-103-0316 एवं 0216	4,956.76	2,242.74	100.00	40.00	234.26	7,573.76
2	ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखाप्रणाली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पूँजीगत व्यय	37-4515-00-103-0316 एवं 0216	3,276.24	1,539.64	1,789.59	1,172.87	1,680.60	9,458.94
अंतर			1,680.52	703.10	(-1,689.59)	(-1,132.87)	(-1,446.34)	(-1,885.18)

(स्रोत: विनियोग लेखे एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अभिलेखों की तुलना)

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: कंडिका 3.6.1.3)

ग्रामीण कार्य विभाग के राजस्व एवं पूँजीगत व्यय
तालिका-I सड़क संरक्षण पर ग्रामीण कार्य विभाग के राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	व्यय की बुकिंग	लेखा शीर्ष	वित्तीय वर्ष				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	विनियोग लेखे बिहार सरकार में सड़क संरक्षण पर अंकित व्यय	37-3054 एवं 37-2245	966.57	1157.43	780.70	1,441.91	1,683.93
2	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अनुसार सड़क संरक्षण पर व्यय	37-3054 एवं 37-2245	85.85	260.38	295.64	521.11	लेखापरीक्षा को ऑकड़े प्रदान नहीं किये गये
अंतर			880.72	897.05	485.06	920.80	उपलब्ध नहीं
कुल अंतर			3,183.63				

(स्रोत: विनियोग लेखे एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अभिलेखों की तुलना)

तालिका-II ग्रामीण कार्य विभाग के पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	व्यय की बुकिंग	लेखा शीर्ष	वित्तीय वर्ष				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	विनियोग लेखे, बिहार सरकार में अंकित पूँजीगत व्यय	37-4515	7,748.97	6,396.35	2,951.29	1,883.27	3,301.93
2	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के अनुसार पूँजीगत व्यय	37-4515	5,195.63	3,621.44	4,573.51	4,009.72	लेखापरीक्षा को ऑकड़े प्रदान नहीं किये गये
अंतर			2,553.34	2,774.91	(-)1,622.22	(-)2,126.45	उपलब्ध नहीं
कुल अंतर			5,328.25-3,748.67 = 1,579.58				

(स्रोत: विनियोग लेखे एवं ग्रामीण कार्य विभाग के अभिलेखों की तुलना)

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भ: कंडिका 3.6.1.3)

पांच वर्षों के गलत बुकिंग का विवरण (2016-17 से 2020-21)

(₹ करोड़ में)

वर्षवार							
क्रम सं०	विवरण	विपत्र कोड	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	वेतन	37-4515-00-103-0101-01	62.18	62.18	42.14	64.47	61.76
2	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	37-4515-00-103-0101-06	0.40	0.40	0.02	0.40	0.40
3	परिवहन	37-4515-00-103-0101-11	0.70	0.70	0.19	0.70	0.70
4	कार्यालय व्यय	37-4515-00-103-0101-13	4.86	4.75	2.75	5.71	4.80
5	किराया, दरें एवं कर	37-4515-00-103-0101-14	0.70	0.70	0.06	0.70	0.50
6	अन्य प्रशासनिक व्यय (प्रशिक्षण)	37-4515-00-103-0101-20	0.05	0.05	0.00	0.05	0.05
कुल			68.89	68.78	45.16	72.03	68.21
कुल योग			323.07				

(स्रोत: ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के अभिलेख)

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ: कडिका 3.7.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान श्रेणी 'अ' एवं श्रेणी 'ब' के अंतर्गत विभागवार जेंडर बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं० एवं विभाग	जेंडर बजट 2020-21		श्रेणी 'अ' योजना		श्रेणी 'ब' योजना		कुल व्यय (अ+ब)
		योजनाओं की संख्या	बजट प्रावधान	योजनाओं की संख्या	व्यय	योजनाओं की संख्या	व्यय	
1	01. कृषि विभाग	114	2,384.22	0	0.00	114	715.37	715.37
2	03. भवन निर्माण विभाग	5	465.00	0	0.00	5	230.50	230.50
3	08. कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	4	68.82	0	0.00	4	20.65	20.65
4	11. पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	12	1,654.94	1	15.04	11	768.32	783.36
5	16. पंचायती राज विभाग	9	551.00	0	0.00	9	275.50	275.50
6	18. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	601.42	0	0.00	0	0.00	0.00
7	20. स्वास्थ्य विभाग	29	3,657.74	9	891.87	20	1,071.27	1,963.14
8	21. शिक्षा विभाग	90	26,510.57	12	1,035.15	78	7,639.50	8,674.65
9	22. गृह विभाग	1	356.23	1	0.50	0	0.00	0.50
10	23. उद्योग विभाग	7	675.90	0	0.00	7	132.80	132.80
11	26. श्रम संसाधन विभाग	9	382.64	2	15.26	7	110.21	125.47
12	30. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	7	329.00	1	2.00	6	85.55	87.55
13	36. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	19	4,631.00	0	0.00	19	1,389.30	1,389.30
14	40. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	3	45.20	3	45.20	0	0.00	45.20
15	42. ग्रामीण विकास विभाग	39	15,320.33	17	8,977.92	22	3,694.43	12,672.35
16	43. विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	3	117.25	3	117.25	0	0.00	117.25
17	44. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	38	1628.15	0	0.00	38	557.27	557.27
18	46. पर्यटन विभाग	1	221.14	0	0.00	1	110.57	110.57
19	48. नगर विकास एवं आवास विभाग	54	3,323.10	0	0.00	54	998.78	998.78
20	51. समाज कल्याण विभाग	76	7,130.42	31	801.74	45	3,474.31	4,276.05
योग		520	70,054.07	80	11,901.94	440	21,274.33	33,176.27

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे एवं जेंडर बजट)

परिशिष्ट 3.19

(संदर्भ: कडिका 3.7.1)

वर्ष 2020-21 के दौरान श्रेणी 'अ' के अंतर्गत दो विभागों में जेंडर बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

I ग्रामीण विकास विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड- योजना	बजट प्रावधान	जेंडर बजट	विनियोग लेखे के अनुसार बजट प्रावधान	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत व्यय
1	42-2216031020101- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00
2	42-2216031050106- मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
3	42-2216031050107- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	167.51	167.51	167.51	0.00	0.00
4	42-2216031050202- इंदिरा आवास योजना	4,254.59	4,254.59	4,385.52	1,885.32	42.99
5	42-2216031050302- इंदिरा आवास योजना	2,049.98	2,049.98	2,923.64	2,842.16	97.21
6	42-2216037890103- मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
7	42-2216037890104- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00
8	42-2216037890105- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
9	42-2216037890202- इंदिरा आवास योजना	1,762.62	1,762.62	1,762.62	0.00	0.00
10	42-2216037890302- इंदिरा आवास योजना	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
11	42-2216037960103- मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00
12	42-2216037960104- मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
13	42-2216037960202- इंदिरा आवास योजना	60.78	60.78	60.78	0.00	0.00
14	42-2216037960302- इंदिरा आवास योजना	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
15	42-2515001020517- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	296.38	296.38	296.38	234.14	79.00
16	42-2515007890510- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	122.79	122.79	122.79	97.01	79.00
17	42-2515007960517- बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक संपोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	4.23	4.23	4.23	3.34	78.98
	कुल	8,977.92	8,977.92	9,982.51	5,061.97	50.71

II समाज कल्याण विभाग

क्रम सं०	विपत्र कोड- योजना	बजट प्रावधान	जेंडर बजट	विनियोग लेखे के अनुसार बजट प्रावधान	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत व्यय
1	51-2235021010111- विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	0.10	0.10	0.10	0.06	63.83
2	51-2235021020116- परवरिश	22.00	22.00	22.00	22.00	100.00
3	51-2235021020224- किशोरियों के सशक्ति करण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	4.34	4.34	4.34	2.59	59.80
4	51-2235021020226- राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
5	51-2235021020324- किशोरियों के सशक्ति करण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	0.00	0.00	3.11	1.93	62.22
6	51-2235021020326- राष्ट्रीय क्रेच स्कीम	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
7	51-2235021030003- बिहार राज्य महिला आयोग	2.50	2.50	4.74	3.86	81.53
8	51-2235021030105- महिला विकास निगम-सहायता अनुदान	5.00	5.00	5.00	3.25	65.00
9	51-2235021030109- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	23.83	23.83	23.83	23.37	98.08
10	51-2235021030110- नारी शक्ति योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	51-2235021030111- कन्या सुरक्षा योजना	40.00	40.00	40.00	26.00	65.00
12	51-2235021030219- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
13	51-2235021030225- मातृत्व लाभ योजना	24.24	24.24	24.24	9.90	40.84
14	51-2235021030319- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	51-2235021030325- मातृत्व लाभ योजना	52.48	52.48	236.65	235.53	99.53
16	51-2235021040001- राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम-गृह	2.19	2.19	2.19	1.80	82.38
17	51-2235027890107- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	36.91	36.91	36.91	5.77	15.63
18	51-2235027890108- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	51-2235027890109- मुख्यमंत्री कन्या संबल योजना	40.00	40.00	40.00	26.00	65.00
20	51-2235027890312- किशोरियों के सशक्ति करण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	0.00	0.00	0.65	0.65	99.87
21	51-2235027890313- इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	51-2235027960123- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	6.26	6.26	6.26	0.57	9.06
23	51-2235028000002- अंतरजातीय विवाह	5.00	5.00	10.00	3.66	36.60
24	51-2235031010103- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	0.70	0.70	45.70	17.28	37.81
25	51-2235031010203- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	176.00	176.00	184.00	182.00	98.91

क्रम सं०	विपत्र कोड- योजना	बजट प्रावधान	जेंडर बजट	विनियोग लेखे के अनुसार बजट प्रावधान	विनियोग लेखे के अनुसार व्यय	प्रतिशत व्यय
26	51-2235031010303- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	33.00	33.00	63.56	63.56	100.00
27	51-2235037890102- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
28	51-2235037890202- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	74.00	74.00	74.00	74.00	100.00
29	51-2235037890302- इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना	7.00	7.00	7.00	7.00	100.00
30	51-2235601020105- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	182.00	182.00	265.00	281.50	106.23
31	51-2235607890102- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	48.00	48.00	48.00	48.00	100.00
	कुल	801.74	801.74	1,163.47	1,040.30	89.41

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे एवं जेंडर बजट)

परिशिष्ट 3.20
(संदर्भ: कडिका 3.7.3)
2020-21 के दौरान विभागवार हरित बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	विभाग	योजनाओं की संख्या	2020-21 बजट प्राक्कलन	हरित बजट	प्रतिशत
1	1	कृषि विभाग	69	1,421.85	798.54	56.16
2	2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	4	146.74	80.47	54.84
3	3	भवन निर्माण विभाग	5	620.00	24.03	3.88
4	10	ऊर्जा विभाग	2	35.00	35.00	100.00
5	19	पर्यावरण एवं वन विभाग	35	440.00	440.00	100.00
6	20	स्वास्थ्य विभाग	1	10.00	10.00	100.00
7	21	शिक्षा विभाग	3	78.00	73.25	93.91
8	23	उद्योग विभाग	1	10.00	10.00	100.00
9	24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	1	82.73	11.50	13.90
10	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	3	37.00	37.00	100.00
11	37	ग्रामीण कार्य विभाग	6	8,418.95	290.69	3.45
12	41	पथ निर्माण विभाग	3	3,951.96	51.58	1.31
13	42	ग्रामीण विकास विभाग	15	4,605.23	1,914.01	41.56
14	45	गन्ना उद्योग विभाग	3	30.00	7.09	23.63
15	46	पर्यटन विभाग	1	221.14	20.00	9.04
16	47	परिवहन विभाग	5	195.00	195.00	100.00
17	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	42	3,071.75	610.72	19.88
18	49	जल संसाधन विभाग	17	3,000.00	300.00	10.00
19	50	लघु जल संसाधन विभाग	15	787.50	785.00	99.68
		योग	231	27,162.85	5,693.88	20.96

(स्रोत: 2020-21 के विनियोग लेखे एवं जेंडर बजट)

परिशिष्ट 5.1

(संदर्भ: कंडिका 5.1.3 एवं 5.5.1)

वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल राज्य पी0एस0ई0 का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आइ0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं अधिशेष -संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (4×100/10)	निवेश पर प्रतिफल (4×100/8)	अंश पूँजी पर प्रतिफल (5×100/9)	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष- संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	
														3
2020-21														
ऊर्जा														
1	बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	1,271.06	1,709.56	1,271.06	1,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.06
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-255.93)	(-255.93)	0.00	4,812.96	4,812.96	579.85	579.85	(-44.14)	(-5.32)	(-44.14)	(-44.14)	579.85
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	(-0.04)	(-0.04)	0.00	0.00	0.00	0.00	(-0.04)
4	पीसपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	(-0.03)	(-0.03)	0.00	0.00	0.00	0.00	(-0.03)
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	445.18	460.16	1,033.08	7,949.99	9,655.82	8,691.79	9,655.82	4.61	4.61	5.29	8,691.79	
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2020-21	358.20	154.82	460.20	580.59	2,742.44	815.73	2,742.44	13.06	13.06	18.98	815.73	
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-1,068.89)	(-1,282.88)	7,469.78	11,653.84	13,135.11	6,482.83	7,964.10	(-13.42)	(-8.14)	(-19.79)	6,482.83	
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-1,501.20)	(-1,664.84)	8,367.20	12,267.96	13,787.68	2,233.22	3,752.94	(-40.00)	(-10.89)	(-74.55)	2,233.22	
कुल ऊर्जा			(-2,022.64)	(-2,588.67)	17,330.26	38,536.42	45,843.59	20,074.41	26,404.64	(-7.66)	(-4.41)	(-12.90)	20,074.41	

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आई०टी० (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (4×100/10)	निवेश पर प्रतिफल (4×100/8)	अंश पूँजी पर प्रतिफल (5×100/9)	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
गैर-ऊर्जा													
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	6.46	23.86	0.00	0.10	0.10	8.60	8.60	75.12	6,460.00	277.44	8.60
2	बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20	0.01	(-9.12)	0.00	7.64	38.62	(-182.31)	(-151.33)	(-0.01)	0.03	5.00	(-182.31)
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	61.02	35.78	1,567.45	20.00	557.90	557.90	557.90	10.94	10.94	6.41	557.90
4	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	33.27	23.57	424.73	25.00	129.89	131.74	131.74	25.25	25.61	17.89	131.74
5	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.01	0.01	0.00	0.10	388.72	(-0.06)	388.56	0.00	0.00	(-16.67)	(-0.06)
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.30	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
7	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	258.36
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2020-21	2.69	0.25	0.00	9.50	19.06	13.89	22.70	11.85	14.11	1.80	13.89
9	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2019-20	(-0.36)	(-0.36)	0.00	110.50	114.08	110.14	113.72	(-0.32)	(-0.32)	(-0.33)	110.14
10	बिहार राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	306.31	(-405.38)	(-176.91)	(-20.50)	11.84	(-4.58)	(-405.38)
	कुल गैर-ऊर्जा		146.50	99.71	2,021.84	271.02	1,814.3	494.14	1,154.6	12.69	8.07	20.18	494.14
	कुल योग (2020-21)		(-1,876.14)	(-2,488.96)	19,352.10	38,807.44	47,657.89	20,568.55	27,559.24	(-6.81)	(-3.94)	(-12.10)	20,568.55

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आई०टी० (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (4×100/10)	निवेश पर प्रतिफल (4×100/8)	अंश पूँजी पर प्रतिफल (5×100/9)	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
2019-20													
ऊर्जा													
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	1,271.06	1,709.56	1,271.06	1,709.56	0.00	0.00	0.00	1,271.06
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-255.93)	(-255.93)	0.00	4,812.96	4,812.96	579.85	579.85	(-44.14)	(-5.32)	(-44.14)	579.85
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	(-0.04)	(-0.04)	0.00	0.00	0.00	(-0.04)
4	पीरपैँती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	(-0.03)	(-0.03)	0.00	0.00	0.00	(-0.03)
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	445.18	460.16	1,033.08	7,949.99	9,655.82	8,691.79	9,655.82	4.61	4.61	5.29	8,691.79
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2019-20	124.81	31.63	207.84	514.58	2,284.81	594.9	2,284.81	5.46	5.46	5.32	594.9
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-1,068.89)	(-1,282.88)	7,469.78	11,653.84	13,135.11	6,482.83	7,964.10	(-13.42)	(-8.14)	(-19.79)	6,482.83
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2019-20	(-1,501.20)	(-1,664.84)	8,367.20	12,267.96	13,787.68	2,233.22	3,752.94	(-40.00)	(-10.89)	(-74.55)	2,233.22
	कुल ऊर्जा		(-2,256.03)	(-2,711.86)	17,077.9	38,470.41	45,385.96	19,853.58	25,947.01	(-8.69)	(-4.97)	(-13.66)	19,853.58
गैर-ऊर्जा													
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	6.46	23.86	0.00	0.10	0.10	8.60	8.60	75.12	6,460.00	277.44	8.60
2	बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20	0.01	(-9.12)	0.00	7.64	38.62	(-182.31)	(-151.33)	(-0.01)	0.03	5.00	(-182.31)
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	65.00	35.78	1,567.45	20.00	557.90	557.90	557.90	11.65	11.65	6.41	557.90
4	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	33.27	23.57	424.73	25.00	129.89	131.74	131.74	25.25	25.61	17.89	131.74
5	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.01	0.01	0.00	0.10	388.72	(-0.06)	388.56	0.00	0.00	(-16.67)	(-0.06)

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ0बी0आई0टी0 (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (4×100/10)	निवेश पर प्रतिफल (4×100/8)	अंश पूँजी पर प्रतिफल (5×100/9)	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=	12=	13=	14
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2019-20	0.00	0.00	0.30	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
7	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2019-20	7.14	7.14	22.39	20.00	258.36	258.36	258.36	2.76	2.76	2.76	258.36
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2019-20	1.93	0.26	0.00	9.50	18.80	15.87	24.68	7.82	10.27	1.64	15.87
9	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन	2019-20	(-0.36)	(-0.36)	0.00	110.50	114.08	110.14	113.72	(-0.32)	(-0.32)	(-0.33)	110.14
10	बिहार राज्य वित्तीय निगम लिमिटेड	2019-20	36.26	18.58	6.97	77.84	306.31	(-405.38)	(-176.91)	(-20.50)	11.84	(-4.58)	(-405.38)
	कुल गैर-ऊर्जा		149.72	99.72	2,021.84	271.02	1,814.04	496.12	1,156.58	12.95	8.25	20.10	496.12
	कुल योग (2019-20)		(-2,106.31)	(-2,612.14)	19,099.74	38,741.43	47,200.00	20,349.70	27,103.59	(-7.77)	(-4.46)	(-12.84)	20,349.70
2018-19													
ऊर्जा													
1	बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	0.00	1,147.42	1,585.92	1,147.42	1,585.92	0.00	0.00	0.00	1,147.42
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	(-299.12)	(-299.12)	0.00	4,812.96	4,812.96	531.88	531.88	(-56.24)	(-6.21)	(-56.24)	531.88
3	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	579.45	147.28	965.88	7,589.23	8,295.32	7,906.85	8,295.32	6.99	6.99	1.86	7,906.85
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	2018-19	207.52	24.84	275.59	343.37	1,599.94	391.44	1,599.94	12.97	12.97	6.35	391.44
7	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	(-452.69)	(-595.64)	6,417.09	10,398.02	11,817.02	7,034.68	8,453.68	(-5.55)	(-3.83)	(-38.47)	7,034.68
8	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2018-19	(-1,678.29)	(-1,813.09)	7,419.35	11,014.59	12,120.65	2,724.84	3,830.90	(-43.81)	(-13.85)	(-66.54)	2,724.84

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	अन्तिमीकृत किये गये लेखे का वर्ष	इ०बी०आई०टी० (ब्याज एवं कर के पूर्व आय)	कर एवं अधिमान लाभांश के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	कुल प्रदत्त पूँजी	निवेश (प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय + दीर्घावधि ऋण)	अंशधारकों की निधि (प्रदत्त पूँजी + संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)	नियोजित पूँजी (अंशधारकों की निधि + दीर्घावधि ऋण)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	निवेश पर प्रतिफल	अंश पूँजी पर प्रतिफल	निवल मूल्य (प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष-संचित हानि-स्थगित राजस्व व्यय)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11= (4×100/10)	12= (4×100/8)	13= (5×100/9)	14
	कुल ऊर्जा (2018-19)		(-1,643.11)	(-2,535.71)	15,077.91	35,305.61	40,231.83	19,737.05	24,297.58	(-6.76)	(-4.08)	(-12.85)	19,737.05
						गैर-ऊर्जा							
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	6.46	23.86	0.00	0.10	0.10	8.60	8.60	75.12	6,460.00	277.44	8.60
2	बिहार स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	(-3.57)	(-3.57)	0.00	7.64	38.62	(-173.19)	(-142.21)	2.51	(-9.24)	2.06	(-173.19)
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	65.00	35.78	1,567.45	20.00	557.90	557.90	557.90	11.65	11.65	6.41	557.90
4	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	33.27	23.57	424.73	25.00	129.89	131.74	131.74	25.25	25.61	17.89	131.74
5	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2018-19	0.01	0.01	0.00	0.10	388.72	(-0.06)	388.56	0.00	0.00	(-16.67)	(-0.06)
6	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	0.87	0.34	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	1.26
7	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19	13.92	13.92	31.21	20.00	251.21	251.21	251.21	5.54	5.54	5.54	251.21
8	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	0.31	0.23	0.00	9.50	9.73	9.95	9.95	3.12	3.19	2.31	9.95
9	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2018-19	4.64	(-13.45)	4.05	77.84	306.31	(-423.96)	(-195.49)	(-2.37)	1.51	3.17	(-423.96)
	कुल गैर-ऊर्जा		120.04	80.35	2,028.31	160.52	1,683.74	363.45	1,011.52	11.87	7.13	22.11	363.45
	कुल योग (2018-19)		(-1,523.07)	(-2,455.36)	17,106.22	35,466.13	41,915.57	20,100.50	25,309.10	(-6.02)	(-3.63)	(-12.22)	20,100.50

(स्रोत : एस०पी०एस०ई० के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: कडिका 5.1.3)

एस0पी0एस0ई0 का विवरण जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रक्षेत्र एवं एस0पी0एस0ई0 का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अद्यतन अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
अ.	कार्यशील एस0पी0एस0ई0 जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे/बकाया नहीं थे					
I.	सरकारी कम्पनियाँ					
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2004-05	2019-20	(-)3.36	0.26	3.71
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2015-16	2020-21	0.00	0.00	15.12
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1997-98	2006-07	(-)0.29	0.64	3.62
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2014-15	2020-21	(-)2.15	3.61	33.89
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2020-21	11.06	37.28	0.10
6	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	37.99	82.99	3.50
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	14.95	40.93	5.00
8	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	8.95	209.17	5.00
9	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	3.54	11.63	5.00
10	बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2010-11	2021-22	(-)4.58	1,940.31	5.39
11	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2019-20	3.24	20.22	0.05
12	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2011-12	2020-21	114.46	233.43	0.48
13	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	2020-21	28.28	13.54	99.04
14	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	0.43	0.2	1.00
15	बिहार स्टेट बिबरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2021-22	(-)1.76	0.00	5.00
16	बिहार राज्य खनन निगम लिमिटेड	-	-	0.00	0.00	0.00
17	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	0.00	0.00	0.00
18	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	-	0.00	0.00	0.00
	उप योग			210.76	2594.21	185.90
II	संविधिक निगमों					
19	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	2020-21	(-)156.73	37.15	101.27
20	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2015-16	2021-22	0.95	109.44	6.42
	उप योग			(-)155.78	146.59	107.69
	कुल अ			54.98	2740.8	293.59

क्रम सं०	प्रक्षेत्र एवं एस०पी०एस०ई० का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अद्यतन अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
ब. (1)	अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ					
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	(-)0.22	0.00	1.75
2	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.02	0.00	0.05
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	2.17	0.00	5.00
4	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	0.00	0.00	6.72
5	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	(-)0.26	0.01	5.60
6	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	1.47	0.00	1.91
7	बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1986-87	1991-92	(-)1.03	0.00	0.57
8	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल * (क्रम सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
9	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी* (क्रम सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
10	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद* (क्रम सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
11	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया* (क्रम सं० ब 2 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
12	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	(-)0.01	0.00	1.44
13	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	(-)0.10	0.00	6.28
14	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2017-18	(-)7.63	0.16	14.04
15	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2017-18	(-)3.52	23.34	7.00
16	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.29	31.55	9.97
17	बिहार सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्रम सं० ब 30 की अनुषंगी)	1986-87	1995-96	(-)0.32	0.00	0.66
18	मगध मिनरल लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
19	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड (क्रम सं० अ 6 की अनुषंगी)	1989-90	2016-17	(-)0.34	0.44	3.06
20	बेलट्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (क्रम सं० अ 6 की अनुषंगी)	1990-91	2017-18	0.14	0.41	1.32
21	बेलट्रॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड* (क्रम सं० अ 6 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
22	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	(-)9.20	0.00	9.97
23	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड* (क्रम सं० ब 16 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
24	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	(-)0.17	0.00	3.62

क्रम सं०	प्रक्षेत्र एवं एस०पी०एस०ई० का नाम	अन्तिमीकृत लेखाओं की अद्यतन अवधि	वर्ष जिसमें अन्तिमीकृत किये गये	कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
25	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	(-)0.03	0.00	0.67
26	बिहार ड्रग्स एवं केमिकल्स लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	(-)0.03	0.00	0.94
27	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	(-)0.09	0.00	4.98
28	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2001-02	2020-21	0.06	23.24	2.29
29	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्रम सं० ब 16 की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	(-)0.06	0.00	1.56
30	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाइल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	(-)0.08	0.00	0.16
31	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1984-85	1988-89	(-)0.01	0.00	0.4
32	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	(-)0.01	0.00	0.42
33	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड (क्रम सं० ब 30 की अनुषंगी)	1988-89	1993-94	(-)0.32	0.00	1.03
34	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	(-)0.02	0.00	0.09
35	भवानी ऐक्टिव कार्बन लिमिटेड (क्रम सं० ब 26 की अनुषंगी)	1985-86	1989-90	(-)0.01	0.00	0.02
36	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड* (क्रम सं० ब 16 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
उप योग ब (I)				(-)10.31	79.15	91.52
ब (II)	समापन प्रक्रियाधीन कम्पनियाँ					
1	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्रम सं० ब 16 की अनुषंगी)	1994-95	1995-96	(-)2.39	10.89	2.17
2	बिहार राज्य फिनिस्ड लेदर्स निगम लिमिटेड (क्रम सं० स 3 की अनुषंगी)	1983-84	1986-87	(-)1.49	0.00	1.47
3	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	(-)0.37	1.16	5.14
4	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.10	4.94	2.00
5	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	(-)1.42	15.22	7.18
योग ब (II)				(-)5.57	32.21	17.96
कुल ब				(-)15.88	111.36	109.48
कुल योग (अ + ब)				39.10	2852.16	403.07

* एस०पी०एस०ई० जिन्होंने अपने प्रथम लेखे समर्पित/अन्तिमीकृत नहीं किये।
(स्रोत: एस०पी०एस०ई० के अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: कड़िका 5.8)

उन एस0पी0एस0ई0 को बजटीय सहायता जिनके लेखे अगस्त 2021 तक बकाए थे

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अगस्त 2021 तक बकाया लेखाओं वाले एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार द्वारा निवेश					कुल	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	बकाये लेखे (2020-21 तक)
		अंश पूँजी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी अनुदान	सब्सिडी			
अ. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1	बिहार राज्य शैक्षणिक वित्तीय निगम लिमिटेड	0.00	1198.00	0.00	12.65	0.00	1210.65	2019-20	2
2	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113.60	2018-19	3
3	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	112.50	0.00	112.55	2018-19	3
4	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	2017-18	4
5	बिहार राज्य खनन निगम	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2017-18	4
6	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45	2017-18	4
7	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23	2015-16	6
8	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	2017-18	4
9	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	128.91	7.00	300.00	165.00	0.00	600.91	2014-15	9
10	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	105.39	8.66	116.33	2005-06	16
11	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.00	1114.81	4027.81	0.00	6283.07	11425.69	2003-04	18
12	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	20.74	7.49	25.00	0.00	0.00	53.23	1998-99	23
13	बिहार राज्य जल विद्युत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	40.26	0.00	0.00	0.00	40.26	2014-15	7

क्रम सं०	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अगस्त 2021 तक बकाया लेखाओं वाले एस0पी0एस0ई0 में राज्य सरकार द्वारा निवेश						वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	बकाये लेखे (2020-21 तक)
		अंश पूंजी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	कुल		
14	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	683.83	0.00	0.00	683.83	2019-20	2
15	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	490.58	46.12	481.10	2251.37	0.00	3269.17	2020-21	1
	योग अ	783.83	2415.96	5517.74	2654.59	6291.73	17663.85		
ब. कार्यशील सांविधिक निगमों									
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	0.00	318.24	0.00	157.03	899.81	1375.08	2017-18	4
2	बिहार राज्य मंडारण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	164.01	0.00	0.00	164.01	2015-16	6
	योग ब	0.00	318.24	164.01	157.03	899.81	1539.09		
स. अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2015-16	6
2	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2011-12	12
3	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28	2003-04	18
4	बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00	2001-02	20
5	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	2001-02	20
6	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.25	5.63	0.00	0.26	0.00	7.14	1993-94	28
7	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	0.00	2.21	0.00	0.00	0.08	2.29	1992-93	29
8	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.00	1.66	0.00	0.00	2.47	4.13	1991-92	30
9	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	5.80	2.74	0.00	0.00	0.00	8.54	1988-89	33

क्रम सं०	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का नाम	अगस्त 2021 तक बकाया लेखाओं वाले एस०पी०एस०ई० में राज्य सरकार द्वारा निवेश							
		अंश पूंजी	ऋण	प्रत्याभूतियाँ	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	कुल	वर्ष जब से लेखे बकाया हैं	बकाये लेखे (2020-21 तक)
10	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	12.92	6.30	0.00	0.00	0.00	19.22	1986-87	35
11	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	11.21	365.32	0.00	0.00	197.93	574.46	1985-86	36
12	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	3.72	0.25	0.00	0.00	0.48	4.45	1984-85	37
13	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	5.22	18.78	0.00	0.00	55.41	79.41	1983-84	38
14	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	12.26	43.18	0.00	0.00	0.00	55.44	1983-84	38
15	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	5.00	154.33	0.00	0.00	0.00	159.33	1979-80	42
16	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00	6.09	1977-78	44
	योग (स)	57.38	617.89	0.00	11.26	256.37	942.90		
	योग (अ+ब+स)	841.21	3352.09	5681.75	2822.88	7447.91	20145.84		

(स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आँकड़े)

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ: कडिका 5.11.2)

एस0पी0एस0ई0 के बकाया लेखाओं का विवरण

I. सरकारी कम्पनियों

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब	स	द
उद्योग विभाग			
1	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1986-87 से 2020-21	35
2	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1984-85 से 2020-21	37
3	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2011-12 से 2020-21	10
4	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड	1981-82 से 2020-21	40
5	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड	1977-78* से 2020-21	44
6	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	1987-88 से 2020-21	34
7	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	1988-89 से 2020-21	33
8	बिहार मेज प्रोडक्ट लिमिटेड	1984-85 से 2020-21	37
9	बिहार राज्य ग्लेज्ड टाईल्स एवं सेरामिक्स लिमिटेड	1986-87 से 2020-21	35
10	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	1985-86 से 2020-21	36
11	बिहार ड्रग्स एवं रसायन लिमिटेड	1986-87 से 2020-21	35
12	झंझारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	1986-87 से 2020-21	35
13	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	1986-87 से 2020-21	35
14	सिन्थेटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	1984-85 से 2020-21	37
15	भवानी एक्टिव कार्बन लिमिटेड	1986-87 से 2020-21	35
16	मगध मिनरल्स लिमिटेड	1984-85* से 2020-21	37
17	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	2016-17 से 2020-21	05
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग			
18	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20 से 2020-21	02
19	बेल्ड्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	1990-91 से 2020-21	31
20	बेल्ड्रॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	1991-92 से 2020-21	30
21	बेल्ड्रॉन इन्फॉरमेटिक्स लिमिटेड	01.03.1988* से 2020-21 तक	33
पर्यावरण एवं वन विभाग			
22	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	2020-21	01
23	बिहार राज्य टैनिन एक्सट्रेक्ट लिमिटेड	1989-90 से 2020-21	32
24	बिहार राज्य सोलवेंट एवं केमिकल्स लिमिटेड	1987-88 से 2020-21	34
25	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2003-04 से 2020-21	19
ऊर्जा विभाग			
26	बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2014-15 से 2020-21	07
27	बिहार स्टेट पावर (होल्टिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018-19 से 2020-21	03 [@]
28	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	01
29	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	01
30	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	01
31	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	2020-21	01
32	पीरपैती बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2014-15 से 2020-21	07 [@]
33	लखीसराय बिजली कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	2014-15 से 2020-21	07 [@]
पशु और मत्स्य संसाधन विभाग			
34	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1993-94 से 2020-21	28
35	बिहार राज्य दुग्ध निगम लिमिटेड	1998-99 से 2020-21	23
जल संसाधन विभाग			
36	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2003-04 से 2020-21	18

क्रम सं०	एस०पी०एस०ई० का नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब	स	द
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग			
37	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2017-18 से 2020-21	04
गन्ना उद्योग विभाग			
38	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1985-86 से 2020-21	36
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग			
39	बिहार राज्य खाद्य एवं असेनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2011-12 से 2020-21	10
पथ निर्माण विभाग			
40	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19 से 2020-21	03
41	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20 से 2020-21	02
गृह (पुलिस) विभाग			
42	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18 से 2020-21	04
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग			
43	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	2015-16 से 2020-21	06
खनन एवं भू-विज्ञान विभाग			
44	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2001-02 से 2020-21	20
45	बिहार राज्य माइनिंग निगम लिमिटेड	2017-18 से 2020-21	04
पंचायती राज विभाग			
46	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1985-86 से 2020-21	36
पर्यटन विभाग			
47	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16 एवं 2020-21	06
लघु सिंचाई विभाग			
48	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1979-80 से 2020-21	42
49	बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1983-84 से 2020-21	38
शिक्षा विभाग			
50	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	2012-13 से 2020-21	09
51	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2020-21	01
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
52	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	1998-99 से 2020-21	23
कृषि विभाग			
53	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2005-06 से 2020-21	16
54	बिहार राज्य एग्रो इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	01
55	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	2015-16 से 2020-21	06
56	स्काडा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2015-16 एवं 2020-21	06
57	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल	1993-94 से 2020-21	28
58	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी	1993-94 से 2020-21	28
59	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	1993-94 से 2020-21	28
60	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ	1993-94 से 2020-21	28
मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग			
61	बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19 से 2020-21	03
भवन निर्माण विभाग			
62	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19 से 2020-21	03
नगर विकास एवं आवास विभाग			
63	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	2018-19 से 2020-21	03

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
अ	ब	स	द
64	पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2020-21	01
स्वास्थ्य विभाग			
65	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17 से 2020-21	05
	कुल I		1,239

* निर्मित होने की तिथि से

@ सूचनाओं को अध्याय V में शामिल कर लिया गया है। हालाँकि, कुछ आवश्यकताओं के अपूर्ण रहने के कारण लेखे प्रबंधन को वापस कर दिये गये।

II. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	नगर विकास एवं आवास विभाग	2019-20 से 2020-21	02
2	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड		2018-19@ से 2020-21	03
3	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड		2018-19 से 2020-21	03
4	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड		2017-18 से 2020-21	04
	कुल II			12

III. सांविधिक निगम

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	2017-18 से 2020-21	04
2	बिहार राज्य भंडारण निगम	सहकारिता	2016-17 से 2020-21	05
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	उद्योग	2019-20@ से 2020-21	02
	कुल III			11

@ अध्याय V में जानकारी शामिल कर ली गई हालाँकि, कुछ आवश्यकताओं के कारण लेखे प्रबंधन को वापस कर दिये गये।

IV. समापन प्रक्रिया के अधीन

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	विभाग का नाम	नवनीत लेखे के अन्तिमीकरण की अवधि	इस तिथि से समापन प्रक्रिया के अधीन	अवधि जिसके लेखे बकाया है	बकाया लेखाओं की संख्या
1	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	1990-91	04 अक्टूबर 2012	1991-92 से 2012-13	22
2	बिहार राज्य फिनिश लेंडर कॉरपोरेशन लिमिटेड		1983-84	25 अगस्त 2008	1984-85 से 2008-09	25
3	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड		1991-92	04 अक्टूबर 2012	1992-93 से 2012-13	21
4	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड		1982-83	25 अगस्त 2008	1983-84 से 2008-09	26
5	कुमारधुबी मेटल कास्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड		1994-95	17 अगस्त 1999	1995-96 से 1999-2000	06
	कुल IV					100

कुल योग (I+II+III+IV) = 1,239+12+11+100 = 1,362

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ: कंडिका 5.14)

वैसे एस0पी0एस0ई0 का विवरण जहाँ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों / भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन प्रतिवेदित किया गया

क्रम सं०	एस0पी0एस0ई0 का नाम	लेखाओं के अन्तिमीकरण का वर्ष	लेखांकन मानक	भारतीय लेखा मानक
1	बिहार स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2019-20	5	-
2	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	2020-21	15	-

(स्रोत : एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संकलित)

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भ: कंडिका 5.14)

वैसे एस0पी0एस0ई0 का विवरण जहाँ नि0म0ले0प0 द्वारा लेखांकन मानकों / भारतीय लेखा मानक का गैर-अनुपालन प्रतिवेदित किया गया

क्रम सं0	लेखा मानक / भारतीय लेखा मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
1	भारतीय लेखा मानक 7	रोकड़ प्रवाह विवरण	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2018-19)
2	भारतीय लेखा मानक 37	आकस्मिक देयताएँ	कम्पनी ने अप्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय परिचालन गतिविधियों के अन्तर्गत रोकड़ प्रवाह विवरण में स्थगित राजस्व व्यय का अपलेखन (राइट ऑफ) नहीं दिखाया। मध्यस्थता के ऐसे मामले जो उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष अपील के अधीन थे लेकिन उन्हें वित्तीय विवरण में प्रकट नहीं किया गया था।
3	लेखा मानक 26	अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड (2018-19)
4	भारतीय लेखा मानक 16	सम्पत्ति (प्रॉपर्टी), संयंत्र एवं उपकरण	कम्पनी ने अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 में प्रभारित किए जाने वाले प्रारंभिक व्ययों को शामिल किया था। स्टार्ट-अप गतिविधियों पर व्यय को एक वैधानिक इकाई की स्थापना में खर्च किए गए प्रारंभिक व्ययों, जैसे कानूनी और सचिवीय लागत, एक नई सुविधा या व्यवसाय शुरू करने (प्रारम्भ-पूर्व लागत) अथवा नया संचालन शुरू करने या नए उत्पाद या नई प्रक्रिया की शुरुआत करने (संचालन-पूर्व लागत), से युक्त अचल परिसम्पत्तियों के एक मद की लागत में शामिल नहीं किया गया है तो स्टार्ट-अप गतिविधियों पर किए गए खर्चों को व्ययों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए जिसमें स्टार्ट-अप लागत शामिल हैं।
5	भारतीय लेखा मानक 23	उधारी लागत	कम्पनी ने पूँजीगत कार्य प्रगति के अन्तर्गत सामान्य उपरिव्यय (ओवरहेड) लागत को शामिल किया जो कि प्रत्यक्षतः निर्माण परियोजना की लागत से सम्बन्धित नहीं थी। कम्पनी ने वर्ष के दौरान लाभ और हानि विवरण के अन्तर्गत प्रभारित किए गए उधारी लागत पूँजीकरण दर का प्रकटीकरण नहीं किया।

(स्रोत: एस0पी0एस0ई0 के लेखाओं पर नि0म0ले0प0 द्वारा किये गये टिप्पणी के आधार पर संकलित)

संकेताक्षरों की शब्दावली

संकेताक्षरों की शब्दावली

क्रम सं०	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
1	ले० एवं हक०	लेखा एवं हकदारी
2	ए०सी०	सार आकस्मिक
3	ए०ई०	संचयी व्यय
4	ए०जी०	महालेखाकार
5	बी०बी०एम०	बिहार बजट हस्तक
6	बी०ई०	बजट अनुमान
7	बी०एफ०आर०	बिहार वित्तीय नियम
8	बी०एफ०आर०बी०एम०	बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
9	बी०ओ०सी०डब्लू०	भवन एवं अन्य संरचना कर्मकार
10	बी०टी०सी०	बिहार कोषागार संहिता
11	सी०ए०जी०	नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
12	सी०ए०जी०आर०	मिश्रित वार्षिक विकास दर
13	सी०ई०	पूँजीगत व्यय
14	डी०सी०	विस्तृत आकस्मिक
15	डी०डी०ओ०	आहरण एवं संवितरण अधिकारी
16	डी०ई०	विकास व्यय
17	डीस्कॉम	वितरण कम्पनी
18	ई०एस०	आर्थिक सेवाएँ
19	एफ०सी०	वित्त आयोग
20	जी०डी०पी०	सकल घरेलू उत्पाद
21	जी०आई०ए०	सहायता अनुदान
22	जी०ओ०बी०	बिहार सरकार
23	जी०ओ०आई०	भारत सरकार
24	जी०एस०	सामान्य सेवाएँ
25	जी०एस०डी०पी०	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
26	जी०एस०टी०	वस्तु एवं सेवा कर
27	एन०पी०आर०ई०	गैर—योजना राजस्व व्यय
28	एन०पी०एस०	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
29	एन०एस०डी०एल०	नेशनल सिंक्रोरिटिज डिपॉजिटरी लिमिटेड
30	एन०एस०एस०एफ०	राष्ट्रीय लघु बचत निधि
31	एन०टी०आर०	करेत्तर राजस्व
32	पी०ए०सी०	लोक लेखा समिति
33	पी०डी०	व्यक्तिगत जमा
34	पी०एफ०	भविष्य निधि
35	पी०एस०यू०	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
36	आर०बी०आई०	भारतीय रिजर्व बैंक
37	आर०ई०	राजस्व व्यय
38	आर०आर०	राजस्व प्राप्तियाँ
39	एस०डी०आर०एफ०	राज्य आपदा मोचन निधि
40	एस० एण्ड डब्लू०	वेतन एवं मजदूरी
41	एस०एल०आर०	सांविधिक तरलता अनुपात

क्रम सं०	संकेताक्षर	पूर्ण विस्तार
42	एस०एस०	सामाजिक सेवाएँ
43	एफ०एफ०सी०(XIV)	चौदवाँ वित्त आयोग
44	यू०सी०	उपयोगिता प्रमाण-पत्र
45	उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना
46	भी०ए०टी०	मूल्य वर्धित कर
47	भी०एल०सी०	अभिभव स्तर का कम्प्यूटरीकरण
48	एस०पी०एस०ई०	राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों
49	आर०ओ०सी०	कंपनियों के रजिस्ट्रार
50	एम०सी०ए०	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
51	ए०जी०एम०	वार्षिक सामान्य बैठक
52	आर०ओ०ई०	अंश पूँजी पर प्रतिफल
53	आई०सी०आर०	ब्याज व्याप्ति अनुपात
54	ई०बी०आई०टी०	ब्याज एवं करों से पूर्व की आय
55	आर०ओ०सी०ई०	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल
56	आर०ओ०आर०आर०	सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर
57	आर०ओ०आई०	निवेश पर प्रतिफल
58	आई०सी०ए०आई०	इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स ऑफ इंडिया
59	सी०एस०आर०	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
60	ई०डी०सी०	निर्माण के दौरान व्यय
61	इंड-एस	भारतीय लेखा मानक
62	ए०एस०	लेखा मानक
63	एन०आर०सी०	गैर-समीक्षा प्रमाण पत्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in